अल हिन्द पार्टी

हरी मिर्च

1857

के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के शहीद सेनानियों के लिए

न्याय की याचिका

गुर्जर डा ओमकार कटियार

सरदार पटेल जी का मिशन अधूरा
अल हिन्द पार्टी करेगी 2024 मे पूरा
मिशन 2024

सबको देखा बार बार
अबकी बार गुर्जर डा ओमकार कटियार

Email : alhindparty@gmail.com | Website : www.alhindparty.com

चक्रवर्ती सम्राट अटेला हूण गुर्जर

चक्रवर्ती सम्राट कनिष्क गुर्जर

चक्रवर्ती सम्राट मिहिरकुल हूण गुर्जर

चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज गुर्जर

उदा देवी पासी
पत्नी वीरा पासी

गुर्जर कोतवाल धन सिंह चपराना

विजय सिंह पथिक

मनोहरा तीतरो सहारनपुर
1857 के महान हीरो (काला पानी) राव कूड़े सिंह के वंशज

बी-2/40, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली - 29
1857 के हीरो (काला पानी) महानतम नायक राव
हिमाचल सिंह हूण के वंशज

राजधानी दिल्ली में विशेषकर इण्डिया गेट पर 1857 राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाओ

सेक्रेटरी जनरल तेल लंगर ब्रिगेड (1825-26) सहारनपुर, उ.प्र.
कूड़े सिंह, महानतम स्वतंत्रता सेनानी (1857) हीरो आफ कालेपानी, क्रम सं. 148, पेज 6

कीमत : रू. 500/-

भारत का संविधान दो वर्ष ग्यारह माह अठारह दिन मे वना संविधान सभा की पहली वैठक 9 दिसंवर 1946 को सम्पन्न हुई जिसके प्रारंभिक 389 सदस्य चुने गये जिसके पहले अध्यक्ष डा सच्चिदानंद सिन्हा जी उसके बाद स्थाई अध्यक्ष डा राजेंद्र प्रसाद जी बने संविधान सभा का विरोध डा भीम राव अंबेडकर जी ने जोगिन्दर नाथ मंडल की पार्टी से चुनने के बाद अपनी पार्टी के साथ मिलकर मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, जन संघ एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि ने किया। जब भारत बिभाजन के डा अंबेडकर जी की सदस्यता खत्म हो गयी । सरदार पटेल जी ने उस समय के सबसे अधिक पढे लिखे एवं सबसे अधिक विद्वान बैरिस्टर एम आर जैकर को इस्तीफा दिलवाकर 29 अगस्त 1947 को पूना से चुनवा कर लाये और एक दर्जन से अधिक समितियो की रिपोर्ट को लेकर उसपर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाकर डा अंबेडकर जी को उसका अध्यक्ष बनाए और अपना कानून मंत्री पद भी डा अंबेडकर जी को दिया। संविधान सभा के कुल 7748 प्रस्तावो मे डा अंबेडकर जी के सिर्फ आठ ही प्रस्ताव है । भारत के संविधान मे सबसे पहले नंबर पर प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे नंबर पर डा राजेंद्र प्रसाद पांचवे नंबर पर सरदार पटेल अट्ठाइसवे नंबर पर डा अंबेडकर जी के हस्ताक्षर है।

बहादुर शाह जफर
सम्राट

राव कूडे सिंह गुर्जर
प्रधान मंत्री

राव तुलाराम गुर्जर
उप प्रधान मंत्री

14 मई 1857 को बने पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल

सम्राट बहादुर शाह जफर बादशाह
राव कूडे सिंह गुर्जर प्रधान मंत्री
राव तुलाराम गुर्जर उप प्रधान मंत्री

अन्य मंत्रीमंडल– हुक्म चन्द जैन– युद्ध कोष मंत्री, राव धन सिंह कोतवाल (मेरठ) मंत्री, नवाब अली खान मंत्री, नवाब अफसर अली यार खान मंत्री, राजा नाहर सिंह मंत्री, राजा बनी माधव सिंह मंत्री, सिलावत भागीनाथ गुर्जर मंत्री, खान बहादुर खान मंत्री, सूबेदार छतर सिंह गुर्जर मंत्री, दरयाव सिंह ठाकुर मंत्री, दौलत सिंह गुर्जर मंत्री, ढीलान शाह गौड मंत्री, मौलवी फजल हक मंत्री, गोमेश सिंह कुनबी मंत्री, नवाब फाजिल हक खान मंत्री, जय दयाल भटनागर मंत्री, कुअर सिंह राजपूत मंत्री, राजा राव मरदान सिंह मंत्री, नवाब अली खान मंत्री, राव गोविंद सदाशिव गुर्जर मंत्री, भीमा नायक मंत्री, सरजू प्रसाद सिंह राजपूत मंत्री, सीताराम भील मंत्री, नाना राव साहेब पेशवा मंत्री, कमांडर सहादत खान मंत्री, राव कृष्ण गोपाल गुर्जर मंत्री, नवाब खैराती खान मंत्री, हकीम मोहम्मद अब्दुल हक मंत्री, उदा पासी मंत्री, नवाब मोहम्मद हुसैन खान मंत्री, राजा राव फतुवा गुर्जर मंत्री, सेनापति राव प्रताप सिंह गुर्जर मंत्री, जालम सिंह राजपूत मंत्री, अली मोहम्मद गुर्जर मंत्री, अजब सिंह बाल्मीक मंत्री, काजी इलायत खान मंत्री, शेर सिंह राजपूत मंत्री, मोकम सिंह त्यागी मंत्री, आशा देवी गुर्जर मंत्री, महावीरी बाल्मीक मंत्री, श्योराज सिंह गुर्जर मंत्री, हबीबा बेगम गुर्जर मंत्री, राजा राव हरबंश सिंह गुर्जर मंत्री, राजा राम दयाल सिंह गुर्जर मंत्री, राव इन्दर सिंह गुर्जर मंत्री, राव महबूब सिंह गुर्जर मंत्री, नवाब महबूद खान राजपूत मंत्री, मेहताब सिंह मौलवी मंत्री, अब्दुल जलील मंत्री, राजा राव दुलात सिंह गुर्जर मंत्री, राजा नारायण सिंह मंत्री, सूबेदार राधे सिंह मंत्री, राव साहेब मराठा मंत्री, कमांडर खुदा बक्स मंत्री, राजा राव कदम सिंह गुर्जर मंत्री, देवी सिंह मल्लाह मंत्री, डा कुजीर खान मंत्री, राजा राव देवी सिंह गुर्जर मंत्री, वीरा पासी मंत्री, मोती बाई गुर्जर मंत्री, झलकारी बाई कोरी मंत्री, सेनापति बरकत खान मंत्री, रिसालदार गुलाब सिंह गुर्जर मंत्री, सदा शिव मेव मंत्री, सेनापति देव हंस गुर्जर मंत्री, रानी अवन्ती बाई लोधा मंत्री, राधे गोविंद सिंह मंत्री, राजा बरकत बली सिंह मंत्री, राव शहम तखान मेव मंत्री, चौधरी हिम्मत सिंह गुर्जर मंत्री, हुक्मी देवी गुर्जर मंत्री, चौधरी दयाराम सिंह गुर्जर मंत्री, मोलवी मोहम्मद बाकर मंत्री, राजा दरगाही सिंह गुर्जर मंत्री, अभीलेख सिंह धोबी ठाकुर मंत्री, मौलवी अहमदुल्लाह शाह मंत्री, महंत राम चरण दास मंत्री, टिलेदार खान मंत्री, भोलानाथ मंत्री, हटे सिंह मंत्री, नवाब असद अली खान मंत्री, राजा बरकत बली सिंह।

सरदार पटेल
31–10–1875
15–12–1950

Email : alhindparty@gmail.com
Website : www.alhindparty.com

AL-HIND PARTY
अल हिन्द पार्टी

(1857 के शहीदों के वंशजों की पार्टी)
बी0–2/40 सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली –110029
ऑफिस नं0 – 011–26173460, 43023782
राष्ट्रीय अध्यक्ष – मा. गुर्जर डॉ. ओमकार नाथ कटियार
(गौरव सेनानी) 9540288242 (Whatsup)

डा. पदम सिंह वर्मा
01–07–1942
07–10–2021

डा. अम्बेडकर
14–04–1891
06–12–1956

डा. लोहिया
23–03–1910
12–10–1967

कर्पूरी ठाकुर
24–01–1921
18–02–1988

मुख्यालय : कोरू मिर्जापुर कलां, सन्दलपुर (कानपुर देहात उत्तर प्रदेश – 209715
मोबाईल : 9651174494, 6306504491, 8447875451

डॉ निर्मल पटेल, मो0 : 9695957255, 6306504491
प्रधान गहाराचिव – अल हिन्द पार्टी
मुख्यालय : कौरू मिर्जापुर कलां, सन्दलपुर, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश – 209715

अध्यक्ष संसदीय बोर्ड
वाईस चेयरमेन राष्ट्रीय कार्यकारिणी
वाईस चेयरमेन राष्ट्रीय रांचालन रागिति

संगठन / प्रकोष्ठ

1. आशा देवी गुज्जरी ब्रिगेड
2. महाबीरी बाल्मीकी ब्रिगेड
3. झलकारी बाई कोरी ब्रिगेड
4. अवन्तीबाई लोधी ब्रिगेड
5. उदापासी ब्रिगेड
6. बेगमहजरत महल ब्रिगेड
7. रावतुलाराम ब्रिगेड
8. राजा जयलाल सिंह ब्रिगेड
9. वीर कुंवर सिंह ब्रिगेड
10. छात्र विकास संगठन
11. युवा विकास संगठन
12. 1857 आजाद हिन्द महासंघ
13. महिला विकास संगठन
14. पथिक सेना
15. 1857 शहीदी सेना
16. न्याय सेना
17. रास विहारी कांति सेना
18. पटेल वाहिनी
19. लोहिया विचार मंच
20. किसान चेतना मंच
21. दलित शोषित मोर्चा
22. दलित शोषित संघर्ष मोर्चा
23. क्रांतिकारी शोषित मोर्चा
24. धनसिंह कोतवाल ब्रिगेड
25. बहादुरशाह जफर ब्रिगेड
26. अहिल्याबाई ब्रिगेड
27. अखिल भारतीय क्रांतिकारी परिषद
28. गुज्जर आरक्षण युद्ध सेना
29. सामाजिक न्याय संगठन
30. लेबर फ्रन्ट
31. रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड
32. नाना राव साहेब पेशवा ब्रिगेड
33. तात्या टोपे ब्रिगेड
34. वीरसा मुण्डा ब्रिगेड
35. मंगल पाण्डे ब्रिगेड
36. राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ
37. बहुजन सेना
38. 1857 युद्ध विजय वंशज महासंघ
39. 1857 आजाद हिन्द कांउसिल
40. भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ
41. इण्डियन इन्टलक्चुअल फोरम
42. इन्टलक्चुअल पोलिटिकल फोरम
43. देव सेना
44. तेल लंगर आर्मी
45. राव कुडे सिंह गुर्जर ब्रिगेड
46. गुर्जर समाज 1985
47. विमुक्त जनजाति आरक्षण संघर्ष समिति

पत्रांक : AHP/MEMO/1-1/PT-1 दिनांक :

ज्ञापन

सेवा मे,

1. महामहिम श्रीमती द्रोपती मुर्मू जी राष्ट्रपति भारत, राष्ट्र पति भवन नई दिल्ली– 110001
2. आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी, प्रधान मंत्री भारत, साउथ ब्लाक नई दिल्ली–110001
3. गहागहिग आनन्दी बेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन, राज निवास लखनऊ 226001
4. आदरणीय आदित्य नाथ योगी जी, मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्य मंत्री सचिवालय, लखनऊ 226001.

द्वारा उप जिला अधिकारी / जिला अधिकारी / आयुक्त

1857–58 की आजादी की पहली लड़ाई मे शहीदी, पीड़ित और बलिदानी परिवारो के आज के वंशजो को 1857 स्वतंत्र सेनानी पेंशन और मान–सम्मान लागू करने हेतु ज्ञापन–

1. 1857 के प्रत्येक शहीदी पीड़ित और बलिदानी परिवारो के आज के वंशजो को 1857 स्वतंत्र सेनानी पेंशन और मान–सम्मान तुरन्त लागू किया है ।

2. 1857–58 मे जिन गाँव को अंग्रेजो ने जलाया, लूटा, उजाडा और तोपो से नष्ट किया था उनको 1857 शहीदी गाँव घोषित करके शहीद भगत सिंह के गाँव खटकर कला की तरह एक अरब रुपए देकर दोबारा बसाया जाए ।

3. 1857–58 के प्रत्येक शहीदी पीड़ित और बलिदानी परिवार को दस दस करोड का मुआवजा केंद्र और राज्य से दिया जाये।

4. जिन की जमीन 1857–58 मे छीनी और लूटी है उनको वापस दिया जाए अथवा उसकी आज की कीमत दी जाय।

5. 1857–58 के शहीदी पीड़ित और बलिदानियो के केंद्र और राज्य मे युद्ध स्मारक बनाये जाय और उनके नाम लिख जाये।

6. 1857–58 की सूची बनाने के लिए केंद्र मे उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश और राज्यो मे हाई कोर्ट के
रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश के अधीन आयोग और समितिया बनाई जाये।

7. 1857 58 के महान बलिदानियो के नाम विश्वविद्यालय और संस्थान बनाये जाये ।

8. सभी विश्वविद्यालयो मे 1857 की चेयर स्थापित की जाए और 1857 के महान बलिदानियो पर शोध करवाए जाय।

9. 1857–58 के महान शहीदो पीड़ितो ओर बलिदानियो के इतिहास को सभी किताबो मे पढाया जाए।

10. 1857 58 के बलिदानियो के आज के वंशजो के लिए रजिस्टर खोल कर उनके नाम अंकित किये जाये और उनके आज के वंशजो को परिचय पत्र दिए जाए।

11. 1857–58 मे लूटी या छीनी जमीनो को वापस दिया जाये अथवा उसकी आज की कीमत अदा की जाय।

12. 1857–58 के जिन महानतम अमर सपूतो को अंग्रेजो ने काले पानी की सजा देकर कठिन यातनाए देकर मार कर सागुद्र मे अंग्रेजो ने फेक दिया उनको गहा गहा गहा भारत रत्न दिया जाय।

13. 1857–58 के प्रत्येक बलिदानी परिवारो के आज के वंशजो मे कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दी जाय।

सधन्यवाद
आपके शुभ चिंतक

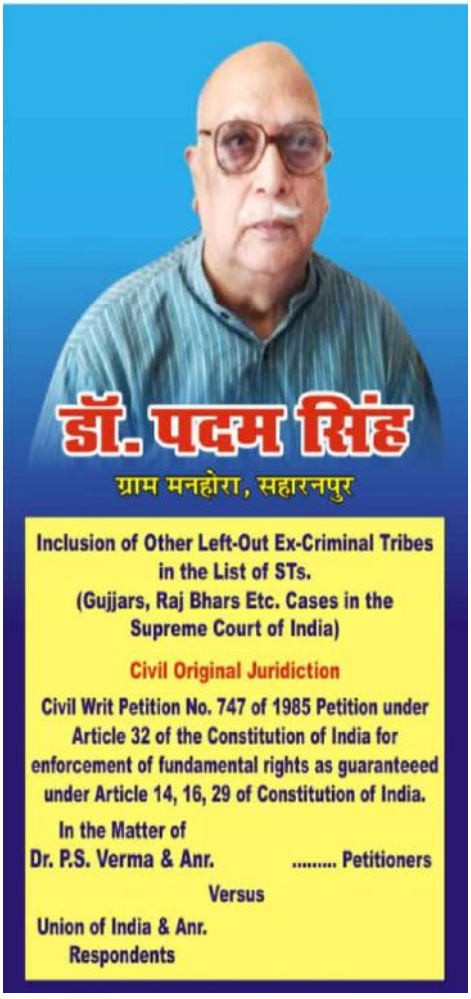

गुर्जर समाज के महान सपूत इतिहासकार नेता डॉ. पदम् सिंह वर्मा का आकस्मिक निधन देश की अपूर्णनीय क्षतिः डॉ. ओमकार नाथ कटियार

नई दिल्ली। गुर्जर समाज के सहारनपुर जिले के महान सपूत इतिहासकार डाक्टर पदम् सिंह वर्मा जी का आज शुक्रवार को दिल्ली स्थित उनके आवास पर निधन हो गया जिससे गुर्जर समाज सहित देशवासियों में शोक व्याप्त हो गया। अल हिन्द पार्टी के प्रमुख डॉ. ओमकार नाथ कटियार ने कहा कि उनका निधन सर्व समाज व देश के लिए अपूर्णनीय क्षति है। वे अखिल भारतीय गूर्जर महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद पर कई वर्षों तक कार्यरत रहे। उन्होंने अल हिन्द पार्टी की वर्ष 2010 में स्थापना की जिसने 2014 का लोकसभा चुनाव लडा था उन्होंने भारत में 1857.58 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए पूर्वजों के वंशजों के लिए न्याय की याचिका नामक किताब लिखी है जिसमें अंग्रेजों ने काला पानी जेल सहित करीब 2 करोड भारतीयों के कत्ल किये थे गांव के गांवों को आग लगा दी गई थी महिलाएं बूढ़े बच्चे सब जलकर राख हो गये थे लोकप्रिय जननेता आदरणीय डाक्टर साहब जी का शनिवार को साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क की शमशान घाट भूमि पर सुबह 11 बजे अन्तिम मुखाग्नि दी गयी। वरिष्ठ अधिवक्ता डिबलू मूंडन गुर्जर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय गूर्जर महासभा गूर्जर भवन कोटला दिल्ली एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल हिन्द पार्टी ने कहा कि उनके महान आदर्श व कार्य हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। सभी ने उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया।

गुर्जर डॉ पदम सिंह वर्मा को समर्पित : (01 जुलाई 1942 से 07 अक्टूबर 2021)

स्वर्गीय गूर्जर डॉ. पदम सिंह वर्मा जी का सम्पूर्ण जीवन सर्व समाज की सेवार्थ रहा, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा निर्दोष भारतीयों पर अत्यधिक क्रूर अपराधिक जन – जाति अधिनियम लागू करने के खिलाफ, मंडल केस एवं अन्य आरक्षण जैसे केस दिल्ली उच्च न्यायालय, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में एक दर्जन से अधिक केस लड़े, उन्हें सफलता भी मिली, एवं भारत में 1857 – 58 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए पूर्वजों के, वंशजों को न्याय, मान सम्मान एवं उनका हक दिलाने हेतु यह किताब लिखने में मेरी मदद की है , उनके तेज़ तर्रार राजनैतिक शैक्षिक विचारों के सहयोग से भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी , भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी एवं भूतपूर्व केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान आदि भारत सरकार में बने, डाक्टर साहब निस्वार्थ – भावी सर्व समाज के सेवा के बारे में जितना लिखा जाए उतना बहुत कम है, वे गाजियाबाद के एम एम एच डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर रसायन विज्ञान विभाग में भी रहे, उन्होंने गुर्जर डॉ. ओमकार नाथ कटियार जी को मुख्य सलाहकार के रूप राजनीति पार्टी बनाने की सलाह दी और 2008 में , आजाद हिन्द पार्टी (अल हिन्द पार्टी) भारत, की स्थापना की गई मैं एडवोकेट डिबलू मूंडन गुर्जर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल हिन्द पार्टी भारत की जिम्मेदारी सौंपी गई, में इस किताब का यह संस्करण स्वर्गीय डाक्टर पदम सिंह वर्मा जी के श्री चरणों में समर्पित करता हूं, मुख्य सम्पादक – एडवोकेट डिबलू मूंडन गुर्जर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल हिन्द पार्टी भारत

9650077684

The criminal tribe act enquiry committee 1949 - 50 pages 1-171
Total castes and sub castes (Hindu 127+muslim 61) = 188 and
According to 1931 cencus Total castes + sub castes (Hindu and Muslim) in un devided India =197
After partition in 1947 the number of these criminal notified tribes was 160 in india-

आदि द्रविड़, अहेरिया /बहेलिया, अमाल गाड़ा, अमाल गेडा सूर्यानूर ,बदक / बधिक, बहेलिया, बंजारा , बछेडा, बेलिया, बरवार , बौरिल, बावरिया, बेद, बेलिया, बंगाली / बंगालिया , बेरदा / बेदार, बेरिया, घुमंता / ट्रेटी , भमता राजपूत, भानमेत, भानमते ,भाँतु, भर, भाट,भट्ट सरका, भेड़ कुट, भील, भूरा ब्राह्मण, बिजौरिया , भूरिया / भोरया , गोया / टेडडा / डोंगा , बुढ़ा गुकला , पुमला , चमार, चंद्र बेदिया / समेरिया, छुड़ा / छुलया ,दिलेरा / दिलेरिया , दंदेशी , दशेरिया / गु ढू , धारिया, धेरिया / धेस, धेकारू ,धेन वाल , डोमर / रेब्बी, डोम / उरिया , डोंगा यासा यारूकला , दु साद / पल वार, गंदीला , घंटी चोर, गीधीया, घासी , घोसी , गोंडा, गुजर, हबुरा , हंडी जोगिया, हींगोलिया, इरूलार , जैसंतरा पानी द्ध गुटका ऋ, ढ़िल्लो , जोगी / जुगला , केकिडी , केलाडी, कल्लार /पेरिया सुर पुर, कंजर, कललार , नट , केपुमरी , केवट, खटिक, —षिली कलिंगा, पोमाँपू, पोमाँ कापू, कोड़ा डोरा, कोरा चार्ज, कोराउ, कुचबंद ,कुरूम , कुनबी , कुड़मह्न , बरवा ,लंबानी, लमानिया , लोधा / लोध, माँडिगा , महातम ,माला, मल्लाह, माँगुर्दे, मरवार, मेवतिया , मीना / मीणा, मोगिना , मुल्तानी, मुंडाकोटा , मुथराचा, मुसहर , नायक, नक्कलारव, निरशिकरिस , नोककार्स , नाथ, ओदार , अवधिया, पैदिश, पारधीस, परनास / पोर नास, पासी, पिछारी, पिछगुटला ,पोलीग़र , परैया, राव बंद, रीदिका, रेली, साँसी, सनोरिया , सिंह काट, सुगाली , संवेदिया , सारही / सुमरस , ताडवी , तागु , तेगाभट , तालायारी, तालेगा, पामुला / पीढ़ाती,भोला, पेला पामवढ़ , तेलुगा पटी पेट, ठोठिया ,नैकस , उराली गौड़ा , वाला यार, वाला यान, कुप्पम, पक्ष येची, वेटई करन, वेतुआ गौड़ा , वाडार, वाडेवाड ,वोडार, याना, यदा निश , (मद्रास) याना दिवाड, (हैदराबाद) मेरु कला मठी, मुस्लिम राजपूत (1931)

सीएम योगी को विमुक्त जातियों के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने लगाई फटकार

नई दिल्ली। ब्रिटिश विद्रोही समुदाय जिन्हें आजादी के बाद वर्ष 1952 से विमुक्त जाति कहा गया उनकी सर्वाधिक आबादी 6 करोड़ उत्तर प्रदेश में निवासरत है तथा उत्तर प्रदेश सरकार इनकी मूलभूत पहचान मिटाने पर आमादा है। दशकों से इन्हें विमुक्त जाति के प्रमाणपत्र ही जारी नहीं किये जा रहे हैं। अलहिन्द पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अवकाशप्राप्त सेनाधिकारी डॉ. ओमकार नाथ कटियार ने संवाददाताओं को बताया कि जाति प्रमाण पत्र के अभाव में इनके बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं। ना केवल उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं का भी लाभ विमुक्त जातियों को नहीं मिल पा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत

सरकार ने भी इस संबंध में राज्य सरकार को तीन पत्र लिखें किंतु सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी। इससे आजिज आकर एक विमुक्त जन कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया। उत्तर प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को गुमराह करने की नीयत से 29 जून 2021 को सरासर झूठा जवाब दाखिल किया कि प्रदेश की सभी विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं और उनके लिए लागू सारी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। जब पिटीशनर ने उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश एवं सूचना का अधिकार अधिनियम से प्राप्त दस्तावेज की प्रति पेश की जिसमें खुद उत्तर प्रदेश शासन के एक विभाग ने शासन को पत्र लिखा था कि प्रदेश की विमुक्त जातियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जा रहे हैं। डॉ. कटियार ने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश शासन को 14 जुलाई को एक सख्त टिप्पणी के साथ 2 हफ्ते में विमुक्त जातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कड़ा निर्देश देते हुए कड़ी फटकार लगाई। दरअसल मामला यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विमुक्त जातियों प्रदत्त योजनाओं एवं सुविधाओं को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ क्लब कर रखा है। अर्थात यदि विमुक्त जाति का कोई अध्यर्थी दानेदार नहीं मिलता है तो उनका बजट एवं शैक्षिक योजनाओं का पूरा लाभ अपने आप अनुसूचित जातियों के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। विमुक्त जातियों का हक हड़पने की साजिश 1961 से ही बदस्तूर जारी है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के पश्चात 1994 से उत्तर प्रदेश शासन ने विमुक्त जाति की श्रेणी ही समाप्त कर दी। इसके पश्चात वर्ष 2007 से जो आश्रम पद्धति विद्यालय विमुक्त जाति के विद्यार्थियों के लिए खोले गए थे की सीटों का आरक्षण सामान्य ओबीसी एवं अनुसूचित जाति के लिए कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश शासन ने विमुक्त जातियों के लिए केंद्र सरकार की शैक्षिक योजनाओं एवं अन्य योजनाओं के भी दरवाजे बंद कर दिए हैं।

विषय सूची

भारत गणराज्य के 2022 के राष्ट्रपति के उम्मीदवार फोटो 1
1857 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूची में नाम अंकित करने हेतु आवेदन पत्र 2
डॉ. पदम सिंह वर्मा जी को समर्पित 3
अयंगर कमेटी 1949-50 की विमुक्त जनजातियों की सूची 4
राष्टीय मानवाधिकार की उत्तर प्रदेश विमुक्त जन जातियों को लेकर फटकार 4
विषय सूची 5-6
सांस्कृतिक मंत्रालय का भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद को स्वतंत्रता सेनानी सूची हेतु 7-8
अल हिन्द पार्टी के प्रमुख कार्य 8
सांस्कृतिक मंत्रालय की नई 1857 स्वतंत्रता सेनानी सूची 9-10
अल हिन्द पार्टी क्यों ! 10
1857-58 की आजादी की लड़ाई के शहीदों एवं पीड़ितों के न्याय के लिए याचिका 11
समर्पित-महानतम नायक हिमाचल सिंह एवं महानतम योद्धा कूड़े सिंह 12
श्याम जी कृष्णा वर्मा की याद में 13
दो शब्द 14-17
महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी के नाम खुला पत्र 18-23
1857 विद्रोह में देशभक्त आन्दोलनकारी की इलाकावार सूची 24-27
भारत के विभिन्न जिलों के आरक्षण श्रेणी की सूची 28-29
उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों की जिला स्तर पर देशभक्तों की सूची 30-33
विभिन्न राज्यो की विमुक्त जनतातिया ऐवम। 1857 के महान सेनानियो की सुची 34-40
आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी को पत्र 41-46
प्रमाण पत्र 47
आजाद भारत वर्ष की प्रथम प्रजातंत्रीय राष्ट्रीय केन्द्रीय सरकार 48
आदरणीय अटल विहारी वाजपेयी जी (प्रधानमंत्री) से खुली गुहार 49
सरदार पटेल जी के कुछ खास शब्दों का सारांश 50
मोदीजी को पत्र 51-52
भारतीय संविधान और सरदार पटेल एवं 1857 के महानतम महा नायक कूडा सिंह (कूड़े सिंह) 53-60

गृह मन्त्रालय का 1857 स्वतन्त्रा सेनानी पेंशन स्वीकार पत्र 61
1857 काला पानी के हीरो 62-70
सरदार पटेल जी का टाइम्स के संपादक से साक्षात्कार 1948-49 71
मोदीजी का दूसरा पत्र 30 अगस्त 2021 72-73
THE HON'BLE MR. JUSTICE A.A. BAINS 74-75
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA GENERAL ADMINISTRATIVE
DEPARTMENT CIRCULAR NO. SRV-1097/PK31/98/16-A 76-78
NO. 20014/308/2017-BC-II GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF SOCIAL
JUSTICE & EMPOWERMENT (BC-II SECTION) 79
GUJJARS-DENOTIFIED TRIBES-BACKWARD CLASSES AND SUPREME
COURT DECISION 80
INTRODUCTION MANDAL VERDICT 81-82
IN THE SUPREME COURT OF INDIA ORIGINAL APPELLATE JURISDICTION 83-91
ANNEXURE-A 92-102
SCHEDULE-II 102
INDRA SAWHNEY & ORS. ETC. ETC. V. UNION OF INDIA & ORS. ETC. ETC..... 103
CENSUS OF INDIA -1931 PART-I REPORT EX-OFFICIO CENSUS
COMMISSIONER AND REGISTRAR GENERAL OF INDIA MINISTRY OF
HOME AFFAIRS, NEW DELHI FOR UNITED PROVINCES 104
तालिका-1 105
तालिका-2 105
तालिका-3 106
APPENDIX I 107
APPENDIX II 108
1857-58 की आजादी की लड़ाई में हुए शहीदों की फोटो 109-110
पेपर कटिंग 111-112

No. CM-20/5/2021-Sp.Cell
Government of India
Ministry of Culture
(Special Cell)

Vigyan Bhawan Annexe,
New Delhi, 27th May, 2022

To

The Director (Research & Administration)
Indian Council of Historical Research
35, Ferozeshah road,
New Delhi-110001

Subject: Public Grievances petitions - reg.

Sir,

Public Grievance petitions as per following details, relating to ICHR are forwarded herewith for appropriate action:

1	Shri Subhash Singh S/o Ramprasad, Vill Badhapur, Post Akbarpur, Distt Kanpur Dehat, UP - 209101
2	Shri Vivek Kumar S/o Jaswant Singh, Vill Badhapur, Post Akbarpur, Distt Kanpur Dehat, UP - 209101
3	Shri Kamal Kishore S/o Jaswant Singh, Vill Badhapur, Post Akbarpur, Distt Kanpur Dehat, UP - 209101
4	Shri Ganga Singh S/o Nainsukh, Vill Dharampura Baraila, Post Nahili Kuthond, Distt Jalaun. UP- 285125
5	Dr. Ramanand Rajbhar, Vill Mujdand, Post Beejpura, PS Ghosi, Distt Mhow, UP 275302

It is requested that the applicants may directly be informed of the action action in the matter under intimation to this Ministry.

Encl: As stated above

Yours faithfully,

(Satyendra Kumar Singh)
Under Secretary to the govt. of India
Tel: 23022337

Copy for information to:-

1. Shri Subhash Singh S/o Ramprasad, Vill Badhapur, Post Akbarpur, Distt Kanpur Dehat, UP - 209101
2. Shri Vivek Kumar S/o Jaswant Singh, Vill Badhapur, Post Akbarpur, Distt Kanpur Dehat, UP - 209101
3. Shri Kamal Kishore S/o Jaswant Singh, Vill Badhapur, Post Akbarpur, Distt Kanpur Dehat, UP - 209101
4. Shri Ganga Singh S/o Nainsukh, Vill Dharampura Baraila, Post Nahili Kuthond, Distt Jalaun. UP- 285125
5. Dr. Ramanand Rajbhar, Vill Mujdand, Post Beejpura, PS Ghosi, Distt Mhow, UP- 275302

अल हिन्द पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय एवं राष्ट्र हित हेतु किये गये प्रमुख कार्य

अल हिन्द पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मण्डल केस, रोस्टर केस, रोस्टर में रोस्टर केस, एम्स एडमिशन केस, आईआईटी एडमिशन केस, विश्वविद्यालय एडमिशन केस, मेडिकल एडमिशन केस, विश्वविद्यालयो और संस्थानों में प्रोफेसर और प्रशासनिक पदों में भर्ती केस, जाति जनगणना 2011–12 केस, विमुक्ति जनजाति आरक्षण केस, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक केस 1857 राष्ट्रीय युद्ध स्मारक केस, 1857 से 1947 तक आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की सूची बनाने का केस, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से जीते हैं तब ये सामाजिक न्याय की लड़ाई यहां तक पहुच पाई है आप 10 जगह पत्र केन्द्र एवं राज्य सरकार को लिखकर अपने पूर्वजों के नाम 1857 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूची में अंकित करवा सकते हैं। जिसे केन्द्रीय सरकार ने बनाना शुरू कर दिया है और यदि अब आप चाहते हैं तो भारत के मान–सम्मान की लड़ाई अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भी लड़ी जा सकती है आप अल हिन्द पार्टी के भारतीय स्टेट बैंक के खाते में अपनी क्षमता अनुसार सहयोग दे सकते हैं।

UPI ID : 8447875451
Name : AL HIND PARY

आर्थिक सहयोग के लिए अपील

Bank : State Bank of india
Branch : I I T Hauzkhas New Delhi-110016
Account No. : 32400254125
IFSC Code : 0001077
AL HIND PARTY

No. CM-22014/5/2022-C&M
Government of India
Ministry of Culture
Special Cell

Vigyan Bhawan Annexe,
New Delhi-110011
Dated: 4th May, 2022

Office Memorandum

Subject:- Addition of names in the list of Freedom Fighters - reg.

The undersigned is directed to state that references have been received by this Ministry from various authorities furnishing thereby requests for recognition as Freedom Fighters and grant of compensation and others facilities for the family members of the freedom fighters/institution of awards in their names.

Since the issues related to Freedom Fighters come under the domain of Freedom Fighters and Rehabilitation Division, Ministry of Home Affairs, the relevant papers received from following authorities are forwarded herewith:

(i) Ministry of Housing & Urban Affairs OM No. 18011/5/2019-W2 dated 13.04.2022 along with letters in original from S/Shri (a) Vivek Kumar, Vill Badhapur, Distt Kanpur Dehat, (b) Subhash Singh, Vill Badhapur, Distt Kanpur Dehat & (c) Arun Pal, Vill Banshan Purva, Distt Kanpur Dehat.

(ii) Ministry of Housing & Urban Affairs OM No. 18011/5/2019-W2 along with letters in original from S/Shri (a) Dr Ramanand, Rajbhar, Vill Mujdand, Distt Mhow, (b) Ganga Singh, Vill Dharampura, Distt Jaloun & (c) Kamal Kishor, Vill Badhapur, Distt Kanpur Dehat.

(iii) Sangram Foundation, Offie No. 108, Prestige Co-operative Commercial Society Limited, Almeida Road, Thane(W).

It is requested that appropriate action may be taken and the applicants may be informed accordingly.

Encl: As stated

(Satyendra Kumar Singh)
Under Secretary to Govt of India
Tel: 23022337

The Freedom Fighter and Rehabilitation Division
Ministry of Home Affairs
NDCC – II Building
Jai Singh Road, New Delhi - 110001

Copy for information to :

1. Ms. Urmila Sharma, Section Officer, M/o Housing & Urban Affairs, Works Division, (W2), Nirman Bhawan, New Delhi w.r.t. their OMs referred to above.
2. Shri Vivek Kumar S/o Jaswant Singh, Village Badhapur, Post Akbarpur, District Kanpur Dehat, UP-209101
3. Shri Subhash Singh S/0 Ram Prasad, Village Badhapur, Post Akbarpur, District Kanpur Dehat, UP-209101
4. Shri Arun Pal S/o Vinod Kumar, Village Banshan Purwa, Post Badhapur, District Kanpur Dehat, UP-209101
5. Dr. Rama Nand Rajbhar, Village Mujdand, Post Bijpur, Thana Ghoshi, Janpad Mau, UP 275302
6. Shri Ganga Singh S/o Nain Sukh, Village Dharampura Bareila, Post Nahili Kuthaund, District Jalaun, UP-285125
7. Shri Kamal Kishore S/o Shri Jaswant Singh, Village Badhapur, Post Akbarpur, District Kanpur Dehat, UP-209101
8. Sangram Foundation, Office No. 108, First Floor, Building No. E type, Prestige Co-operative Commercial Society Limited, Almeida Road, Panchpakhadi, Thane (W)- 400602

आखिर अल हिन्द पार्टी क्यों !

भारत की आजादी के बाद देश के पहले उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा अंग्रेजो की जेल से ढाई करोड बागी किसान जन जातियो को निकाल कर पहले उक्कर वाप्पा 1947–49, फिर अयंगर कमेटी (क्रिमिनल ट्राइब इनक्वारी कमेटी 1949–50) बनाकर देश के लिए 1857 से 1947 यानी 90 सालो तक आईपीसी 1860 और अंकित अपराधी जन जाति एक्ट (नोटीफाइड क्रिमिनल ट्राइब एक्ट) 1871.....1924....1946 जो आजादी के पांच साल बाद झेलने वाली कौमो को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 अगस्त 1952 को आदतन कानून XXXIV मे बदलकर उन कौमो के माथे पर कालिख पोत दी जो आजादी के 75 बाद भी अपरोक्ष रूप मे लागू है । सरदार पटेल जी ने भारतीय संविधान बनाते समय दुनियाभर के अन्य देशो की भाँति आजादी की लडाई लडने वाली, अपनी जर– जोरू– जमीने तीन चार पीढियो तक लुटाने वाली कौमो को 1857 स्वतंत्र सेनानी पेंशन और मान–सम्मान तीन पीढी तक लागू करने की घोषणा एल साहू द्वारा पूछे गये प्रश्न का जवाब देते हुए संविधान सभा में कहा कि हमने अयंगर कमेटी बना दी है जैसे अयंगर कमेटी की रिपोर्ट आयेगी वो भारतीय संविधान का हिस्सा बन जाएगी । इसके अतिरिक्त संविधान सभा की अल्प संख्यक समिति का चेयरमैन होते हुए अनुच्छेद 292 और 294 का प्रावधान करके भारतीय मुसलमानो को 8: आरक्षण का प्रावधान 27 अगस्त 1947 को किया वही भारतीय संविधान मे पिछडो को 31% विमुक्त जन जातियो को 32% (31+ 32= 63%), डा अम्बेडकर जी के अछूतो के 1935 के 8% आरक्षण को बढाकर 16.67%, अनुसूचित जन जातियो को 7.5% आरक्षण का प्रावधान भी 27 अगस्त 1947 को किया तब डा अम्वेडकर जी संविधान सभा के हिस्सा नही थे सरदार पटेल जी ने डा अम्वेडकर जी को 29 अगस्त 1947 को पूना से बैरिस्टर जयकर को इस्तीफा दिलवाकर संविधान सभा मे लाये और अपना कानून मंत्री पद डा अम्बेडकर जी को दिया होम मिनिस्टर होते हुए तब सारे कानून होम मिनिस्टरी के अधीन थे संविधान सभा मे ड्राफ्ट कमेटी बनाकर (सभी समितियो और उप समितियो की रिपोर्ट पर) डा अम्बेडकर जी का उसका अध्यक्ष बनाए । और आबादी के अनुसार हिस्सेदारी और भागीदारी लागू करने के लिए 1951 की जातीय जन गणना करवाने का आदेश दिया । सरदार पटेल जी ने 568 जागीरदारो और 192 रियासतदारो 568+192=760 राज्यो) को बिना खून खराबे के बिशाल और अखंड भारत का निर्माण किया और इंडिया गेट नई दिल्ली पर 1857–58 मे देश के लिए सबकुछ लुटाकर शहीद होने वाले चार करोड भारतीयो के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनवाना भी शुरू किया जिसे सरदार पटेल जी की मौत 15–12–1950 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बन्द करवा दिया और आज तक सभी केंद्रीय और राज्यो की सरकारे सरदार पटेल जी का अपमान पर अपमान करती आई है । अल हिन्द पार्टी का गठन सरदार पटेल जी के साथ हुये अपमान को मिटाने को लेकर किया गया है ।

1857–58 की आजादी की लड़ाई के शहीदों एवं पीड़ितों के न्याय के लिए याचिका

"We have not yet breathed the real air of freedom"
Sardar Vallabh bhai Patel

Vallabh bhai Patel, remembered as the Iron Man of India, spoke on the difference between freedom and Swaraj at a public meeting in Jaipur on Dec 17, 1947. He said, "...Paramountcy has gone, foreign rule has gone and India has become free. But we have not yet breathed the real air of freedom. So many people do not know that we have got Swaraj, though they know that foreign rules gone. People do not yet have any taste of it. They do not know whether we have gained anything from it. We must make them realise the difference between foreign rule and Swaraj."

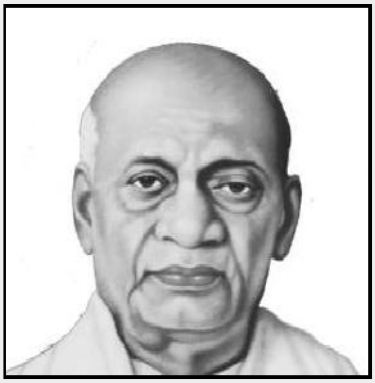

सरदार पटेल
31 अक्टूबर 1875–15 दिसम्बर 1950

1857-58 की आजादी की लड़ाई की 164वीं वर्षगाँठ के वर्ष में उन करोड़ों-2 बलिदानियों, जिन्होंने इस लड़ाई में करोड़ों की संख्या में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक अपनी जर-जोरू-जमीन भी, जिनकी आज की लगभग 40 करोड़ संतानों की पहचान के रूप में सपूतों के सपूत, लौह-पुरूष, भारतरत्न सरदार पटेल जी को करोड़ों-2 बधाईयाँ, क्योंकि जहाँ सरदार पटेल जी के सपूत पिता झबर भाई पटेल जी स्वयं 1857 की आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से लड़े वहीं सरदार पटेल जी ने 1949 में 1857 के करोड़ों-2 बलिदानियों हेतु ए. आयँगर जांच कमैटी 1949-50 का गठन करके इस कमेटी को 1857-58 के बलिदानियों के उत्थान के लिए सिफारिशें देने को कहा, पर सरदार पटेल जी 15 दिसम्बर 1950 को देश की चिंता के कष्टों को झेलते हुए मर गये। तब से अब तक आजादी (15-8-1947) के 74 वर्षों के बाद भी उपरोक्त करोड़ों-2 बलिदानियों की संतानों (विमुक्त जनजातियों) के रूप में न तो कोई मान-सम्मान मिला और न ही कोई कष्टों में राहत । बल्कि उत्तर भारत में तो क्रिमनल (अपराधी) ट्राईब एक्ट 1871...1924 भी 31 अगस्त 1952 को ही केवल आदतन कानून (XXXIV) में बदले गयें, जो उपरोक्त बलिदानियों पर लागू होते थे। जरा सोचिये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका उत्तर हर भारतीय को एक न एक दिन अपनी आने वाली पीढ़ी को अवश्य देना पड़ेगा।

–डॉ. गुज्जार बौद्ध (पी.एस.वर्मा 'दलित')

समर्पित-महानतम नायक हिमाचल सिंह एवं महानतम योद्धा कूड़े सिंह

आज के उत्तर प्रदेश राज्य का जिला सहारनपुर 1857 में आज के सहारनपुर, देहरादून, हरिद्वार, अम्बाला, कुरूक्षेत्र, करनाल पानीपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फरीदाबाद, मथुरा आदि जिलों को या इनके बहुत बड़े भाग को मिला कर एक जिला था तथा इस भाग को संयुक्त राज्य (यूनाइटेड प्रोविंसस अवध एवं आगरा का अपर दवाब भी 1947 में) तक कहा जाता था। इस संयुक्त राज्य एवं आगरा को आज की देहली में मिलाकर 1857 समय की देहली की भारत की आजादी की लड़ाई भी कहा जा सकता है।

1813, 1822, 1825-26 में ही जिला सहारनपुर के देहरादून, कनखल, कुंजा बहादुरपुर, हरिद्वार आदि भागों में अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी की खूनी लड़ाईयाँ लड़ी गईं। अंग्रेज एवं नेपाल उसी समय 1807 में महाराजा रामदयाल सिंह लंढोरा उत्तराखण्ड के नेतृत्व में जब ढीढी गढ़वाल रियासत पर कब्जा करना चाहते थे, खूनी लड़ाई में हारे। इस लड़ाई का जिसका पूरा श्रेय मुख्य सेनापति मनोहर सिंह को जाता है तथा 1857 के मई माह में तो देहरादून से देहली तक इस जिले में टिमली, लाढौरा, माणकमऊ, माणकपुर, रणादेवा, बूढ़ाखेड़ा, गंगोह, देवबंद, रणखंड़ी-भायला, रण हुलास खेड़ा-मनोहरा, नानौता, जलालाबाद, थानाभवन, हस्तिनापुर, खतौली, हुलास (हूणों का निवास), खेड़ा (मतोहरा) शामली, कैराना, दसाला, बुढ़ाना, मवाना, मेरठ, लोनी, निरोजपुर, गढ़गंगा, हिंडन, गुठावली, वरन (वुलंदशहर), अट्टा हूण, कालेआम, अम्बाला, पानीपत, बड़थल, शेरगढ़ आदि स्थानों पर लाखों स्त्री-पुरूष बलिदानियों ने अंग्रेजों से दोबारा खूनी लड़ाईयाँ लड़कर 9,10 मई 1857 को देहली पर मेरठ के कोतवाल धनसिंह गुज्जार, राजा फतुआ गुज्जर, जालिक सिंह आदि के नेतृत्व में धावा बोल दिया तथा देहली को हर-हर महादेव, अल्लाह ओ अकबर, जय भारत की गूँज के साथ अंग्रेजों से आजाद कराके 14 मई 1857 को देहली में भारतीय राष्ट्रीय केन्द्रीय सरकार गठित की जिसने देहली सहित भारत वर्ष के अधिकतर भाग को दिसम्वर 1857 तक अंग्रेजों के शासन से आजाद कराए रखा। क्या आज इस सब इलाके को 1857 देहली अहित देहली राज्य का नाम नहीं दिया जाना चाहिए? जिसकी राजधानी भी देहली ही होनी चाहिए। इन लड़ाईयों में कैराना, शामली थान भवन आदि की ऐसी लड़ाई भी थी जो अनेकों महिलाओं के नेतृत्व में ही अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ी गई तथा इस लड़ाई में हजारों हिंदु मुस्लिम महिलायें लड़ती हुई शहीद हुईं

पाकिस्तान में 1857 की आजादी की लड़ाई की कुर्बानियों की गाथायें विद्यार्थियों को स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि में पढ़ाई जाती हैं पर भारत में नहीं, ऐसा क्यों?

नोटः- लेखक का जन्म स्थान हुलास खेड़ा-मनोहरा (सेनापति मनोहर सिंह) हूण (गुज्जार), तीतरो, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) स्वयं भी उपरोक्त आजादी की लड़ाईयों का गढ़ रहते हुए अनेकों बार बर्बाद हुआ है। आज भी हुलास खेड़े की यादों उपस्थित हैं।

श्याम जी कृष्णा वर्मा की याद में

वर्मा जी का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को माँडवी (कच्छ, गुजरात) में हुआ था। उन्होंने स्नातक डिग्री (1882) में प्राप्त की तथा इंग्लैंड से वार-एट-ला कानून की डिग्री 1884 (कानून 1884) बल्लीपोल कालेज तथा कैमरीज विश्वविद्यालय इंग्लैण्ड से प्राप्त की। वे 1885 तक इंग्लैण्ड की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे तथा उन्होंने जूनागढ़ एवं उदयपुर में नौकरियाँ की। शीघ्र ही 1857 की आजादी की लड़ाई को ले कर उदयपुर में उनका झगड़ा कर्जन वाइसराय से हो गया। अतः वे भारत छोड़कर दोबारा 1897 में लंदन पहुँचे। उन्होंने वहाँ 1905 में होम-रूल सोसायटी का गठन किया तथा एक छोटा अखबार 'इंडियन सोसोलोजिस्ट' निकालना शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलवाना था।

वर्मा जी के नेतृत्व में संसार में पहली बार लंदन के 'साफटेसबरी एवन्यूरेस्टोरेंट' में 9 मई 1905 को 1857 की आजादी की लड़ाई की 48 वीं वर्षगांठ जोश-खरोश के साथ मनाई गई। इसके बाद हर वर्ष भारत तथा इंग्लैण्ड में 9 तथा 10 मई को 1857 की आजादी की लड़ाई की वर्षगांठ उनके द्वारा मनाई जाने लगी तथा यह क्रम उनकी अकस्मात मौत 31 मार्च 1930 (जनेवा, स्वीटजरलैंड) तक चलता रहा। उन्होंने भारतीय बुद्धिजीवियों के लिए अमरीका, इंग्लैंड आदि देशों में पढ़ने-लिखने के साथ-साथ तथा भारत की आजादी की भावना को बढ़ाने के लिए छात्रवृतियों का प्रबन्ध किया। लंदन में 'इंडियन होम' की स्थापना कर उसे क्रांतिकारियों का केन्द्र बनाया। उनके मुख्य अनुयाईयों में लाला हरदयाल एम.ए., मदन लाल ढिंगरा, दामोदर विनायक सावरकर, डॉ. चिचिल्लई एवं मीखा कामा आदि थे। 1908 में लंदन की पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए वे फ्रांस पहुँचे तथा पेरिस में अपना केन्द्र खोला, यहीं से 1911 में अमरीका के राष्ट्रपति को एक खुला पत्र लिखकर उनको चेतावनी दी **'कि भारत की आजादी की लड़ाई को कुचलने के लिए वह इंगलैंड से गठजोड़ न करें क्योंकि अंग्रेज गुलाम बनाने वालों के राजा तथा खतरनाक लुटेरे हैं।'**

पहली संसार की लड़ाई (1914-18) के समय वर्मा जी जनेवा पहुँच गये थे तथा वहीं से भारत सहित सभी भारत की आजादी के चाहने वाले क्रांतिकारियों का नेतृत्व अंतिम समय तक करते रहे। जनेवा में उनके सबसे विश्वास पात्र साथी डॉ. चम्पाकरामन पिलै, हरम्वालाल गुप्ता, सी.के. चक्रवर्ती, तारकनाथदास, बरकतुल्लाह, हरदयाल, एस.एस आदि थे।

वर्मा जी ने 1857 के वलिदानों पर विदेशों में रहकर एक पुस्तक तैयार की, जो सावरकर ने अपने नाम से रहस्यमय ढंग से भारत में 1908 में लौट कर छपवाने के लिए झूठी कोशिश की, पर 1910-1913 में जो पत्र सावरकर ने अँग्रेजों को उनका साथ देने के लिए जेल से लिखे, तथा जेल से छूटने पर 60 रूपया अंग्रेजी पेंशन प्रति माह ली। वे उनके द्वारा किताब के छपवाने की छवि पर न केवल सवालिये निशान लगाते हैं बल्कि सावरकर के क्रांतिकारियों, विशेषकर श्यामजी कृष्णा वर्मा के साथ उनके संबंधों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि कहीं सावरकर वर्मा जी तथा उनके साथियों के साथ गद्दारी के खेल में तो लिप्त नहीं थे? या बाद में बदल गए आदि-आदि। आखिरकार जेनेवा से वर्मा जी की अस्थियाँ उनकी पत्नी की अस्थियों के साथ 73 वर्ष बाद (2003) भारत वर्ष लौटी, जिसमी वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा हाथ था तथा इसी प्रकार अन्य लाखों बलिदानियों की अस्थियाँ भी विदेशों से अवश्य एक दिन लौटेगी पर इंडिया गेट नई दिल्ली पर आने वाले कल 1857 के शहीदों एवं पीड़ितों का स्मारक 1857 से पहले एवं बाद की आजादी की लड़ाइयों में शहीदों के साथ बनेगा तथा श्याम जी कृष्णा वर्मा आदि की अस्थियाँ वहां कब रखी जाएंगी, यह जटिल लड़ाई लड़ी जा रही है।

दो शब्द

मैंने डॉ. पी.एस. वर्मा, जो महामहिम राष्ट्रपति जी तथा सामाजिक न्याय मंत्रियों को देश की आजादी की लड़ाईयों के वारे में लिखा है कि कम से कम आजादी के 71 वर्ष बाद तो भारतीय अपने खुले दिलों और दिमागों से उन करोड़ों बलिदानियों के बारे में सोचे कि क्या उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ इसलिए दी थी कि आजाद देश में भी उनकी करोड़ों-करोड़ों सन्तानों को वह मुट्ठीभर सुखी वर्ग जिनके बाप-दादाओं ने देश को गुलाम बनाए रखने में अँग्रेजों की मदद करके गद्दारी के रूप में वह सब प्राप्त किया जिसको अँग्रेजों ने करोड़ों-करोड़ों बलिदानियों (85%) से देश को आजाद कराने के कारण छीना था। डॉ0 लोहिया (राममनोहर) जब 1963-64 में उत्तर प्रदेश से लोक सभा का उपचुनाव जीतकर लोक सभा सदन देहली शपथ लेने पहुंचे तब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू अपने परिवार पर भाषण दे रहे थे तो लोहिया जी ने शपथ लेने से पहले ही नेहरू जी को ललकारा कि आप अपने पिता मोती लाल नेहरू तक ही रूक जायें क्योंकि आपके दादा (बाबा) गंगाधर नेहरू 1857 में देहली में अंग्रेजों के शहर कोतवाल थे तथा यहाँ पर आजादी की लड़ाई 1857-58 में 5-6 लाख भारतीय शहीद हुए। अतः नेहरू ने इस बात को छिपाने के लिए कभी भी जफर साहब की क्रांतिकारी हवैली चांदनी चौक देहली को रोशनी में नहीं आने दिया क्योंकि इनके दादा तथा पत्नी की हवेली भी यहीं पर थी ।

बलिदानियों की आज की विमुक्त जनजाति रूपी संताने तथा वे बचे-खुचे स्वयं उत्तर भारत में आधे-अधूरे आजाद भी 31 अगस्त 1952 को हुए, वह भी आधे ही क्योंकि अपराधी जनजाति एक्ट 1924 तथा अन्य एक्ट केवल 'आदतन कानूनों' (XXXIV) में ही बदले गये थे जो अभी भी कुछ हद तक चल रहे हैं। पर शर्मनाक बात तो यह है कि सरदार पटेल जी (15 दिसम्बर 1950) की मृत्यु के बाद जिस धूमिल चिराग रूपी 'ए आँयग्गर कमेटी' की रोशनी नुमा रपट (1949-50) से कुर्बानी देने वालों की करोड़ों-करोड़ों संतानों को कुछ संतोष मिलता उसको आज तक वाद में आने वाली सभी केन्द्रीय सरकारों तथा राज्य सरकारों आदि ने हमेशा के लिए न केवल नष्ट करने की कोशिश की बल्कि कभी काका कालेलकर आयोग (1955), कभी यू.एन. ढेबर जनजाति आयोग (1960-61), कभी वी.पी.मंडल आयोग (1979-80), कभी महा सविता देवी कमैटी (1998-99), कभी संविधान समीक्षा आयोग (2000-2002) तो कभी अनुसूचित एवं जनजाति आयोग को बॉट कर अनुसूचित आयोग एवं जन जाति आयोग (2001) अलग से बनाना तो कभी विमुक्त जनजाति आयोग (2003) बनाने की घोषणा करके जारी रखा जबकि इस कमैटी ने भी सरदार पटेल जी की मौत के वाद भी अपनी रपट देने में की जगह त्यागपत्र देना उचित समझा। जज नायक साहब जून 2003, यह एक सोचनीय विषय है तथा नेताओं ने अपने परिवारों, रिश्तेदारों, जातियों, इलाकों आदि को ऐसे रूप में पेश करके अधिकतर प्रयास किये जैसे देश

उनकी निजी सम्पत्ति थी तथा है। जबकि सच्चाई तो यह है कि अतीत में इसी मुट्ठीभर वर्ग ने देश को केवल करोड़ों मानव सहित एक अजीवित वस्तु मान कर जब चाहा इसको बेचा, गिरवी रखा, बदले में रूपया लिया आदि-आदि तथा यदि इस वर्ग की आज भी इच्छा गुप्त रूप में जानी जाये तो यह अमरीका में जाने हेतु देश को अमरीका के हवाले कर दें आदि-आदि।

क्या 1857 की आजादी की लड़ाई के बलिदानियों (करोड़ों) की कुर्बानियाँ 1920 से आजादी के लिए जेलों में जाने वाले तथा आजादी के बाद राज करने वालो तथा उनकी संतानों की उनकी अपनी भूलों के कारण मौतों से कम थी? जिनकी समाधियाँ, स्मारक, संस्थायें आदि देश में बन चुकी हैं तथा बनाई जा रही हैं जबकि आम जनता को न तो ऐसे कार्यों से कोई प्रेरणा मिल रही हैं और न ही कोई मान-सम्मान बल्कि इन पर खर्च होने के कारण भूखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, अपंगता, ईर्ष्या आदि बढ़ रही है।

1857-58 की लड़ाई में जहाँ कुछ कौमों जैसे गुज्जार, मेव आदि ने सीधा भाग लेकर अपनी 'जर-जोरू-जमीन' को भी लुटा दिया वहीं बहुत सो ने व्यक्तिगत भाग लेकर अपने को कुर्बान कर दिया। उनके नामों से आज भी देश-भक्त, बुद्धिजीव आदि इतने प्रभावित हैं कि उनके बलिदान तथा नाम को अपनी कलमों से नवाज़कर याद करते हैं। जैसे गुज्जार, थेवर, कल्लार, कंजार, त्यागी, वड़गुज्जार, चंडाल, मल्लाह, लोधा, (योद्धा), कुन्बी, बंजारा, मीणा भर, पासी (फाँसी), भंगी, सांसी आदि तथा सभी 198 विमुक्त जनजातियाँ आदि। पर देश आज ऐसे लोगों के हाथों में सरदार पटेल की मौत के बाद पहुँच गया जो अपने परिवारों के जाल में फंसकर जाले की मकड़ी बने हुए हैं उनको उपरोक्त बलिदानियों की यादों की जगह अपने कुत्तों की यादें अधिक रहती हैं।

आज देश की कुल जनसंख्या का 98% चाहता है 'कि सरदार पटेल जी की विजय चौक राष्ट्रपति भवन के सामने नई दिल्ली पर मूर्ति लगाने तथा उनके देहली निवास।' 1, औरंगजेब रोड, ए.पी.जे अब्दुल कलाम रोड एवं 2ए, पृथ्वी राज रोड़ नई दिल्ली को स्मारक में बदलने हेतु जो करोड़ों रूपया नेहरू एवं कांग्रेस पार्टी ने 1951 में इकट्ठा किया वह कहाँ गया? उसकी जाँच के लिए आयोग बैठा जाए (वह भी तुरंत) तथा इसी प्रकार दूसरा आयोग बैठाकर जाँच की जाए कि उपरोक्त दोनों कार्य अव तक क्यों नहीं हुए तथा इन के वाधक कौन-कौन हैं?

देश-विदेश में हर वर्ष सरदार पटेल जी की मूर्तियों की स्थापना तथा स्मारक बनाने की वर्षा 1977 से हो रही है, विशेषकर वह भी हर वर्ष अक्टूबर से दिसम्बर तक। पटेल जी पर हर वर्ष सैकड़ों छोटी बड़ी किताबें, लेख आदि लिखे जाते हैं। क्या संसार में ऐसा किसी अन्य व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं-नहीं हो रहा है? पर वर्तमान केन्द्र सरकार पटेल जी के मान-सम्मान को उनकी मौत (74 वर्ष) के बाद पचा पा रही हैं उन्हें नहीं डर है कि कहीं दूसरा सरदार पटेल पैदा न हो जाए, परन्तु ऐसा होने जा रहा है। जिसका पूरा श्रेय वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी 2014-2024 को जाती है। यदि कमी हैं तो 'सरदार पटेल विचार मंच' को देशव्यापी नेतृत्व देने वाले की। पटेल जी के नाम लेने से बहुत बड़ी

संख्या में विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि तो बनने लगे हैं तथा आने वाले लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री भी अवश्य बनेगा। क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव 'पटेल वाद' पर लड़े जायेंगे इस भावना को कोई भी पार्टी नहीं रोक सकती।

देश उसका पटेल जिसका

नोट-: (1) 13 दिसम्बर 2001 को भाड़े के आतंकवादियों ने लोकसभा पर आक्रमण किया। सांसदों, अन्य कर्मचारियों, महामहिम उपराष्ट्रपति, मंत्रियों आदि को बचाने में सुरक्षा कर्मचारियों, सहित 9 आदमी एवं महिला शहीद हो गए जिन्हें अभी तक हर वर्ष लोकसभा तथा राज्यसभा सांसद तथा अन्य कर्मचारी देहली पुलिस 13 दिसम्बर को याद करते हैं, यही अच्छी बात है पर सांसदों, मंत्रियों आदि को 1947 से आज तक महाराजाराव तुला राम उनके साथी नथ्वाराममाली, शालिग राम त्रिपाठी, रावतारासिंह गुज्जार आदि की अस्थियाँ अफगानिस्तान रंगून से बहादुरशाह जफर, नेपाल से वेगम हजदामहल आदि (1857) तथा सुभाष बोस की अस्थियाँ जापान से लाने में क्यों शर्म आती हैं? बस केवल इसलिए कि 13 दिसम्बर 2001 के बलिदानियों ने सांसदों आदि की जाने बचाई तथा 1857-1858 आदि के लाखों बलिदानियों ने देश के लिए कुर्बानियां दी। अतः क्या कुछ सांसदों की जान वचाना देश को आजाद कराने से अधिक बड़ा बलिदान है? क्या इसी प्रकार 1857 के दूसरे महान बलिदानियों जैसे राव धनसिंह गुज्जार (कोतवाल मेरठ), राजा नाहरसिंह (बल्लभगढ़), राव रहमतखानमेव, राव कृष्णा गोपाल गुज्जार तथा राव रामलाल गुज्जार (रिवाड़ी), सेनापति जोगराज सिंह पंवार तथा उपसेनापति झज्जर सिंह चौहान, अल्लाखाँ गुज्जार, गोखला गुज्जार (अलवर), उदयसिंह गोंड, शिवसिंह गोंड, संग्राम शाहगोंड, छत्रशाह गोंड, मोहम्मद वोली शेख तथा मोहम्मद-कोटा (आसाम), चेरी (बंगाल) तीरतसिंह (खासी), बुद्धोभगत (हो) गंगानरायणा (भूमिजो), कुवर सिंह (बिहार), गंगा नारायण सिंह (छोटानागपुर), चेरी तथा खरबरी (पलामू), गंगाबक्ससिंहपासी (देवा), खुसकवाल्मीकि (देहली), मैनावती (कानपुर), चन्द्राथ्या (गोदावरी), मार्दन सिंह (चंदारी), बलराम सिंह चौहान (सम्भलपुर) एवं राजा राजेन्द्र सिंह जेतियत जाति (आसाम), चन्द्र क्रीति सिंह महाराज एवं दोमोह शर्मा (मणिपुर 23 अप्रैल 1891), बालकिसताम्या (भलकह, विदरकर्नाटका), वालाप्पा (हलीगाली, विजापुर), सालिगरामबरिया (उड़ीसा), बाबा भास्कर राव (नरगुंडा बेल्लारी), बाबा साहेब (कुरलाहाली रामचूर), भावेभास्करराव (नरगुंडा बेल्लारी), भीमा (हमगी), भीमा (कुंदगोल), भीमरावनदगौडा (मुडांरगी, धारवाड़), बर्माइ (कुर्लाहाली), चन्नाप्पा (वेटर्घेरी), चेन्नाट (सिंगातालुर, रामचूर), छट्टसिंहराजपूत (जमाखंडी बीजापुर), चुनिया वीरप्पा (हमगी), दौदसाहेब (हंकताप्योर), एस.वी.देसाई (दुकवाल, बेल्लारी), गूरडा (हसूर), हानागौडा (गंगापूर, बेल्लारें), रजनी गुज्जारी (नगली मेरठ), हनामाप्पा (शोरापुर, गुलवग्गी), हन्नुमना (हेसवूर), हनुमंथ (नरगुंड बेल्लारे), हट्ठेसिंह (घी, उड़िया), हयाथ साहेब (बुन्नूर), हेरीयाम्पा (हेशूर), अजीजन बेगम (कानपुर), हुनमाह (वद्दरहट्टी), मोसिना बेगम (दिल्ली), जदगम्पाजदा-गन्नावर (हलीगली), जानमोहम्मद (हैदरावाद, आँध्रा) सुधा घोष (वंगाल) जीवन साहेब

(हम्मागी), जुनाहर (हलीगमी), केचन गौड़ा सिरनोगौडा (हम्मागी), करकोंडा सुभारेड्डी (कोराटुरू पश्चिम गोदावरी), प्रीतालता (बंगाल), कुजंलसिंह गुज्जार (घी), लीगां (हम्मागी), लिगांप्पा (विदर), लिंगियाह (हरपना-हल्ली), माधो सिंह (घी), माद्दोरूगांह यशेवूर), मूडालनार (कूरनाह), नवाब मुबरीददौलाह (हैदराबाद), मुल्लाह (कुर्लाहली), जमादार पीरूखान पीख (यशवूर), रामरत्नगिर (हैदराबाद), रामान्नाह (सिंगातालूर), रंगा (कुर्लाहली), तुमियायशवीर (कुकानूर), तुर्रेबाजखान (हैदराबाद), उर्वी (कुम्पी), राजावेकंटप्पानायक (शोरापुर, गुलबर्गा) शिद्दाह (वगक्री), उर्वी (हमगी), आदि के अन्य करोड़ों बलिदानियों सहित देश में स्मारक नहीं होने चाहिए? (2) आज देश में हर वर्ष 30 लाख स्नातक कालेजों, विश्व-विद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं से पढ़ कर निकल रहे हैं, यदि इसमें बारह वीं तथा दसवीं पास नौजवानों को भी जोड़ लिया जाये तो यह संख्या एक करोड़ के आँकड़ों को पार कर जाती हैं तथा जहाँ देश में हर वर्ष 5 लाख सरकारी नौकरियाँ कम की जा रही हैं। यदि इस ओर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो देश का 10-12 करोड़ पढ़ा लिखा उपरोक्त बेरोजगार नौजवान कम्पूचिया की तरह देश की हर व्यवस्था को न केवल बर्बाद कर देगा बल्कि देश में फिर से 1857 जैसी उल्टी क्रांति ला देगा। एक चपरासी पद के हजारों स्नातक आवेदन करते हैं जबकि शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक होती है जिसमें हजारों इंजीनियर, डॉक्टर, वकील आदि भी होते हैं। क्या यह फ्रांस की 1789 की क्रांति का लक्षण नहीं है? (3) डॉ. बी.आर. आँबेडकर साहेब सरदार पटेल जी की तरह केन्द्रीय मंत्री होते हुए नई दिल्ली में रहते थे। जहां पटेल जी 1, औरंगजेब रोड एवं 2-ए, पृथ्वी राज रोड पर रहते थे वही डॉ. आँबेडकर जी 22 पृथ्वी राज रोड तथा 1, कनक लोज नई देहली पर रहे थे पर 1951 के वाद इन्हें नई देहली छोड़कर लोकसभा सदन से दूर कष्टों के साथ 26, अलीपुर रोड, देहली पर जाने के लिए विवश किया गया। अतः स्मारक भी अलीपुर रोड पर होकर पृथ्वीराज रोड या कनकलोज पर जहां होना चाहिए वहीं सरदार पटेल जी का स्मारक औरंगजेव रोड एवं 2ए पृथ्वी राज रोड पर होना चाहिए। क्योंकि यह स्थान करोड़ों-2 आम जनता की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। (4) 18.01.2004 को रात के 9.30 बजे उमाशंकर मिश्र द्वारा हिंडन (गाजियाद उ.प्र.) की 1857 की आजादी की लड़ाई पर जो रूपक में प्रसारित हुआ तथा 21.1.2004 को महिला कार्यक्रम (12.15 बजे दिन) में श्रीमती मालवीय द्वारा देश की आजादी की 1857-58 की लड़ाईयों में भारतीय महिलाओं के योगदान पर जो वार्ता प्रसारित की गई, इन दोनों माध्यमों से कम से कम 1947 के बाद शायद पहली बार केन्द्रीय सरकार के कानों पर कीड़ा (जूँ) अवश्य रेंगा है, हो सकता है केन्द्रीय सरकार (वर्तमान) पहली सरकारों की तरह इस रेंगने को महसूस न करें पर आने वाले कल में अवश्य ही केंद्र तथा राज्यों की सरकारों के कानों पर यह जूँ बिजली बन कर तड़केगी।(5) केन्द्रीय सरकार ने 1999 से 2003 तक 8 लाख केन्द्रीय नौकरियाँ खत्म की आदि आदि।

धन्यवाद ।

-डॉ. गुज्जार बौद्ध

महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी के नाम खुला पत्र

महामहिम महोदय जी,

आपने दिनांक 14 अगस्त 2002 को 56वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने पहले ही भाषण में 1857 की आजादी की लड़ाई की याद देश को दिलाकर जहाँ आज के करोड़ों-2 विमुक्त जाति वालों के दिलों पर मरहम लगाया, वहीं उनके करोड़ों बाप-दादाओं, रिश्तेदारों आदि के देश की आजादी हेतु बलिदानों के इतिहास को भी, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ था, पर समय के साथ कुछ लम्पटों द्वारा उस पर धूल चढ़ा दी गई थी, फिर से उसकी धूल साफ करके उसे आपने चमका दिया; जबकि यह कार्य तो तुरंत ए. आयंग्गर कमेटी 1949-50 की रपट आने पर जिसको महान सपूत सरदार पटेल जी ने गृहमंत्री होते बैठाई थी, होना चाहिए था। अतः इस रपट की अनदेखी करने के लिए आपसे पहले सभी देश के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों आदि को आने वाला इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो देश, समाज आदि अपने बलिदानियों का इतिहास मिटा देता है या मिटवा देता है उसका अस्तित्व भी समय के साथ स्वयं मिट जाता है या फिर वह खंडित हो जाता है। आज आजादी के बाद भी केन्द्र-राज्य की सभी सरकारें इस ओर आँखें मूँदे रही है। क्यों?.....यह आने वाले समय में देश के लिए अच्छा नहीं है।

महामहिम जो देश के नौजवानों, रक्षकों, सुरक्षा बलों, राष्ट्रवादियों, नई पीढ़ी के बच्चों आदि के लिए क्या 1857-58 के बलिदान कुर्बानियों से बड़ी कोई और देश भक्ति की प्रेरणा हो सकती है? नहीं, नहीं, पर आज देश का अधिकतर नौजवान वर्ग यहां तक कि बुद्धिजीवी भी केवल अपने-अपने परिवारों एवं सगे संबंधियों के सुखों की ओर ही देखता है तथा उसे पाने के लिए यह वर्ग रात-दिन क्या-क्या कर रहा है। वह देश के लिए अधिकतर शर्म के अलावा ओर कुछ भी नहीं है।

अतः यदि करोड़ों में से निम्न चंद बलिदानियों के ही देशभर में स्मारक आदि भी बना दिये जाये तो मैं समझता हूँ कि देश का उपरोक्त वर्ग जिसके खून में बलिदान देने की भावना कूट-कूट कर भरी है। फिर से देश के बनाने की ओर जहां मुड़ कर दूसरों की प्रेरणा का स्रोत बन जायेगा वहीं देश के नौजवान वर्ग 54% में भी फिर से एक नई उमंग देश को महान बनाने की पैदा हो जाएगी।

आज 1857–58 के महानतम बलिदानियों की संताने क्या करें?

हर वर्ष की तरह 10 मई 2003 का दिन था मुझे सुबह 3-4 बजे से ही उन करोड़ो-करोड़ो बलिदानियों की यादें सताने लगी थी जिन्होंने 12वीं सदीं के बाद अपने प्यारे वतन भारत को विदेशियों के जुल्मों, यातनाओं, गुलामी आदि से छुटकारा पाने हेतु अपने को देश की आजादी की लड़ाईयों में हंसते-हंसते कुर्बान कर दिया, विशेषकर 1822-26, 1857 की लड़ाईयों में। वैसे देश में अन्य हजारों छोटी-मोटी लड़ाईयां देशको आजाद कराने हेतु लड़ी गईं कैसी विडम्बना है जो कटु सच्चाई भी है "कि जब मानव के बस में किसी विशेष स्थान पर पैदा होना, विशेष स्थान तथा समय पर मरना नहीं

है तो यह अपने शरीर, वर्ग, जाति, समूह, देश, धर्म आदि पर इतना घमंड क्यों करता है?'' वास्तव में सच्चाई तो यह है कि मानव अधिकतर अपने मस्तिष्क की सोच पर चलकर भटक जाता है तथा अपने स्वार्थ के कारण ही इसने संसार को भिन्न-भिन्न भू-भागों में बाँटकर उनको अलग-अलग देशों के नाम दिये हैं तथा आज भी बाँटने के घिनौने कार्य में लगा हुआ हैं। यदि मानव केवल अपने ''दिल'' से कार्य करता तो इस सबकी इसे जहां कोई आवश्यकता न होती वहीं पूरा संसार केवल मानव उत्थान का एक सुन्दर बगीचा होता, जिसमें केवल 'प्रेमभाव' की ही महक आती। खैर जो जहां पैदा हो गया वह उसकी मातृभूमि है तथा उसको इसकी रक्षा हेतु हर कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तभी वह सच्चा सपूत कहलाता है।

हाँ अन्य देशों से अधिक अपने देश में ''जाति'' विशेष महान है। पर जब जाति 'कौम' में वदल जाती है अर्थात इसका कर्म ही धर्म, धर्म ही कर्म बन जाता है तव यह बलिदानों, राजसत्ताओं, सुखों आदि की ओर बढ़ जाती है तथा कभी-कभी पाखण्डों की ओर मुड़कर उग्ररूप भी धारण कर लेती है।

भारत वर्ष का कभी एक दूसरा नाम 11वीं सदी तक 'अलहिन्द' भी था तथा इसकी सीमायें लंका से लेकर तुर्की, फिलीपीन्स, जावा, सुमात्रा आदि तक थी। इस भू भाग में बौद्ध धर्म चर्म सीमा पर था, जो यहां पर ही 1800 बीसी में पैदा हुआ था। आज भी बौद्ध धर्म अपने में से अनेकों धर्म बनने पर भी, भारत समेत संसार में विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह लोक-तांत्रिक धर्म है। ठीक इसी प्रकार इस समय की 'पाली' भाषा थी जो संसार में फैली हुई थी।

1857-58 की आजादी की लड़ाई लगभग पूरे भारतवर्ष में दो वर्ष से अधिक समय तक लड़ी गई, वह भी विशेषकर उत्तर भारत में। सच्चाई यह है कि अंग्रेज जब कलकत्ता, मद्रास, बंबई (पूरब, दक्षिण, पश्चिम) में अपनी सत्ता स्थापित करके उत्तर की ओर 'अजमेर तथा आगरा' होते हुए देहली की ओर बढ़े तो उनके खिलाफ 1822-26 में आज के सहारनपुर उत्तर प्रदेश (गुज्जार देश) में बगावत शुरू हो गई, जो 1857 तक पूरे देश में आजादी की लड़ाई के रूप में बदल गईं अतः देहली 11 मई 1857 में भारतीयों ने अंग्रेजों से आजाद करा ली। इस लड़ाई को अंग्रेजी लेखकों ने 'म्यूटनी' का नाम देकर तथा छोटा करके संसार की आँखों में धूल झोंकने की कोशिश की पर सच्चाई यह है कि जिसे आज स्वयं अंग्रेज भी स्वीकार करते हुए माफी मांगते हैं कि इस लड़ाई में करोड़ों भारतीयों ने भाग लेकर लाखों जानों की बली चढ़ाईं अपना सब कुछ लुटा दिया यहां तक 'जर-जोरू-जमीन' भी, कुछ भारतीय 'कौम' के रूप में लड़े तो कुछ व्यक्तिगत तथा बाकि बाद में कुछ 1858 में अपनी सत्ता को बनाये रखने हेतु भी लड़े पर यह आजादी की लड़ाई संसार की स्वयं मुक्ति की लड़ाईयों में विशेष थी क्योंकि यह ''हिन्दू-मुस्लिम'' की एकता की प्रतीक थी। यह भी सच है कुछ मुट्ठी भर भारतीयों ने अपने स्वार्थों, गद्दारियों आदि के कारण अंग्रेजों का साथ भी दिया।

मेव, गुज्जार आदि कौम के नाते 1822, 1826, 1857 तथा अन्य समय की आजादी की लड़ाईयाँ अंग्रेजो से लड़े, इन्हें आज कहीं थेवर, चोला, दुलभी, कल्लार, हूण, गडरिया, कुर्वा, नायक, खटीक, लम्वाडा, रजपूत, गुज्जार, कुनवी, भील, मीणा, पटेल, कुर्ग, लोधा, गूजर, कजांर, सांसी, पासी, पासवान, वोकालिंगा, वर्मा, केवट, भर, खंडात, राजभर, फाँसी, अहीर, यादव, वंजारा,

पाटिल, योद्धा आदि भी कहते हैं। इनमें सभी धर्म (इसाई, हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम) मानने वाले हैं तथा ये सभी अगड़ी, पिछड़ी, जनजाति, अनुसूचित एवं विमुक्त जनजातियों में विभाजित हैं। 18-19 सदी तक वर्तमान भारतवर्ष में संसार की तरह 10 गुज्जार देश थे।

9-10 मई 1857 को मेरठ (उ0प्र0) के शहर कोतवाल धनसिंह गुज्जार तथा अन्यों के नेतृत्व में देहली पर धावा लखनऊ, कानपुर, बरेली, ऐटा, इलाहाबाद, जौनपुर, रायबरेली, मेरठ, बुलन्दशहर (वरन्), दादरी, शेरगढ़ मथुरा, मुरैना, आगरा, मध्य प्रदेश, धौलपुर, अम्बाला, फरीदाबाद, गुड़गाँवा आदि की तरह बोल दिया उस समय देहली के शहर कोतवाल पंडित गंगाधर नेहरू (पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाबा) थे, हजारों अंग्रेजों तथा उनके वफादारों को मौत के घाट उतारकर देहली को आजाद करा लिया गया। उस समय ही उत्तर प्रदेश आदि को अंग्रेजों ने एक नया नाम संयुक्त राज्य अवध एवं आगरा (यूनाइटिड प्रोविन्स) दिया था जिसमें आज के हरियाणा, राजस्थान, उत्तरांचल, मध्यप्रदेश, प्रदेशों के देहरादून, हरिद्वार, अम्बाला, करनाल, कुरूक्षेत्र, फरीदावाद, पलवल, होडल, अलवर, मुरैना, चम्वल, भरतपुर, धौलपुर आदि जिलों के अधिकतर इलाके भी आज के उत्तर प्रदेश सहित आते थे।

1860 में मुख्य सेनापति देवहंस गुज्जार (धौलपुर) के नेतृत्व में आखरी लड़ाई के वाद अंग्रेजों से "धौलपुर-आगरा" संधि हुई पर उसका अंग्रेजों ने वाद में कोई पालन न करते हुए बलिदानियों को कोई भी राहत नहीं दी। अतः कुर्वानियाँ चलती रही तथा 10-15 लाख से अधिक आजादी प्रेमी देश में लड़ते हुए जहां शहीद हुए वहीं लाखों को देश निकाले देकर तथा बंधुआ मजदूर बनाकर मारीशिश, ग्याना, सूर्यनाम, फिजी, वेस्टइंडीज आदि देशों में भेजा गया, लाखों अपंग हो गए, लाखों को फांसियाँ दी गई आदि-आदि। इनमें से लगभग तीन लाख मुसलमान थे तथा कुल में 80-85% गुज्जारों का हिस्सा था। यहाँ तक फांसी (पासी) देने वालों के परिवार को पासी गुज्जार साहसी गुज्जारों को सासी, जिनको देश निकाले एवं स्थानांतर किया गया उन्हें यादो (यादव) गुज्जार तथा योद्धा गुज्जारों को लोधा गुज्जार और एक जगह पर पाबंदी के अधीन रहने वालों को राजभर (भर) कहने लगे जो बाद में जाति ही बन गई देहली के चारों ओर मुख्य फांसी घर भुडंसी (गुड़गाँव), तेहाड़गांव (तिहाड़ जेल, देहली), अयूया नगर गाँव (महरौली, देहली), तीस हजारी (कोर्ट देहली), काला आम बाग (बुलन्दशहर), हिंडन नदी (गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश), (अट्ठासी) अट्टागांव (नोएडा, उ.प्र.), आदि थे, जहां लाखों को फांसियाँ दी गई, जिनमें तीस हजार को फांसियाँ देकर देहली में उस स्थान का नाम भी तीस हजारी कोर्ट रख दिया गया। इसी प्रकार अट्टा (अट्ठासी) गाँव का नाम वहा पर 88 हजार को फांसियाँ देने पर पड़ा। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर लाखों को फांसियाँ दी गई देहली में लगभग 3.35 लाख को फांसियाँ दी गईं

अंग्रेज उपरोक्त खून की होली खेल कर भी जब उत्तर भारत में शांति से राज करने में असफल रहे तो उन्होंने 1862 से अनेकों काले कानून बनाने शुरू किये तथा 1871 में पहला अपराधी कानून (एक्ट) 1871 बनाया, फिर तो एक से एक सख्त अपराधी कानून 1896, 1901-2, 1903, 1907 1909, 1911, 1913, 1919, 1924 आदि बनाकर देश की जमीन को बलिदानियों के खून से रंग दिया, इसमें महिलाओं ने भी

लाखों की संख्या में भाग लेकर बलिदान दिये थे, जिसमें आज के कैराना, जलालाबाद, मुजफ्फर नगर (पूर्व सहारनपुर) उत्तर प्रदेश, देहली, लखनऊ की महिलाएं मुख्य थी। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ पर 1857 के बलिदानियों की करोड़ों संतानें उत्तर भारत में 31 अगस्त 1952 को ही आधे आजाद हुई, वह भी उत्तर प्रदेश में क्योंकि आखिरी 1924 क्रिमनल (अपराधी) ट्राइबएक्ट (जनजाति कानून) इसी दिन 'आदतन' कानून में बदल गया। अतः 1857 के बलिदानियों की करोड़ों-करोड़ों संतानों को 1952 के बाद विमुक्त जनजाति के नाम से जाना जाने लगा। वैसे इन्हें अंग्रेजी में एक्स क्रिमनल ट्राईब, डिनोटिफाईड ट्राईब, नोमेडिक ट्राईब के नाम से भी जाना जाता है।

सरदार पटेल ने गृहमंत्री होते हुए उपरोक्त विमुक्त जनजातियों हेतु 1949 में 'ए. आयंग्गर कमेटी 1949-50' का गठन किया, जिसका कार्य उस समय के 3.5 करोड़ विमुक्त जनजाति वर्ग हेतु राजनैतिक, सामाजिक, वित्त तथा उनकी अन्य समस्याओं के निराकरण करने की सिफारिशें देना था, साथ-साथ यह भी लिखित आदेश दिया कि जव तक इस कमेटी की सिफारिशें आयें तब तक विमुक्त जनजाति वाला जिस वर्ग में है उसको उसकी सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए। क्योंकि कुछ विमुक्त जन जाति वाले पिछड़ा वर्ग, कुछ जनजाति तथा कुछ अनुसूचित जाति में थे पर पटेल जी नेहरू जी की करनी-कथनी के भेदों के कष्टों को सहते हुए 15 दिसम्बर 1950 को मर गये तब तक कमेटी ने अपनी सिफारिशें नहीं दी थीं। अतः विमुक्त जनजातियों हेतु संविधान में आरक्षण आदि की सुविधाओं का समावेश आज तक नहीं किया गया आदि-2 सरदार पटेल जी ने पिछड़ा-दलित वर्ग को आरक्षण के रूप में सुविधायें अपने जीवित रहते हुए देनी शुरू कर दी थी। बाद में नेहरू, नेहरू परिवार तथा अन्य केन्द्रीय सत्ता धारियों ने न केवल 'आयंग्गर कमेटी' की सिफारिशों को अंधेरी कोठरी की धूल चटाई बल्कि इस कमेटी की रपट की हजारों प्रतियों को भी नष्ट कर दिया और इसकी सिफारिशों को बदलवा भी दिया तथा बीते समय में कभी कालेलकर पिछड़ा वर्ग आयोग (1955), कभी ढेबर आयोग (1960), कभी लोकूर कमेटी (1965), कभी मंडल आयोग (1978-80), कभी विमुक्त जनजाति कमेटी (1998), कभी संविधान समीक्षा आयोग (2000) आदि बैठाकर ऐसी बंदरबांट की कि यह 85% संख्या वाला पिछड़ा दलित वर्ग इसमें भी विशेषकर 60% संख्या वाला पिछड़ा वर्ग 1993 तक अधिकतर अपने बाप-दादाओं के महानतम बलिदान की धूल के कण के बराबर भी सुविधाओं के रूप में राहत प्राप्त नहीं कर सका। वल्कि वाद में जिन मुट्ठीभर भारतीयों के बाप-दादाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था उन्होंने घड़याली आँसू बहाकर मनुवादियों की सहायता से आरक्षण रूपी सहायता में अपनी संख्या से अधिक हिस्सा चालाकी से सुनिश्चित करा लिया तथा आगे कोशिश जारी है। क्या इससे बड़ा (कोई और) धोखा प्रजातंत्र में हो सकता है? वह भी 60% संख्या वालों के साथ। ऐसा ही कुछ 27% संख्या वाले दलित वर्ग के साथ 1962 तक होता रहा क्योंकि सरदार पटेल जी के मरने के बाद डा. अम्बेडकर साहव भी असहाय हो गये तथा नेहरू जी ने तो 1961 में प्रधानमंत्री होते हुए सभी राज्यपालों एवं मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि पिछड़ा-दलित वर्ग का आरक्षण प्राप्त करना संवैधानिक हक है पर आप इन्हें आरक्षण मत दो क्योंकि इस आरक्षण से अयोग्य आदमी सरकारी नौकरियों में आयेंगे

जिससे सरकारी कामकाज दूषित हो जाएगा आदि-आदि। पर 1962 के लोकसभा चुनाव में डा. राम मनोहर लोहिया, मधुलिमये आदि का 1956-57 का नारा ''संसोपा ने बांधी गांठ 1857-58, पिछड़ा पाये सौ में साठ'' रंग लाया और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के 5 सांसद लोकसभा में जीतकर आये तथा पार्टी को देशभर में अच्छी वोटें भी मिली। अतः अब पिछड़ा एवं दलित वर्ग की आवाजें लोकसभा पटल पर गूँजने लगी तब जाकर दलितों को 1962 से प्रशासनिक (आईएएस) नौकरियों में पहला आरक्षण मिला।

1857 के बलिदानियों की आवाज संसार में पहली बार लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 9 मई 1905 को शापटेसबरी के भारतीय होटल में गोष्ठी अपने तत्वावधान में करके उठाई इसके बाद लंदन (इंग्लैंड) में यहां के भारतीयों के लिए 1857 हर वर्ष का समारोह बन गया। ''वर्मा जी'' देशकी आजादी की भावना को विदेशों में तेज करने के लिए भारतवर्ष से दामोदर विनायक सावरकर, मदनलाल ढींगरा, लाला हरदयाल आदि को इंग्लैंड में पैसा देकर बुलाया तथा 1914 में पहले विश्व युद्ध के समय डा. चम्पकरणन पिल्लै आदि भी अपने देश की आजादी हेतु उनके सहयोगी बन गये। इस प्रकार वर्मा जी ने 1857 की आजादी की लड़ाई की मिशाल को फिर से प्रज्ज्वलित किया जो बलिदान, बराबरी एवं प्रजातंत्र के सिद्धांत पर आधारित थी। वर्मा जी के शिष्य सावरकर ने 1907 में पहली बार लंदन में मई 1857 वलिदानी दिवस में भाग लिया तथा वर्मा जी की प्रेरणा तथा अथक परिश्रम से 1908 में पहली किताब 1857 के बलिदानियों पर पहली भारत की आजादी की लड़ाई के रूप में लिखी गई जिसके लेखक वर्माजी थे। बाद में सावरकर 1910 के लगभग अकेले भारत वर्ष लौट आये, वह कैसे आये? क्यों आये? उनको किसने वापिस भेजा तथा क्या कार्य उनको भारत में करने को दिया गया? इस सबका कुछ रहस्य उनके अंग्रेजों से लिखे 6 पत्रों से झलकता है जिनमें उन्होंने देशकी आजादी की लड़ाई को कुचलने में अंग्रेजों के साथ देने की बातें लिखी हैं। इन सब कार्यों ने देश-विदेश में देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने को, न केवल वर्मा जी को, बल्कि करोड़ों अन्य लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने हेतु उपरोक्त ''अपराधी जन जाति कानूनों'' के अधीन किया गया। इस प्रकार और अन्य लाखों-लाखों को भी बलिदान की आग में झोंक दिया गया। 1919 तक कांग्रेस पार्टी केवल भारत में अंग्रेजों की दया पर कार्य करती थी। अतः 1857 के बलिदानियों की संतानों के अलावा देश में देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाला कोई अन्य 1919 जलियाना वाला बाग, पंजाब काँड तक था ही नहीं।

नोट : 1914-18 में खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, विजयसिंह पथिक आदि के नेतृत्व में खूनी क्रांति की लपटे अवश्य उत्तर भारत में बंगाल सहित उठी, हजारों नौजवानों को इस कारण फाँसियां भी दी गई आदि-आदि।

मेरे जैसों तथा मुझे सावकर जी के नाम पर जेल का नाम रखने, उनका लोकसभा में फोटो लगाने आदि पर कोई आपत्ति न होती यदि इनसे पहले उन करोड़ों 1857 के बलिदानियों, वर्माजी, डॉ. पिल्लै, हरदयाल जी, ढींगरा जी, उधमसिंह जी, जलियाना वाले वाग के शहीदों, सरदार पटेल जी के पिता झबरभाई पटेल जी, झलकारी बाई कोरी, हबीबा बेगम गुज्जारी, महावीररी वाल्मीकि, सगवा वाल्मीकि, भगवती त्यागी, श्योराजसिंह गुज्जार, भगवानी देवी गुज्जार, रणबीरी देवी वाल्मीकि, राव राजा फतुआ गुज्जार, वीरागनी उदादेवी पासी, रानी अवन्ती बाई लोधी, राव शाहमत खान मेव, बदनसिंह

यादव आदि के फोटो, स्मारक आदि लग जाते। आगे कुछ और महान बलिदानियों की सूची दी हुई है। क्या इनसे बड़ी कुर्बानी संसार में किन्हीं ओरों ने लाखों-करोड़ों में दी है? जरा महामहिम जी सोचिये क्या इससे बड़ा अपमान अन्याय, मजाक आदि किसी देश में भारत के अलावा हुआ है?

अतः आजादी के बाद जो इतिहास मनुवादियों ने स्वयं लिखा था उसकी कड़ी सावरकर, लक्ष्मी वाई, मंगल पांडे आदि के सच्चे इतिहास की तरह बड़ी तेजी से बलिदानियों की संतानों द्वारा खोली जा रही है। जैसे 9-10 मई 2002 को वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने 10 मई 1857 की यादगार लखनऊ रैली पर पावंदी लगा दी थी पर 10 मई 2003 की रैलियों पर पूरे उत्तर प्रदेश में वह दोबारा कुछ नहीं कर पाईं ऐसा ही देहली तथा अन्य भागों में 1857, 10 मई के बलिदानी दिवस पर 10 मई को रैलियां निकाली गईं देहली में 'तीस हजारी' पर 1857 स्मारक बनाने हेतु 8-10 मई 2003 को धरना भी दिया गया।

देखना है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें कब तक अयोग्य व्यक्तियों की समाधियों, स्मारकों, मूर्तियों, भवनों, के नामों पर लाखों रूपया खर्च सुरक्षा के नाम पर करती हैं। क्योंकि इन सब पर अधिकतर जमीं धूलें भी वर्षों से साफ नहीं की गई हैं। हो सकता है देश में इन सबकी गति भी स्टालिन, मोसोलिन, सद्दाम आदि की मूर्तियों की तरह आने वाले कल में हो जाये, वैसे भारत में जार्ज पंचम जैसे अनेकों अंग्रेजों की मूर्तियों का कुछ ऐसा ही शांति के साथ हो चुका है।

महामहिम जी मेरी इच्छा है कि केन्दीय सरकार तुरंत निम्न कार्य करें? तथा राज्यों से करायें।

(1) जिन करोड़ों बलिदानियों की जमीने अपराधी जनजाति एक्टो के अधीन अंग्रेजों ने जप्त की थी उन्हें वापिस किया जाए या फिर वर्तमान कीमत पर बलिदानियों के वंशजों को रूपया दिया जाए।

(2) सभी बलिदानियों के इण्डिया गेट की तरह सामुहिक स्मारक देहली, राज्यों की राजधानियों, जिलों आदि में बने तथा उन पर बलिदानियों के नाम आदि अंकित हो।

(3) सभी बलिदानियों का इतिहास विद्यार्थियों के पढ़ने का विषय बने।

(4) बलिदानियों की संतानों को स्वतंत्रता संग्रामी घोषित करके उन्हें जनजाति वाला आरक्षण दिया जाए।

(5) बलिदानियों की 'विमुक्त जनजाति रूपी' केंद्रीय सूची बने जो सभी राज्यों में लागू हो क्योंकि सभी क्रिमनल ट्राईब एक्ट केन्द्र के थे। विमुक्त जनजाति वालों को देश भर में महाराष्ट्र, आंध्रा, उत्तरप्रदेश आदि की तरह विमुक्त जनजाति प्रमाण पत्र केन्द्र की तरफ से जारी किये जाए।

महामहिम जी आपसे प्रार्थना है, अनुरोध हैं 'कि जैसे संविधान में सामाजिक न्याय हेतु सब हक राष्ट्रपति जी के नाते आप के पास हैं' आप उनका प्रयोग करते हुए 1857 की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की आज की करोड़ों-2 'विमुक्त जनजाति' रूपी संतानों को उनके हक दिलाने का कष्ट करें।

महामहिम जी आपका धन्यवाद।

आपका शुभचितंक एवं प्रार्थी

डॉ. गुज्जार बौद्ध (पी.एस.वर्मा 'दलित')

जिसकी जितनी संख्या भारी । उसकी उतनी ही केन्द्र एवं राज्यों की सत्ताओं में भागीदारी

''हिस्सेदारी''

1857 विद्रोह में देशभक्त आन्दोलनकारी की इलाकावार सूची

देहली तथा हरियाणा (1857)

देहली का आज का जो स्वरूप है तथा इसकी देश-विदेश में जो मान्यता है इसकी बहुत बड़ी कुर्बानी की एक कहानी भी है। आज तो यह बचे भारतवर्ष की राजधानी है। जो बीते कल में भी रही है। पर कभी यह खंडर बन कर रह गयी तो कभी पाण्डवों की सुन्दर नगरी 'इन्द्रप्रस्थ' बनी, यह नौ बार बसी तथा उजड़ी, कभी इसका नाम राव राय पिथौरा पड़ा तो कभी शाहजहाँनाबाद तो कभी तुगलकाबाद तो कभी हरियाणा देश, तो कभी गुज्जार देश। कभी इसकी परीधी भी अलवर, रिवाड़ी, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद पलवल तक रही है। 1857 में दक्षिणी देहली, पलवल, अलवर, पानीपत, रिवाड़ी आदि का इलाका गुज्जार देश के नाम से जाना जाता था तथा इसकी राजधानी भी रिवाड़ी थी। पुरानी देहली जिसमें इन्द्रप्रस्थ, नई देहली रेलवे स्टेशन, लाल किला आदि-आदि आते थे, पहले इन्द्रप्रस्थ परकोटा तथा बाद में शाहजहाँनाबाद कहलाते थे। देहली नाम राजा दिल्लूतंवर के नाम पर 6-7 सदी में पड़ा जिसकी राजधानी महरौली थी जिसको मिहिर कूल हूण ने बसाया था। अंग्रेजों ने मुसलमानों की तरह सौ के लगभग गांव उजाड़कर नई देहली का राष्ट्रपति भवन, लोकसभा सदन, कनाट प्लेस आदि बनाये, इन गाँवों में अधिकतर गुज्जारों के गाँव ही थे। लाल किले का नाम 10वीं सदी तक 'लाल कोट' था।

1857 में देहली 10 मई 1857 से 14 दिसम्बर 1857 तक अंग्रेजों के राज से मुक्त रही, जिसकी आजादी की लड़ाई में लाखों ने कुर्बानियाँ दी जिनमें से कुछ निम्न हैं। जहां आज तीस हजारी कोर्ट है यहां तीस हजार भारतीयों को 1857 में फांसियाँ दी गई इसलिए आज तक इसका नाम तीस हजारी चल रहा है पर केन्द्रीय मनुवादी सरकारों ने यहां पर भी अभी तक कोई स्मारक नहीं बनाया है। इसी प्रकार दक्षिणी देहली के आज के गाँव अयूया नगर गुज्जार में भी हजारों को फांसियाँ दी गई तथा वहां आज चौपाल स्थापित है तथा तिहाड़ गुज्जार गाँव में जहां आज तिहाड़ जेल भी है हजारों को फांसियाँ दी गईं

रिसालदार गुलाब सिंह गुज्जार, हुकमी देवी गुज्जार (राष्ट्रपति भवन) तथा देवनारायण उर्फ 'चीता' गुज्जार चन्द्रावल गांव का नेतृत्व एवं चिन्तरसिंह, वदरीसिंह, रत्नसिंह, रावदरगाही सिंह गुज्जार (डेराफतेहपुर बेरी), चौ. भीखाराम गुज्जार (इंदल), अभय गुज्जार (खोर), नवाब अब्दुल रहमान खान, भूरेखान तहसीलदार (रोहतक) रिठौज (चौ. हिम्मत गुज्जार, कलवा गुज्जार, तेजा गुज्जार, नन्दा गुज्जार, सहिया गुज्जार, गंगा गुज्जार, लंबरदार गंगा गुज्जार, गंगा प्रसाद गुज्जार, गरीना गुज्जार), रावराम लाल गुज्जार (नसीबपुर), अब्दुल हाजी, नवाब अब्दुल रहमान खान (झज्जर) पठान अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला शेख, अब्दुल्लाह (अम्वाला), मीर्जा मंझले, मीर्जा अनुअब्बास, मीर्जा-अवबुकार, अबुराजपूत, (गुड़गांव) ऐजाजशाह, नवाब अफसर, आरखान, पठान आघा हुसैन, मीर्जा अहमदबक्स, (गुड़गांव) मुगल अहमदबक्स, अहमेदखान (शाहदरा), अहमेदखान, मीर्जा नवाब अहमेद (गुड़गांव), अहमेद पठान, अजायब खान (अम्बाला), अजमेरखानमेव (बादशाहपुर), अजमेरी खान (गुड़गांव) अकबर खान (नगली), नवाब अकबर खान (गुड़गांव), मुगल अकबर शिकोह, अलायुद दौल्लाह, अलबेला राजपूत (गुड़गांव), अलवेलासिंह (कासन), अली वहादूर (गुड़गांव), शेख अलीबक्स, अली हैदरखान, अली मोहम्मद (फरीदावाद), सईदअली मोहम्मद, शेख अल्लाह बक्स, सयैद अमन अली (सराय रौहल्ला), सईद अमीर अली (तेलीवाड़ा), असघर यार (खिड़की), सईद अतौल्लाह खान (फाटकहबाश), मुगल अजिमुदीन, सईद अज्जिुल्लाह, बदलू गुज्जार (लाडो सराय), बहादुर मीर्जा बादशाह बहादुर-2 पुत्र अकबर शाह, वालमुकंद, भगवंत सिंह

जाट भानसिंह गुज्जार, विशनसिंह राजपूत, शेखबुलंद बक्स, मीर्जा बुलंद, बुशनूखान चन्दा बक्स, चोसा भिस्ती, दाऊदवेग (सूबेदार), दाऊदशाह, सईद दीनमोहम्मद दुल्ला गुज्जार, इमाम काहर (खारी बावली), मीर फैजअली, काजी फैजुल्लाह, फकरूद्दीन, फैयाजअली (शाहदरा), फिरदौस अली, गंगा प्रसाद कायस्त (चांदनी चौक), गन्नू (गली समोसा), गुलाम अब्बास, मीर्जा बकरूद्दीन, गुलाम कुतुबुद्दीन शेख, गुलाम मोहम्मद मुगल, मीर्जा गुलाम मोहम्मद, गुलाम नसरूद्दीन शेख, गुलाम शाह, शेख गोश (नजफगढ़), गोपाल गुरीलगुल्लाह, हबीब बक्स, पठान गुलाब अकबर (कँचा जेलान), हमीरानाई, हन्नो खान (सरल), हरजीमल, हजारी धोबी, हीरा डोम मीर्जा, हुसैन, शेख इलाही बक्श, इलाही बक्श, मुगल हुसैन बक्श, शेख हुसैन बक्श(नजफगढ़) पठान हुसैन खान (कँचाचेलान)। इनायत हुसैन मीर्जा, जंग बक्श खान, मीर्जा करीम वक्श (शाहदरा) कल्याण सिंह गुज्जार, मीर्जा करीब बक्श, खैराती खान मीर्जा खिजूर सुल्तान, मीर्जा खिजर सुल्तान, खुदा बक्श, शेख खुदा बक्श सईद मोहर सिंह (रोपड़), शामदास (जैतो), जनरल अब्दुल खान (झज्जर), प्रताप सिंह (कुल्लू), अहमद खान खरल एवं बलबल खान (साहिवाल), बाबर खान मेव (गुडगाँव), अब्दुल्लाह खान (देहली), अमीर शहबाई, आगा मिर्जा, अहमद मिर्जा, अब्दुल हकीम बिस्मिल, हकीम दाऊद देहली, अजीजुद्दीन सखर, मुंशी घनश्याम पासी, अब्दुल, चोजा, भीस्ती, इमान कहार, गन्नू हलवाई, लाल तेली, खुदा बक्स (लाहोरी गेट), हरनाम सिंह गुज्जार, खैराती खान, काले खान (शाहदरा), कुली बेग (चांदनी चौक), लल्लू तेली (पुराना किला), पठान माधोखान (शाहदरा), मुगल महमुद शाह, महमुद शिकोह, मीर्जा एस.बेग खान, पठान मेहताब खान मन्ना मियाँ, प्रमीन, सईद मसिता तथा कुर्बान अली मीर (तुर्कमान गेट), मातद्दीन लोधा (तेलीवाड़ा), मीर गुलाम, सईद मीर शाह, काजी मीर मियाँ, मीर्जा अबदाली, मीर्जा मेहरूक, मीर्जा मुगल, मीर्जा रमजानी, मीर्जा मुहम्मद अली, मीर्जा के.वक्श, मुगल तथा मीर्जा मोसिन (लाल किला), मोहम्मद बक्स मुगल, मीर्जा शुजा शिकोह मोहम्मद बक्श, मोलबी मो.बकर मीर्जा जिमुरदशाह, मोहमत शेख, मोहियद्दीनु खान (पुराना किला), मोहम्मद अली खान, मोहम्मद यार खान (कँचा चेलान), मोहम्मद बक्श शेख (लाडो सराय), मोलबी मोहम्मद बकर (कश्मीरी गेट), मोहम्मद खान, मोहम्मद सादत वक्श मुगल मो. शिकोह, हकीम मोहम्मद, अब्दुलहक, मोहसिन मोनुद्दीन मीर्जा, मोनुद्दीन मुगल मीर्जा मौला बक्श, मीर्जा मो. बक्श, मुगल मीर्जा, नवाब मोसीखान, मीर्जा नादिर बक्श, मीर्जा मुबारिक, मुल्ला मुरब्बरत, मुरादखान शेर (नजफगढ़), मीर्जा मुशरूद्दीन नबी बक्श, नत्थुलाल कायस्त (सब्जी मंडी), पीरबक्श, पीर कादिरबक्श, मीर्जा कादिर बक्श, नुरखान, नूरूद्दीन मीर्जा, पीरबक्श (नजफगढ़), शेख कादिर बक्श, (तुर्कमान गेट), मीर्जा कुतुबुद्दीन, मौलाना रहमुल्लाह, रहिम शेख, रामभजोजार, रहमत खान, इमामबक्शसभै, सईद सीतल शाह, शेख करीम, साहदत पठान (पुराना किला), बल्लाहयार अहीर, जवरदस्तखान, जाऊद्दीनशेख, सुवेदार यारखान शेख (खिड़की), जहारूद्दीन मुगल, मोहरसिंह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ तथा देहली की विमुक्त जन जातियाँ-अहरिया, बरार, बांवरिया, बरिया, वगसिल, भट्टकट, भूराब्राह्मण, धीस, धनवार, गंधीलस, महातम, तगा-भट्ट (त्यागी), कंजर, कूचबंद, मेवाती, नट गुज्जार, राछबंद, सांसी, मनिस, नायक, गुज्जार, नोट-अभी महाराजा (रेवाड़ी) राव तुलाराम सिंह गुज्जार (तुलीसिंह) की उनके साथियों राम पंडित, तारासिंह-गुज्जार तथा नथ्वा राम माली सहित अफगानिस्तान से समाधि की

मिट्टी लाना बाकी है। ऐसा क्यों? गुड़गाँव-अली गौहर, अल्लाहदाद, अल्लाहद्दीन, अमानत अली, बेरकया, बरका (अमीर मेव रंगवाज गुज्जार, उदय चंद गुज्जार, खुशाल मेव, रतिया गुज्जार, उदय चंद मेव, अमीर गुज्जार, खुशहाल गुज्जार, किशन गुज्जार), नवाब अमीर खान, अमीर मेव, अनवरखान मेव, (नूह), धन्नासिंह राजपूत, (फरीदाबाद), गुलाबजान कश्मीरन (पंजाब), नवाब दुलाजान, लम्बरदार, फतेहअली (खेराली), फैयाजशाह, हसैनपुर, (पठान, असलत खान, मेवबंदराअली, चादरखान मेव, फौजदारखान घजनफर अली, हरूमबक्श, होशदारखान, शख कुतुबुद्दीन, तजाखानबलोच, ताजखानपठान, अकबर खान, पठान महबूब बक्श, रहिम खान, सारू सिंह गुज्जार), रसूल पूर (आजम अली, बाथीमेव, जफर हुसैन, जफा हुसैन, इशत्याकअली, करीम बक्श, काजी महबूब अली), सोहना आजिम बेग, मुद्दात अली मेव, आजम बेग (खाजुका), अजिजुद्दीनु मीर्जा, बहादुर गुज्जार (कनहोर) बहादुरखान, बहादुर सिंह गुज्जार तथा बखतावर सिंह (झरसा) मेवाद अली, ब्रिज नंदन गुज्जार, वीरजा गुज्जार, दौलत गुज्जार, तथा हरदेव गुज्जार तथा तुलसी राम गुज्जार, लेखा गुज्जार, कल्लु गुज्जार, जीवा गुज्जार, भवानी सिंह गुज्जार, वीरजा गुज्जार, (छज्जु नगर), बुलाकी मीर्जा, चैना जाट, चेतराम लहरू गुज्जार दिल्ले गुज्जार, लक्ष्मण, मानसिंह गुज्जार, मानसिंह धोबी (अहीरो वाला), छोटे मीर्जा, दलेलमेव, दलीपसिंह गुज्जार, दौला मेव (पलवल), घनजफर अली (सुल्तानपुर), मीर्जाग्यासुद्दीन, गुलामबक्श, गुलाम मोहम्मदखान, गोमेशसिंह कुन्बी गुज्जार, होल्दार (रिवाड़ी), गोपालसिंह गुज्जार, बादशाहपुर (अल्लर बक्श, बहुल्लाहगुलाम अली, बखता इलाही बक्श, बिहारी गुज्जार, कदादखान, जहांगिरया गुज्जार, जान मोहम्मद, करीम बक्श, खुशाली अहीर, रहिस बक्श, राम सुख गुज्जार, बख्तासम गुज्जार, रामदीन गुज्जार, रामसुख गुज्जार), कादरपुर (नम्बरदार मीरा गुज्जार, मेहराव गुज्जार, नम्बरदार छछिया गुज्जार, शैरावगुज्जार), शोभा एवं मेहरा गुज्जार (पाली) भीखाराम गुज्जार एवं विरजा गुज्जार (दरबारीपुर), काला गुज्जार (सहजावास)।

नगली-(आजिम मेव, कंवरचन्द गुज्जार, रौला गुज्जार, रूड़ा गुज्जार, भुल्लामेव, बहदमेव, बुद्दामेव, चैनामेव, धनवंतमेव, मतरूमेव, दुल्लामेव, हुसनामेव, कीरामेव, लहरूमेव, मेहदीमेव, मुदगुरमेव, मुर्तजाखान मेव, नसीरमेव, पीरखान, वक्शमेव, नूरवक्श, रत्नसिंहमेव, रत्नागुज्जार, रूवामेव, रौलामेव, शाहबेग, उस्तामेव), गरली पटूटी, (किशनलाल जाट, लछमन जाट, गुरदयालसिंह, हकदेवखान मेव, हरदीएंव हरदेव जाट, हरनाम सिंह गुज्जार, हयात अली) मनी गुज्जार तथा हरसुख गुज्जार, (पलवल), हस्ती मेव (अकहेरा) हटियाजाट, (दिघोट), इमामअली मेव, इमामुद्दीन (पलवल), इकांर शाह, जयराम जाट, (कुसुम), मुगलजौहर बेग, जैतसिंह गुज्जार, जीयाराम गुज्जार, तथा अलबेला गुज्जार (कसान), कबूल खान मेव (जर्गीनाला), खेतराम गुज्जार आदि के साथ, जो सभी अन्य लाखों के साथ आजादी की लड़ाई में मारे गये।

ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाः– बंगाल रेजिमेंट के लिए नई बंदूक बनाई गई थी, जिसमें नये कारतूस प्रयोग किये जाते थे जिनकी टोपी पर जानवरों की चर्बी लगी होती थी तथा इनको बंदूक में भरने से पहले सिपाही को अपने मुंह से कारतूस की टोपी खोलनी पड़ती थी। देश में आजादी की आग तो फैल रही थी अतः हवलदार मातादीन बाल्मीकि के नेतृत्व में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर (बंगाल) की छावनी में निम्न 86 भारतीयों ने ऐसे कारतूसों के बहिष्कार की घोषणा कर दी। जिससे अंग्रेजी सरकार ने सबको

विद्रोह करने के कारण फांसी पर चढ़ा दिया। यह आग मई 1857 तक मेरठ छावनी आदि तक फैल गई

शेखपीर अली, नायक अमीर कुदरत अली, नायक शेख हूसैनद्दीन, नायक शेखरूर मौहम्मद, शीतल सिंह, जहांगीर सिंह, मीर मोसम अली, अलीनूर खान, मीर हुसैन बक्श, मथुरासिंह, नारायण सिंह, लालसिंह, श्योदान सिंह, शेख हुसैन बक्श, साहिबदाद खान, विशन सिंह, बलदेव सिंह, शेख नुन्दू, नवाब खान, शेखरमजान अली, अली मोहम्मद खान, मक्खन सिंह, दुर्गा सिंह, (प्रथम), नसरूल्ला बेग, मेहराव खान, दुर्गा सिंह (द्वितीय), नवीबक्श खान, जुरखाब सिंह (प्रथम), नदजू खान, जुरखान सिंह(द्वितीय), अब्दुल्ला खान, ईसैन खान (प्रथम), जबरदस्त रगन, मुर्तजा खान, बरजूर खान, अजीमुल्लाखान (प्रथम), कालाखान शेख सादुल्ला, अजीमुल्लाखान (द्वितीय), सालार बख्श खान, शेखरउत अली, द्वारका सिंह, कालका सिंह, रघुवीर सिंह, बलदेव सिंह, दर्शन सिंह, इमदाद सिंह, पीरखान, शीतल सिंह, मोती सिंह, शेख फजुल इमाम, हीरा सिंह, सेवा सिंह, मुरादशेर खान, शेख आराम अली, काशी सिंह, अशरफ अली खान, कादर दाद खान, शेख रूस्तम, भगवान सिंह, मीर इमदाद अली, शिव बक्श सिंह, लक्ष्मण सिंह, शेख रूस्तम, शेख इमाम बख्श, उस्मानखान, दरयाव सिंह, मकसूल अली खान, शेख गया बक्श, शेख उमेद अली, अब्दुल बहाबर खान, राम समय सिंह, पनाह अली खान, लक्ष्मण दुबे, रामपाल सिंह, शेख ख्वाजा अली, शिव सिंह, मोहन सिंह, विलायत अली खान, शेख मोहम्मद ख्वाजा, इन्द्र सिंह, मैकू सिंह, फतह खान, शेख कासम अली, राम चरन सिंह, मंगल पांडे।

मई 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेषकर मेरठ में राव कदम सिंह गुज्जार (बहसुमा) के नेतृत्व में शाहमल गुज्जार (विजरौल, बड़ौत) रावजीत सिंह गुज्जार (परीक्षित गढ़), कोतवाल धन सिंह गुज्जार आदि ने मेरठ छावनी पर लड़कर कब्जा कर लिया तथा अंत में अंग्रेजों को छावनी छोड़नी पड़ी। बाद में इन सबको इनके अन्य हजारों साथियों सहित अंग्रेजों ने तोपों से उड़ा दिया।

उत्तर प्रदेश की विमुक्त जनजातियों (उत्तर प्रदेश में 1924 क्रमिनल टाईब एक्ट के अधीन आने वाली जातियां) की इलाकानुसार सूचीः– सच्चाई तो यह है कि यह सभी जातियां जनजातियां सूची में होनी चाहिए थीं नहीं तो महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश की तरह विशेष विमुक्त जाति सूची में, जिससे इनको आरक्षण मिल पाता पर मनुवादियों ने ऐसा नहीं होने दिया, वह भी 71 वर्ष की आजादी के बाद भी जबकि उत्तर प्रदेश में इन जातियों की संख्या कुल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत है, इन जातियों को पिछड़ा वर्ग, अनुसचित जातियों तथा जनजातियों में रखकर बांटा हुआ है, जिससे इनकी राजनीतिक शक्ति न बन पाये। अतः इन जातियों को इकट्ठा होकर जहां आंदोलन करना चाहिए वहीं अपने बलिदानी इतिहास को ठीक प्रकार से भी लिखवाना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब इनका राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व मजबूत हो तथा उनमें से नेता बने, जो इस बीमारी का निदान करें। (1949-50 की आयंग्गार कमेटी रपट के अनुसार जो सरदार पटेल जी ने इन जातियों के लिए 1949 में बैठाई थी) इसलिए डा. आंबेडकर जी ने 14 अप्रैल 1954 (बंबई) को अपने जन्म दिन के अवसर पर कहा था कि जब तक पिछड़ा-दलित वर्ग एक मजबूत संगठन नहीं बनाता तब तक यह सत्ता की प्राप्ति नहीं कर सकता। अतः इस वर्ग का एक मजबूत संगठन होना अनिवार्य है । इसी प्रकार उन्होंने 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ (उ.प्र.) की रैली में भाषण दिया था।

भारत के विभिन्न जिलों के आरक्षण श्रेणी की सूची

नोटः-निम्न केवल अलग-2 रपटों से अनुमान है।

सं.	जाति का नाम	जिले का नाम	धर्म	पृष्ठ नं.	आरक्षण की श्रेणी
1	अहेरिया (वेहलिया, अहेरी, हरी)	पूरे उत्तर प्रदेश में	हिन्दु	10	अनुसूचित जाति
2.	बदक (बधिक)	रवेरी, मथुरा, बदायु, शाहजहांपुर आदि	हिन्दु	11	अन्य पिछड़ी जाति
3.	बंजारा (लमानी, लमाड़ी)	आगरा, मथुरा, फतेहपुर इटावा, ऐटा, मैनपुरी आदि	हिन्दु	12	अन्य पिछड़ी जाति
4.	बरबाड़ा (बरबार)	हरदोई, सुल्तानपुर बरेली, गोंडा आदि	हिन्दु	12	अनुसूचित जाति
5.	बावरिया (मारवाड़ी) नाप्रोरिया, बाबारिहा)	मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि	हिन्दु	13	अनुसूचित जाति
6.	बेदिया	एटावा,आगरा,कानपुर इटावा, मैनपुरी फतेहपुर	हिन्दु	13	अनुसूचित जाति
7.	भन्तु (करवाल)	पूरा उत्तर प्रदेश	हिन्दु	15	अनुसूचित जाति
8.	भर (राजभर, चेरो)	बनारस, गोरखपुर,उत्तरप्रदेश आजमगढ़,फैजाबाद,जौनपुर	हि.मुस्लिम	15	अन्य पिछड़ी जाति
9.	बोरिया, पासी, पारसी पलवर, खासिया राजपूत,दुसाध,खटीक चकिया,गगछिया,अरख, बहेलिया	फतेहपुर, कानपुर,गोरखपुर, बनारस,बस्ती,गौंडा,बलिया अवध, पूरा उत्तर प्रदेश	हिन्दु	19-20 33-34 10	अनुसूचित जाति
10.	चमार	एटावाह,गाजीपुर जोनपुर ऐटा आदि	हिन्दु	17	अनुसूचित जाति
11.	दलेरा (दलेरिया)	बरेली,मुरादाबाद आदि	हि.मुस्लिम	17	अनुसूचित जाति

12. डोम	पूरा उत्तर प्रदेश	हिन्दु	19	अनुसूचित जाति
13. गंधीला	मुजफ्फरनगर आदि	हि.मुस्लिम	20	अन्य पिछड़ी जाति
14. संसी, गोधिया	पूरा उत्तर प्रदेश	हिन्दु	20-35	अनुसूचित जाति
15. घोसी	अलीगढ़,एटा,मैनपुरी आदि	हि.मुस्लिम	20	अन्य पिछड़ी जाति
16. गुज्जार (रांघड़) बनगुज्जार	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर,बिजनौर, हरिद्वार, देहरादून,मुरादावाद, पीलीभीत,बंदायु, अमरोहा, संभल आदि-आदि	हि.मुस्लिम	21	अन्य पिछड़ी जाति एवं जनजाति
17. हवुरा (वनगुज्जार)	अम्बाला, करनाल, पानीपत यमुना नगर, कुरूक्षेत्र	हि.मुस्लिम	22	जनजाति
18. कंजर	पूरा उत्तर प्रदेश	हिन्दु	24	अनुसूचित जाति
19. केवट (मल्लाह, निसाद)	मथुरा, वस्ती,आगरा,मैनपुरी, अलीगढ़,बुलन्दशहर	हिन्दु	25-28	अन्य पिछड़ी जाति
20. लोधा	मैनपुरी, फतेहपुरी आदि	हिन्दु	26	अन्य पिछड़ी जाति
21. मेव (मेवाती, मीणा)	पूरे उत्तर प्रदेश	हि.मुस्लिम	28-29	अन्य पिछड़ी जाति
22. मुसर	वनारस,संभाग	हिन्दु	31	अनुसूचित जाति
23. नट	झांसी आदि	हिन्दु	32	अन्य पिछड़ी जाति
24. अवधिया	कानपुर, फतेहपुरी आदि	हिन्दु	33	अन्य पिछड़ी जाति
25. तगा(भट्ट त्यागी तागू)	सहारनपुर, बिजनौर,मु.नगर, अम्बाला,मेरठ,पानीपत,गाजियाबाद	हि.मुस्लिम	36	अगड़ी जाति
26. (राघड़) मुस्लिम राजपूत	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, वुलन्दशहर, अलीगढ़,रामपुर, देहरादून, हरिद्वार, विजनौर, मुरादाबाद, गाजियाबाद आदि			अगड़ी जाति

भारत की 80 प्रतिशत से अधिक विमुक्त जातियों की संख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। उत्तर प्रदेश में पासियों को कैंथवास, गुज्जार, कमानियां, त्रिशूल, तड़माली, राजपासी, राजवंशी, वौरिया, बौरासी, खटीक, भर, अहेरिया, बहेलिया, व्याध, ताड़माली, क्षत्रिय, घाटी, खाटी, धनाढ्य, खासिया, राजपूत, माँझी, दूसाध, धारी, माघिया, चकै, फांसियाँ भी कहते हैं।

जिन योद्धाओं ने 1857 तथा इससे पहले देश की आजादी के लिए अपने हजारों-लाखों साथियों के साथ यहां तक अपनी जर-जोरू-जमीन तथा वंश को भी कुर्बान कर दिया हो, लुटा दिया हो आदि-आदि। क्या इन योद्धाओं के स्मारक आजादी के तुरंत वाद सम्मान के साथ भारत में नहीं बनने चाहिए थे? उनमें से कुछ के नाम उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर निम्न हैं(अंग्रेज

लंदन में दूसरे महायुद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की याद में स्मारक बना रहा हैं)।

हरिद्वार-महाराजा रामदयाल सिंह तथा सेनापति राव मनोहर सिंह हूण (लाढौरा 1813) राजा विजय सिंह तथा सेनापति कल्याण सिंह गुज्जार (कुंजा बहादूरपुर, 1822), योद्धा कूड़े सिंह तथा भूरे सिहं गुज्जार (ऋषिकेश 1825)।

नोट : क्रांतिकारी बी.बी.सिंह गुज्जार आई.सी.एस. (दूधली, हरिद्वार, सहारनपुर) को अंग्रेजों की खिलाफत करने हेतु 1927-28 में फांसी का आदेश दिया गया आदि-आदि।

सहारनपुर(1857)- राजा राव फतुआ (खान), गुज्जार (बूढ़ा खेड़ा, गंगोह) तथा सेनापति, हिमांचल सिंह, कूड़े सिंह एवं राव सिंह गुज्जार, (मनोहरा हूण, तीतरो), राजा राव उमराव सिंह (माणकपुर), जालम सिंह (रणखंडी), चांसलर मौहम्मद कासिम नानौतवी तथा उपचांसलर रशीद अहमद गंगोही, मौलाना मजहर, (दारूल अलूम देवबंद 1866), फतेह गुज्जार (साढ़ौलीनकुड़), अलिया गुज्जार, (इब्राहिम सरसावा), मौलाना मुनीर, अली मोहम्मद गुज्जार तथा नबीव उल्लाह गुज्जार (सरसावा), फतेह सिंह गुज्जार, (सहारनपुर), मुजफ्फरनगर-शामली (1857)-हबीवा बेगम गुज्जार, अब्दुल रहीम खान, अल्ला दिया, अमीर सिंह, गुलाम घौस खान, (पीरगेट मीरापुर), हरनाम सिंह गुज्जार, हिमाचल सिंह राजपूत, जामिन अलीशाह, गुलावसिंह गोसैन, वेगम असगरी, कल्लू रोड तथा खैराती खान (पड़ा सैली), बस्ती राम राजपूत, काजी इनायत अली खान,सोनासिंह गुज्जार, उमराव सिंह गुज्जार, शाहमल सिंह गुज्जार, कोल्लासिंह गुज्जार, बहालसिंह गुज्जार, खचेड़ा सिंह गुज्जार, सेवा सिंह गुज्जार (टिटौड़ा शुकड़ताल), जबल सिंह राजपूत, कूडा सिंह गुज्जार, महताब खान, नजफअली गुज्जार, नवल सिंह राजपूत, नवल सिंह गुज्जार, रूपचंद राजपूत तथा शेरसिंह राजपूत (थाना भवन), भेद सिंह राजपूत, हजरत अली, वजीरा राजपूत तथा इमाम बक्श (खेड़ी), नेतराम गुज्जार, मौजीराम अहीर (पलानी), मेहर सिंह कछवाह (कुरालसी), मीरखान (जौला), नवावसिंह रोड (गोंसगढ), उमरदीन (नंगला भम्वाद), अजब सिंह, बखतावरी देवी गुज्जार (वघरा), कमांडर तेल-लंगर सिंह भगवानी देवी गुज्जार, सईद रेहमत अली, (सईद वाड़ा), भगवती त्यागी, आशा देवी गुज्जार, इन्द्रकौर गुज्जार, जमीला बेगम पठान, मामकौर गडरिया (सिसौली), मोहन सिंह चौधरी, वेगम रहिमी गुज्जार तथा राजकौर राजपूत (शामली), महावीरी वाल्मीकि तथा उपसनपति सेगवा वाल्मीकि, (मुडंभर-भाज), सेनानायक सर्वखल, (अध्यक्ष-मामचंद राजपूत, मंत्री मोहन लाल जाट, उपमंत्री-तिलक राम तगा तथा शोभाराम कायस्त, सेनापति भगवत सिंह गुज्जार आदि), भगवाना गुज्जार, सेहजाना कुमारी, रहमत तुल्लाह (तोड़ा कल्याणपुर), ग्यान चन्द शर्मा तथा शोभादेवी शर्मा (सिसौली), भगवान सिहं जाट, मोकसिंह

त्यागी (मझानी, सैदपुर), भवानी सिंह (भैसवाल), भैंजसिहं गुज्जार (सईदवाड़ा), ग्यानचंद, मूलचंद त्यागी (खुंडा), गुज्जार (बरवाड़ा), मेगराज सिहं गुज्जार (नगवा), हरपाल सिहं जाट, (पूर-वालयान), खुशालसिंह (सल्फा), लछमन सिहं (शौरान), प्रीम सिंह (गडरिया), श्योराज सिंह गुज्जार, आशा राम गुज्जार, राज सिंह गुज्जार, सूरत सिंह गुज्जार (दसाला), पीर मरासी (बिराल), रामजस गुज्जार (सुनेहरा नगलिया), साधुराम गुज्जार (मेधा-शकरपुर), शिवदयाल (वड़ी लाख), उमदाबेगम गुज्जार, शोभा राम त्यागी, रणीबीरी देवी, वाल्मीकि तथा अब्दुल क्यूम खां, पठान (बुढ़ाना), सूबेदार मोहाम्मद अहमद खान गुज्जार (कैराना)।

मेरठ बागपत (1857)-राजा हरवंश सिंह गुज्जार, (परीक्षतगढ़), कोतवाल राव, धन सिंह गुज्जार (पांचली), राव राजा रामदल सिंह गुज्जार, भाड़े सिंह गुज्जार, राम सिंह गुज्जार, जयसिंह गुज्जार, (सीकरी खुर्द, मोदी नगर, गाजियाबाद), जैत सिंह गुज्जार, (वहसुमा), मांडू सिंह गुज्जार (निवाली), तुलसीराम, (मेरठ), अल्लाह दाद खुदा बक्स (लोहारी), चौ. अचल सिंह गुज्जार (वाधु-निरोजपुर), शाहमल गुज्जार (बिजरौल, बड़ौत, बागपत), रूढ़ेराम, धीरा कहार (हिलवाड़ा), रजनी गुज्जारी एवं रजना गुज्जार (नगली), मिट्ठल गुज्जार (मेरठ), राजा राव जीतसिंह।

बुलंदशहर (वरन), गाजियाबाद तथा गौतमबुद्ध नगर (1857)-गुज्जार इन्द्रसिंह राठी, नत्थन सिंह गुज्जार, कमलकुमारी गुज्जार, नवल सिंह गुज्जार, महबूबसिंह गुज्जार तथा मीर सिंह गुज्जार (गुठावली कला), सरदार वलीदादखान (मालागढ़), गुज्जार (रामदयालसिंह, हरपाल सिंह, निर्मलसिंह-शकरपुर), राव रोशनसिंह गुज्जार, नत्थासिंह गुज्जार, सेनापति राव बिशन सिंह, भगववती सिंह गुज्जार (दादरी), राव सेढ़ासिंह, राव उमराव सिंह गुज्जार, (कटहेडा), इन्द्रसिंह गुज्जार (अट्टा हूण), एम. एन.सिंह गुज्जार (असावर), दरयाव सिंह (जनदेपुर), सुरजीत सिंह गुज्जार (राजपुरा), दादा मजालिश गुज्जार (लौहारली)। वजीर सिंह, दुर्गा सिंह, सुमेर सिंह, किडढ सिंह, साहब सिंह, दौलत सिंह, महाराज सिंह, दलेल सिंह, जीरा सिंह, मसाइन सिंह, लाला सिंहल (चौलान)।

आगरा (1857)-राज्यपाल डॉ. वजीरखान, अब्बास बेग, धीर सिंह गुज्जार तथा रूक्म सिंह (चुल्लाह पाली), हरपाल सिंह राजपूत तथा निर्भय सिंह राजपूत (धीरपुर), झंडुसिंह गुज्जार, हरवंश सिंह, निर्भसिंह तथा साहब सिंह गुज्जार (लंगला-नैनसुख), अदंन सिंह, मक्खन सिंह, जिया सिंह।

मथुरा (1857)-राजा देवी सिंह गुज्जार (वरगी), शीशराम गुज्जार (होला), देविसिंह मल्लाह (अचरू)।

बदांयु (1857)-मोहम्मद हसनखान (सहजवान), अहमदुल्लाहरवान (नजीम)।

नोट-चौधरी गुज्जार बदन सिंह यादव ने 1925 से अपनी मौत 1959-60 तक गुज्जारो, गोपो, ग्वालो, अहीरो, दलितो, गड़रियों आदि का यादव नाम देकर अंग्रेजों के विरूद्ध देशकी आजादी में झोक दिया तथा इसी कारण भारत में उन्हें दो वार फांसी दी गई पटरानी (लंदन) की दया पर छूट गये।

अलीगढ़ (1857)-मेहताब सिंह, (अकरावाद), नारायण शर्मा, अब्दुल जलील मौलवी (छतारी), मर्दन सिंह (लोहागढ़)

बिजनौर (1857)-नवाब महमूदखान अलीगढ़ (नजीवावाद) शाहमल जाट चौ. नैन सिंह, जोध सिंह, उमराव सिंह गुज्जार, अब्दुला खान।

मुरादाबाद (1857)-मौलवी अब्दुल जलील, आविद अली खान, अमानतुल्लाह खान, शेख नवाब असद अली खान, कवांडी खान, कबीर अली खान, सूवेदार सैनदीन सिंह, साजिद अली खान, सलाबत खान, राजा कदम सिंह गुज्जार, राजा दुलातसिंह गुज्जार।

नोट-1857 तक जिले सहारनपुर में 52 तहसीलें तथा परगने और लगभग 1 लाख तीस हजार गाँव थे। आज के पश्चिम उत्तर प्रदेश में दूसरा जिला मुरादावाद था। अतः आज के जिले जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, अम्बाला, बदाँयू, करनाल, पानीपत, हरिद्वार, सोनीपत, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, बिजनौर आदि सहारनपुर में आते थे।

ऐटा, इटावाह (1857)- गंदरोही सिंह (कंडोल), राज नारायण सिंह (चक्रानगर)।

कानपुर (1857)-शमसुद्दीन खान, अजीमुल्लाहखान, ज्वाला प्रसाद, अजीजन वाई, रामलाल, टिक्का सिंह, राव साहेब माराठा, सूबेदार राधेसिंह, लोचन मल्लाह, गंगाधर राव तथा मैनावती मुरादावाद (विठूर) बनी राम, गनी राम एवं बिटोली कटियार।

रायबरेली-बरेली (1857)- खान बहादूर खान (तहसीलदार), अहमद आर खान, सेनापति बखतखान, भोलानाथ, भुवन सहाय, फैजअली, कवी शाहखान, खुशीराम, लेखनाथ पंडित, मोहम्मद अमीन खान, मोहम्मशाह, मूलचन्द दीवान, मुबारक खानशाह, मुफ्ती सईद अहमत, मुफ्ती अजमेल, निजाम अलीखान, मुंशी शोभाराम, बीरापासी, मक्का पासी एवं पत्नि, देनसिंह गुज्जार (फरूखावाद)।

उन्नाव (1857)-राजा राम बक्श सिंह (डोंडियाखेड़ा), ललत्तासिंह।

झांसी (1857)-कमांडर खुदा बक्श, गुलाम घोस, झलकारी बाई कोयरी, पूरणकोयरी, फतेहशाह खान (रूहेलखंड), जानकंवर गुज्जार, वक्शी भाऊ, मोती बाई गुज्जार, मुद्रा बेगम।

लखनऊ (1857)- विरांगनी उदादेवी पासी, बेगम हजरत महल, मीर्जा वीरजी कादर, राजा जयलाल सिंह, नवाव अहमद अली खान (फारूख नगर), इब्राहिम खान, मीर महंदी, राजामाधो सिंह (शकरपुर), बलभद्र सिंह, जगनाथ बक्श (सीमरी), रघुनाथ सिंह (जबरोली), भोपाल सिंह गौरा कुस्ती), सिरदार सिंह, भूप सिंह, कोली सिंह, जगमोहन सिंह, नमन, जगनाथ, शिवदत्त सिंह, भगवान सिंह, शियोम्बर सिंह, रामगुलाम सिंह, धोक सिंह (शेखपुर) (नवावगंज) राजा बनीमाधो, राजा दिगविजय सिंह (मोहनाह) जफर मुल्क वजीर वहादुर।

सीतापुर (1857)-मौलवी फज़लू हक, (खैरागढ़), गुलाब सिंह (निखा), लोनसिंह (मितौला)।

शाहजहांपुर (1857)- मौलवी फज़लहक, अब्दुल ग्रार, खान (जलालाबाद), नथैसिंह गुज्जार, कोतवाल निजाम अलीखान।

गोरखपुर (1857)-रमजान अली खान, सरदार अली खान, बंधुसिंह (विशनपुरा), रानी दिगम्बर कौर, शेख जमीरूद्दीन एवं मीर जंगू (मिदनापुर),

हरदोई (1857)-नरपत सिंह (रोहिया), नरपत सिंह गुज्जार (सादभाऊ)।

फैजाबाद (1857)-मौलवी अहमदुल्लाह शाह बहादुर, अच्छन खान, मौलवी अमीर अली, शम्भु प्रसाद शुक्ल, बाबा रामचरण दास।

बनारस (1857)-भैरों प्रसाद, झुरी सिंह, (अपारूपुर)।

देवरिया (1857)-देवी राय तथा रघुपतिराय (पडरौना), मौसिंह राजपूत।

गोंडा (1857)-राजा देवी बक्श।

बस्ती (1857)-कुलवंत सिंह, बनवीर सिंह, रामदीन सिंह, रघुवीर सिंह तथा रिसाल सिंह (छिरौली), अवधूत सिंह, राजा बाबू साहन (बाखेरा), धर्मराज सिंह (अमोद), हरपाल सिंह, (धीरौली-बाबू), ईश्वरी शुक्ल (हरैया), रामजीवन सिंह (कानपुर), राजानागर (नागर), शिव गुलाम सिंह, (सुडौल), सुग्रीव सिंह (जादूपुर), शीलादेवी, रेवाराम (चित्रकूट)

फतेहपुर (1857)- राजपुत (बहादुर सिंह, तुरंग सिंह, बख्तावर सिंह, रघुनाथ सिंह), सुजान सिंह अम्बाला (खागा), नायक गयादीन दूबे तथा नंदयाल दूबे (कोरेन), जोधासिंह, राजपूत (अटिया-रसूनपर), शिवदयाल सिंह राजपूत (जमुरावन), दरभाव सिंह।

इलाहाबाद (1857)-मौलवी लायक अली इलाहावादी, मौलवी सैफुल्लाह, मुनसिफ मुलात्म अली, तेजपाल सिंह।

गाजीपुर (1857)-लक्षमण प्रसाद।

जौनपुर (1857)-अभिलाख सिंह धोबी राजपूत, अमर सिंह धोबी राजपूत (आदमपूर), विशेशवर सिंह धोबी राजपूत (टीहा), छंगूर सिंह धोबी राजपूत (ब्राहमणपुर), दयाल सिंह धोबी राजपूत (सेनापुर), देवकी सिंह धोबी राजपूत (जग्सै), जगवाल सिहं धोबी राजपूत (मही), जय मंगल सिंह राजपूत तथा राम दयाल सिंह धोबी राजपूत (बोरासर), माधोसिंह धोबी राजपुत (महापुर) फौजी, माताद्दीन वाल्मीकि, अयोद्धा, वहादुर, बरून, भान, गोवरधन, मुखी, प्रसन्ना, रामेश्वर, सक्खू, ठाकूरी, सुखलाल तथा शिवदीन (हौज), किशन अहीर, जीवनराम अहीर तथा ठाकुर सिंह (चितकौन), संग्राम सिंह तथा शिवदयाल सिंह धोबी राजपूत (सारसपुर-बादलपुर), मेरही, मोही, बखत सिंह, कनौजिया (कुवरपुर), भावन भीख, मुखी, सीतल, शिववृत सिंह धोबी राजपूत, सुखराज सिंह धोबी राजपूत (मुस्काबाद) युद्धवीर सिंह धोबी राजपूत (सेनापुर), दितेबा, बांके चमार (कुवरपूर),।

उपरोक्त नाम केवल इसलिए लिखे गए हैं कि इन्होंने आजादी की लड़ाई को नेतृत्व प्रदान किया। अन्यथा यदि राज्यों तथा केन्द्रीय मनुवादी सरकारों में राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति हो तो वह 1857 के ग्जेटियरों से हजारों-लाखों अन्य नामों की सूचि बनवाकर उनके स्मारक भी बना सकते हैं पर यह सरकारें तो पिछड़ा-दलित वर्ग के बलिदानी इतिहास को मिटाने में लगी हुई हैं। इनको मिले आरक्षण को खत्म कर रही है। इनको झूठे वायदों पर बांट रही है इनके अगवाओं को बंधक बना रही है। परन्तु यह सब कार्य पिछड़ा- दलित वर्ग वालों से ही अधिकतर वे करा रही हैं। क्योंकि लोहा लोहे को काटता है न कि लकड़ी।

राजस्थान (1857)-सरदार अली फौजी, रिसालदार हरि सिंह, गुल मोहम्मद एवं आथिज, मनवर खान, नसीर मोहम्मद, सफदरयार खान, ताराचंद गुज्जार, अकवर खान (कोटा), आलिमखान (टोंक), भैरानसिंह जोधा (गेराऊन जोधपुर), जीयालाल पटेल (निम्बाहहेड़ा, चितौड़गढ़), मोहम्मद खान (करौली कोट), नवीशेरखान (करौली), ठाकुर गुज्जार (शक्तिदान जोधपुर), लाला जयदयाल भटनागर।

नोट- सेनापति देवहंस गुज्जार (धौलपुर), के नेतृत्व में लाखों बलिदानियों ने 1857 में अंग्रेजों से सीधी आजादी की लड़ाई धौलपुर, आगरा, उत्तर प्रदेश, करौली, भिंड (मध्यप्रदेश) इलाके में लड़ी तथा बाद में 1860 में अंग्रेजों के साथ एक संधि हुई जिसे सेनापति देवहंस गुज्जार तथा अंग्रेज संधि के नाम से जाना जाता है। इस पूरे इलाके को बृज का इलाका, भी कहते हैं जिसमें राजस्थान का भरतपुर अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, उत्तर-प्रदेश का आगरा मथुरा वदाँयू, मध्य प्रदेश का भिंड मुरेना, आदि जिलों के भाग सम्मिलित है। साथ-साथ क्या 1914-15 की खूनी क्रांति के महान क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक को वह सम्मान अभी तक देश में विशेष कर राजस्थान में नहीं मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए था? जबकि पथिक जी महात्मा गांधी जी के परममित्र भी थे।

राजस्थान की विमुक्त जनजातियां- वोरिस, कंजर, साँसी, मीरा, मेव, गुज्जार, भील, बंजारा, बागड़ी, मोगिया, नट, नायक, मुलतानी, भाट।

छतीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश 1857-अजीत सिंह

लाल (बधेलखंड), अन्नतसिंह (भानपुर), भवानी प्रसाद, दलित राजपूत, नन्हें राजपूत, अर्जुन सिंह (सागर), महारानी अंवतीबाई लोधी (रामगढ़), वहादुर सिंह गुज्जार (मॉडला), भूग्गा बहादुर सिंह (निमार), राजा वखतबली सिंह (शाहगढ बुन्देलखण्ड़), राजा राववखतावेर सिंह, बंसी अल्लाह, मोहन लाल, (प्रभझेर इंदौर), सेनाधिकारी बलदेवशुक्ल (कंतागी जबलपुर), वापूराव (चंदा) ठाकुर भवानी सिंह (सांदला), भीक्मखान (धार), रामकिशन, दौलतसिंह, लालखानमेव (होशगांबाद), देवी सिंह गुज्जार, ठाकुरदेवी सिंह गुज्जार (बरगी जबलपुर), ढिलनशाह (टंडुखेड़ा, गदरवाड़ा, नरसिंहपुर), ढोकल सिंह गुज्जार, (पश्चिम मालवा), होलदार ररगजीत राय दिक्षित (दभौरा सतना), दरोग, सीताराम भील (मंडलेश्वर), ठाकुर दुर्जन सिंह (डोंगा सलैया सागर), मौलवी फजलूहक, सूबेदार मेजर रहमतुल्लाह, सानूका राया, (मालवा) किशन राम, नवावफाजिल मोहम्मदखान (अम्वापानी, भोपाल), हीरा सिंह गुज्जार, बादशाह (मंडसौर), राजागंगाधर (मानगढ़दमोह) मेहरवान सिंह शाह, गंजमसिंह (नरसिंहपुर), गुलाबराय, सिराजुद्दीनखान, रामा, नूरा, निहाल मेव, खजन वुदिंश, जवाहरसिंह गुज्जार, मंजू शाह (अमझेरा) इनायत हुसैन (भोपाल) रघुनाथ, जनाबा, नानाजगताब (निमार) जवाहरराजपूत, पोस्टमास्टर नबी बक्श कशमीरी, (सागर), जवाहर सिंह (जवलपुर), कामदारखान (वेरझा-भोपाल), राजा किशोरे सिंह लोधी (हिंडोरिया दमोह), मोहम्मद रजाब (महीदपुर), मोहम्मद सलीम (धार), नखारशाह (घीरपुर, नरसिंहुर) नूरखान (सागर), उदित (डॉगी), राधेगोविन्द गुज्जार (बुंदेलखंड), राजारघुनाथशाह (गढ़मॉडल), शिवदीनपटेल तथा रामदीनपटेल (वेतूल), राम निवास चौबे (जबलपुर), ठा. रनमतसिंह (कुमहारा, रीवा), सदात खान, नवाब वारीशे मोहम्मद खान, (इंदौर) सदाशिवमेव, गोविन्दमेव, सरदार खान, सर फराज खान (भोपाल), ठा. सरजु प्रसाद सिंह (विजय राधोपुर), राजा शंकर शाह गोंड (गौड़) (जवलपुर), वीर नरायण सिंह (छतीसगढ़) रक्षापाल श्रीवास्तव (सोहागपुर, सैडोल) श्रीमती सुरसी मां तथा भीमानायक (धोली, बावली), तानखान (माहिदपुर), तांतिया भील (वरोड़ अहीर, खंडवा), ठाकुर अमराव सिंह लोधी (मांडला), वेकटराव (रायपुर) तथा अन्य।

मध्यप्रदेश की विमुक्त जनजातियां-नट, कंजर, बरिया, सांसी, पासी, मेव, सनोरिया, विजोरिया, मोछियां, बैरागी, बराड़, वंरागी, बनभेदा, मानुगेट, भील, लमानीखभमता, मेस, मीस्त्र, गुज्जार, संगेड़ा, नरार, बंजारा भेवानी।

झारखंड, विहार (1857)-अहदखान (भागलपुर), अमरसिंह गुलाम याहिया, कुंवरसिंह, अमर सिंह (जगदीशपुर शाहबाद) राजा अर्जूनसिंह (चक्ररधरपुर, सिंहभूम), असघरअली (पटना), बंदेअली (आराह), हैदरीअलीखान (पटना), जग्गू (सिंहभूम), सूबेदार नाडिए अलीखान (गया), प्रकाश ओझा, ठाकुर ओझा (गोहगया) गशायथराम पांडे (भौनारा रांची), पीताम्बर शाही, नीलम्वर साही (हसेर, पलामू), राजाविश्वनाथ साही (रांची), उमरावसिंह (रांची), समाधी सिंह (हजारीवाग), सिंधु संथाल (भगनादीही, संकाल परगना) वहीद अली (पटना)। राजा अर्जून सिंह एवं राघुदेव (पोराहट) जोधरा सिंह, निशान सिंह, हरेकृष्ण सिंह अमर सिंह।

बिहार एवं झारखंड की विमुक्त जन जातियां-वदिया, करवाल, नट, भर, धकारू, मेत्रया, डोंमागोडां, लोधी, मारवाड़ी, वारिया, धारिस, चाक्यकवास, दुसाध, धोसी, मुसैहर।

गुजरात 1857

नोटः- आखिरकार 73 वर्ष के वाद श्याम जी कृष्णा वर्मा जी एवं उनकी पत्नी का अस्थि कलश जनेवा से भारत आ ही गया ऐसा क्यों? बापूराव कांशीनाथ (बड़ौदा), भगवानदाजी, गोगली खेमाकाला,

गोपाल कृष्णा, लक्ष्मीराम नरायण, रामचन्द्र नरायण, प्राणशंकर, कृष्णारामदेव, (आनंद खेड़ा), मालो जी जोशी, गेरवादास पटेल, बावूजी पटेल, चवनी देवा (बेता), गरवादास पटेल, जीवा भाई पटेल (खानपुर, खेड़ा), मगनलाल पटेल (पाटन), नया जी पटेल (माही कांठा), तोकरा स्वामी (द्वारका) तथा अन्य।

गोवा एवं महाराष्ट्र (1857)

बाबाजी (कोहलापुर), भानु (पेथ नासिक), भीमा, दिओजी, घर्मा ढोडिया, ढँडल, हरी, लहमा, मंजी, भाथु नायक, नथु, गुटपटेल, टीपटेल, रावरजे, रावजी, खांजी, सलूका परयूली, शीतरा, येशा, कृष्णाप्पा चवानट, ननिया चवान (सतारा), रामजीचवान, सखरामचवान, सीमा गुप्ते, मानसिंह, शेवाराम मोरे, शिवयापटेल, नानासुनार, चीमासाहेब, (कोहलापुर) अन्नाफडनीज, पीरखान, मोवशानायक, बाबाजीनायक, तुलपै (नगर) तथा अन्य।

महाराष्ट्र गोवा तथा गुजरात की विमुक्त जातियांः- बंजारा, (वंजारी, लमानीख लम्बाड़ी), भम्ता (तटकारी) भील, बोया, कैकाड़ी, कंजर, मान-गरूड़ी, भियाना (मेव), टेडवी, (भील) बराड़, कंस, कोकरिस, संघेड़ा, पारधि, नरार, सधी, मीराग, संगेड़ा, समुरास।

कर्नाटका (1857):- सिचन्ना (सिंगतालूर, रामचूर), चुनिया वीरप्पा (हमगी, रामचूर), उर्वी, दौद साहेव (हंकताप्पोर, रामचुर), कुरकाह, पुनी साहेव, जीवन साहेब (हम्मागी, बेल्लारी, रामचुर), कंचनगौड़ा, सिरनो गाडा एस.वी.देसाई (दुमबाल, वेल्लारी), इल्ला (हमगी, रामचुर), इमामसाहेव, पीरू (यशवुर रामचूर), रामान्नाह (सिंगातालूर, रैचूर), शिह्राह (वगवरी रामचूर), तुमन्नाह, तुमियाहयशवीर (कुकानूर रचूर), उर्वी (कुम्पी बेल्लारी), राजा वेंकटप्पानायक (शोरायूर गुलवर्गा, वीरप्पा (रैचूर), वोबुलदोस (वगवारी, रैचूर)

कर्नाटक (1857):- वलाकिसा तात्या (भलकी विदार), बासालिंगप्पा (जम्बगी बीजापुर), बापा साहेब (कुर्लाहली रायचूर), दुर्गा, वर्माह, मुल्लाह, ओकुडांह, योगांरी, भावेभास्कर (नारगुंड बेल्लारी) गोवन्दनरायण पराचरे, भवानी सिंह (कोम्माला, रायचूर), भीमा (कुंदगोलरायचूर), भीमप्पा, भीमसवदन गौडा (मुंडारगी धारवाड़), लालगोवडा काशीराव (नारगुडां, बेल्लारी), अन्ना, तामलेबसप्पा, गूरडा (हसूर, रामचूर), ललचमा (डगवारी, रायचूरा) लिगांप्पा (विपर), मुडालनार (कूरनाहरैचूर) वमाप्पा (नावली रायचूर), वुसाराना (नावलेगौडा रायचूर), वुषीया तलारी (तहरूगीरामचूर), चनाप्पा (वेटघेरी रायचूर), छट्टसिंह राजपूत (जमाखंडी बीजापुर), चुनिया वीरप्पा (हमगी,रामचूर), उर्वी, दौदसाहेव (हंकताप्पोर, रामचूर), कुरकाह, पुनीसाहेब, जीवन साहेब (हम्मागी, बेल्लारी रामचूर), कंचनगौडा, सिरनो गौडा, एस.बी.देसाई (दुमबाल, बेल्लारी), इल्ला (हमगी, रामचूर), इमामसाहेब, पीरू (यशवूर रायचूर), रामान्नाह (सिंगातालूर, रैचूर), उर्वी (कुम्पी वेल्लारी), राजा वेंकटप्पानायक शोरायूर गुलवर्गा, वीरप्पा (रैचूर) वोब तथा अन्य।

मद्रास (1857-58) शेख इब्राम (थंजाचूर), सईदकुसा (चित्तूर),नरसिम्हादास, दामोदरदास, निरगुनादास हैदर (सलेम)

आन्ध्र प्रदेश (1857):- करकोडां, सुभा रेड्डी (कोटाटुरूपश्चिम गोदावरी), दौलाह राम रत्न गिरि, मौलवी साईद अलाऊद्दीन, सईद अहमद, तुर्रेवाज खान (हैदराबाद), आर्द्धा, कर्नाटका, केरला, पांडचेरी तथा तमिलनायडु की विमुक्त जातियां।

आर्द्धाः-बंजारा (वंजारी, लमानी, लम्बाडी, लम्भाड़ी, भम्ता (टकारी), कोमाकापू, ओड्डार, पारधी, थेल्ला-पमालवाड, येनाडीवाड)

कर्नाटकाः- वंजारा (लमानी, वंजारी, लम्बाडी), गंबेचोर (गौतुकोल्लार) हांडीजोगी, केपुमारी, कोराचा तथा ओड्डार, कोरबा आदि)।

तमिलनाडुः- आदि द्रविड़ अम्वालगर (मूट्टाकम्पट्टी, अम्बालगर तथा सूर्यानूरअम्वालगर), बंजारा, (बंजादी, लमानी, लम्बाड़ी), भट्टटतुर्का, बोया (पेडूडा, डोंगा) बूडा-बुक्काला (घंकाला, पमुला), मोडिगा, माला, मारावार, दसारी (डोंगा, गुड्डू), दोम्मार (दोमार, रेड्डी, अरै), डो (मगहिया, ओरिया, औदिनिया, बंसफोर), गौतुकोल्लार (गंबे घोर), घासी इरूलार, जोगी (जोगुला) तथा कलाडी, कल्लार (पेरामलै, कूटारपाल, पेरिया सुरियूर, कुरूम्बा तथा थेवर), कंजर, केपुमारीद्व किंताली कलिंगा, निरशिकारी, नोक्कर, ओड्डार, पिचारी, पीचीगुटांला, पोलीगर यरैया, रेल्ली, तलेयारी (देवगुडी), तलेगा-पामुला, तेल्लूगप्पालाट्टीचट्टी थेट्टिया नैक, उरालिगाउ़डान, वलायार, वल्लाचानकुप्पमपडेर्ची, वट्टैकरन वैट्टुया-गाँउडान, बेड्डार, थता, थेनाडी, कोडां-डोरा, कोराचार तथा कोरवा, कुरूम्बारावा (चोल), मथुराचा, नक्काली

उड़ीसा (1857)- सालिग राम बरियांह, हट्टूऐसिहँ (धी), कुजंलसिंहं, माघोसिहं आदि।

पश्चिम बंगाल, आसाम तथा उड़िसा की विमुक्त जनजातियांः- डंडासी, गोडां, जैटदापान, मुंडा-ओटा, करवाल, नट, भर, धकारूमेघया, डोम, लोघा, ददासी, धोसी, तलेगा, पामूला, पेंडिस, वेदिया, दुसाध।

जब सुव्यवस्थित राज्य के प्रणेता लौहपुरूष सरदार पटेल जी के साथ हुआ अन्यायरूपी कलंक मिटेगा तब विमुक्त जन जातियों को न्याय मिलेगा। सरदार पटेल जी स्वयं एक ऐसी कौम से थे जो आज विमुक्त जनजाति के नाम से भी जानी जाती है जिसने देशकी आजादी के लिए अपना सब कुछ लूटा दिया।

पटेल जी (उप-प्रधानमत्री, गृहमंत्री, सूचना मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री आकाशकायीय, रियासत विलय मंत्री, आरक्षण मंत्री, कार्मिक मंत्री) की कुछ अमिट यादें-

(1) सरदार पटेल जी ने भारत वर्ष को संसार में एक महान राष्ट्र बनाने हेतु देश की आजादी (15 अगस्त 1947) के बाद 565 से अधिक छोटी-बड़ी देशी रियासतों तथा हजारों जागीरों को मिलाकर एक ऐसा महान कार्य किया, जिसमें अधिकतर न खून खरावा हुआ तथा न ही धन की कोई क्षति हुई जो देश की कुल संख्या का लगभग 45 प्रतिशत भाग था। इसलिए संसार में आज पटेल साहब को जर्मन का विस्मार्क, रूस का लैनिन एवं स्टालिन, इटली का मोसीलीन आदि-आदि कहा जाता है। पर वे प्रजातंत्र के जनक थे तथा देश ही उनके लिए सब कुछ था।

(2) पटेल साहब ने केवल अपने ढंग से डॉ. अम्बेडकर को, उनकी संविधान सभा की सदस्यता बंगाल से खत्म होने पर ग्रेटर बंवई (1 जुलाई 1947 का सरदार पटेल पत्र माँवलंकर के नाम) से न केवल दोबारा सभा का सदस्य बनवाया बल्कि उनको संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन तथा पहला केन्द्रीय कानून मंत्री भी बनवाया, वे उनको देश का पहला राष्ट्रपति भी 1950 में बनवाना चाहते थे। पटेल जी ने अपने जीते जी (25 अप्रैल 1948 लखनऊ, उत्तर प्रदेश के भाषण के बाद) उनकी हर प्रकार से सहायता भी की । 1947 में आम्बेडकर जी 22, पृथ्वी राज रोड नई दिल्ली में रहते थे जो 1 औरंगजेब रोड नई दिल्ली, सरदार पटेल जी के देहली निवास के बहुत पास थी। अतः करीबन-2 हर रोज सुबह के समय डॉ. साहब पटेल जी से मिल कर देश को महान बनाने की योजनाएं बनाते थे।

(3) पटेल जी ने 1946-47 में उप-प्रधान मंत्री एवं गृह मंत्री होते हुए अनुसूचित जातियों का आरक्षण

उनकी संख्या के अनुपात में जहां किया वहीं जनजातियों की सूची विना इस वर्ग के मांगे तथा इनको भी इनकी संख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों तथा विधान मंडलों में आरक्षण दिया।

(4) इसी प्रकार बिना मांगे पटेल जी ने अन्य पिछड़ा - वर्ग की जातियों की सूची 1948-49 में बनवाई तथा इनको भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया।

(5) आज की कहलाने वाली विमुक्त जनजातियों के लिए पटेल जी ने अल्प संख्यक ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन होते हुए जिनके बाप -दादा देश की आजादी की लड़ाई 1857 में अंग्रेजों से लड़े थे, 1949-50 में ए. आयंग्गर कमेटी का गठन किया तथा इसकी रपट आने तक इन जातियों को जहां भी जिन सूचियों में यह अनुबंध थी उन्हीं श्रेणियों का आरक्षण मिलने का आदेश भी दिया। जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा- वर्ग, 15 दिसम्बर 1950 को, पटेल साहब की मृत्यु होने के बाद पहले तो आखरी क्रिमनल ट्राहव एक्ट 1924 जो विमुक्त जन जातियों के लाखों बाप-दादाओं पर लागू था जहां 31 अगस्त 1952 को ही हेबिचुवल (आदतन) एक्ट XXXIV में उत्तर भारत में बदल सका जबकि यह एक्ट मद्रास तथा बंबई में 1924 में ही पटेल जी के कारण आदतन कानून में बदला गया था वहीं आयंग्गार कमेटी की रपट अप्रैल 1951 में पेश की गई । जिसका 1953 से नया नाम, कभी काका कालेलकर पिछड़ा वर्ग आयोग (1955), कभी ढ़ेबर जन जाति आयोग (1960), कभी बी.एन. लोकूर कमेटी (1965), कभी दुर्गाबाई देशमुख विमुक्ति जनजाति कमेटी (1968), कभी मंडल आयोग (1979-80), तथा कभी संविधान समीक्षा आयोग (2002), कभी महासविता देवी विमुक्त जाति रपट (1998) तो कभी विमुक्त जाति आयोग (2003) के नामों से आज कुल संख्या 60% को बिना कुछ दिये मूर्ख बनाया जा रहा है।

(6) सरदार पटेल जी ने स्वयं अल्प-संख्यक कमेटी का चेयरमैन होते हुए अल्प-संख्यकों, विशेषकर मुस्लमानों के हेतु संविधान में 292 व 294 अनुच्छेदों का प्रावधान किया और उनके धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नौकरियों, राजनैतिक आदि के अधिकारों को आरक्षण के रूप में सुरक्षित किया। पर बाद में कुछ हिन्दु-मुसलमान नेताओं की हठधर्मी से न केवल ये दोनों अनुच्छेद विशेषकर मुसलमानो के लिए हटाए गए बल्कि मुसलमानों को आरक्षण की परिधि से भी बाहर कर दिया गया।

(7) पटेल जी के सहयोग से 1946-47 में जबरन मजबूरी को संविधान में अवैध घोषित करार दिया गया।

(8) पटेल जी ने संसार में सबसे पहले 1948 में मानवाधिकार कानून अपने देश में बनवाया।

(9) सरदार पटेल ने स्वयं गुजरात के खेड़ा एवं बारदोली (1927-28) किसान आन्दोलन का जहां नेतृत्व किया वहीं ऐसा ही देश के अन्य प्रदेशों करने के प्रणेता बनें।

(10) उन्होंने गांवों से हजारों नेता पैदा किये, विशेषकर पिछड़ा-दलित वर्ग से।

(11) पटेल जी अपने जीवन भर राष्ट्रवाद, सच्चाई, सादेपन आदि के पथिक बने रहे।

(12) केन्द्र में बाबू जगजीवन राम जी पटेल साहब के कोटे के बड़े मंत्री थे तथा बाबू जी के देहली

निवास पर उनके जीते जी पटेल साहब का बड़ा फोटो हमेशा उनके मकान के हाल में सजा रहता है। डॉ. अम्बेडकर साहब भी पटेल साहब के कोटे के केन्द्रीय मंत्री थे आदि।

(13) करोड़ो शरणार्थियों को सम्मानपूर्वक सभी स्तरों पर आरक्षण देकर 1947 में बसाया।

(14) पटेल जी की पहल पर देश में पहली बार काठियाबाड़ (गुजरात) की नवम्बर 1922 की राजनीति सभा में अस्पर्शता को खत्म करने की आवाज उठाई गई इस सभा की अध्यक्षा पटेल जी स्वयं गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए कर रहे थे, जब उन्होनें देखा अस्पर्श अलग ब्लाक में बैंठे हुए हैं तो उन्होनें अपना भाषण अस्पर्श ब्लाक में जाकर दिया तथा वहीं से सभा को खत्म कर दिया।

(15) पटेल जी ने अस्पर्शो के दाखले हेतु सभी राष्ट्रीय स्कूलों तथा कालेजों को 1921 से खुलवाया।

(16) पटेल जी ने 30 नवम्बर 1924 के अहमदावाद नगर निगम चुनावों में पहली बार देश में अस्पर्शो को टिकट दिये तथा इसी कारण पहली बार देश में एक अस्पर्श पार्षद भी चुना गया।

(17) जुलाई 1926 में गुजरात के जिले खेड़ा में भारी वर्षा से अस्पर्शो के हजारों घर गिर गये, तब पटेल जी ने पहली बार कटट्रपंथियों के मंदिरो में हजारों मुसलमानों तथा अस्पर्शो को पनाह दिलाई।

(18) पटेल जी ने 1925, 1926, 1927 आदि में गुजरात के अस्पर्शो की बस्तियों विशेषकर गोधरा, भावनगर, कच्छ,मांडवी आदि में अनेकों सभायें की तथा सामूहिक भोजो का आयोजन किया।

(19) पटेल जी ने 1938 में पूना (महाराष्ट्र) के 'शनिवारवाड़ा' के सामने समता सैनिक दल की सभा को सम्बोधित करते हुए जिसकी अध्यक्षा स्वयं डॉ अम्बेडकर जी कर रहे थे, कहा कि संगठन अनुशासन, कार्य की लगन तथा उसे सफल करके दिखाने की इच्छा आदि ही सच्चे देश भक्त की पहचान हैं।

(20) सरदार पटेल जी ने 1938 में डॉ अम्बेडकर जी के 49 वें जन्मदिन पर अपनी ओर से 50 लाख रूपये की थैली भेट की।

(21) मोहम्मद अली जिन्ना को कातिलो के हाथो से बचाया।

(22) गुज्जरों के लिए 1948 में 'गुज्जार विकास आयोग' का गठन किया।

नोटः- अतः उपरोक्त यादों को लेकर हर वर्ष उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर (1875) तथा 15 दिसम्बर (1950) निर्वाण दिवस पर जगह-जगह रैलियां आदि निकालकर जहां चौराहों, कालेजों आदि में उनकी मूर्तियों की स्थापना अधिक से अधिक कराई जायें वहीं पुस्तकालयों आदि में उनका साहित्य रखवाने के प्रयत्न भी ओर तेज किये जाए। इन्द्रागांधी ने तो सरदार पटेल जी की 100वीं वर्षगांठ पर देश में आपातकाल लगाकर वर्षगांठ भी नही मनाने दी क्यो?

उपरोक्त तथा अन्य अपने कार्यों के कारण ही देश में वल्लभ भाई पटेल जी 1925 से सरदार एवं लौह पुरुष कहलाने लगे तथा 'सरदार पटेल' के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो गये। आज पटेल साहब के नाम तथा कार्यों पर जहां अनेकों राजनैतिक पार्टियां देश में बन रही हैं वही उनके स्मारकों तथा मूर्तियों की स्थापना की संसार में झडी लगी हुई हैं। अब वह दिन दूर नहीं हैं जिस दिन न केवल 'विजय चौक' नई दिल्ली पर पटेल साहब की मूर्ति की स्थापना होगी तथा 2ए, पृथ्वीराज रोड एवं 1, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली उनका 1950 तक का देहली निवास उनके स्मारक में बदला

जायेगा बल्कि देश का नाम भी उनके नाम पर ही होगा। जब तक यह दोनों कार्य नहीं होंगे तब तक देश के माथे पर नेहरू जी द्वारा लगाया 1951 का कलंक भारत मां की आत्मा को चैन से नहीं रहने देगा। यह भी सच हैं कि अभी तक 2014 के सभी प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों, मुख्यमंत्रियों, केन्द्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, नौकरशाहों, न्याय प्रणाली के रखवालों, राजनैतिक पार्टियों, उद्योगपतियों, बुद्धिजीवियों, अधिकतर लेखकों आदि ने स्वयं जितना इस कलंक को अनदेखा किया उतना ही सबने अपने को राष्ट्रवाद से न केवल दूर किया बल्कि आम जनता की निगाहों में अपने को गुनाहगार भी साबित किया हैं। पर वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ऐ. पी. जे. अब्दुल कलाम जी (2002-2007) ने 14.8.2002 को 56 वे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने भाषण में सरदार पटेल को जो सम्मान दिया, उसने अवश्य इस कलंक की कुछ काली परछाई को नष्ट किया हैं तथा साथ-साथ राष्ट्रपति जी ने 1857 की अंग्रजो से लड़ाई को पहली देश की आजादी की लड़ाई को सम्बोधित करके करोड़ों-करोड़ां विमुक्त जनजाति वालों के दिलों को इनके बाप-दादों के बलिदानों को याद करके तथा कराकर खुशी से भर दिया। इनमें पटेल जी का भी परिवार हैं क्योंकि सरदार पटेल जी के पिता झवर भाई पटेल जी 1857 की लड़ाई अंग्रेजो से लड़े। अतः सभी राष्ट्रवादियों, सरदार पटेल के शुभचिंतकों, विमुक्त जातियों आदि से निवेदन है कि वे सरदार पटेल के साथ इस अन्याय रूपी कलंक को आज भी बनाये रखने वालो की पराजय अगामी विधानसभाओं तथा 2024 के लोकसभा चुनाव में सुनिश्चित कराकर आंखे खोल दें। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 26-27 जनवरी 1951 को इस कलंक को बनाने से पहले विजय चौक राष्ट्रपति भवन के सामने सरदार पटेल की मूर्ति लगाने तथा 2ए, पृथ्वीराज रोड एवं 1, औरंगजेब रोड, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली को उनके स्मारक में बदलने जहां सरदार पटेल देहली में रहते थे, का न केवल प्रस्ताव पास किया था बल्कि करोड़ों रूपया भी इस हेतु एक समिति बनाकर इकटठा किया था। यह करोड़ो रूपया नेहरु जी ने स्वयं इस समिति का संयोजक होते हुए कैसे नष्ट किया, इसकी बहुत कष्ट एवं दर्द भरी वैसी ही सच्चाई हैं जैसी सरदार पटेल जी द्वारा विमुक्त जाति रूपी पिछड़ा (अन्य दलित) वर्ग को दिये गये आरक्षण को नेहरू जी द्वारा 1951 में खत्म करने की है। सच्चाई तो यह हैं कि सरदार पटेल जी की विजय चौक पर मूर्ति लगने की प्रेरणा से देश में फिर से लाखों राष्ट्रवादी इस मूर्ति को लगी देखकर जहां भविष्य में पैदा होंगे वहीं देश हेतु त्याग भावना भी तेज गति पकड़ेगी। नहीं तो मोती लाल नेहरू जी की मूर्ति वैर्स्टन कोर्ट जनपथ नई दिल्ली में लगी हुई है। पर इसका कितनो को पता हैं? क्योंकि वहां पर आज तक सरकार या नेहरू परिवार ने कभी कोई गम या खुशी का आयोजन किया ही नहीं, ऐसा क्यों? जरा सोचिए। क्योंकि उनके पिता गंगाधर नेहरू 1857 में देहली के अंग्रेजों के शहर कोतवाल थे तथा यहां लगभग देशकी आजादी हेतु 1857 में 4-5 लाख भारतीय शहीद हुए थे।

जो सरदार पटेल के साथ अतीत में हुआ है, उसे वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह पूर्व प्रधान मंत्री जी एवं उप-प्रधानमंत्री, वाजपेयी-आडवानी जी भली भांति जानते हैं। पर इन तीनों पर भी मनुवादी छाया छाई हुई थी। जिसको साफ करने का इन में साहस भी नहीं है यह भी सच्चाई था कि आज सरदार पटेल देश के होने वाले सभी चुनावों के ऐसे मुद्दे के रूप में अपने किये कार्यो के द्वारा उभर चुके हैं, जिसको सरदार मनमोहन सिंह जी क्या कोई भी अलग होने वाला प्रधानमंत्री पटेल जी को दर-किनार नहीं कर सकता।

जब वाजपेयी-सरदार मनमोहन सिंह जी विदेश जाते हैं तो भी उनके लिए सरदार पटेल की छाया की पूजा करना आवश्यक था तब उनको सावरकर आदि क्यों याद नहीं आते? अभी 13-6-2003 को श्री मनमोहन सिंह के साथ न्युयार्क, अमरीका में ऐसा ही हुआ था तथा उनको सरदार पटेल जी के फोटो का आवरण बिना किसी कार्यक्रम के करना पड़ा। ऐसा ही गुजरात आदि राज्यों में होता है। अतः बीजेपी तथा कांग्रेस को चुनाव में हरा कर ही देश में पटेल जी के साथ उपरोक्त अन्याय खत्म किया जा सकता है। अब वह दिन भी दूर नहीं है जिस दिन देश की अधिकतर समाधियों, मूर्तियों तथा स्मारकों की जड़े स्वयं उखड़ जायेगी और उनकी जगह जनता द्वारा मूर्ति के रूप में सरदार पटेल जी जैसे आ जायेंगे। बस इस समय देश में एक ही खतरा है, कहीं इस उल्ट-फेर में यह सामाजिक क्रांति गृह-युद्ध का रूप न ले ले। तब जिसकी पूरी जिम्मेदारी वर्तमान प्रधानमंत्री पर ही होगी। आज संसार में सरदार पटेल, सरदार पटेल गूँज रहा है पर वाजपेयी-आडवानी जी की तरह प्रो. मनमोहन सिंह जी केन्द्रीय सत्ता के नशे में इतने बेहोश थे कि उनको इस गूँज की आवाज धीरे-धीरे सुनाई तो देती थी परन्तु उपरोक्त कलंक को मिटाने में उन्हें भी मनुवादी हार दिखाई देती है। अतः यह भी सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की तरह कलंक के समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। पर कलंक का अंत अगले चुनावों से शुरू होने जा रहा है। अतः जो इसको मिटाने की पहल करेगा वही देश पर राज करेगा तथा महान राष्ट्रवादी कहलाएगा आदि।

'यश, वैभव, सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे।
यदि इच्छा है- यह है जग में, स्वेच्छाचार, दमन न रहे'।।

-विजय सिंह पथिक

नोट- मैं श्री विपुल खंडेलवाल पौत्र स्व. बनवारी लाल का अहंकार तोड़ने के लिए जो 1, औरंगजेब रोड, नई देहली का अपने को मालिक बताता है तथा वाजपेई जी की पूर्व केन्द्रीय सरकार से 100 करोड़ रूपया इस कोठी को सरदार पटेल जी के स्मारक में बदलने के लिए लेना चाहता था। सभी से अपील करता हूँ कि वे इस कलंक को तुरंत मिटवायें। जबकि तत्कालीन प्रधान मंत्री नेहरू जी ने 1963 में बनवारी लाल को 1, औरंगजेब रोड, नई देहली का स्वयं मालिक बनवाया था क्योंकि उनके लिए पटेल जी का स्मारक बनाना अपनी राज्य सत्ता छीनने का संकेत था। पूरे राष्ट्र, देश भक्तों आदि के लिए क्या आजादी के 74 वर्ष बाद यह शर्म की बात नहीं है? 'यदि हां' तो यह कलंक शीघ्र मिटना चाहिए। क्या प्रो. सिंह का इतना कहना ही काफी है कि प्रधान मंत्री के 14 मई 1857 को जफर साहब ने लाल किले पर पहली स्वतंत्र रूपी लोकतंत्र सरकार का झंडा फहराया था? नहीं उनको "जीत गढ़" स्मारक पर गांधी की समाधि की तरह फूलों की जगह जाकर वहां पर जूते भी ब्रिगेडियर जनरल निकोसन के धातु लगे पत्थर पर मार कर उसको 1857 के कत्ले आम की भर्तसना हिन्दू राव बाड़ा, देहली-110054 में करनी चाहिए थी तथा अपना "जीतगढ़" 1857 इंडिया गेट पर बनाना चाहिए।

धन्यवाद

'जय भीम, जय पटेल, जय भारत'

आपका शुभ चिन्तक
-डॉ. गुज्जार बौद्ध (पी.एस.वर्मा 'दलित')
'विछड़ा-दलित समाज'
वी-2/40 सफदरजंग इन्कलेव,
नई दिल्ली-110029

सेवा में,

आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी,
केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्री एव
समाज कल्याण राज्यमंत्री,
साथी नागमणि जी (अति आवश्यक)

महोदय,

विषय-विमुक्त जनजातियों के लिए गठित आयोग के बाबरे में कुछ तथ्य।

देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी ने 15 अगस्त 2003 को लाल किले के प्राचीर से 57वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में विमुक्त जनजातियों के लिए एक नया आयोग गठित करने के बारे में जो घोषणा की थी उसकी स्वीकृति 12 सितम्बर 2003 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग में दे दी गई, अतः अब निश्चित हो गया है कि विमुक्त जन जातियों के लिए एक नये आयोग का गठन किया जा रहा है जिसकी पुष्टि श्री जटिया (केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्री) जी ने अपनी प्रेस कान्फ्रेंस में 17-09-2003 को भी कर दी थी।

हम उपरोक्त आयोग के गठन के समय कुछ बहुत विशेष बातें समाज कल्याण मंत्रालय की निगाहों में लाना चाहते है जो निम्न हैं :-

(1) सपूतों के सपूत लौह पुरूष सरदार पटेल जी ने गृहमंत्री होते हुए सुव्यवस्थित राज्य की कल्पना करते हुए 1949 में इन विमुक्त जनजातियों हेतु जिनके करोड़ों बाप-दादा देशकी आजादी के लिए अनेकों लड़ाईयां (1822, 1826, 1857, 1858 आदि) अंग्रेजों से लड़े तथा उनमें हर प्रकार की कुर्बानियां दी जिससे लाखों को देश निकाले, लाखों को जेलों में बंद करना एवं सभी की 'जरजोरू' की लूट, लाखो को फांसियां देना आदि थी, एक समिति ए. अयग्गर की अध्यक्षता में गठित की, जिसको आयग्गर कमेटी 1949-50 के नाम से जाना जाता है, इसके अन्य सदस्य ए.वी. ठक्कर (बाबा ठक्कर गुजरात) सांसद, के. चलिहा सांसद, वी.एस. तिवारी विधायक (उ. प्र), सरदार गुरूचरण सिंह विधायक (पंजाब) अवकाश प्राप्त मजिस्ट्रेट जे.के. विश्वास (कलकत्ता) थे। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरदार पटेल जी की मौत (15.12.1950) के बाद दी, पर आज तक उनपर कोई अमल नहीं किया गया। इसी प्रकार यू.एन. ढेबर जनजाति आयोग (1960) की सिफारिशों में विमुक्त जनजातियों हेतु सिफारिशें की गई थी, उन पर भी कोई अमल आज तक नहीं हुआ है।

(2) 1965 में केन्द्रीय सरकार ने दलितों हेतु 'बी.एन. लोकूर आयोग' का गठन किया था जबकि इस आयोग को केवल दलितों के लिए सिफारिशें करने के लिए कहा गया था पर इसने विमुक्त जातियों के लिए उनका देश की आजादी में 'हिमालयन बलिदान एवं कुर्बानी' देखते हुए सिफारिशें की, परन्तु उनको भी आज तक लागू नहीं किया गया है।

(3) केन्द्रीय मानवाधिकार आयोग ने विमुक्त जनजातियों हेतु 1998 में महादेवी सविता की अध्यक्षता में एक 'समिति' का गठन किया, उसने भी अपनी सिफारिशें दे दी हैं पर वे भी आज तक धूल चाट रही हैं। सच्चाई यह है कि :

(i) अंग्रेजों ने देशकी आजादी की आंधी को रोकने के लिए तथा 1857 की कुर्बानियों को देखकर जो आज की विमुक्त जनजातियों के बाप-दादाओं ने अपने लाखों सपूतों को 'बलि' पर चढ़ा कर दी थी कठिन से कठिन दंड देने के कानून 1860 से बनाने शुरू किये जिन्हें 'क्रिमनलट्राईब एक्ट' 1871, 1896, 1901-2, 1903, 1905, 1907, 1909, 1911, 1913, 1919, 1924 कहते हैं, जो आज की विमुक्त जनजातियों के करोड़ों-करोड़ों बाप दादाओ पर लगाये गए थे, जिनसे विमुक्त जनजातियां वाले न केवल शिक्षा, सभ्य जीवन आदि से दूर हो गये बल्कि शिकारी जानवर जैसे जंगली जानवर अंग्रेजों की निगाहों में बन गये, क्योंकि इनके पैदा होने वाले बच्चे पैदा होते ही अपराधी घोषित कर दिये जाते थे आदि-आदि। इन्हीं कारणों से आज का पिछड़ा-दलित वर्ग (85%) सामाजिक तौर पर पिछड़ गया तथा बाकि 15% अंग्रेजों के सहयोगी उच्च वर्ग वाले बन गये।

सरदार पटेल एवं डॉ. आंम्बेडकर ने इस 85% की लड़ाई (सामाजिक) लड़ी पर वे शीघ्र ही आजादी के बाद बिछुड़ गये। 1950 तक इन विमुक्त जनजातियों में दो वर्ग थे एक को आज दलित कहते हैं जो 1950 तक 'अछूत वर्ग' कहलाता था दूसरा विमुक्त जनजाति बनाम पिछड़ा वर्ग जो 'छूत वर्ग है' यह विमुक्त जनजातियां आज दलित, पिछड़ा तथा अन्य वर्ग में रखी गई है पर जो अंग्रेजों से 100 वर्ष से अधिक लड़े हो क्या उनकी संताने इस वर्ग में रहकर कुछ प्राप्त कर सकते है? कभी नहीं।

(ii) 1924 में उपरोक्त 'अपराधी जनजाति एक्ट' (कानून) आज के महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, बंबई, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आन्ध्रा, पांडिचेर आदि राज्यों में अधिकतर 'आदतन कानून' में सरदार पटेल तथा अन्यों के परिश्रम से बदल दिये गये थे। अतः वहां के एक्स क्रिमनल ट्राईब, नोमिडिक ट्राईब तथा डिनोटेफाइड ट्राईब (विमुक्त जनजातियां) को बहुत बड़ी राहत अंग्रेजों के शोषणों से मिल गई थी।

(iii) उत्तर भारत (उत्तर प्रदेश), बिहार, देहली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम, आदि) राज्यों में उपरोक्त 'अपराधी जनजाति कानून' 31 अगस्त 1952 को 'आदतन कानून' 34 में बदले गये यानि आजादी (15 अगस्त 1947) के 5 वर्ष 15 दिन बाद, तब तक यह उत्तरी भारत के करोड़ों-2 विमुक्त जनजाति वाले आजाद देश में, भी अंग्रेजों के कैदी थे तथा इसी कारण सूरज की रोशनी भी दिन में देख नहीं सकते थे।

(iv) आज का उत्तर प्रदेश 1947 तक 'यूनाडटिड

प्रोविंस' अवध एवं आगरा कहलाता था, जिसमें आज का उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अम्बाला, कुरूक्षेत्र, पानीपत, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद तथा राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, अलवर आदि जिलों का बहुत बड़ा भाग आता था पूरे देश की 50% विमुक्त जनजातियां तथा देश की कुल विमुक्त जनजाति संख्या का 50% उत्तर प्रदेश में आता था। उत्तर प्रदेश में ही 1857 में जौनपुर, लखनऊ, कानपुर, कालपी, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, देवबंद, मेरठ, दादरी, बुलन्दशहर, शेरगढ़, गंगोह आदि म्यूटिनियां अम्बाला, गुड़गांव, रिवाड़ी, धौलपुर, आदि के साथ हुई जिसमें देहली की तीस हजारी, अहियानगर, शाहदरा की म्युटिनियां भी बहुत भयानक थी जिनमें विमुक्त जनजातियों के लाखों वाप-दादा मारे गये।

आज उपरोक्त कारणों के कारण छूत (छूने वाली) विमुक्त जनजातियों का प्रतिशत नौकरशाहों, जजों, सांसदों, विधायकों, शिक्षा, डॉक्टरों, इंजीनियरों, पढ़ने-पढ़ाने वालों व्यापार आदि में नहीं के बराबर है जबकि इस वर्ग को मान-सम्मान के साथ करोड़ों भारत रत्न अब तक मिल जाने चाहिए थे। जरा मंत्रियों जी इस ओर कुछ अवश्य सोचा जाए क्योंकि आज की विमुक्त जनजाति किसी की दया या भीख पर जिंदा नहीं है। वे केवल अपने संविधान हक मांग रही हैं जो अन्य द्वारा सत्ता का दूरउपयोग करके हड़पे हुए है।

उपरोक्त सभी 'अपराधी जनजाति कानून' केन्द्र के थे तथा आजादी के बाद महा-महिम राष्ट्रपति जी के पास इस वर्ग के उत्थान हेतु संवैधानिक जिम्मेदारी है पर अभी तक कुछ नहीं मिला है यहां तक सम्मान भी नहीं। अतः हम चाहते हैं कि इस छूने वाले विमुक्त जनजाति वर्ग के आयोग में निम्न बातें होनी चाहिए :

(1) विमुक्त जनजाति वर्ग का चेयरमैन, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के आयोगों के चेयरमैंनों की तरह विमुक्त जाति वर्ग का ही होना चाहिए।

(2) चेयरमैन उत्तर भारत की विमुक्त जनजाति वर्ग से होना चाहिए क्योंकि उत्तर भारत में 'अपराधी जनजाति कानून' 31 अगस्त 1952 को 'आदतन कानून' में बदला गया।

(3) चेयरमैन उत्तर प्रदेश से होना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में देशकी विमुक्त जनजातियों की कुल जनसंख्या का 50% भाग आज भी रहता है तथा इस प्रदेश के लाखों को म्युटनियों में फांसियां दी गई आदि-आदि।

(4) उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के साथ अन्य राज्यों से एक-एक सदस्य होना चाहिए।

(5) इस आयोग का संविधानिक दर्जा होना चाहिए क्योंकि यह 'अपराधी कानून' से संबंध रखता है। ऐसा होना बहुत आवश्यक है।

(6) इस आयोग का दर्जा केन्द्रीय मंत्री का होना चाहिए क्योंकि संविधान समीक्षा 'आयोग' के बाद यह आखरी आयोग होगा जिसका संबंध देश की कुल जनसंख्या के 35% संख्या से होगा, जिसमें हिन्दु, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान, सिख आदि सभी धर्मों वाले आते हैं। साथ-साथ यह देश के कोने में रहते हैं।

आशा है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए 'विमुक्त जनजाति' आयोग का गठन किया जाएगा।

धन्यवाद,

दिनांक-22/9/2003

आपके शुभचिन्तक,

डॉ. गुज्जार बौद्ध (पी.एस.वर्मा 'दलित')

बी-2/40 सफदरजंग इन्कलेव, नई दिल्ली

नोटः- सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के 'केस मंडल रपट' लागू होने के अपने फैसले में 30 नवम्बर 1992 को माना है जो जजमैंट टूडे 1992 भाग (6) नवम्बर 9, पृष्ठ 281 पर छपा है कि जो कौमें अंग्रेजों से लड़ी व सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ गईं

पदमसिंह वर्मा बौद्ध

सारांशः-देश की आजादी की लड़ाई बारहवीं सदी में गुलाम होते ही शुरू हो गई थी पर साथ-2 देश के ही उन लम्पटो, गद्दारों, स्वार्थियो, खुदगर्जों, देशद्रोहियों आदि की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी जो 13वीं सदी तक एक वर्ग का रूप ले गई थी जिसे आज उच्च वर्ग कहत हैं। पर जिसकी संख्या कभी भी कुल संख्या का 15% नहीं हो पाई, बाकी 85% वाले शोषित पीड़ित वर्ग वाले कहलाये, इन दोनों वर्गों में सभी धर्म वाले थे पर जिस धर्म वालों का राज रहा उनकी संख्या उच्च वर्ग में बढ़ गई, जैसे मुसलमानों के समय में मुसलमानों की तथा ईसाई के समय में ईसाइयों की, ठीक उसी प्रकार आजादी के बाद उच्च वर्ग के हिन्दुओं की। सबसे बड़ी दुख की बात तो सरदार पटेल की मौत (15 दिसम्बर 1950) के बाद नेहरू, नेहरू परिवार यहां तक दूसरों के समय भी उन सैकड़ों आजादी के आन्दोलनों, लड़ाइयों आदि में करोड़ों द्वारा दी गई कुर्बानियों को न केवल ताक में रख दिया बल्कि उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश लगातार चलती आ रही है। न तो उपरोक्त लड़ाईयों में भाग लेने वाले करोड़ों का भारत के इतिहास में अभी तक कहीं नाम आने दिया है और न ही जो थोड़ा वहुत समय-समय पर कुछ राष्ट्रवादियों द्वारा लिखा गया आदि उसको क्रमबद्ध से जारी रखा गया। इसके कुछ निम्न उदाहरण हैं :-

(1) सर्वखाप ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 13वीं सदी में तैमूर को सेनापति जोगराजसिंह पंवार एवं झज्जरसिंह चौहान के नेतृत्व में हराकर वापस लौटा दिया।

(2) गोखला तथा सतगामियों (सतनामी) के नेतृत्व में 17वीं सदी में औरंगजेब के जुल्मों के खिलाफ आज के अलवर (राजस्थान) तथा हरियाणा के रिवाड़ी इलाके में लड़ाई लड़ी गई जिनके वंशज बाद में सतनामी कहलायें।

(3) 16-17 वीं सदी के गुरू गोविन्द सिंह तथा सिख धर्म।

(4) मध्य प्रदेश का गौड आन्दोलन (17-18 वीं सदी)।

(5) आसाम का 1804 किसान आन्दोलन।

(6) 1807 में नेपाल और अंग्रेजों की लाढ़ोरा (हरिद्वार, उत्तरांचल) महाराजा के हाथों टिहरी गढ़वाल युद्ध में हार।

(7) कुंजाबहादुर (हरिद्वार, उत्तरांचल) की 1820-22 की अंग्रेजो से लड़ाई।

(8) 1826 में कनखल उत्तरांचल की अंग्रेजों से लड़ाई।

(9) 1820 में बंगाल की सैथंल आदिवासियों की अंग्रेजों से लड़ाई।

(10) 1825-1831 भील आन्दोलन (मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र)।

(11) 1829 का खांसी (आसाम) आन्दोलन।

(12) 1827-31 का 'हो' एवं मुंडा आन्दोलन।

(13) 1832-33 का भूमि जो आदिवासी आन्दोलन

(14) 1825-39 काकोली (गुजरात) आन्दोलन

(15) 1831-32 छोटा नागपुर (झारखंड) आन्दोलन।

(16) पलामू काचेरी एवं खरवार आन्दोलन।

(17) आज के उत्तर प्रदेश के जिले फतेहपुर में गंगाबक्शसिंह पासी (देवास्थान) ने 1838 में अंग्रेजों के खिलाफ देशकी आजादी हेतु लड़ाई।

(18) इसी प्रकार अलीगढ़ में उपइया दलित ने 1807 में अंग्रेजों के विरूद्ध आन्दोलन किया।

नोटः- खुसख गुज्जार (गुजरात) ने 13 अप्रैल 1320 को मुस्लिम शासकों के खिलाफ विद्रोह करके देहली की गद्दी पर कब्जा कर लिया तथा 5 सितम्बर 1320 को गाजी मलिक से लड़ता हुआ मारा गया, यह लड़ाई देहली के अलीपुर रोड़ पर हुई।

(19) 16वीं सदी के अंत में गुरूगोविन्द सिंह जी ने सिख पंथ की स्थापना करके 1707 तक मुगलों के आखरी बादशाहों से अनेकों लड़ाईयां लड़ी।

(20) 1855 को दोबारा संथाल में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई भड़क गई।

(21) 1857 की देश की आजादी की लड़ाई संसार की सबसे बड़ी लड़ाई थी जिसमें करोड़ों को फांसियां, देश-निकाले, जेलों में वंद आदि किया गया जो पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी कच्छ से कलकत्ता तक लड़ी गई, जिसको अंग्रेजों ने म्यूटनी का नाम दिया।

(22) देववंद (सहारनपुर, उत्तर प्रदेश) में 1862 में दारूल-उलूम विश्व विद्यालय अंग्रेजों के खिलाफ खुला।

(23) 1871-72 पंजाब कुका आन्दोलन।

(24) 1907-34 तक क्रांतिवादी आन्दोलन

(25) श्याम जी कृष्णा वर्मा का 1905 में (लंदन) में 1857 आन्दोलन।

(26) 1913 अमरीका का गदर आन्दोलन।

(27) बारदोली (गुजरात), बिजोलिया (राजस्थान), चम्पारन (बिहार), ररगदेवा (सहारनपुर, उत्तर प्रदेश) आदि के किसान आंदोलन।

(28) कश्मीर का रोटी आन्दोलन।

(29) 11 अप्रैल 1919 जलियाना वाला बाग (अमृतसर पंजाब) की खूनी होली।

(30) रम्पा (आन्ध्रा, गोदावरी, विशखापट्टनम) आन्दोलन।

(31) गांधी जी की 100वीं वर्ष गांठ पर तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री (सिद्धार्थ शंकरराय) तथा राज्य मंत्री प्रोफेसर एस. नुरूलहसैन ने अंग्रेजों में तीन भाग 1969-73 तक कौन देश की आजादी की लड़ाईयों में कुर्बान हुए छपवाए जिनमें एक तीसरा भाग 1857 के बलिदानियों का था पर शीघ्र ही 1952 में केन्द्रीय सरकार ने विमुक्त जनजाति रपट (ए. आंयग्गर कमेटी 1949-50) की तरह सरजान काय की किताव 1857 (1-6) सर सैयद अहमद खान की किताब 1858, मार्क्स-इंजिल की किताब 1857-58 भारत में अंग्रेजों का राज, सुन्दर लाल, 1857, अशोक मेहता इन किताबों को गायव कर दिया। जिससे वे करोड़ों-करोड़ों विमुक्त जनजाति वाले न जान सकें कि उनके वाप-दादाओं ने कितना वड़ा

बलिदान दिया है। इसी प्रकार 'सरदार पटेल तथा देश की समस्या' किताब जो केन्द्रीय सरकार ने 1950-51 में छापी थी, 1952 में गायब कर दी गई।

(32) (i) सरदार पटेल जी ने 1950 में विमुक्ति जनजाति तथा जनजाति को एक ही श्रेणी में रखकर इनको आरक्षण आदि दिया पर उनकी मृत्यु के बाद किसी ने पहले तो विमुक्त जनजाति से "जन" शब्द निकाला तथा इन्हें केवल विमुक्त जाति कहा?

(ii) आगे चलकर विमुक्ति जनजाति तथा जनजाति को अलग करके पटेल जी की इच्छा को विमुक्त जन जाति हेतु नष्ट कर दिया, क्यों?

क्या उपरोक्त कार्य देश की शक्ति, मनोबल आदि को बर्बाद नहीं करते हैं यदि हां तो संगठित होकर उपरोक्त प्रयासों को न केवल मिटाना है बल्कि कुल संख्या के 85% वालों को, जिनके करोड़ों-करोड़ों बाप दादाओं ने देश की आजादी हेतु अपना सब कुछ लुटा दिया। यहां तक 'जर-जोरू-जमीन' भी, उनके इतिहास को जहां फिर से देश को देना है वहीं केन्द्रिय सत्ता पर कब्जा भी बक्से द्वारा डाली वोटों से करना है। अन्यथा लाखों की अस्थियां जो विदेशों में रखी हुई है कैसे देश में आयेंगी? अतः हमारा नारा है:

'भौगोलिक बंधन तोड़ो ऐतिहासिक संबंध जोड़ो।
जाति बंधन तोड़ों सामाजिक बंधन जोड़ो।'

धन्यवाद,

नोटः- उत्तर प्रदेश के विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो 1947 तक यूनाईटिड प्रोविंस अवध एवं आगरा के नाम से जाना जाता था उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अम्बाला, कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुडगांव, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद आदि जिले, राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ब्याना आदि जिले, मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर दतिया आदि जिले तथा देहली जहां 1992 से विमुक्ति जनजाति का प्रमाण पत्र (वैसे यह भी बहुत बड़ा अपराध है कि कैसे विमुक्ति जनजाति का नाम विमुक्त जाति में बदल कर 'जन' को मिटा दिया गया) अलग से न मिलने पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा विमुक्ति जनजाति के छात्रों को करोड़ों-करोड़ों रूपयों के रूप में दी जाने वाली छात्र वृतियां एवं हजारों नौकरियां राज्य के नौकरशाह स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ मिल कर 1993 से खा रहे हैं जिससे संबंधित केस इलाहाबाद उच्चन्यायालय में चल रहा है वहीं देश-विदेश में यह प्रमाण पत्र न मिलने के कारण उत्तर भारत के विमुक्ति जनजाति वाले विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश वालों को हजारों नौकरियों, छात्रवृतियों, दाखलों आदि से वंचित होना पड़ रहा है। अगले पृष्ठ पर इस प्रमाण पत्र का नमूना है जिसको सरदार पटेल जी ने 1919 में बनवाकर विमुक्त (विमुक्ति) जनजाति वालों को भी देश भर में आरक्षण आदि दिया पर उनकी मृत्यु (15-12-1950) के बाद उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश में यह खत्म कर दिया गया आदि-आदि।

कार्यालय तहसीलदार सदर वाराणसी

संख्या

प्रमाण पत्र

विमुक्ति जनजाति (DENOTIFIED TRIBLE)

पर्यवेक्षक कानूनगो क्षेत्र.....को आख्या दिनांक.....के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... पुत्र..... निवासी.....परगना..... तहसील व जिला वाराणसी के स्थायी निवासी हैं तथा जाति के.....हैं।

यह जाति शासनादेश संख्या 899 (ए) 26-700 (5) दिनांक 12 मई 1961 के अन्तर्गत विशेष सुविधा पाने के हकदार हैं। श्री.....और उनका परिवार राज्य उत्तर प्रदेश के ग्राम.....जिला वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में साधारणतया रहता है।

स्थान.....

दिनांक.....

तहसीलदार सदर
वाराणसी

आजाद भारत वर्ष की प्रथम प्रजातंत्रीय राष्ट्रीय केन्द्रीय सरकार

(14 मई 1857 से 24 सितम्बर 1857) वादशाह (वहादुर शाह जफर), **प्रधानमंत्री** राव कूड़े सिंह गुज्जार, **मंत्री**- नवाव अब्दुल रहमान खान झज्जर, कोतवाल मेरठ -धन सिंह गुज्जार, नवाब अहमद अली खान फारुख नगर नबाब अफसर यार खान, **सहारनपुर-** राजा राव उमराव सिहं गुज्जार, राजा फतुआ गुज्जार, जालम सिंह राजपूत अली मोहम्मद गुज्जार, **मुज्जफरनगर-** अजब सिंह बाल्मीकि, काजी इलायत खान, शेरसिंह राजपूत, मोकम सिंह त्यागी, आशा देवी गुज्जार, महावीरी बाल्मीकी, हबीबा वेगम गुज्जार, श्योराजसिह गुज्जार, **मेरठ-** राजा हरवंश सिंह गुज्जार, राजा राम दयाल सिंह गुज्जार **बुलंदशहर-** नवाव वलीदादखान, सेनापति राव विशन सिंह गुज्जार, राव इन्द्र सिंह गुज्जार, राव महबूब सिंह गुज्जार **बिजनौर-** नवाव महबूद खान अलीगढ.-मेहताब सिंह, **मुरादाबाद-** मौलबी अब्दुल जलील, राजा दुलात सिंह गुज्जार, राजा राव कदम सिंह गुज्जार **मथुरा**- राजा देवीसिंह गुज्जार, देवीसिंह मल्लाह, आगरा -डॉ. वजीरखान एटा-राजा नारायण सिंह **कानपुर-** सूबेदार राधे सिंह, राव साहेब मराठा, झांसी -कामाडोर खुदाबक्श, मोती बाई गुज्जार, बीरा पासी, झलकारी बाई कोरी **बरेली-** सेनापति बखतखान धौलपुर -सेनापति देवहंस गुज्जार **मध्य प्रदेश-** सदाशिव मेव, रानी अबंती बाई लोध, राधे गोविंद सिंह, राजा बखतबली सिंह, **गुडगाँव**-राजा राव तुलाराम सिंह गुज्जार (रिवाड़ी), राजा नहार सिंह (बल्लभगढ़ फरीदाबाद) राव शहमत खान मेव, चौ. हिम्मत सिंह गुज्जार, **देहली** -हुकुमी देवी गुज्जार, चौ, देव नारायण सिंह गुज्जार, मोलवी मोहम्मदबाकर, राव दरगाही सिंह गुज्जार, अभीलाख सिंह धोवी, मौ. प्रहमदुल्लाह शाह, रामचरण दास, टिलेदार खान, भोलानाथ, हट्टे सिंह, नवाब असद अली खान, राजा बखतली, जनरल बखत खान, राव वखताबर सिंह सादरत खान, नवीब खैराती खान, राव कृष्ण मोपाल, नवाब अरसद अली खान, जमीना बेगम, नवाब मोहम्मद, हसन खान, मोहम्मद अब्दुल हक हकीम आदि।

'डी.टी. ने किया एलान, लिखेगें फिर से स्वयं इंडिया गेट देहली पर अपना नाम'

हमें देश व्यापी शांति से छपा प्रमाण पत्र चाहिए।

नही तो फिर से 1857 होने जा रहा है तब हमें राज चाहिए।।

डॉ. गुज्जार बौद्ध

आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी (प्रधानमंत्री) से खुली गुहार

आपने 4-6 जनवरी 2004 को पाकिस्तान में सार्क की गोष्ठी के समय, 1857 की आजादी की लड़ाई की 2007 में 150वीं वर्षगांठ बंगलादेश एवं पाकिस्तान के साथ मिलकर मानाने की जो बात सुझाई थी उससे अवश्य उन करोड़ों-करोड़ों बलिदानियों की आज की करोड़ों-करोडों संतानों (विमुक्त जनजाति वाले) को कुछ खुशी मिली, जिन्होंने अंग्रेजों से देश की आजादी हेतु अपना सब कुछ लुटा कर गोलियाँ खाई, देश निकाले सहन किये फांसियाँ खाई, जर-जोरू-जमीन लुटवाई, क्रिमनल ट्राईब एक्ट (1871-1924)1952 तक सहन किये आदि-2, पर कभी भी भारत मां के माथे पर माफी मांग कर कलेक नहीं लगने दिया, पर 1857 की लडाई के 150 वर्ष तो 9-10 मई 2007 को पूरे होगें। कहीं प्रधानमंत्री जी आप 2004 से उसकी तैयारी तो शुरू नहीं करने जा रहे है? यदि हाँ तो तब भारत का 2004 का इतिहास आप तथा आप की सरकार के नाम होगा। अन्यथा यह केवल 2004 का आपका देश के लिए षडयंत्र ही कहलायेगा।

1857 की लड़ाई तो करोड़ों-करोड़ों आजादी के दीवानों ने अपना सब कुछ लुटा कर अंग्रेजों से लड़ी। कुछ राजा-रानियों के साथ 1858 में भी हजारों आजादी के दीवानों ने लड़ाई लड़ी। पर इस समय अधिकतर राजा-रानियों के लिए दूसरा कोई चारा भी नहीं रहा था, काश वह भी 1857 में उपरोक्तों का साथ दे देते, तो देश 90 वर्ष पूर्व पहले ही आजाद हो जाता, क्योंकि 1857 में तो देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को अंग्रेजों के साथ भारत के बादशाहों, राजाओं जागीरदारों, शाहूकारों, देश-विदेश में अग्रेजों के वफादारों आदि के खिलाफ भी लड़ना पड़ा तथा यह क्रम 1860 (धौलपुर, सेनापति देवहंस गुज्जार के साथ) की संधि के बाद भी 31 अगस्त 1952 तक चलता रहा। वैसे 1857 से पहले भी 1822-26 (सहारनपुर) आदि लड़ाईयाँ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई।

अतः प्रधानमंत्री जी आप कम से कम इंडिया गेट, नई देहली पर अभी से पुश्कर (राजस्थान) की तरह जहाँ ब्रह्मा जी की पत्नियों (गायत्री गुज्जारी तथा सावित्री) के मन्दिर एक ही पहाड़ पर आमने-सामने हैं। 1857 के बलिदानियों तथा गंगाधर नेहरू (जो 1857 में देहली के अंग्रेजी शहर कोतवाल थे) के स्मारक आमने-सामने बनवाना शुरू करके अपना नाम संसार के इतिहास में लिख सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। वैसे महामहिम उप-राष्ट्रपति आदरणीय भैरो सिंह शेखावत जी ने देहली में 17.1.2004 को लोकनायक जे.पी. पुस्तकालय की नीव रखने के समय 1857 की यादगार बनाने की शुरूआत कर दी है।

धन्यवाद।

डॉ. गुज्जार बौद्ध (पी.एस.वर्मा दलित)

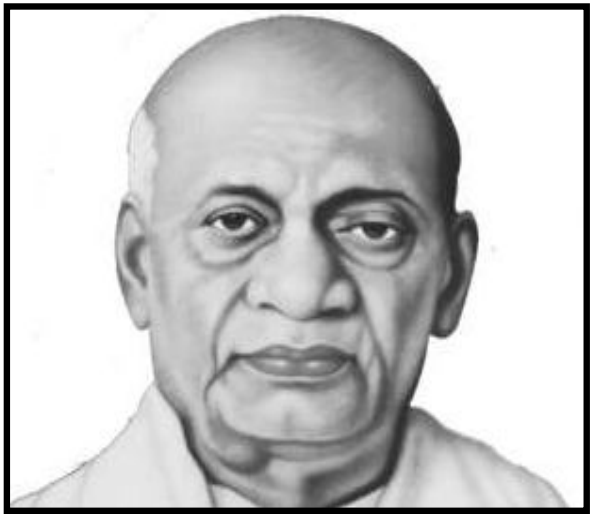

सरदार पटेल जी

सरदार पटेल जी के कुछ खास शब्दों का सारांश

यदि मानव सच्चाई तथा अहिंसा के मार्ग पर चलता है तो वह भय रहित होता है जिससे उसमें राष्ट्रभावना, त्याग आदि घर कर जाते हैं तब वह कठिन से कठिन कार्य भी शीघ्रकर दूसरों का मार्ग दर्शन करता है। मानव खाली हाथ आता है तथा मरने पर बांस तथा रस्सी का सहारा लेकर वापिस चला जाता है।

सच्चे मानव में स्वयं का आत्मबल इतना होता है कि वह बिना किसी भय के ताड़, खजूर आदि के लम्बे से लम्बे पेड़ों की चोटी पर बिना किसी सहारे के चढ़ जाता है। क्या ऐसा कोई धनवान जिसने सच्चाई का रास्ता छोड़कर हिसंक ढंगों से वहुत धन अर्जित किया है ऐसा कर सकता है? कदाचित नहीं। इसी प्रकार सच्चा मानव सूखी रोटी को भी पचा लेता है पर धनवान दूध-मलाई भी खाकर इन्हें पचाने हेतु अपने पेट की मालिश कराता है।

सच्चे मानव की मौत जीवन में एक वार आती है तथा वह राष्ट्रीय कष्टों को झेलता हुआ हंसते-हंसते उसका स्वागत करता है पर धनवान मौत के भय से हर वक्त भयभीत रहता है तथा उसको उसके धन की चिन्ता उसे उसके धन के साथ चिता में खींच ले जाती है। यदि मौत के बाद संसार में मानव की कोई वस्तु वची रहती है तो वह है उसका आदर्श, सच्चाई, त्याग, कार्य आदि न कि धन तथा सुख जो उसने इकट्ठा किया तथा भोगा।

सहयोगः- कुछ भी धन तथा जन

सेवा मे,

आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी
प्रधान मंत्री भारत सरकार,
साउथ ब्लॉक नई दिल्ली-110001
सादर नमस्कार

महोदय,

विषय : आपकी सरकार ने राजपथ विजय चौक से इंडिया गेट तक एतिहासिक बदलाव के लिए जो टेंडर मंगाए है, हम तथा हमारी अल हिन्द पार्टी करोड़ों भारतीयों के साथ उसका स्वागत करते हैं तथा आपने जो सुझाव मांगे हैं, वो इस प्रकार हैं -

1. विजय चौक पर ANDRE WINK (अमेरिका) द्वारा लिखित AL HIND तीन खंडो वाली किताबों में से 11 वीं शताब्दी तक लिखे पहले खंड की किताव के अनुसार नक्सा (भारत - पाकिस्तान - अफगानिस्तान - ईरान - इराक -तुर्की से फिलीपींस तक आदि का नक्सा) स्थापित करवाना।

2. विजय चौक नई दिल्ली पर सरदार पटेल जी की मूर्ति की स्थापना करने हेतु जो आजादी के बाद पहले मंत्री मण्डल ने 25-26-27 जनवरी 1951 को प्रस्ताव पास करके सरदार पटेल न्यास कमेटी गठित की, जिसके संयोजक स्वयं प्रधान मंत्री नेहरू थे, करोड़ों-करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया पर आज तक (2021) न तो सरदार पटेल जी की मूर्ति स्थापित की गई और न ही ये बताया गया कि इकट्ठा किया गया पैसा कहाँ गया? (कर्नल zaidi enpsycholopedia of congress) Illustrated Weekly 23-29 Nov. 1988

3. राजपथ का नाम 568 रियासतों और सैकड़ो जागीरों का विलय करके अखंड भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार पटेल जी के नाम पर (ये मार्ग विजय चौक से इंडिया गेट नई दिल्ली तक) रखना।

4. लखनऊ के दसहरी आम, महाराष्ट्र के अलफौमी आम, इलाहाबाद के अमरूद, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के सेव, जामुन, बेर, बेल, लीची, लोकाट आदि के पेड़ दोनों तरफ लगवाना।

5. 1857 (11 मई 1857) के युद्ध मंत्री मण्डल के कुछ विशेष नाम (बहादुर शाह जफर द्वितीय, प्रधान मंत्री, कार्य वाहक प्रधान मंत्री राव कूड़े सिंह एवं अन्य मंत्री राव तुलाराम, राव हसन मेव, धन सिंह कोतवाल, देव नारायण चीता, राजा फतुआ गुज्जर, राजा देवी सिंह, सगवा बाल्मीक, आशा देवी गुज्जरी, हबीबा बेगम गुज्जरी, हुकुम चंद जैन, खान बहादुर खान और बीरा पासी मंत्रियों की मूर्तियों सहित नाम इतिहास अंकित करवाना।

6. 1857 के हीरो (काला पानी) के नाम और उनके इतिहास सहित उनके नाम का स्मारक बनवाना आदि।

7. जोधपुर भवन की सरदार पटेल की मीटिंग भारतीय राजा-महाराजाओं और नवाबों के साथ (1948 जोधपुर भवन इंडिया गेट नई दिल्ली)

8. सरदार पटेल और कश्मीर का भारत मे विलय (राजा हरी सिंह-प्रधान मंत्री महाजन और सरदार पटेल) कश्मीर का भारत में विलय का विवरण सहित फोटो लगे।

9. हैदराबाद मे सरदार पटेल जी की पुलिस करवाही (12-13 सितंबर 1948) और हैदराबाद हाउस का नाम बदल कर सरदार पटेल विजय स्थल रखना।

10. डॉ राम मनोहर लोहिया जी द्वारा इंडिया गेट नई दिल्ली पर स्थापित छतरी में जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटवाने की जगह अखंड भारत के दर्पण सरदार पटेल जी की हीरो से जड़ी सोने की मूर्ति स्थापित करना।

नोट- विजय चौक से इंडिया गेट नई दिल्ली के रास्ते पर इन उपरोक्त 10 सुझावों का अमल करवाना तथा अंग्रेजो द्वारा 1857 की जंग के बाद बनाए गए जीत गढ़ बाड़ा हिन्दू राव दिल्ली की काट के लिए 18-19 सितम्बर 1857 की आखिरी दिल्ली की लड़ाई मे देव नारायण चीता, सगवा बाल्मीक, आशा देवी गुज्जरी, हबीबा बेगम गुज्जरी आदि के हाथो मारे गए अंग्रेजों के ब्रिगोडियर जनरल निकोलसन तथा अन्य अफसरों की मौत का विशेष स्मारक इंडिया गेट, नई दिल्ली पर जोड़ा जाए।

सधन्यवाद

शुभ कामनाओ सहित
आपके शुभ चिंतक
गुर्जर डॉ ओमकार नाथ कटियार (गौरव सेनानी)
राष्ट्रीय अध्यक्ष - अल हिन्द पार्टी
बी-2/40 सफदरजंग एन्क्लेव
नई दिल्ली-110029

1 प्रति-सेलुलर जेल (काला पानी) सूची संलग्न

नोट : अल हिंद पार्टी-राष्ट्रीय अध्यक्ष, गुर्जर डॉ. ओमकार नाथ कटियार, उत्तर प्रदेश सुन्नी बोर्ड को अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम काजी अहमदुल्ला शाह-1857 रखने के लिए बधाई करोड़ों के साथ देते हैं।

टाइम्स ऑफ इण्डिया-नई दिल्ली पेज नं. 1, दिनांक 25 जनवरी 2021 तथा मौलवी लियाकत अली (काला पानी) 1857 के हीरो की सूची लगाना।

भारतीय संविधान और सरदार पटेल एवं 1857 के महानतम महा नायक कूडा सिह (कड़े सिंह):-

.....

प्रस्तावना :-

भारत की आजादी की पहली लडाई 1857 से पहले भारत में लगभग 1000 वर्ष गुज्जर राज (जिसमें अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, इराक, चीन आदि आज के देश भारत सहित अलहिंद में थे) बाहरवीं A.D. मे गुलाम हो गया पर आजादी की लडाई बाद में चलती रही तैमूर लंग जैसे खतरनाक लुटेरों का सामना जोगराज सिह पंवार एवं झज्जर सिह चौहान की अगुवाई में 1398 में उत्तरी भारत में किया गया और उसको निराश होकर खाली हाथ अपने देश लौटना पडा । यही हाल नादिर शाह जैसे लुटेरो का हुआ । तुगलको, इब्राहिम लोधी, शेर शाह सूरी तथा बाद में 1526 में मुगलो का बाबर की अगुवाई में भारत मे राज स्थापित हुआ और 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्लासी के युद्ध तक सफलता पूर्वक चला । क्लाइब - डलहौजी ने बंगाल जीतने के बाद उत्तर भारत व दक्षिण भारत की ओर कूच किया देहली मे 1806 में उनका कब्जा हो गया तब अजमेर (राजस्थान) आदि को उन्होने अपनी राजधानी बनाया तथा बाद मे आगरा - अवध संयुक्त प्रांत के नाम से अपना राज उत्तर भारत में स्थापित किया परन्तु भारत के आजादी प्रेमी लगातार अपनी कुर्बानियां देकर अंग्रेजों के दांत खट्टे करते रहें ।

1807 में ईस्ट इंडिया कंपनी व नेपाल ने मिल कर टिहिरी गढवाल पर चढाई की पर लंढौरा रियासत (उत्तराखंड) के राजा राम दयाल सिह एवं प्रधान सेनापति मनोहर सिह ने टिहिरी गढवाल की रक्षा के लिये युद्ध मे कूद पडे तब अंग्रेजो व नेपाल दोनो को लड़ाई में बुरी तरह पराजय का मुह देखना पडा, 1813 में राजा राम दयाल सिह जी की मौत हो गयी तब मौका पाकर अंग्रेजो ने साजिश करके लंढौरा रियासत के टुकडे टुकडे कर दिये तब प्रधान सेनापति मनोहर सिह ने गांव मनोहरा - तीतरो सहारनपुर(बी-2/40 सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली) बसाया और 1818-19 मे डोईवाला -देहरादून (उत्तराखंड) के पास युद्ध लडते लडते शहीद हो गये तब उनके पुत्र हिमाचल सिह "हेमा" (Heroes of 1857 , pre cellular jail deportation क्रमांक 98,पेज नंबर 5, अंडमान दीप समूह काला पानी की सूची) ने देश की आजादी की लडाई जारी रखी तथा उनके एक पुत्र भूरे सिह 1826 में अंग्रेजो से लडते लडते शहीद हो गये तथा दूसरे पुत्र कूडा सिह (Heroes of 1857 pre cellular jail deportation क्रम संख्या 148 पेज नंबर 6, अंडमान द्वीप समूह काला पानी की सूची एवं आखिरी मुग़ल बादशाह- विलियम डी) ने अंग्रेजो से देश की आजादी की लडाई जारी रखी तथा तेल लंगर ब्रिगेड नाम से बिशाल क्रांतिकारी संगठन बना लिया इसी बीच उन्होने कुंजा बहादुर (ज्वालापुर) के राजा बिजय सिह व सेनापति कल्याण सिह का साथ देकर अंग्रेजी सेना को रूडकी के पास 1823-24 में हराया पर 1825-26 मे अंग्रेजो से लडते

हुये राजा व सेनापति दोनो मारे गये इस प्रकार यह आजादी की लडाई चलती रही और 1840-42 तक महाराजा रणजीत सिह(पंजाब) का राज्य भी अंग्रेजों के भेंट चढ गया और बचे खुचे सेनानियों ने कूका के नाम से संगठन बनाया और एक तरफ अपनी लडाई जारी रखी वही दूसरी तरफ कूडे सिह ने अपनी बिशाल तेल लंगर ब्रिगेड, गंगोह के राजा राव फतुआ गुर्जर, मानकपुर (सहारनपुर -उत्तर प्रदेश) के राजा राव उमराव सिह, फतेहपुर बेरी (दिल्ली) के राव नाहर सिह तंवर , दादरी- गाजियाबाद- बुलंदशहर(काला आम) राव बिशन सिह, परीक्षत गढ (मेरठ) राजा राव कदम सिह, शेरगढी तहसील छाता (मथुरा)उत्तर प्रदेश के राजा राव देवी सिह, धौलपुर (राजस्थान) के राजा राव देव हंस ,चंद्रावल (दिल्ली) के राजा राव देव नारायन, रेवाडी(हरियाणा) के राजा राव तुलाराम, ताडू (हरियाणा) के राजा राव हसन मेव एव सहमत मेव ,आदि ने अपने अपने इलाके अंग्रेजो से आजाद कराके स्वयं राज करने लगे तथा तय कि या कि कूडे सिह की अगुवाई में 31 मई 1857 को अंग्रेजी राज दिल्ली पर आक्रमण किया जायेगा इसकी तैयारी चल ही रही थी कि मेरठ (उत्तर प्रदेश) के शहर कोतवाल धन सिह ने बगावत करके, मेरठ की अंग्रेजी छावनी पर कब्जा करके मेरठ की जेल को तोड दिया तथा सैकडो साथियों के साथ दिल्ली की ओर कूंच किया जिसमे मेरठ से दिल्ली आने वाले रास्ते में पड़ने वाले सभी गांव वालों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और 11 मई को दिल्ली पहुच गये यह खबर देहली से सहारनपुर व आगरा तक आग की तरह फैल गयी कूडा सिह ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात लाल किले मे करके उनको बादशाह की उपाधि देकर स्वयं को कार्यवाहक राजा बनाया । उसके बाद 31 मई 1857 हिंडन नदी , 7-8 जून 1857 समय पुर बादली , सब्जी मंडी (दिल्ली), जुलाई 1857 फतेहपुर बेरी, (दिल्ली), अगस्त 1857 बहादुरगढ(हरियाणा), 12 सितंबर 1857 बाडा हिन्दू राव (दिल्ली)आदि स्थानों पर दूसरे संगठनों के साथ (जिनमे तेल लंगर ब्रिगेड की महिला शाखा बिशेष थी जिसमे आशा देवी गुजजरी , हबीबा बेगम गुजजरी एवं महाबीरी बाल्मीकी आदि प्रमुख थी) ने मिलकर अंग्रेजी सेना को तेल लंगर ब्रिगेड ने हराया, 18-19 सितंबर 1857 को धन सिह कोतवाल, चंद्रावल गांव (दिल्ली) के राजा राव देव नारायन एवं राजा राव फतुआ गुज्जर आदि की अगुवाई में किंगसवे कैम्प दिल्ली, माडल टाउन के पास अंग्रेजो से भयानक लडाई हुई जिसमें अंग्रेजी सेना के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल निकोल्सन मारे गये और उनको कश्मीर गेट की सीमेट्री मे दफनाया गया तथा बाकी अंग्रेजों की सेना अंबाला (हरियाणा) की ओर लौट गई । भारतियो ने भी अंग्रेजों के बिरुद्ध लड़कर बहुत बडा बलिदान इन लडाईयों मे दिया ।

कूडे सिह ने तय किया कि बहादुर शाह जफर के परिवार के झगडे (मिर्जा मुगल - चांदनी महल व छोटे मिर्जा जिन्नत महल के पुत्र) को खत्म करने के लिये बहादुर शाह जफर को ही भारतीय सेना का अध्यक्ष बनाना तय दिया पर जिन्नत महल , हडसन व सूबेदार शुक्ला ने

षडयंत्र रचकर ऐसा नही होने दिया । इस प्रकार दिल्ली का भारतीय राज 22 सितंबर 1857 को खत्म हो गया फिर भी देश भर मे आजादी की लडाई चलती रही चाहे थाना भवन, शामली (उत्तर प्रदेश), कानपुर (उत्तर प्रदेश), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) , ग्वालियर (मध्य प्रदेश) , छतरपुर (मध्य प्रदेश) , धौलपुर (राजस्थान), इंदौर (मध्य प्रदेश) आदि की लडाईयां होती रही और महा रानी बिक्टोरिया (इंगलैंड) ने सीधे 1858 मे भारत की सत्ता अपने हाथ मे ले ली और 1860 में आईपीसी 1860 बनाकर भारतीय आजादी प्रेमियों से संधि की जिसे धौलपुर संधि के नाम से जाना जाता है "कि भारतियों की लूटी हुई जमीने व सम्पत्तियां वापस की जाएगी " पर ऐसा नही हुआ । 1871 आते आते पहला क्रिमनल ट्राइब एक्ट पंजाब के कूकाओं पर लगा दिया उसके बाद फारेस्ट एक्ट(forest act), माइन्स एक्ट(mines act), फिसरीज एक्ट(fisheries act),फेरी एक्ट (ferry act), भूमि अधिग्रहण एक्ट (land acquisition act) जैसे दर्जनो कानून लागू कर बहुत बडे पैमाने पर बागी भारतियों के गांव जलाकर उनकी जमीने एवं सम्पत्तियां अपने अधीन कर ली और भारत के गददारो तथा अंग्रेजों ने अपने वफादारो को ईनाम व आरक्षण के रूप दी और उसके बाद अपराधी जन जाति एक्टो की झडी लगा दी जिसमें 1871, 1896, 1901, 1902, 1905, 1907,1911, 1919,1923 ,1924,1926.....1946 आदि बनाये और देश के 60% संख्या पर लागू कर दिये जिनमे 160 के लगभग जातियां तथा कुछ व्यक्तिगत व्यक्ति आदि उपरोक्त एक्टों के अंतर्गत आते थे ।

इसी बीच भारतियों ने रिवोलिसनरी आर्मी रास बिहारी बोस, खुदी राम बोस, बिजय सिह पथिक, ने 1905 मे बनाई जो देश मे अंग्रेजो के खिलाफ आजादी की लडाई लड रहे थे तथा बिदेशों मे श्याम जी किशन वर्मा, लाला हर दयाल एमए, भीका कामा, असफाक उल्लाह, डा पिल्लई आदि की अगुवाई मे लंदन(इंगलैंड), जेनेवा आदि मे भारत वासी लड रहे थे वही दुनियां की पहली लडाई 1914-18 लडी जा रही थी जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजो का साथ देकर अंग्रेजों की सेना मे 9लाख के लगभग भारतियों को भर्ती करवाया जिसमे लगभग साढे चार लाख भारतीय अंग्रेजो के लिये लडते हुये बिदेशो में शहीद हो गये तथा पौने चार लाख घायल हुये जिनके मुवावजे के रूप मे 1500 विलयन पौंड अंग्रेजो द्वारा भारत को देना था पर अंग्रेजो ने गांधी जी को 1915 मे भारत केशरी मैडल (भारत रत्न) देकर, हडप गये । वहीं अंग्रेजों ने भारत के क्रांतिकारियो पाल- लाल- बाल के मुकाबले गांधी जी को लाकर आजादी की लडाई की दिशा ही बदल दी नही तो भारत 1919-20 में आजाद हो गया होता ।

अंग्रेजों ने भयभीत होकर 1919 में कम्यूनल एक्ट भारत में लागू किया जिसके अधीन भारतीय सेवा में अंग्रेजों का 10% आरक्षण, रेलवे, बित्त,सेना आदि का आरक्षण , मुसलमानों का 13.5% आरक्षण, 16.75% दबे-कुचलो (up-rest -dep-rest class) का आरक्षण आता था

(अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट 1951) तथा अंग्रेज़ो के वफादारों के लिये आरक्षण की कोई सीमा नही थी । 1924 -25 में इन एक्टों का बिरोध करते हुये चौधरी बदन सिह यादव(बदायूं) ने कहा कि आप सब अपने नाम के आगे मेरी तरह ही "यादव" सूचक जोडिये जिसमें आज के सभी पिछडे व दलित आते हैं । ऐसा करने से उपरोक्त सभी अपराधी जन जाति एक्टों से राहत मिल सकती है आदि । इस कारण अंग्रेजो ने चौधरी बदन सिह यादव (संविधान सभा सदस्य) को भारत में दो बार फांसी देने का निश्चय किया पर दोनो बार महारानी बिक्टोरिया की दया (mercy) से फांसी से बच गये ।

1931 में अपराधी जन जातियों की राष्ट्रीय जन गणना हुई तथा 1932 में महात्मा गांधी व डा अंबेडकर जी के बीच मे समझौता हुआ जो पूना पैक्ट 1932 के नाम से जाना जाता है जिसमें अछूतो के लिये 8% का आरक्षण तय हुआ और 1935 के एक्ट के अनुसार सेडूल बनाकर 8% आरक्षण अछूतों को लागू कर दिया गया ।

15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ उसके पहले अविभाजित भारत की अंतिरिम सरकार 1946 मे बनी पर चल न सकी और भारत के दो टुकडे हो गये ।

सरदार पटेल जी ने अपराधी जन जातियों को राहत देने के लिये 1949-50 में अयंगर की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त की और अपनी रिपोर्ट देने को कहा । इसके पहले संविधान बनाते हुये होम मिनिस्टर सरदार पटेल जी ने 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा के सदस्य श्री लक्ष्मी नारायन साहू जी के प्रश्न का उत्तर देते हुये सरदार पटेल जी ने कहा कि हम अयंगर कमेटी बना रहे हैं जैसे ही उपरोक्त अयंगर कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी उसे संविधान का भाग बना दिया जायेगा (The collected work of Sardar Vallabh Bhai Patel volume xi special volume – "sardar Patel as constitution maker "page 91 , under home ministry chief editor - PN Chopra 1997). इसी प्रकार सरदार पटेल जी ने पेज 81 में उपरोक्त खंड के आखिरी पैरा मे कहा कि आजादी की लडाई में लाखो गांव वाले, जाटों, अहीरो, गुजरों, कुर्मियों, कुनबियो, आदिवासियों आदि ने देश की आजादी की लडाई में अनगिनत कुर्बानियां दी है उनको भी याद रखकर राहत देने का प्रावधान भारतीय संविधान मे करना है ।

सरदार पटेल जी आजादी के बाद देश के पहले होम मिनिस्टर व उपप्रधानमंत्री अन्य 13 मंत्रालयों के साथ बने उनके अधीन आरक्षण भी आता था तो उन्होने अनुसूचित जाति का आरक्षण 8% से बढाकर इनकी संख्या के अनुपात मे 12% किया वही अनुसूचित जन जातियों (विमुक्त जन जाति रुड़की आई आई टी) का आरक्षण 5% करते हुये कहा कि उपरोक्त अयंगर रिपोर्ट आने पर यह आरक्षण (आपराधिक जन जातियों) जिन्हे 31 अगस्त 1952 के बाद विमुक्ति जन जाति कहते है इनकी संख्या के अनुपात मे बढ़ाकर भारतीय संविधान का भाग बना दिया जायेगा पर

सरदार पटेल जी 15 दिसंबर 1950 को मर गये या मार दिए गए । अयंगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट न जाने कब तैयार की पर 15 अप्रैल 1951 को इसकी एक कापी लोकसभा लाइब्रेरी मे मिली जिसके हर पन्ने पर लिखा है कि इसको सार्वजनिक न किया जाये आदि आदि ।

पं जवाहर लाल नेहरू ने सरदार पटेल जी की मौत के बाद न केवल डा अंबेडकर जी (1951) को मंत्रीमंडल छोडने को विवश किया बल्कि अयंगर कमेटी की रिपोर्ट को भी दफना दिया। इससे पहले भारत बिभाजन होने के पूर्व डा अंबेडकर जी की संविधान सभा की सदस्यता 1946 में अविभाजित बंगाल से जोगिन्दर नाथ मंडल, प्रोफेसर मेघनाद साहा जी ने मुसलिम लीग से समझौता करके दिलवाई जो भारत बिभाजन से 1947 में समाप्त हो गयी थी । देश बिभाजन होने पर जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने वही डा अंबेडकर जी की सदस्यता पूर्वी पाकिस्तान मे होने के कारण खत्म हो गयी जिसको पुन: बहाल करने के लिए सरदार पटेल जी ने डा अंबेडकर जी को संविधान सभा में लाने के लिये जयकर (मुंबई) से त्यागपत्र दिलवाया और अपने सबसे बिश्वासपात्र एस के पाटिल जी को बिशेष दूत बनाकर (मुंबई) भेजकर कहा कि डा अंबेडकर जी का नामांकन खाली सीट से भरवाये क्यों कि उनको आजाद भारत के पहले केन्द्रीय मंत्री मण्डल मे मंत्री बनाना है आदि आदि । (The collected work of Sardar Vallabh Bhai patel volume xii page no. 118 letter no. 111,एवं डॉ अंबेडकर एक चिंतन -मधु लिमिए पेज 88).

जब डा लोहिया जी ने देखा कि पं जवाहर लाल नेहरू सरदार पटेल जी द्वारा दिये गये संविधानिक आरक्षण को न तो पिछडे वर्ग को आरक्षण दे रहे है बल्कि उन पर एक नया काका कालेलकर आयोग 1953-55 बैठा दिया है और न ही अयंगर कमेटी की सिफारिशे बिमुक्त जन जातियों के लिये लागू कर रहे हैं यहां तक कि दलितों को भी आरक्षण देने में आना-कानी कर रहे हैं । तब 1956-57 में एक नई संयुक्त सोसलिस्ट पार्टी (संसोपा) बनाकर नारा दिया कि " संसोपा (संयुक्त सोसलिस्ट पार्टी) ने बांधी गाठ ! 1857 का पिछडा पाये सौ मे साठ "।। जिसमे अधिकतर भारत की सभी पिछडी-दलित एवं बिमुक्त जन जाति वाले आते थे । संघर्ष चलता रहा बिमुक्त जन जातियों पर 1960 में ढेबर आयोग बैठाया गया पर नेहरू ने इसकी भी सिफारिशें लागू नही की । इसी बीच 1961 मे सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) लोक सभा उपचुनाव मदन मोहन मालवीय के लडके के मरने पर करवाया गया जहां संसोपा उम्मीदवार गनपत सहाय ने तत्कालीन होम मिनिस्टर गोविन्द वल्लभ पंत के लडके केसी पंत को परास्त किया और 1962 मे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीबी गुप्ता जी भी एक संसोपा प्रत्याशी से चुनाव हार गये तब सीबी गुप्ता व नेहरू ने विवश होकर समाजवादी महान नेता जेबी कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना पडा तब संसोपा की धार और तेज होती गयी और 1962 के

लोकसभा चुनाव में संसोपा के 5 लोकसभा सदस्य जीतकर आये जिनके नेता मनीराम बागडी सांसद हिंसार (पंजाब) थे 1963-64 में डा राम मनोहर लोहिया जी भी उप चुनाव फरूखाबाद (उत्तर प्रदेश) जीतकर दिल्ली आ गये तब नेहरू की मुश्किले और बढ गयी और वे डा लोहिया जी की आवाज से लोक सभा मे इतने परेशान थे कि उन्होने लोकसभा मे जाना ही छोड दिया। इसी बीच डॉ लोहिया जी एवं उनकी सं सो पा के दबाव मे नेहरू को दलितों के लिये 1964 मे बिशेष भर्ती जहां करनी पडी वहीं सरदार पटेल जी की मूर्ति जो एसके पाटिल जी ने पं नेहरू को पैसा न देकर 1951 मे बनवाई थी उसको आनन फानन मे अशोक रोड नई दिल्ली पर लगवाना पडा क्योंकि सरदार पटेल जी की मौत (15-12-1950)के बाद 25-27 जनवरी 1951 में जो सरदार पटेल न्यास (ट्रस्ट) बनी थी जिसमे करोडो रूपया इकठ्ठा हुआ था जिसमे पचास लाख रूपया तब घनश्याम दास बिडला जी ने दिया था (illustrated weekly of India November 23-29 , 1986, पेज संख्या 10..,तथा proceeding of CWC (congress working committee) meeting , Encyclopaedia volume xiv 1951-54 by colonel zaidi).

1996 में जब देश के प्रधानमंत्री श्री एचडी देवगौडा जी बने तो उन्होने 8 -12-1996 (Times of India) अहमदाबाद मे शनिवार को घोषणा की कि केन्द्रीय सरकार जल्दी ही सरदार पटेल जी की यादगार में एक फाउंडेशन बनायेगी जो सरदार पटेल जी के कार्यो को लिपि बद्ध करेगी इसी प्रकार एक लेख हिन्दुस्तान टाइम्स मे 31-5-1988 को छपा कि पं नेहरू पीएम पद छोडना चाहते थे।

नोट:- सरदार पटेल जी ने भारतीय मुसलमानो के लिये अनुच्छेद 292 व 294 अल्प संख्यक ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन होते हुये अपनी रिपोर्ट में रखे जिसमें मुसलमानों का राजनीतिक,नौकरियों एवं दाखिलों मे आरक्षण का प्रावधान था पर बाद मे भारतीय संविधान बनाने की बहस के समय उपरोक्त अनुच्छेद मौलाना आजाद व नेहरू आदि के षडयंत्र से निकाल दिये गये (the collected work of sardar Vallabh bhai patel volume xi special volume - sadar patel as a constitution maker एवं constitution assembly discussion volume 1-5) तथा 1949-50 में जो पिछडा वर्ग की सूची सरदार पटेल जी ने बनाई गयी थी उसको भी पं जवाहर लाल नेहरू ने नही माना। (Reservation for whom and why - Dr PS verma).

12 अक्टूबर 1967 को डा लोहिया जी की अकस्मात मौत से पिछडे वर्ग के आरक्षण की लडाई धीमी पड गयी, बिमुक्त जन जातियों (31 अगस्त 1952) का कोई नाम लेने को तैयार नही था। समय बीतता गया 1975 के आपातकाल के बाद 1977 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस - इंद्रिरा गांधी बुरी तरह हार गयी। पं मोरार जी देसाई के अधीन केन्द्रीय सरकार बनी उसमे पिछडा वर्ग हेतु काका कालेलकर आयोग 1955 की रिपोर्ट लागू करने की आवाज बुलंद

हुई इसी कारण मोरार जी की सरकार चली गयी क्योंकि देसाई जी काका कालेलकर 1955 की रिपोर्ट लागू नही करना चाहते थे। अपनी सरकार बचाने के लिये उन्होने एक नया आयोग बीपी मंडल (सांसद) 1979 मे नियुक्त किया जिसने अपनी रिपोर्ट 1980 मे दोबारा इंद्रिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर पिछडा वर्ग के दबाव मे आकर इंद्रिरा गांधी की इच्छा के बिरूद्ध सौंप दी। तब 1980 के बाद रोजाना संसद में मंडल रिपोर्ट लागू करने की आवाज तेज होती रही। फिर इंद्रिरा गांधी ने दुखी होकर 1982-83 में केंदीय मंत्री कमलापति त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई उसने अपनी रिपोर्ट पिछडा दलित अनुच्छेद 15(iv) व 16(iv) एवं अनुच्छेद 340 आदि को संविधान से निकालने को दी उस समय के कानून मंत्री पी शिव शंकर थे जब इंद्रिरा गांधी ने उनसे कहा कि इस रिपोर्ट को लोकसभा पटल पर रखिये तो उन्होने इंद्रिरा गांधी को अपना त्याग पत्र दे दिया और कहा कि "मैं ये पाप नहीं कर सकता हूं।"

1984 में लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने पिछडा वर्ग आरक्षण की आवाज उठती रही। 1989 लोकसभा चुनाव में संयुक्त मोर्चा की सरकार भाजपा की सहायता से केन्द्र में बनी जिसके पी एम वीपी सिह जी बने। सरकार बचाने के लिये प्रधानमंत्री वीपी सिह ने 7 अगस्त 1990 को बिना किसी तैयारी के वी पी मण्डल (पिछड़ा आयोग) की सिफ़ारिशे लागू कर दी परिणाम दिल्ली - हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि मे पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बिरोध मे चौधरी देवीलाल, कांसीराम, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और सोनेलाल पटेल आदि की अगुवाई मे आगजनी शुरू हो गई तथा इन नेताओ ने नवंबर 1990 में एक आरक्षण बिरोधी रैली वोट क्लब नई दिल्ली मे करने की घोषणा की 7-9 नवंबर 1990 को एक बिशाल मंच वोट क्लब नई दिल्ली पर बनाया गया तथा 2 लाख से अधिक आदमी वोट क्लब पर इककठे हुए जिसमे आई आई टी दिल्ली , जे एन यू , दिल्ली विश्व विद्यालय आदि के पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बिरोधी भी बड़ी संख्या मे दिल्ली में रैली निकालते हुए वोट क्लब,इंडिया गेट नई दिल्ली पर पहुचे पर आरक्षण चाहने वालों की अगुवाई करने वालों ने मंच सुबह 9 बजे ही फूँक दिया वहीं इस षडयंत्र रैली मे आरक्षण बिरोधियों को अराजकता, और तोडफोड के कारण केन्द्रीय बलों और दिल्ली पुलिस ने कानून बरकरार रखने के लिए इन आरक्षण बिरोधियों पर जमकर लाठियाँ भांजी फिर आरक्षण समर्थको ने वोट क्लब इंडिया गेट नई दिल्ली पर रैली मे आये 6-7 हजार बिरोधियो को घेर लिया आदि तब मधु लिमिये जी के कहने पर ही इन बिरोधियो को दिल्ली से बाहर निकाला गया जब कि केंद्रिय बलो और दिल्ली पुलिस ने चुप्पी साध ली थी आदि, तब इंद्रिरा साहनी ने पिछडा वर्ग मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे गयी और सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को लागू करने के लिये स्थगित कर दिया।

16 दिसंबर 1992 सुप्रीम कोर्ट के 9 जजो की बेंच मे 6:3 के बहुमत से पिछडा वर्ग के आरक्षण पर मोहर लगा दी गयी । इस केस मे स्व. मधु लिमिये व डा पीएस वर्मा (1857 के महानतम सेनानी सेलुलर जेल (काला पानी) की अंडमान दीप समूह मे अंतिम सांस तक यातनाये झेलने वाले तेल लंगर ब्रिगेड के मुख्य कमांडर इन चीफ हिमांचल सिह क्रम संख्या98, पेज 5 व कूडा सिह क्रम संख्या 148 पेज 6 के आज के वंशज) का बिशेष योगदान रहा जिसमे शिव पूजन सिह, आर के गर्ग, राम जेठ मलानी, सुब्बा राव, इंद्रिरा जय सिह व डा बी एस चौहान एवं रवि वर्मा कुमार (जज मेंट टुडे) आदि सुप्रीम कोर्ट के वकीलो का सहयोग जहां सराहनीय रहा वही साथी मुलायम सिह यादव , साथी लालू प्रसाद यादव, एच डी देव गौडा, करूणानिधि आदि के सहयोग को भूला नही जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पिछड़े वर्ग के बड़े नेता सुस्त हो गए पर बाद मे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट मे पिछड़े वर्ग के दाखिले का केस हो या नौकरियों का केस हो, चाहे योग्यता का केस हो, चाहे रोस्टर केस हो आदि मे शिव पूजन सिंह और डॉ पी एस वर्मा जी (बी-2/40 सफदर जंग एनक्लेव नई दिल्ली 110029) ने आरक्षण बिरोधियों को अपने तर्को से हराया जब की आरक्षण बिरोधियों ने अपने वकीलों को करोड़ो-2 रुपया देकर बिरोध किया शिव पूजन सिंह जी की मौत के बाद इस कार्य को उनकी पुत्री निरंजना सिंह ऍडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भली भाँति कर रही है जिनमे इन्ही की अगुवाई मे चेम्बर नंबर 53 सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाइ कोर्ट से 1857 स्वतन्त्रता सेनानी पेन्सन केस, विमुक्ति जन जाति आरक्षण केस (अल हिन्द पार्टी बनाम भारत सरकार) जीते है । परंतु पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक पिछड़ा वर्ग मे देश व्यापी ऐसी चेतना आई कि "लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओ मे पिछड़ा वर्ग के सांसदो और विधायकों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी की अपनी खुद संख्या के अनुपात मे पिछड़े वर्ग के सांसदों और विधायक कुल संख्या के 60% के लगभग है आज हालत ये है कि आरक्षण बिरोधी न तो सड़को पर प्रदर्शन कर सकते है और न ही लोक सभा सदन राज्य सभा सदन तथा राज्यो के विधान सभा मंडलो मे शोर मचा सकते है यहाँ तक दलितो को सांसद और विधायक बनाने के लिए पिछड़ा वर्ग की सहायता लेनी पड़ती है ।

डॉ ओमकार नाथ कटियार (गौरव सेनानी) रास्ट्रीय अध्यक्ष -अल हिन्द पार्टी रास्ट्रीय अध्यक्ष - अल हिन्द पार्टी (बी- 2/40 सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली 110029, टेली फोन 011-26173460 आफिस)मोबाइल- 9540288242,9651174494,8447875451 ईमेल omkatiyar@yahoo.com alhindparty@gmail.com,एमए(अर्थ शास्त्र), एमए; पीएचडी(सैन्य विज्ञान), पोस्ट डॉक्टरेट(डी लिट) अंतर्रास्ट्रीय संबंध , (जे एन यू), डी जी ,डी जे , पी जी डी पी आर (रास्टरीय सुरक्षा और अन्तर्रासटीय मामलों के बिशलेषक)

S. No. 2 (Annex)

(4)

RTI MATTER

Released
R&R
13/4.

जारी किया
ISSUED 2
13 APR 2010
हस्ताक्षर/Initial
प्रा० हस्ता० प्र०/R&I/LNB

No. 5/18/2010-FF(P)
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
(Freedom Fighters' Division)

***

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi–110 003
Dated the 13 APR 2010 April 2010

To

Dr. Omkar Nath Katiyar
R/o B-2/40, Safdarjung Enclave,
New Delhi-110 029.

Subject: Application seeking information under the RTI Act, 2005 - regarding

Sir,

I am directed to refer to your request no. nil dated 15.3.2010 received (in this Division on 19.3.2010) through the RTI Section of this Ministry vide O.M. No. A-43020/01/2010-RTI dated 17.3.2010, on the above noted subject and to say that your reference dated 15.3.2005 and 2.5.2005 have not been received in this Division. It is further stated that there is no formal list, containing names of all movements relating to the freedom struggle. Government have, however, from time-to-time issued orders in respect of some movements to enable inclusion/consideration of eligible participants of such movements for grant of *Swatantrata Sainik Samman* Pension. No orders have, however, been issued to declare all participants of any such movements as freedom fighters.

2. Freedom Movement of 1857 is a landmark event in the Indian freedom struggle and the participants are eligible to receive pension subject to fulfillment of conditions and eligibility criteria, under *Swatantrata Sainik Samman* Pension Scheme, 1980.

3. If you are not satisfied you can make an Appeal as per provisions of the RTI Act 2005. The particulars of the Appellate Authority are as under:

'Shri A.K. Goyal, Joint Secretary (FFR), Ministry of Home Affairs, Room No. 9, First Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi–110 003'.

Yours faithfully

o/c

Sd/-
(R.C. Nayak)
Deputy Secretary (FF) & CPIO

Copy for information to :-

1. RTI Section, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. their O.M. No. A-43020/01/2010-RTI dated 17.3.2010.

3-N-18/10
13/4

o/c

Sd/-
(R.C. Nayak)
Deputy Secretary (FF) & CPIO

डॉ. ओंकार नाथ कटियार
राष्ट्रीय अध्यक्ष
... हिन्द पार्टी
बी-2/40, सफदरजंग एन्क्लेव,
नई दिल्ली-110029

डॉ. ओमकार नाथ कटियार
राष्ट्रीय अध्यक्ष
दल-हिन्द पार्टी
कौरु मिर्जापुर ..., ...
जि. रमाकंद नगर(कानपुर देहात)
उ. प्र.-209125

1857 काला पानी के हीरो

1.	अब्दुल्लाह मोइनुद्दीन	पता धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक
2.	अधूरियां	पता यावल तालुका खानदेश
3.	आगा	
4.	अकबर जामा सैयद	पता बिहार
5.	अलामुद्दीन मौलवी सैयद	हैदराबाद
6.	अंबाला नानू	पता जगलबेट करवार डिस्ट्रिक्ट
7.	अनीर खान	पता मद्रास
8.	मृता	———
9.	अनाजों	पता जगलबेट करवार डिस्ट्रिक्ट
10.	अन्नू नाथू	मुंबई प्रेसिडेंसी
11.	अनवर खान प्यारे खान	———
12.	औघड़ बाबा	———
13.	अर्जुन	पता यावल तालुका खानदेश
14.	आयुपा हिंद उल्लाह	पता नरगुंड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ कर्नाटका
15.	अयोध्या सिंह	मिर्जापुर उत्तर प्रदेश
16.	बाबुल जुम्मन खान	सतारा मुंबई प्रेसिडेंसी
17.	बड़ा मियां	पता नरगुंड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक
18.	बागल यदु पालतू	पता मौजी गाड़ी गांव तालुका पंढरपुर
19.	बहादुर	गांवबुरड़ आसाम
20.	बहादुर सिंह	पता निमार मध्य प्रदेश
21.	बाला	पता नरगुंड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक
22.	बाला कृष्णा	बालकी विलेज डिस्ट्रिक्ट बिदार
23.	बारकू	———
24.	बरुआ दुतीराम	असम
25.	भाई खान	पता यावल तालुका खानदेश मुंबई प्रेसिडेंसी
26.	भंडारी गोपाल	पता करवार
27.	भिखारी	पता यावल तालुका खानदेश
28.	भीमा	पता नरगुंड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक
29.	भीमा जी	पता यावल तालुका खानदेश
30.	भीमराव	पता बालकी विलेज बिदार
31.	भीवा लखमा	पेंथ नासिक डिस्ट्रिक्ट मुंबई प्रेसिडेंसी
32.	भोरजी पादु	पता अहमदनगर
33.	भोसले आत्माराम संतु	पता मुंबई प्रेसिडेंसी

34.	भोसले बाबाजी भुजंग	पता कोल्हापुर मुंबई प्रेसिडेंसी
35.	भोसले गनु खांडू	पता मुंबई प्रेसिडेंसी
36.	भोसले रघु मानाजी	पता मुंबई प्रेसिडेंसी
37.	भोसले विद्थु हंगू	मुंबई प्रेसिडेंसी
38.	भोसले वेंकट राव	पता नार कुंड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक
39.	भूटिया पता	यावल तालुका खानदेश मुंबई प्रेसिडेंसी
40.	वीरबात कुणबी	पता साउथ इंडिया
41.	बुधनया पीर साहेब	पता शोमापुर कर्नाटक
42.	चमन सिंह	पता इंदौर
43.	चौहान सुजन सिंह	पता मिर्जापुर यूपी
44.	चौहान गनु बापू	पता काश्रेय गांव तालुका पंढरपुर सतारा
45.	चौहान हरि वीरू	पता मोजी बारकूट खाटव सातारा डिस्ट्रिक्ट
46.	चौहान कृष्णप्पा गोपाल	पता कोल्हापुर मुंबई प्रेसिडेंसी
47.	चौहान महादेव	पता कोल्हापुर मुंबई प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी
48.	दादाभाई प्रभूदास	———
49.	दाग दू	———
50.	दामा	पता यावल तालुका खान देश मुंबई प्रेसिडेंसी
51.	दामोदर अबाजी	पता हैदराबाद
52.	दास बाला डंडा	पता औरंगाबाद
53	दतु नत्थू	———
54.	दावयू सरमाल कर	———
55.	देसाई नारायण	कारवार डिस्ट्रिक्ट
56.	देसाई पांचाली गोविंद	कारवार डिस्ट्रिक्ट
57	देसाई रघु बा	पता कारवार डिस्ट्रिक्ट
58.	देवी	पता निवाड़ मध्य प्रदेश
59 .	देवीदीन	———
60 .	देवी जी सिरसात	साउथ इंडिया
61.	देवी प्रसाद	पता झांसी
62.	धाकु धाड़ी	पता कोल्हापुर
63.	धर्मा	पता यावल तालुका खानदेश मुंबई प्रेसिडेंसी
64.	धर्मा सुभाना	पंढरपुर सतारा डिस्ट्रिक्ट
65.	घोबी गुलजार	पता ———
66.	धोनदिया बीरबल	नासिक डिस्ट्रिक्ट
67.	धोंदु कालू	नासिक डिस्ट्रिक्ट
68.	डोगरा मंगल सिंह	पता लाहौर
69.	दूलूम	———
70.	दौलत सिंह पंचम सिंह	पता———

71.	दत्त सु	———
72.	फकीरा निंगप्पा	नरगुंड धरवाड़ कर्नाटक
73.	फकरू	नरगुंड धारवाड़ कर्नाटक
74.	फारस खान इमाम खान	नरगुंड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक
75.	फजल हक खैराबादी	पता खैराबाद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर उत्तर प्रदेश
76.	फूट्टा	निमार मध्य प्रदेश
77.	गायकवाड देव जी	पता मुंबई प्रेसिडेंसी
78.	गणेश महाराज	मिर्जापुर उत्तर प्रदेश
79.	गन सावत	पता मुंबई प्रेसिडेंसी
80.	गनु सकाराम	पता कारवार डिस्ट्रिक्ट
81.	गड़बड़ हरि भाई	पता साउथ इंडिया
82.	गांवली विथू	कारवार डिस्ट्रिक्ट
83.	घाटगे हनुमंत	पता नरगुंड डिस्टिक
84.	घोस गुलाम	मद्रास
85.	गोखले भीखा जी गणेश	नरगुंड जिला
86.	गोपाला संत साली	डिस्ट्रिक्ट करवार
87.	गोवर्धन	पता मिर्जापुर उत्तर प्रदेश
88.	गोविंद	पता मौजा दानगोरो परगना राजापुर डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी
89.	गोविंदा महार	पता सुपा डिस्ट्रिक्ट कारवार
90.	गोविंद विद्थु	पेंथ नासिक डिस्ट्रिक्ट मुंबई प्रेसिडेंसी
91.	गोंडा गोविंद	पता कोल्हापुर
92.	गुलाब खान	पता निमाड़ मध्य प्रदेश
93.	गुलिया मुदेमियां	पता नरगुंड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक
94.	हरि	पता साउथ इंडिया
95.	हट्टी सिंह	पता उड़ीसा
96.	हैंडलाकर देव जी	पता मुंबई प्रेसिडेंसी
97.	हिदायतुल्ला	पता उत्तर प्रदेश
98.	हिमाचल सिंह	गांव मनोहरा थाना भवन जिला सहारनपुर
99.	होनाजी	पता झांसी
100.	होरावन	पता ———
101.	हुसैन गुलजार	पता ———
102.	हुसैन हटेला	पता— नरगुंड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक
103.	हुसैन इब्राहिम	———
104.	हुसैन शाह फकीर	पता मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश
105.	जाधव रघु	पता—कारवार डिस्ट्रिक्ट
106.	जाधव सुभाना बापू	पता कोल्हापुर
107.	जगदीश सिंह	मुंबई प्रेसिडेंसी
108.	जयराम रामा	खंडाला

109.	जयराम शिवा राम	महलगांव
110.	जसमेर सिंह	मिर्जापुर उत्तर प्रदेश
111.	जवाहर सिंह	पता निमाड़ मध्य प्रदेश
112.	जयसिंह पता	यावल तालुका खानदेश
113.	जीवाह कटप्पा	पता जगलबेट करवार डिस्ट्रिक्ट
114.	जीवाजी अभिमन्यु	पता मुंबई प्रेसिडेंसी
115.	जोरेकर बाबी	पता करवार डिस्ट्रिक्ट
116.	जोशी कृष्णा जी	पता नरगुंड डिस्ट्रिक्ट धारवाड़
117.	कावरे गुनाजी	पता——
118.	कदम आपा बापू	मुंबई प्रेसिडेंसी
119.	कदम राम	पता———
120.	कदम राव जी काला जी	पता मुंबई प्रेसिडेंसी
121.	कागड़िया	पता———
122.	काकड़िया महादू	पता पेंथ डिस्ट्रिक्ट नासिक
123.	कलप्पा हिलगप्पा	नरगुंड डिस्ट्रिक्ट धारवाड़
124.	कल्लू	पता मछलीपट्टनम
125.	कल्लू मुबारक	मुंबई प्रेसिडेंसी
126.	कल्लू रहमान	पता मुंबई प्रेसिडेंसी
127.	कालू	पता ———
128.	कालू राजिया	पता पेंथ नाशिक
129.	कन्हैया वैल्यू दी	पता पंढरपुर सतारा डिस्ट्रिक्ट
130.	करीम रहमान	पता मुंबई प्रेसिडेंसी
131.	कारसावकार गोपाल	कोल्हापुर
132.	करीम खान	कोल्हापुर
133.	कटी बैग	पता मुंबई प्रेसिडेंसी
134.	खांडू विथ यू	पता ———
135.	खेडू लक्ष्मण	पता मिर्जापुर उत्तर प्रदेश
136.	किरण	यावल तालुका खानदेश
137.	कैफैतुल्ला	पता उत्तर प्रदेश
138.	किसान संतु राम	सातारा डिस्ट्रिक्ट
139.	कोचुराकर जिल्लू	कोल्हापुर
140.	कोकमकर	पता— ————
141.	कोली मान्या	पता हरसुल डिस्ट्रिक्ट नासिक
142.	कोंकणकर बॉम्बी	करवार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक
143.	कुलकर्णी बाबाजी बालाजी	पता अहमदनगर मुंबई प्रेसिडेंसी
144.	कुंभार वेथू सतवाजी	मुंबई प्रेसिडेंसी
145.	गिरिवर कुनबी	डिस्टिक कोल्हापुर
146.	कुनबी जवाहर	पता———

147.	कुपासण	पता सुपा करवार डिस्ट्रिक्ट
148.	कूड़े सिंह	पता मनोहरा तित्रों सहारनपुर
149.	कुटवार सुनकर	पता———
150.	लाकर सा कालू सा	पता———
151.	ललई	झांसी उत्तर प्रदेश
152.	लियाकत अली इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
153.	लिंगअप्पा सीकरअप्पा	पता– नरगुंड
154.	लोनी सिंह	पता मितौली जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश
155.	मधु मलिक	पता आसाम
156.	महादिक हैबतराव अप्पा	पता– ———
157.	महाले बिटथू मैरू	पता ———
158.	महिबुल्ला	पता निमाड़ मध्य प्रदेश
159.	मजूमदार टीमअप्पा	करकुंड टाउन नारकुंड धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट
160.	मलिक जोगी	पता सूपा करवार डिस्ट्रिक्ट
161.	मल्लू पोरका	पता———
162.	मालवंकर अप्पा	पता——
163.	मालया येलप्पा	पता – हालगली मुधोल स्टेट कर्नाटका
164.	मामू खान	उत्तर प्रदेश
165.	माने नर्सिंग	नरगुंड धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट
166.	मनिया	पता————
167.	मानजैया माल्या	हालगली मुधोल स्टेट कर्नाटका
168.	मन्नू सिंह	पता मिर्जापुर उत्तर प्रदेश
169.	मावजी	पता————
170.	मावजी धुनदल	पता पेंथ डिस्ट्रिक्ट नाशिक
171.	मायाराम	पता निमाड़ मध्य प्रदेश
172.	मादी मोची	पता कोल्हापुर महाराष्ट्र
173.	मेंहारू	पता खानदेश
174.	महासकर रालोजी लिंगो जी नायक	पता————
175.	मिनगली कस्तून	पता डिस्ट्रिक्ट कारवार
176.	मिरासी गणेश	करवार डिस्ट्रिक्ट
177.	मिरासी नारायण	कारवार डिस्ट्रिक्ट
178.	मिर्जा विलायत हुसैन खान	पता–उत्तर प्रदेश
179.	मोघे शिवा राम जोशी	पता———
180.	मोहम्मद इस्माइल हुसैन मुनीर	पता–आगरा उत्तर प्रदेश
181.	मोहम्मद यार खान	बदायूं उत्तर प्रदेश
182.	मोहन	पता यावल तालुका खानदेश
183.	मोहन सिंह पंचम सिंह	पता ———
184.	मोहिते तात्या	पता कोल्हापुर

183. मोहन सिंह पंचम सिंह पता ———
184. मोहिते तात्या पता कोल्हापुर
185. मोरे लिंबा भावनी पता कोल्हापुर
186. मोस्या अर्जुन पता डिस्ट्रिक्ट नाशिक पेट डिस्टिक नासिक
187. मूलकुंडी लक्ष्मण पता कारवार डिस्ट्रिक्ट
188. मुशई सिंह पता मिर्जापुर उत्तर प्रदेश
189. भीमा नायक पता धोली बावले स्टेट मध्य प्रदेश
190. नायक बुदारक यशवंत मुंबई प्रेसिडेंसी
191. नायक गंगा एक्का पता पेंथ डिस्ट्रिक्ट नासिक
192. नायक नौरोजी लिंगोजी पता मुंबई प्रेसिडेंसी
193. नायक समिया जत्रा पता—मुंबई प्रेसिडेंसी
194. नालजी वार्डकीर पता——
195. नाना चिलो जी पता अहमदनगर
196. नाना पोकरा पता———
197. नारायण पता दीनापुर बिहार
198. नाराजेकर भीकू जी पता कारवार डिस्टिक
199. नरसा लिंगा पता नार कुंड
200. नरसिंह पता यावल तालुका खानदेश
201. नरसिंह सिवप्पा पता नार कुंड
202. नारू धुला पता ———
203. नशसिरा पता यावल तालुका खानदेश
204. नियाज मोहम्मद खान पता रामपुर उत्तर प्रदेश
205. निरंजन सिंह पता नदिया जिला बंगाल
206. नूरा पता निमाड़ मध्य प्रदेश
207. नजर मोहम्मद पता———
208. पगाय रंगा राव रत्नाकर पता नरखेड़ हैदराबाद
209. पांडिया पता———
210. पांडू पादे पता———
211. पांडू सिंह गिनकर पता———
212. पांजलि पोकु करवार डिस्ट्रिक्ट
213. पारुलकर सदा शिव नारायण पता झांसी
214. पासी रामदीन पता ———
215. पटेल भान कंजोरा पता———
216. पटेल माऊ हरि जी पता अहमद नगर मुंबई प्रेसिडेंसी
217. पटेल भीला अटरिया मुंबई प्रेसिडेंसी
218. पटेल गड़बड़ दास पता आनंद डिस्टिक ,गुजरात
219. पटेल ईतू पता झांसी उत्तर प्रदेश
220. पटेल खुशाल गोविंद पता———

221.	पटेल मावजी अर्जुन	बरेड परगना पेंथ नासिक डिस्टिक
222.	पटेल पांडू धोंधली	पता अहमदनगर मुंबई प्रेसिडेंसी
223.	पटेल त्रिंबक हरि	पता पेंथ डिस्ट्रिक्ट नाशिक
224.	पवार जीवबा मीरो	कोल्हापुर
225.	पवार व्यंका	नरगुंड डिस्ट्रिक्ट धारवाड़
226.	फड़नीस श्रीधर सीताराम	कोल्हापुर
227.	पॉइपकर बापू	कोल्हापुर
228.	प्रधान मावजी धर्मा	पता————
229.	कायम खान	पता निमाड़ मध्य प्रदेश
230.	राजा मीना	पता नरगुंड धारवाड़ कर्नाटक
231.	राजा व्यंकट	पता नरगुंड धारवाड़ कर्नाटक
232.	रामा	पता यावल तालुका खानदेश
233.	रामदीन अहीर	पता————
234.	राम जी जगताप	कोल्हापुर
235.	राम परब	पता कोल्हापुर
236.	रामप्रसाद	पता ----
237.	राम सिंह इंद्र सिंह	पता कोल्हापुर
238.	राव रामा	पता सतारा डिस्टिक
239.	राव शीश गिरी	पता नरक कुंड डिस्ट्रिक्ट धारवाड़ कर्नाटक
240.	राव वेंकट	पता रायपुर मध्य प्रदेश
241.	राव जी	पता————
242.	रावनेकर भीकाजी	पता————
243.	रावल विसई भीकू	पता करवार डिस्ट्रिक्ट
244.	रायसिंह	यावल तालुका खानदेश
245.	रायू	पता— करवार डिस्टिक
246.	रोहिम	पता यावल तालुका खानदेश
247.	रोयो	पता सूपा कारवार डिस्टिक
248.	रूद्रप्पा भीमा	पता नारकुंड डिस्ट्रिक्ट धारवाड़
249.	रूलया लिमजी	पता————
250.	शक्करप्पा गौरप्पा	पता नार कुंड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट
251.	सकाराम	पता ————
252.	सालवी गोपाल	पता कोल्हापुर
253.	संधू	पता यावल तालुका खानदेश
254.	संतु चंदू	पता पेंथ नासिक डिस्ट्रिक्ट
255.	सानू बागल	पता पेंथ डिस्ट्रिक्ट नाशिक
256.	साठे माऊ	पता कोल्हापुर
257.	सतोदार गोविंद	पता————
258.	सावंत बाबाजी	पता कोल्हापुर

259. सावंत गन्नू पता———
260. सावंत मुनियप्पा पता कारवार डिस्टिक
261. सावंत उत्ता जी बाबूराव पता मुंबई प्रेसिडेंसी
262. सावंत त्रयंबक पता कोल्हापुर
263. सावंत विश्राम पता मुंबई प्रेसिडेंसी
264. सावंत दाऊद पता————
265. शाह जहां दा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश
266. शाह मंजू पता– निमाड़ मध्य प्रदेश
267. शाह कुतुब पता उत्तर प्रदेश
268. शाह सरवर पता ———
269. शंभू कोटनाकर पता———
270. शंकर महाराज पता मिर्जापुर उत्तर प्रदेश
271. शेख अली पता– श्रीरंगपट्टनम मैसूर
272. शेख फार्ममुद अली पता –आसाम
273. शेख मन्नू पता मद्रास
274. सेवडे नारायण विश्वनाथ पता————
275. शिंदे नारायण पिराजी पता कोल्हापुर
276. शिंदे रामा रघु पता कोल्हापुर
277. शिवाप्पा संगप्पा पता नारकुंड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट
278. श्रीधर भीकुन पता————
279. सिराजुद्दीन पता निमाड़ मध्य प्रदेश
280. सोमिया पता———
281. सुबा सिंह पता———
282. सुका पता यावल तालुका खानदेश
283. सुका मारया पता ———
284. सुल्तान पारस नरगुंड धरवाड़ डिस्टिक
285. सुप्रिया यावल तालुका खानदेश
286. सूजनया सूथू सतारा डिस्टिक
287. सैयद अहमद पता हैदराबाद
288. तमन्ना लक्ष्मण पता नार कुंड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट
289. तेंदुलकर रघु पता————
290. ठाकुर लक्ष्मण पता ————
291. थोराट बापूजी नौरोजी पता– सातारा मुंबई प्रेसिडेंसी मराठा
292. टीना जाह सुपा कारवार डिस्ट्रिक्ट
293. तिवारी दूधनाथ झेलम
294. त्रियंबक रघु पता————
295. तुकाराम कृष्णा जी पता नार कुंड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट
296. तूलिया पता अंबापानी खानदेश

297.	तूलपिया	पता खंडाला
298.	वैनगानकर वीथू	पता कोल्हापुर
299.	वंदना सोमा	पता————
300.	वीलोवा वालाजी	पता———
301.	विस्ता बाबाजी	पता ————
302.	विठो बा	निलंगा मराठा
303.	विठो बा नुजाकर	कारवार डिस्ट्रिक्ट मराठा
304.	विथू	पता———
305.	विथू बावा	कारवार डिस्ट्रिक्ट मराठा
306.	व्यंगप्पा सकरप्पा	पता नार कुंड
307.	वजीर	पता यावल तालुका खानदेश
308.	यादव चिन्ना जी	पता नार कुंड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक
309.	इरप्पा गंगाराम	पता नारकुंड धरवाड़ कर्नाटका
310.	ईशा नथिया	पता पेंथ नासिक

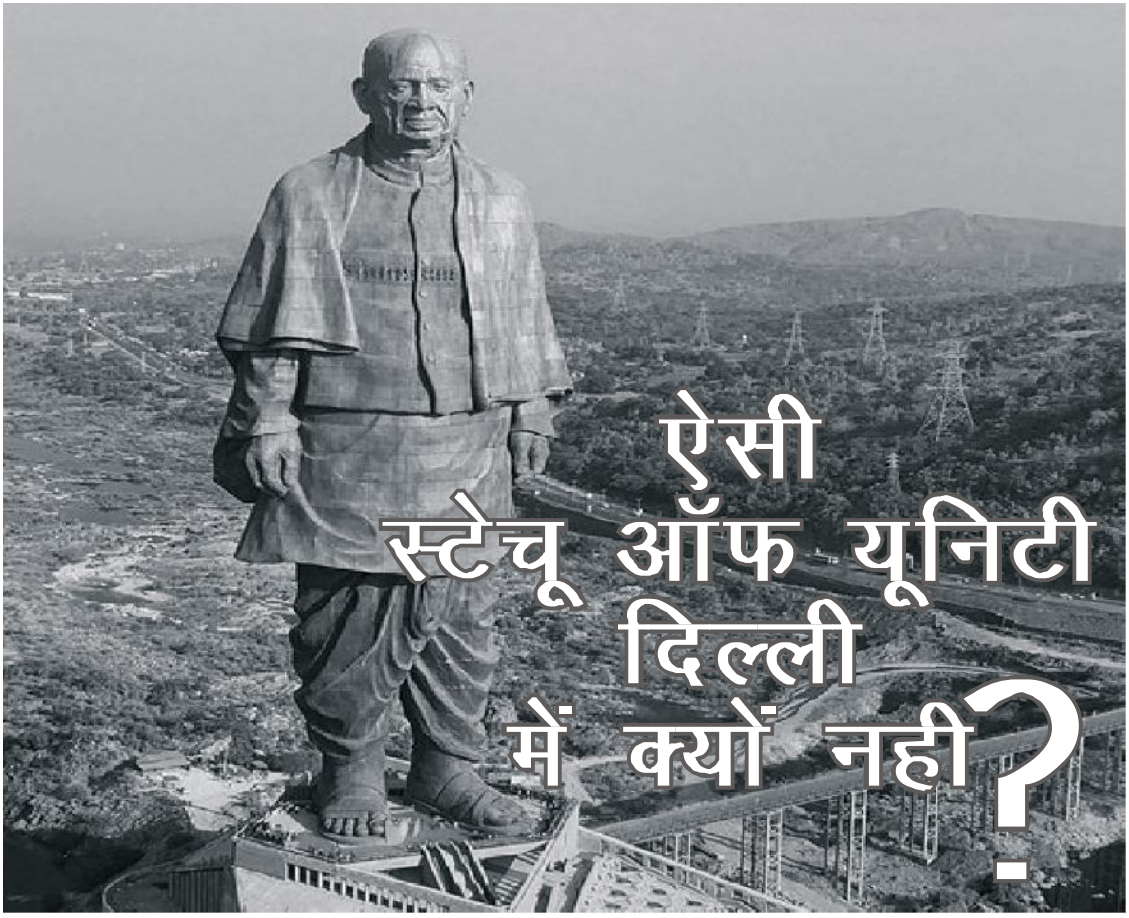

सरदार पटेल जी का टाइम्स के संपादक से साक्षात्कार 1948-49

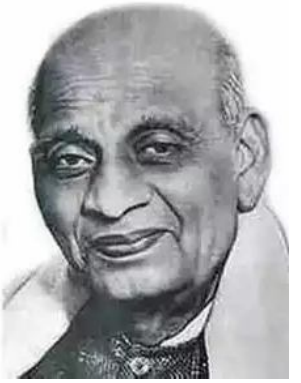

सरदार पटेल जी

न्यूयार्क टाइम्स (यू एस ए) के सम्पादक रोना रोला को सरदार पटेल जी का साक्षात्कार (इंटरव्यू) 1948—49

Question - who is fool in India : ?

Sardar Patel - Gandhi is first, Nehru is second and there is no third fool in India-

उसके बाद न्यूयार्क टाइम्स के सम्पादक का इंटरव्यू जो तीन घण्टे का था तीन मिनट में खत्म हो गया और कहा कि अब हमे सारे प्रश्नो के जवाब मिल गए।

राजा देवी सिंह गुर्जर— हीरो ऑफ 1857— शेर गढ़ (मथुरा) उत्तर प्रदेश :—

राजा देवी सिंह गुर्जर ने 1857 में देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अंग्रेजो से मथुरा— आगरा आदि का क्षेत्रा जीतकर स्वयं को राजा घोषित कर दिया आदि।

राजा फतुआ गुजर— गंगोह — सहारनपुर उत्तर प्रदेश :—

देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए 1857 में अंग्रेजो को हराकर आज के सहारनपुर शामली आदि जिलों को अपने अधीन करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया।

राव हिमाचल सिंह गुर्जर— मनोहरा तितरो सहारनपुर उत्तर प्रदेश :—

राव हिमाचल सिंह गुर्जर ने आशा देवी गुजरी, हबीबा गुजरी, महावीरी बाल्मीकि, सगवा बाल्मीकि आदि के साथ देहली में अक्टूबर— नवंबर 1857 में अंग्रेजो का कब्जा होने के बाद, आखिरी देश की आजादी की लड़ाई थाना भवन शामली उत्तर प्रदेश में करो या मरो की आजादी की लड़ाई लड़े और अंत में अंग्रेजो द्वारा गिरफतार करके सेल्युलर जेल ;काला पानीद्ध की सजा पाए जहाँ उन्होंने कठिन यातनाओं के साथ अपने प्राण गंवाए।

देव नारायण गुर्जर उर्फ चीता :—

देहली के गाँव चंदावल दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में 18—19 सितंबर 1857 बाड़ा हिन्दू राव पहाड़ी दिल्ली 110054 में जो देश की आजादी रखने के लिए अंग्रेजो से लड़ाई हुई उस लड़ाई में अंग्रेजो के सेनापति ब्रिगेडियर जनरल निकोलसन को मार कर जहाँ लड़ाई जीती वहीं चीता के नाम से प्रसिद्ध हो गए आदि।

खान बहादुर खान (रहमत खान) — बरेली उत्तर प्रदेश :—

सेनापति खान बहादुर खान ने 09—10 जून 1857 को बादली सराय, आजाद पुर मंडी देहली में जो लड़ाई देश की आजादी रखने के लिए हुई जिसमें खान बहादुर खान के नेतृत्व मे अंग्रेजी सेना हारी और उस इलाके का नाम खान बहादुर खान के नाम पर बहादुर गढ़ (हरियाणा) रखा गया। बहादुर शाह जफर के सेना प्रमुख खान बहादुर खान (रहमत खान) बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे।

AHP/GEN/1-1/PT-1 **30 अगस्त 2021**

सेवा में
आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी
प्रधान मंत्री भारत
प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक ,
नई दिल्ली 110001

सादर नमस्कार

विषय –आजादी के 75 वें वर्ष के जश्न में 1857 के महान करोड़ों बलिदानियो (स्त्री –पुरुष, हिंदू– मुसलमान) एवं काला पानी (सेल्युलर जेल) अंडमान निकोबार जेल में 1857 की आजादी को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने देश की आजादी से कम अंग्रेजों से समझौता करने वालों को 1857 की आजादी की लड़ाई के बाद उपरोक्त जेलों में जो पकड़े गए अंग्रेजों ने उनको उपरोक्त जेलों में डाल दिया तथा वे सभी जेलों में रहते हुए अंग्रेजों के कष्टों को सहते हुए मर गए पता करने पर पता चला है कि न तो उपरोक्त जेल में कोई शमशान है और न ही कोई कब्रिस्तान है जिसका मतलब यह हुआ कि हजारों जेलीओ को मरने पर या जिंदा ही समुद्र में फेंक दिया गया आदि आदि ।

आदरणीय महोदय,

हम उस देश प्रेमी नौकरशाह को सलाम करते हैं जिसने इस जेल के कैदियों की सूची अंग्रेजों से न डरते हुए तथा न अंग्रेजों के सहयोगियों की परवाह करते हुए यह सूची बनाई हमने न्याय की याचिका पुस्तक में इस सूची को छापा है जो 1857 के हीरो के नाम से जानी जाती है आदि आदि ।

महोदय हमने समय–समय पर अपने प्रयासों से उपरोक्त महानतम बलिदानियों की सूची बनाई है और आप को भेजते रहे हैं क्योंकि आपसे पहले सभी प्रधानमंत्री एवं डॉ एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को छोड़कर बिना दिल वाले थे तथा अंग्रेजों से आजादी के बाद भी भयभीत थे ।

आपने सरदार पटेल की भावना को समझते हुए जो गुजरात में सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाई है तथा इंडिया गेट राजपथ का पुनर दृश्य बदल रहे हैं जो सरदार पटेल जी अपने जीवन में करना चाहते थे ।

आशा है कि आप उपरोक्त बलिदानियों के लिए न केवल एक राष्ट्रीय आयोग बनाएंगे बल्कि उपरोक्त बलिदानियों की सूची तैयार करने के लिए देश में एक आंदोलन भी चलाएंगे नहीं तो यह जो 75 वां स्वतंत्राता दिवस आप मना रहे हैं यह केवल एक मुखौटा ही कहलाएगा क्योंकि हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट एवं दिल्ली हाईकोर्ट में किए केसो से कोर्ट के आदेशों के बाद भी न तो केंद्र ने और न किसी राज्य ने उपरोक्त बलिदानियों की सूची अभी तक बनाई है और न कोर्ट के आदेशों के बाद भी न तो केंद्र ने और न किसी राज्य ने उपरोक्त

बलिदानियों की सूची अभी तक बनाई है और न ही सरदार पटेल जी द्वारा बैठाई आएंगर कमेटी 1949– 50 की जांच को न केवल अभी तक दबाए रखा गया है बल्कि उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं ।

सरदार पटेल जी के पत्रों के 15 खंडो के खंड आ चुके हैं उसमें 11 वां खंड भारतीय संविधान के निर्माता सरदार पटेल जी को अंग्रेजी से अन्य भाषाओं में नहीं छपाया है बल्कि एस निजलिंगप्पा ट्रस्ट के पास 50 करोड़ से अधिक रुपया है तथा यह 15 खंड दिनों दिन तेजी से बिक रहे हैं हो सकता है कि 50 करोड़ का फंड अब एक अरब न हो गया हो जिसके चेयरमैन वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं आदि आदि ।

आशा करते हैं कि आप इस ओर ध्यान देते हुए भारत के माथे पर लगे हुए कलंक को मिटाने का प्रयत्न करेंगे आदि आदि क्योंकि डॉ राम मनोहर लोहिया के नारे संसोपा ने बांधी गांठ, 1857 का पिछड़ा एवं पीड़ित पाए सौ में साठ के अनुसार 1857 के बलिदानियों की आज की औलादो को उनकी संख्या के 60 प्रतिशत लगभग है जस्टिस रोहिणी आयोग ने इनको अति पिछड़ा वर्ग की सूची से पुकारा है इनको इनके पूर्वजों के बलिदान के बदले कम से कम भारत पुत्र व पुत्री के नाम से सम्मानित किया जाए जो आप आसानी से कर सकते हैं जहां तक उपरोक्त बलिदानियों की अंग्रेजों द्वारा लूटी गई जमीन जर और जोरूओं की लूट को उनकी आज की औलादों आदि को देना है यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि कहीं उपरोक्त बलिदानियों के नौजवानों ने जिनकी आंखों में यह सब सुनकर खून उतरा हुआ है कहीं फिर से आंदोलन ना हो जाए तो इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार की होगी क्योंकि उपरोक्त बलिदानियों की संताने अब और इंसाफ पाने का इंतजार नहीं कर सकते आदि आदि ।

आशा है कि आप पत्र का उत्तर अवश्य देने का कष्ट करेंगे

सधन्यवाद

शुभकामनाओं सहित
आपके शुभचिंतक

डॉ ओमकार नाथ कटियार
गौरव सेनानी
राष्ट्रीय अध्यक्ष
अल हिन्द पार्टी

नोट :– देश के सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों को इस पत्र की फोटो कॉपी एवं न्याय के लिए याचिका पुस्कत भेजी जा रही है ।

THE HON'BLE MR. JUSTICE A.A. BAINS

For the Petitioners : Mr. S.C. Goyal, Sr. Advocate with
Mr. ParveenGoyal, Advocates.

For the Respondents : Mr. T.S. Doabia, Advocate for A.G. (Pb)
Mr. H.S. Brar, Advocate for UOI

Ajit Singh Bains, J. (Oral)

JUDGEMENT

The petitioner's case is that they belong to Vimuktajatics which were earlier known as criminal tribes during the British regime and an Act was also passed by the then British regime, known as Criminal Tribes Act, 1911. This Act was subsequently amended in 1924 and certain Tribes were declared as Criminal tribes including the tribes of the petitioners. It is claimed by the petitioners that their ancestors were in fact Rajputs and they migrated from Mewar to different parts of the country in the 16th Century and acquired nomadic character. These tribes did not co-operate with the British regime and because of the nomadic character became educationally and economically backward.

The Constitution (Scheduled Castes) order 1950 was promulgated by the Union Government under Article 342 of the Constitution of India.

Likewise the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950 was issued under Article 343 of the Constitution of India. In the year of 1952 the Criminal Tribes Act, 1924 was repealed and the criminal tribes were denotified and they came to known as VimuktaJatis. VimuktaJatis were treated as Scheduled Castes and were accordingly included in the constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

2. The Sole grievance of the petitioners is that they do not have the characteristics of the Scheduled Castes and could not be included in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and they are part and parcel of the Scheduled Tribes and should have been included in the constitution (Scheduled Tribes) Order 1950. Hence they challenged the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, as Ultra Vires by way of this petition under Article 226 and 227 of the Constitution of India.

Reply has been filed on behalf of the Union of India and also by the State of Punjab. In para 11 of the reply filed by the Union of India it is stated that the following criteria was adopted for declaring a community either as a Scheduled Castes or a Scheduled Tribes:-

(a) Scheduled Castes :

Extreme Social, educational and

economic backwardness arising out of traditional practice of untouchability.

(b) Scheduled Tribes :
Indications of primitive traits distinctive culture, geographical isolation, shyness of contacts with the community at large and backwardness.

It is further stated in the reply that none of the communities of the petitioners satisfied the criteria for inclusion in the list of Scheduled Tribes. From the reading no other point was urged of the criteria adopted for declaring a community as a Scheduled Tribe or Scheduled Castes it is plain that if a community is under extreme social, education and economic backwardness, arising out of traditional practice of untouchability, then it should be declared a Scheduled Castes and if a community has indications of primitive traits distinctive culture, geographical isolation, shyness of contract with the community at large and backwardness, then it will be included in the list of Scheduled Tribes. The argument of the learned counsel, for the respondents that the petitioner's tribes do not fulfil the criteria for inclusion in the list of Scheduled Tribes is misconceived. The petitioner's VimuktaJaties are not the untouchables. They claim to be the descendants from the Rajput family of Raja Sans Mal, brother of MaharanaPratap of Mewar and they became educationally and economically backward and week. They acquired nomadic character because they did not settle at one place since 16th Century. The assertion of petitioner is not denied by the respondents. Since they are not socially, educationally and economically backward, arising out of traditional practise of untouchability. They could not be included in the list of Scheduled Castes they could only be included in the list of Scheduled Tribes. The Constitution (Scheduled Castes) order 1950 cannot be declared as Ultra vires of the constitution merely on the ground that the VimuktaJaties were included in this order. At best the VimuktaJaties of the petitioners can be deleted from the category of Scheduled Castes bu I do not find any unconstitutionality in the Constitution (Scheduled Castes) Order 1950. It does not infringe any provision of the Constitution. It can only be said that the petitioner's VimuktaJaties were included wrongly in this order.

For the reasons recorded, I hold that the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 is not Ultra Vires of the Constitution and it does not infringe any provision of the constitution but I am of the view that the Vimukat Jaties to which the petitioners belong have been wrongly include in the list of Scheduled caste and the Government of India may consider their deletion from the list of the Scheduled castes. With these observations this petition is disposed of with costs, to be paid by the Government of India. Counsel's for. 500 -.

November 5, 1982

Sd/-
Ajit Singh Bains
Judge

(Regarding laying down of procedure for implementation of horizontal reservation in recruitment in Government Service of direct recruits.)

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
GENERAL ADMINISTRATIVE DEPARTMENT
CIRCULAR NO. SRV-1097/PK31/98/16-A

Mantralaya Mumbai-40032

Dated: 16.03.1999

Read :

1. Government Resolution, SPVK, SRV-1077/3576/1433/16-A, dated 23.05.1978.
2. Government Resolution, SPVK, SRV-1080/35/16-A, dated 21.01.1980.
3. Government Circular, SPVK, IPE/ RTA-1080/0/181/16-A, dated 10.10.1980
4. Government Resolution, SPVK, SRV-1094/1004/PK-30/16-A, dated 17.11.1994.
5. Government Resolution, SPVK, BCC-1094/PRP/30/16-A, dated 12.08.1994.
6. Government Resolution, NVBK, EOR-1094/PK-768/BPK-1, dated 09.08.1995
7. Government Resolution, MVBAKVS. 1096/PK.30/Ka-2, dated 01.08.1997.
8. Government Resolution, SPVK, BCC-1097/PK.12/97/16-B, dated 06.08.1997.
9. Government Circular, SPVK, SRV-109/PK.12/97/16-A, dated 02.05.1998.
10. Directive given by the Hon'ble Supreme Court in the case of Anil Kumar Gupta Vs. State of U.P. &Ors. JT 1995 (5) SC 505.

Circular of the Government has applied reservation for backward classes in appointments made in Government Service. The said reservation being social reservation is in the nature of vertical reservation. Special reservation made for categories other then backward classes also made and this reservation is in the nature of horizontal reservation. By its judgement and order passed by the Hon'ble Supreme court in the case of Anil Kumar Gupta Vs. State of U.P. & Others (JT 1995 (5) SC 505) arising from order passed by the Aurangabad Bench of Bombay High Court in Writ Petition No. 406 of 1998, directives in the form of guidelines, have been laid down in the matter of Horizontal reservation. Accordingly, implementation of vertical reservation and

horizontal reservation should be carried out in the matter of appointments in Government/ Semi Government Services, Municipal Corporation/Councils/ZilaParishad/ Government aided institution/University/Co-operative institution and Government undertakings.

2. Vertical reservation for selection in services shall be as follows: -

(1)	Scheduled Caste	13%
(2)	Scheduled Tribe	7%
(3)	Denotified Tribe	3%
(4)	Nomadic Tribe (B)	2.5%
(5)	Nomadic Tribe (C)	3.5%
(6)	Nomadic Tribe (D)	2%
(7)	Special Backward Classes	2%
(8)	Other Backward Classes	19%

3. Apart from the above-mentioned reservation, special reservation for selectin in services is as follows: -

(1) Ex-servicemen Category-15% only for category A and Category B.

(2) Project affected/earthquake affected-5% only for Category A and Category B.

(3) Handicapped-3%

Horizontal reservation shall be applied only on the case of direct recruitment since horizontal reservation belongs to social reservation category it should not be counted in addition to reservation.

4. As per the judgement of the Hon'ble Supreme Court since horizontal reservation is compartmentalized/ classified reservation, while identifying posts to be filled and while issuing advertisements for filling of such posts not only social reservation should be indicated but reservation of posts for each compartment thereof must also be specified.

5. As per the Judgement of Hon'ble Supreme Court, while specifying the percentage of reservation in the horizontal reservation category, to ensure that reservation is implemented as per percentage specified for each category, the following points must be taken into consideration: -

(A) First Point: - List of open category as per merit should be prepared and if in this list the required number of persons belonging to the horizontal reservation category is found, then no question would arise and posts may be filled accordingly. If the required number of

candidates belonging to the horizontal category are not found in the list than candidates belonging to those specific categories of horizontal reservation should be included as per availability by dropping the candidates at the bottom of the list.

(B) Second Point: - Thereafter, list of candidates belonging to the various categories of social reservation should be prepared. (Those candidates who have been included as per the first point mentioned above, their names should be dropped from this list).

(C) Third Point: - Upon preparing the list as mentioned above in the second point candidates should be included in ever specific category of social reservation as per the procedure laid down the first point. But while doing show one should remain in the specific category of reservation.

6. As per the judgement of the Hon'ble Supreme court the special reservation shall remain within the class of vertical reservations specified. Therefore, special reservation cannot be transferred from one class of social reservation to another.

7. All the selection bodies should implement the aforesaid procedure without fail. This order shall be applicable to Government/Semi Government Services, Municipal Corporation/Councils/ZilaParishad/ Government aided institution/ University/Co-operative institution and Government undertakings.

By order and in the name of Governor of Maharashtra.

B.R. Wadhwa

Deputy Secretary,

Government of Maharashtra

Copy to:

Secretary, Governor.

Secretary of Chief Minister

Secretary of Deputy Chief Minister

and other Government Authorities.

Registrar of the Hon'ble Bombay High Court.

No. 20014/308/2017-BC-II
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
(BC-II Section)

Shastri Bhawan, New Delhi
12 October, 2017

To,

Dr. Omkar Nath Katiyar
Chairman, Al Hind Party
B-2/40, Safdarjung Enclave,
New Delhi-110029

Subject : Application bearing No. AHP/RTI/GEN/1-1/PT-I Dated 03.10.2017 under the RTI Act, 2005-reg.

Sir,

With reference to your RTI application dated 03.10.2017 on the above mentioned subject, please find enclosed herewith a copy of the order as sought for.

Under Section 19 (1) of the Act, 2005, shri J.P.Dutt, Deputy Secretary (BC), Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi, is the First Appellate Authority in the matter.

Yours Faithfully,
(Yash Pal)
Under Secretary & CPIO (BC-II)
Tel. No. 23383342

Encl : As above

GUJJARS-DENOTIFIED TRIBES-BACKWARD CLASSES

AND

SUPREME COURT DECISION

(16 December, 1992)

ON

THEIR RESERVATION

Intervenor:
DR. P.S. VERMA

Advocates:
SHIVA PUJAN SINGH

and

DR.B.S. CHAUHAN
Chamber No. 53, Supreme Court
Tilak Marg, New Delhi-110001
Phone: 387103

Dedicated to :

1. Mahatma Phule
   Sardar Patel
   Dr. Ambedkar
   Karpoori Thakur
   Dr. Ram Manohar Lohia
   Sathi Madhu Limaye

2. Prof. V. Subramanam

INTRODUCTION

MANDAL VERDICT : A HISTORICAL MILESTONE : - The Supreme Court of India in its historical judgement and for the first time in its own history, by a majority verdict has recognized and authenticated the national commitment under the constitution of India to the effect that the sharing of State Power by the Backward classes is the main objective behind Article 16(4) of the Constitution of India (hereinafter called the constitution). It is enlightening and significant to quote the following findings recorded by the majority judges in this regard. "The above material makes it amply clear that objective behind clause (4) of Article 16 was the sharing of State Power. The State power which was almost exclusively monopolizedby the upper castes i.e. a few communities, was now sought to be made broad based. The backward communities who were till then kept out of apparatus of power, were sought to be induced there-in-to and since that was not practicable in the normal course, a special provision was made to effectuate the said objective. IN short, the objective behind Article 16(4) is empowerment of the deprived backward communities- to give them a share in the administrative apparatus and in the governance of the community.(Para 693)"

Above findings were recorded in the judgment of Hon'ble Mr. Justice B.P. Jeevan Reddy who delivered judgment for himself and on behalf of Hon'ble Chief Justice Mr. M.H. Kania, Hon'ble Justice Mr. M.N. Venkat Challah and Hon'ble Justice Mr. A.M. Ahmadi.

Hon'ble Mr. Justice P.B. sawant while delivering his own judgment recorded the following findings:-

"The provision for reservation in appointments under Article 16(4) is not aimed at economic upliftment or alleviation of poverty. Article 16(4) is specifically designed to give a due share in the State Power to those who have remained out of its mainly on account of their social, and educational and economical backwardness. The backwardness that is contemplated by Article 16(4) is the backwardness which is both the cause and the consequence of no representation in the administration of the country. All other kinds of backwardness are irrelevant for the purpose of the said article.

Never before in the post-constitutional history ofIndia the fundamental objective lying behind Article 16(4) of the constitution was recognizedby the Apex Court of the country that the objective behind Article 16(4) was the sharing of state power by the backward classes."

The Mandal verdict of the apex court of the country has in fact for the first time realized "There cannot be a more compelling

goal than to achieve the unity of the country by integration of different social groups. Social integration cannot be achieved without giving equal status to all. The administration of the country cannot also be carried on impartially and efficiently without the representation in it of all the social groups and interests and without the aid and assistance of all the views and social experiences. Neither democracy nor unity will become real, unless all sections of the society have an equal and effective voice in the affairs and the governance of the country (B.P. Sawant J. Para 421)"

I have no apts words in storage of my vocabulary to appropriately and aptly express my sincere feelings of gratitude towards the highest Court of the country for their historical recognition and the authentication of the basic structure of the constitution that Article 16(4) was enacted by the founding Fathers (Sardar Patel, Dr. Ambedkar and others) of the constitution with objective to provide for the sharing of State Power and sharing in administration apparatus and in the governance of the country. The Institution has done the greatest services to the nation because the national unity, integrity and constitutional democracy in the country can only be maintained and furthered by sharing of State Power by the entire population of the country and not by monopoly of State Power by communities consisting of 15 or 20% of the total population of the country. It is only by realization and effective implementation of the above objective that we can ultimately achieve, the goal set up for the nation by its first Prime Minister Jawaharlal Nehru, who while launching the first Five Year Plan of the country in following words:-

"With our sweat and toil and even if necessary with our blood, we will create a new and happier India, in which the miseries of the millions will melt away". But never be achieved. "Why" and who is or are responsible for it?..... what the Governments of Jawahar Lal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indra Gandhi, Morarji Desai, Charan Singh, and Rajiv Gandhi failed to do for more than four decades V. P. Singh essyed to do.

And then only we can realize the dream of the father of the nation 'Mahatma Gandhi'to wipe away every tear from every eye. If this objective illusidated and illustrated by the highest court is not implemented properly and effectively, social and national objective enunciated in Prime Chapter of the constitution with appropriate and effective super structure provided in the preamble and in other parts of the constitution, are going to be a dustbin of sentiments, then God knows whatwill happen to national integrity and unity and security, strength and its Sovereignty.

Shiva Pujan Singh
Advocate, Supreme Court
53, Lawyer's Chamber, Supreme Court,
New Delhi-110001
Tel. Office: 37103, Resi: 4624677

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
ORIGINAL APPELLATE JURISDICTION

WRIT PETITION (CIVIL) No, 930 of 1990

In the matter of :

Indra sawhney

Petitioner ,

Versus

Union of India &Ors.

Respondents.

WRITTEN SUBMISSIONS ON BEHALF OF THE INTERVENOR ABOVE MENTIONED.

1. That the Petitioners have challenging the Writ Petition above named the Constitutional validity of Notification issued by the Government of India, Reserving posts in Central Government services. In the said Writ Petition they have challenged validity of the Mandal Commission Report.

2. They challenged the Mandal Commission Report as made by the Petitioners in various writ Petitions as such that it requires a robbing and fishing Enquiry into the matter. It is respectfully submitted that identification of backward classes is a matter which exists in the exclusive Domain of the State and the President of India has been empowered to constitute a Commission for the purpose. In fact it is exclusive Domain of the State and remains and is a matter of subjective satisfaction of the State. The petitioners while challenging Mandal Commission Report one to invite this Hon'ble Court to enter in area which carved out of the State.

   The Intervenor Dr. P.S Verma S/o Shri Jaimal Singh, Village: Manohara, P.O.: Titron, Dist.: Saharanpur (U.P) and B-2/40, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029, Phone: 673460, who belongs to Gujjar Community included in the list of Criminal Tribes in pre-1947 era, gives below a resume and history of the Criminal Tribes in the following paragraphs.

3. That in the mutiny of 1857 against the British Raj the Gujaras played a vital role against the Raj and after the failure of the mutiny the Raj took a revenging attitude against the Gujaras and confiscated their property and a large number of their leaders were hanged, Particularly, a large number of people were hanged in the Districts to which the petitioners belong, Gujaras were harassed and tortured throughout the region of united Province. The Gujaras

were harassed to the extent that they were not allowed to have any education and join services. This led to the misery and Gujaras started indulging in criminal activity particularly in cattle's stealing and looting for their survival. In 1911 the Act No. III the Criminal Act, 1911 was passed by which various activities of the persons belonging to the different castes which had been scheduled under the as foresaid Act were restricted. They were not allowed to travel without lodging the report in the Police station. Their finger-prints/ handprints/ foot-prints were taken and kept in the record of the Police Stations. Their children were not allowed to mix up with the children of other castes. The aforesaid Act No. III was repeated by the Act no. 6 of 1924 which received the assent of the GovernorGeneral on the 15th March, 1924 and published in the Gazette of India dated 22nd March, 1924. Under this criminal Tribes Act, VI of 1924 several other restrictions was imposed upon the persons belonging to the castes scheduled under the Act. The Act of 1924 provided for the registration of members of the criminal tribes and to empower the police to record the finger impressions of the persons belonging to the criminal tribes. The Act made it compulsory that the persons belonging to the criminal tribe will report to the police station after a fixed interval and notify their place of residence and any change or intended change of residence, and any absence or intended absence from their residence. The Act further empowered the District Magistrate to restrict the movements of the members of the criminal tribe and to force them to earntheir livelihood within a restricted area and where the members of the criminal tribe were allowed to change their residence and area of the earning of their living even if to the other state, the Act was made applicable mutatis mutandis in that area also. Before the permission for the change of area of their residence or area of earning of their living were allowed, approval of the other state was necessary and a list of persons allowed to be transferred was sent to the police Superintendent of the area sought to be transferred. The severe penalties were imposed for the violation of the terms of the aforesaid act. The Act provided that the members of the Criminal Tribe could be arrested without warrant and would be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both. The penalties for first conviction for violating the aforesaid Act was one year and for second conviction two years and for any two subsequent convictions to three years or with fine which may extend to five hundred rupees or with

both. The violation of therules made under the Act was also made punishable with rigorous imprisonment which may extend to one year or with fine of Rupees five hundred or with both. It was also provided that a member of a Criminal Tribe would also be arrested without warrant for the violation of the rules made under the Act. TheAct further provided for arrest without warrant, if they were found to be out of the area reserved for their movement and earning of their living. A copy of the Act No. VI of 1924 is annexed herewith and marked as Annexure 'A'., to this writ petition.

4. That The Gujaras of district Saharanpur and Muzaffarnagar were scheduled under the Criminal Tribes Act, 1924. The aforesaid restrictions provided under the Act led to backwardness, complete illiteracy, ignoranceof political and social developments and forced the members of the tribe to survive only on their criminal activities. The Act did not provide for their improvement, education of their children, mixing of their members with other castes or for any other facilities of upgrading them. The members of other castes did not like to have relations with the members of the Criminal Tribe, the attitude of the Government had never been sympathetic towards the members of the criminal tribe prior to the independence. The Government had never brought any scheme for their improvement in their settlement, change of their profession better ways of earning of their living, or to educate their children. Their social, economic and political situation retarded day to day and at the time of independence, they were by no means better than Scheduled Castes and Schedules Tribes.

5. That even after the independence no special care was taken for their improvement in any respect as they had neither a representative of any form to express their grievances nor they were socially, economically and political aware of their rights. The most unfortunate part of their fate was that even after the commencements of constitution of India, the Criminal Tribe Act of 1924 remain in force. In 1950, an inquiry committee was appointed for making recommendations on the aforesaid Act under the chairmanship of Shri Anathasaynanam Ayyanagar, M.P. having Member like Shri. A.V. Thakkar M.P., Shri K. Chaliha, M.P., shri V.N. Tivary, M.L.A. (Uttar Pradesh), and others, The Gujaras of the aforesaid Districts were so backward that they could not approach even this committee for their personal improvement. The committee in its report at Page 21 Para 87 of the Report of the Criminal Tribes Act Enquiry

Committee 1949-50, states as under:-

"87 Gujaras: - The Gujars are found in the Western part of the Uttar Pradesh and their main occupation is reported to be agriculture and cattle breeding General Cunningham says 'At present the Gujars are found in great numbers in every part of the North West of India from the indus to the Ganges and form the Hazara Mountains to the peninsula of Gujarat.'

Mr. Crooke says "Gujars as a tribe have always been acted fortheir turbulence and habit of cattle stealing". He gives some historical incidents in which Gujars are reported to have taken part in plundering. One interesting proverb quoted by him is reproduced below:-

Yar Dom re kina Gujar.

Chura Chura Ghar Kardiya Ujar.

Meaning:- when the Dome made friend with the Gujjars, he was robbed of house and home. They are still reported to be expert thieves in the Uttar Pradesh where they are notified as a "Criminal Tribe."

6. The committee in its report at Page 39 para 167 further stated as under:-

"The Criminal tribes can be divided into two sections viz. (1) those who are nomadic and (2) those who are settled. The nomadic tribes include the gypsy like tribes such a Sansis, Kanjaras, Nats etc. as well as other tribes who wander from place to place to for work or begging. In the latter category we can put tribes like belders, Banjaras, etc. and also religious mendicants such as Monda Potas, etc. The settled or semi-settled tribes who are notified as Criminal Tribes were regular fighting men in the past, or were persons displaced from their original homes due to invasions or other political changes or depressed persons in very poor circumstances and shunned by the Society."

Para 168: It would thus appear that the main cause for the origin of criminality was economic while social and political changes in the country also played an important part.

Para 169: It is now generally accepted that criminal tendencies are not hereditary. There is sufficient evidence to show that tribes which were considered hardened criminals in the past have been wholly or partially reformed.

Para 170: We consider that given proper opportunities and

systematic help, it is neither impossible not eve difficult to reclaim the so called Criminal Tribes. The problem requires to be tackled from three sides- economic, educational and social.

7. The aforesaid Act was repealed vide Act No. XXIV of 1952 on 31st August, 1952 on the recommendations of the aforesaid committee. But the Government did not enforce the recommendations made by the committee for the up-bringing of the Ex-Criminal Tribes. The Committee at Page 100 has recommended as under:-

Para-410: As stated above, the members of Criminal Tribes have been laboring under manifold disabilities over a long period. As a class, they are socially backward and economically depressed. It is, therefore essential to help them to improve their conditions and also to see that those who had criminal propensities in the past but are reformed now, do not rever to crime on the repeal of the Criminal Tribes Act, steps for rehabilitating these people should, therefore, be taken immediately after the repeal of the Criminal Tribes Act. The welfare and reformative work at present done in some of the States is not at all adequate and requires to be intensified. With this object in view, we would recommend, as the first step, a complete survey of the conditions under which these people live, in order to determine the specific measures that should be adopted. In this connection, we are glad to note that immediately after the repeal of the Criminal Tribes Act, the Government of Bombay appointed aCommittee to organize such as survey and to submit concrete proposals. While leaving to each State Government to formulate their own specific schemes with due regard to local conditions for the purpose of implementing the above recommendation, we would indicate in a broad way some of the objectives which should be kept in view. They are listed below:-

(a) Adequate provisions for imparting general education and vocational training both for children and adults;

(b) The members of these tribes should be eligible for concessions similar to those rated to Harijans, Adivasis and other backward classes.

(c) The establishment of co-operative societies of the types

depending on local needs and requirements should be encouraged.

(d) Organization of Panchayats.

(e) Employment exchanges should be utilized for securing suitable employment to unemployed members of these tribes.

(f) Care should be taken to settle these people in or near the village so that their absorption in the society may be accelerated.

Para-411 As regards the finances required for implementing these various welfare recommendations thatwe have made above, we are not unaware of the limited resources at the disposal of the State Governments. The need for reclaiming and upraising these unfortunate sections of our community is even more pressing today more insistent than ever before. So deeply impressed are we with the urgency of the problem that we cannot contemplate with equanimity, the possibility of nothing or very little being done in this direction for lack of adequate funds. It appears to us an in escapable obligation of the Central Government to make itself responsible for ensuring that work on the lines indicated above does not languish because the States of their limited resources are unable to shoulder responsibilityfor carrying it out on a scale commensurate with the requirements of the situation. Accordingly, we are of the opinion, that the Union Governments should make a liberal contribution not exceeding 50% to the State Governments for the initiation and execution of such schemes for a period of 10 years in the first instance. We are by no means obvious of the many calls on the Union exchequer, but it should not mean the denial of the claims of social justice and respect for human dignity, nor should it lead to their being treated as of minor importance, the execution of which might well be postponed till the return of better days.

8. That though the Constitution of India came into force in 1950 and the Criminal Tribe Act, 1924 is stood repealed in 1952, no special concessions had been given to the Gujaras, the Ex-Criminal Tribes of district Saharanpur and Mauzaffarnagar under Articles 15,16, 29 and 46 of the Constitution of India. These Ex-Criminal Tribes have been put under a special category bearing any name but all the facilities/

concessions/ reservationsas made for the persons belonging to Scheduled Tribes should have been given to these Ex-Criminals Tribes also, because of the indication of the caste of primitive traits, distinctiveculture, geographical Isolation, shyness, backwardness ad because of their illiteracy and unemployment.

9. That in view of the above prevailing conditions and in view of Article 341 of the Constitution of India, the Gujaras of District Saharanpur and Muzsaffarnagar should have been placed under the category of Scheduled Tribes. The Scheduled Tribes isdefined under Article 366 (25) as under:-

> "Scheduled Tribes" means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of the Constitution;
>
> Article 342 of the constitution of India provides as under:-
>
> Scheduled Tribes :
>
> (1) The President (may with respect to any State or Union territory) and where it is a statcafter consultation with the Governorthereof, by public notification specify the tribes or tribal communities which shall for the purposes of the Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State (or Union Territory, as the case may be).
>
> (2) Parliament may be law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a notification issued under clause (1) any tribe or tribal community or part of or group within an tribe or tribal community, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

10. That the Ex-Criminal Tribes of the aforesaid two Districts have been placed under a special category known as "denotified tribes" or "Vimukat Jati" and have been given some concessions in respect of admissions in educational Institutions but not to the extent to which the members belonging to Scheduled Tribes are enjoying. The result of injustice and discrimination is effective that till today no member from the Gujar's caste has been selected in I.A.S. has been a District Judge and nobody has represented them in the Parliament till 1984.

11. That the Government of India appointed a committee in 1965 under the Chairmanship of Mr. B.N. Lokur. The report of advisory committee on the revision of list of Scheduled Castes/

Scheduled Tribes 1965, Chapter IV Page 159, stated as under:-

> "There are some communities which though not strictly eligible to be treated as S/C, S/T (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) deserve special assistance. It would not be sufficient to treat them merely as other Backward Classes. The communities we have in mind are the Gujjar, Gaddi and Banjara Communities."
>
> It is pertinent to mention here that the said B.N. Lokur commission was appointed on June, 1965 on the classification of Scheduled Castes and Scheduled Tribes had submitted its report on 25th August, 1965. That the recommendations made by the commission have not been implemented so far as the Gujaras are concerned.

12. That in Punjab the 'Vimukat Jaties' had been placed in Scheduled Caste and they were given all the benefits which the other members of the society belonging to Schedule Casts were given. Though the Vimukat Jatics should have been placed under the category of Scheduled Tribes as the Vimukat Jatics had never fulfilled the criteria of untouchability. A Civil Writ Petition No; 132 of 1975 entitled Buta Ram Azad Anrs. Vs. Union of India and was filed before the Hon'ble Court of Punjab and Haryana at Chandigarh challenging the vires of the constitution (Scheduled Castes) order, 1950. The Hon'ble High Court vide its judgement dated 5th November, 1982 directed the Respondents that the Vimukat Jaties should be deleted from the list of the Scheduled Castes and put into the list of Scheduled Tribes, since the Vimukat Jatics were not socially, educationally and economically backward, arising out of traditional practice of untouchability.

It is most respectfully submitted that the 'Vimukat Jaties' having the same conditions and same economical, social, political and educational background have been given a better preferential rights in Punjab and Haryana but not in Uttar Pradesh.

13. That the Government from time to time appointed several commissions to define the other backward classes and to ask recommendations to up-bring the socially, economically and educationally backward classes, those commissions submitted their reports but in vain. One such report of the Backward Classes Commission 1980 was also submitted to the government of India but no action has been taken on that also.

That as early as 1928, the Hartog

Committee defined Backward Classes in their glossary :

> "Castes or classes which are educationally backward. They include the depressed classes, aboriginals, hill tribes and criminal tribes." Indian Statutory Commission (Martog Committee) 1929:399 quoted in Competing Equalities 'Law and The Backward Classes in India' by "Marc Galanter" (1984).

14. That after 1950 when the constitution of India was promulgated the founding fathers of India Constitution made specific provisions in fundamental rights Chapter and placed it at a place of Prime Importance when they provided under Article 15(4) and 16(4) for the representation of the backward class and made provision for safe guard of their interest.

15. To fulfill the solemn promise made in article 16(4) of the Constitution of India with guaranteed adequate representation in the Government Services of the backward classes, the Commission and Committees were appointed by the Central Government as well as State Government from time to time, However, whenever any notification of Government of India to fulfill the said promises was started by the state government and the central government, the persons belonging to Higher Caste who are occupying more than 80% posts in central as well as State Government services, tried to defeat the attempt some times by violent agitations, sometimes by adopting dilatory tactics, in Government services particularly in North India so far as South India is concerned whenever these notifications were given adequate representation one ground or the other they tried to defeat the objectives of such Notifications the present challenge to the Mandal Commission Report as well as to the Government Notification under is one of such steps.

Hence these petitions deserve to be dismissed because the same have been filed to defeat and defraud the same promise made by the framers of the Constitution of India to the backward classes in the Counter through under Article 16(4) of the Constitution of India.

That the petitioners and Respondents had not supplied the copy of the Writ Petitions and the counter affidavits to the intervener he is unable to make proper and effective submissions before this Hon'ble Court.

That this Hon'ble Court may direct the Petitioners and others to furnish the copies of the relevant documents so that the applicant may make effective submissions.

2-12-1991

(Dr. B.S. Chauhan)
Advocate for the applicant
Intervenor.

ANNEXURE-A

The Criminal Tribes Act, VI of 1924

(Received the assent of the Governor General on the 15th March, 1924 and published in the Gazette of India, dated 22nd March, 1924).

Act No. VI on 1924

An Act to consolidate the law relating to Criminal Tribes.

Whereas it is expedient to consolidate the law relating to criminal tribes; It is hereby enacted as follows:-

Preliminary

1. Short title and extent- (1) This Act may be called the Criminal Tribes Act, 1924. (2) It extends to the whole of British India.
2. Definitions- In this Act , unless there is anything repugnant in the subject or context.-
   (1) "District" includes a Presidency-town and town of Rangoon;
   (2) "District Magistrate" means, in the case of a Presidency town or the town of Rangoon, the Commissioner of Police;
   (3) "Prescribed"means prescribed by rules made under his Act; and
   (4) "Superintendent of Police" means, in the case of a Presidency town or the town of Rangoon, any officer appointed by the Local Government to perform the duties of a Superintendent of police under this Act.

Notification of Criminal Tribes.

3. Power to declare any tribe, gang or class a criminaltribe. If the Local Government has reason to believe that any tribe, gang or class of persons, or any part of a tribe, gang or class, is addicted to the systematic commission of non-bailable offences, it may, by notification in the local Official Gazette, declare that such tribe, gang or class or, as the case may be, that such part of the tribe, gang or class is a criminal tribe for the purposes of this Act.

Registration of Members of Criminal Tribes.

4. Registration of members of Criminal Tribes:- The Local Government may direct the District Magistrate to make or to cause to be made a register of the members of any criminal tribe, within his district.
5. Procedure in making register- Upon receiving such direction, the District Magistrate shall publish notice in the prescribed manner at the place where the register is to be made and such other places he may think fit, calling upon all the members of the criminal tribe or part, as the case may be:-

(a) to appear at a time and place therein specified before a person appointed by him in this behalf;

(b) to give to that person such information as may be necessary to enable him to make the register; and

(c) to allow their finger-impressions to be recorded;

Provided that the District Magistrate may except any member fromregistration and may cancel any such exemption.

6. Charge of register:- The register when made shall be placed in the keeping of the Superintendent of police, who shall, from time to time, report to the District Magistrate any alterations which ought in his opinion to be made therein, either by way of addition or erasurte.

7. Alterations in register:-

(1) After the register has been placed in the keeping of the Superintendent of Police no 'persons' name shall be added to the register, and no registration shall be cancelled, except by or under an order in writing of, the District Magistrate.

(2) Before the name of any person added to the register under this section, the Magistrate shall give notice in the prescribed manner to the person concerned.

(a) to appear before him or an authority appointed by him in this behalf at a time and Place therein specified;

(b) to give to him or such authority such information as may be necessary to enable the entry to be made; and

(c) to allow his finger-impressions to be recorded.

8. Complaints of entries in register:- Any person deeming himself aggrieved by any entry made, or proposed to be made in such register, either, when the register is first made or subsequently, may complain to the District Magistrate against such entry, and the Magistrate shall retain such person's name on the register, or enter it therein or erase it there from, as he may think fit.

9. Power to take finger- impressions at any time- The Magistrate or any officer empowered by him in this behalf may at any time order the finger-impressions of any registered member of acriminal tribe to be taken.

10. Members of criminal tribes to report themselves or notify residence- The Local Government may, by notification in the Local Official Gazette, issue in respect of any criminal tribe either or both the following directions, namely, that every registered member thereof shall, in the prescribed manner;

(a) report himself at fixed intervals;

(b) notify his place of residence and

any change or intended change of residence; and any absence or intended absences from his residence.

Restriction or movements of Criminal Tribes.

11. Power to restrict movements of , or settle criminal tribes.-

(1) if the Local Government considers that it is expedient what any criminal tribe, or any part or member of a criminal tribe, should be-

a) registered in its or his movements to any specified area, or

b) settled in any place of residence, the local Government may, be notification in the local Official Gazette, declare that such criminal tribe part or member, as the case may be, shall be registered in its or his movements to the area specified in the notification, or shall be settled in the place of residence so specified,as the case may be.

(2) Before making any such declaration, the local Government shall consider the following matters, namely-

(i) the nature and the circumstances of the offences in which the members of the criminal tribe or part or the individual member, as he case may be, are or is believed to have been concerned;

(ii) whenever the criminal tribe, part or member follows anylawful occupation, and whether such occupation is a real occupation or merely a pretence for the purpose of facilitating the commission or crimes;

(iii) the suitability of the restriction area, or of the place of residence, as the case may be , which it is proposed to specify in the notification; and

(iv) The manner in which it is proposed that the persons to be restricted or settled shall earn their living within the restriction area or in the place of residence, and the adequacy of the arrangements which are proposed therefore.

12. Power to vary specified area or place or residence-The Local Government may be a like notification, vary the terms of any notification issued by it

under section 11 for the purpose of specifying another restriction-area or another place of residence, as the case may be, and any officer empowered in this behalf by the Local Government may, by order in writing, vary any notification made under section 11 or under this section for the purpose of specifying another restriction area, or, as the case may be, another place of residence, in the same district.

13. Power of local government to restrict or settle criminal tribe in another province-Any notification made by the Local Government under section 11 or section 12 may specify, as the restriction area or as the place of residence, an area or place situated in any other province provided that the consent of the local government of that province shall first have been obtained.

14. Verification of presence of members of tribe within prescribed area or place of residence-'Every registered member of a criminal Tribe, whose movements have been restricted or who has been settled in a place of residence in pursuance of any notification under section 11 or section 12 shall extend at such place and at such time and before such person as may be prescribed in this behalf.

15. Application of Act when criminal tribe is transferred from one province or district to another:-

(1) Where, in pursuance of any such notification of any member of a criminal tribe is restricted in his movements to an area, or is settled in a place of residence, situated in a province other than that by the Local Government of which the notification under section 3 relating to the criminal tribe was issued, all theprovisions of this Act and the rules made there under shall apply to him as if the notification under section 3 had been issued by the Local Government of such other province.

(2) If any criminal tribe, or any part of a criminal tribe, which has been registered under section 4 in any district, or any member of such tribe or part, is registered in its or his movements to an area, or is settled in a place of residence situated in other district (whether in the same province or not), the register or, as the case may be, the relevant entries or entry therein shall be transferred to the superintendent of police of last mentioned district, and all the provisions of this Act and the rules made there under shall apply as if the criminal tribe or part had been registered in that district, and the District

Magistrate of that district, shall have power to cancel any exemption granted under section 5.

Settlement and schools.

16. Power to place tribe in settlement-The local government may establish industrial agricultural or reformatory, settlements and may order to be placed in any such settlement any criminal tribe, or any part or member of a criminal tribe, in respect of which or of whom a notification has been issued under section 11.

Provided that no such order shall be made unless the necessity for making it has been established to the satisfaction of the Local Government after an inquiry held by such authority and in such manner may be prescribed.

17. Power to place children in schools and to apprentice them-

(1) The Local Government may establish industrial, agricultural or reformatory schools for children, and may order to be separated and removed from their parents or guardians and to be placed in any such school or schools the children of members of any criminal tribe or part of criminal tribe in respect of which a notification has been issued, under section 11.

(2) For every school established under sub-section (1), a Superintendent shall be appointed by the Local Government.

(3) The provisions of sections 18 to 22 of the Reformatory schools Act, 1897 shall, so far as may be, apply in the case of every schools for children established under this section as if the Superintendent ofsuch school were a superintendent and the children placed in such school were youthful offenders within the meaning of that Act.

(4) For the purpose of this section the term 'children' includes all persons under the age of eighteen and above the age of six years.

(5) The decision of the District Magistrate as to the age of any person for the purposes of this section shall be final.

18. Power to discharge transfer persons from settlement or school- The Local Government or any officer authorized by it in this behalf may at any time, by general or special order, direct any person who may be in any industrial, agricultural or reformatory settlement or school in the province-

a) to be discharged, or

b) to be transferred to some other settlement or school in the province.

19. Power to direct use any settlement or school in British India for reception of persons- Any order made under section 16, section 17 or section 1 may specify as the settlement or school in which any person is to be placed or to which he is to be transferred, as the case may be any industrial, agricultural or reformatory settlement or school in any other province shall first have been obtained.

Rules:-

20. Power to make rules-
    (1) The Local Government may make rules to carry out the purposes and objects of this Act
    (2) In particular and without prejudice to the generality of the forgoing power, such rules may provide for or regulate-
        a) the form and contents of the register referred to in section 4;
        b) the manner in which the notice referred to in section 5 shall be published and the means by which the persons whom it concerns, and the village-headmen, village watchman and landowners and occupiers of the village in which such persons reside, and the agents of such land owners or occupiers, shall be informed of its publication;
        c) the addition of names of the register and the erasure of names therein, and the made in which the notice referred to in sub-section. (2) of section 7 shall be given.

THE CRIMINAL TRIBES ACT VI of 1924

        d) the manner in which persons mentioned in section 10 shall report themselves, or notify their residence or any change or intended change of residence, or any absence or intended absence,
        e) the nature of the restriction to be observed by persons whose movements have been restricted by notification under sec. 11 or sec. 12.
        f) The circumstances in which members of a criminal tribe shall be required to possess and produce for inspection certificates of identity, and the manner in which such certificates shall be granted,
        g) The conditions as to holding passes under which

persons may be permitted to leave the place in which they are settled or confined, or the area to which they are settled or confined, or the area to which their movements are restricted;

h) The conditions to be inserted in any such pass in regard to-
   (i) The places where he holder of the pass may go or resides;
   (ii) The persons before whom, from time to time, he shall be bound to present himself;
   (iii) The time during which he may absent himself;

i) the place and time at which, and the persons before whom, members of a criminal tribe shall attend in accordance with the provisions of sec.14.

j) the authority by whom and the manner in which the inquiry referred to in sec. 16 shall be held.

k) the inspection of the residence and villages of any criminal tribe,

l) the term upon which registered members of criminal tribes may be discharged from the operation of this act.

m) The management, control and supervision of industrial, agricultural or reformatory settlements and schools.

n) The works on which, and the hours during which, persons placed in an industrial, agricultural or reformatory settlement shall be employed, the rate at which they shall be paid, and the disposal for the benefit of such persons, of the surplus proceeds of their labour, and

o) The discipline to which persons endeavoring to escape from any industrial, agriculture or reformatory settlements or school, or otherwise offending against the rules for the time being in force, shall be subject, the periodical visitation of such settlements or school and the removal from of such persons as it shall seem expedient to remove.

PENALTIES AND PROCEDURE

21. Penalties for failure to comply with terms of notice under section 5 or section 7 whether being a member of a criminal tribe, without lawful excuse, the burden of proving which shall lie upon him,-
    (a) fails to appear in compliance with a notice issued under section 5 or section 7, or
    (b) intentionally omits to furnish any information required under either of those sections or,
    (c) when required to furnish as true any information which he knows or has reason to believe to be false, or
    (d) refuses to allow his finger impressions to be taken by any person acting under an order passed under section 9, may be arrested without warrant, and shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two hundred rupees, or with both.
22. Penalties for breach of rules.-
    (1) whoever, being registered member of a criminal tribe , contravenes a rule made under clause (c), clause (g) or clause (h) of section 20 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend.
        (a) On a first conviction, to one year,
        (b) On a second conviction, to two years, and
        (c) On any subsequent conviction, to three years, or with fine this may extend to five hundred rupees or with both.
    (2) Whoever, being a registered member of a criminal tribe, contravenes any other rule made under section 20 shall be punishable:-
        (a) on a first conviction, with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both; and
        (b) on any subsequent conviction, with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.
    (3) Any person who commits or is reasonably suspected of having committed an offence made punishable by this section which is not a cognizable offence as defined in the code of Criminal Procedure, 1898, may be arrested without a warrant by any officer in charge of police station or by any police- officer not below the rank of a sub-inspector.

23. Enhanced punishment for certain offence by members of criminal tribe after previous conviction,-

(1) whoever, being a member of any Criminal Tribes and having been convicted of the offences under the Indian Penal Code specified in Scheduled I, is convicted of the same or of any other such offence shall, in the absence of special reasons to the contrary which shall be stated in the judgement of the Court, be punished,

(a) on a second conviction, with imprisonment for a term of not less than seven years, and

(b) on a third or any subsequent conviction, with transportation for life;

Provided that no more than one of any such convictions which may have occurred before the 1st day of March 1911, shall be taken into account for the purposes of this sub-section.

(2) Nothing in this section shall affect the liability of such person to any further or other punishment to which he may be liable under the Indian Penal Code or any other law.

24. Punishment for registered members of Criminal Tribes found under suspicious circumstances.- whoever, being registered member of any criminal tribe, is found in any place under such circumstances as o satisfy the Court:-

(a) that he was about to commit, or aid in the commission of, theft or robbery, or

(b) that he was waiting for an opportunity to commit theft or robbery.

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine which may extend to one thousand rupees.

25. Arrest of registered person found beyond prescribed limits.-

(1) Whoever, being a registered member of a criminal tribe,

(a) is found in any part of British India, beyond the area or place of residence, if any, to which his movements have been settled without the prescribed pass, or in a place or at a time not permitted by the conditions of his pass, or

(b) escapes from an industrial, agricultural or reformatory settlement or school,

may be arrested without warrant, by any Police Officer, village-headman, or village-watchman, and may be taken before a Magistrate, who, on proof of the facts, shall order him to be removed to such area of place or to such settlement or school, as the case may be, there to be dealt with in accordance with this Act or any rules made thereunder.

(2) The rules for the time being in force for the removal of prisoners shall apply to all persons removed under this section or under any other provision of this Act:

Provided that an order from the Local Government or from the Inspector-General of Prisons shall not be necessary for the removal of such persons.

26. Duties of village-headmen, village-watchmen and owners of occupiers of land to give information in certain cases.-

(1) Every village-headmen and village-watchmen in a village in which any members of a criminal tribe reside, and every owner or occupier of land on which any such persons reside, and the agent of any such owner or occupier, shall forthwith communicate to the officer in charge of the nearest police station any information which he may obtain of:-

(a) the failure of any such person to a appear and give information when required to do so by a notice issued under section 5; or

(b) the departure of any registered member of a Criminal Tribe from such village or from such land, as the case may be.

(2) Every village-headman and village-watchman in village, and every owner or occupier of land and the agent of any such owner or occupier, shall forthwith communicate to the officer in charge of the nearest police station any information which he may obtain of the arrival at such village or on such land, as the case may be, for any persons who may reasonably be suspected of being members of any criminal tribe.

27. Penalty for breach of such duties: - any village-headman, village-watchman, owner or occupier of land and the agent of any such owner or occupier, who fails to comply with the requirements of section shall be deemedto have committed an offence punishable under the first part of section 176 of the Indian Penal Code.

28. Power to deport certain criminal tribes to States in India. The Local Government, if it is satisfied that adequate provisions has been made by the law of any State of India for the restriction of the movements or the settlement in aplace of residence of persons such as are referred to insection 3, and for securing the welfare of persons so restricted or settled, may, with the consent of the Prince or Chief of that State, direct the removal to that State of any criminal tribe, or part of a criminal tribe, for the time being in the

province, and may authorize the taking of all measures necessary to effect such removal.

Provided that no person shall be so removed if the Local Government is satisfied that he is a subject of his Majesty.

SUPPLEMNTAL

29. Bar of jurisdiction of Courts in questions relating to certain notifications-No Court shall question the validity of any notification issued under section 3, section 11, or section 12, on the ground that the provisions here-in-before contained or any of them have not beencomplied with, or shall entertain in any formwhatever the question whether they have been complied with; but every such notification shall be conclusive proof that it has been issued in accordance with law.

30. Repeals:- The enactments mentioned in Schedule-II are hereby repealed to the extent specified in fourth column thereof.

SCHEDULE-II

(See. Section 30)

Year	Number	Short title	Extent of repeals
1911	III	The Criminal Tribes Act, 1911	So much of the Act has not been repealed.
1914	X	Repealing and Amending Act, 1914.	So much of Schedule-II as relates to the Criminal Tribes Act, 1911
1915	XI	The Repealing and Amending Act, 1915	So much of scheduled-I as relates to the Criminal Tribes, Act 1911
1920	XXXIII	The Devolutions Act, 1920	Ditto Ditto
1923	I	The Criminal Tribes (Amendment) Act, 1923.	The whole Act.

In the Mutiny 1857 The Gujjars of the upper Duab were Notorious for their Turbulence, and seriously impeded the operations Against Delhi.

(Page, 28, THE CRIMINAL TRIBES-ACT ENQUIRY COMMITTEE 1949-50)

Indra Sawhney & Ors. etc. etc. v. Union of India & Ors. etc. etc.

JT 1992 (6) S.C 273
Indra Sawhney and Ors. Etc. Etc.V
Union of India and Ors. Etc.Etc.
Writ Petition (Civil) No. 930 of 1990.
(with W.P (C) Nos.97/91,948/9,966/90,965/90,954/90, 971/90, 972/90, 949/90, 986/90, 1079/90,1106/90, 1158/90, 1071/90, 1069/90, 1077/90, 1119/90, 1053/90, 1102/90, 1120/90, 1112/90, 1276/90, 1148/90, 1105/90, 974 90, 1114/89, 987/90, 1061/90, 1064/90, 1101/90, 1115/90, 1116/90, 1117/90, 1123/90, 1124/90, 1126/90, 1130/90, 1141/90, 1307/90, T.C.(C) Nos.27/90,28-31/90, 32-33/90, 34-35/90, 65/90, 1/91, W.P(C) Nos. 1081/90, 343/91, 1362/90, 1094 91, 1087 90, 1128/90, 36/91, 3/91, 11/92, 111/92 & 261/92)
M.H. KANIA, CJI.,
M.N. VENKATACHALIA,
S. RATNA VEL PANDIAN,
DR. T.K. THOMMEN,
A.M. AHMADI, KULDIP SINGH,
P.B. SAWANT,
R.M. SAHAI &
B.P. JEEVAN REDDY, JJ
Dt. 16-11-1992
APPEARANCES
Mr. K.K. Venugopal, Mr. N.A. Palkhiwala, Mr. P.P. Rao, Mrs. Shyamala Pappu, Senior Advocates and Mrs. Hingorani, Mr. Mehta, Mr. K.L. Sharma, Mr. S.M. Ashri, Mr. Vishal Jeet with tem for thc Petitioncrs.
Mrs. K.N. Rao and Col.Dr.D.M. Khanna in person as interveners.
Mr. ram Jethmalani, Mr. K. Parasaran, Senior Advocates and Mr. Rajiv Dhawan, Mr. R.K. Garg, Mr. Shiv Pujan Singh, Mr. S. Shiva Subramaniam, Mr. Poti, Mrs. Rani Jethmalani, Advocates , Indira Jai Singh
Dr. BS Chauhan

SERVICE AND LABOUR LAW
MANDAL CASE JUDGMENTCONSTITUTION OF INDIA
Article 16(4) read with Articles 12 and 13(3) - Job reservations- Whether the pr ovision contemplated by Article 16(4) must necessarily be made by the legislative wing of thc State? - Pcr majority hcld no.
Pcr S. Ratnavcl Pandian, J. [Concurring]
Any provision under Article 16(4) is not necessarily to be made by the Parliament or Legislature. Such a provision could also be made by an Executive order.
The power conferred on the State under Article 16(4) is one coupled with a duty and, therefore, the State has to exercise that power for the benefit of all those, namely, backward class for whom it is intended.
Per R.M. Sahai, J. [Dissenting]
Reservation by executive order may not be invalid but since it was being made for the first time in services under the Union propriety demanded that it should have been laid before Parliament not only to lay down healthy convention but also to consider the change in social, economic and political conditions of the country as nearly ten years had elapsed from the date of submissions of the report, a period considered sufficient for evaluation if the reservation may be continued or not.
Kuldeep SinghJ-280-281... During the British regime several communities who fought the Britishers and those who activity participated in the freedom straggle were deliberately kept the below the poverty line....

CENSUS OF INDIA -1931 PART-I REPORT EX-OFFICIO CENSUS COMMISSIONER AND REGISTRAR GENERAL OF INDIA MINISTRY OF HOME AFFAIRS, NEW DELHI FOR UNITED PROVINCES

11. The untouchables and depressed classes are of course backward as well but in addition to these there are other tribe and castes both Hindu and Muslim who whilst not being depressed are more conspicuously backward than the average tribe or caste. These can be divided into:

(i) Criminal tribes;

(ii) Other tribes and castes both Hindu and Muslim.

(i) The complete account of the Criminal tribes of the Province the reader is referred to the Annual Reports on the Operations in the United Provinces under the Criminal Tribes Act, which published by the Government Central Press at Allahabad. The following is list of tribes and castes which have been gazetted as Criminal in the whole or in any part of the provinces. Those with an asterisk are also included under the untouchable and depressed classes, All can safely be regarded as backward classes.

1. Aheria
2. Badak* (Badhik)
3. Bahelia* (includes Pasia)
4. Banjara
5. Bamyar*
6. Beria*
7. Bhar*
8. Bhawapuria
9. Bauria*
10. Chamar*
11. Dom* (plains)
12. Gandhila
13. Ghosi (Hindu)
14. Gujar
15. Habura*
16. Kewat
17. Khalik*
18. Kisan
19. Lodh
20. Mallah
21. Meo, Mewali, Mina or Mina Meo
22. Musahar*
23. Nat*
24. Ondhia*
25. Palwar Dusadh*
26. Pasi*
27. Rajput Muslim
28. Ranghar*
29. Bind
30. Sawaurhiya*
31. Sansia*
32. Taga Bhat

तालिका-1

नौकरियों तथा जातियों का प्रतिशत

	सन् 1935		सन् 1989	
जातियां	संख्या	नौकरियां	संख्या	नौकरियां
कायस्थ	0.85%	40%	1.03%	7.00%
मुसलमान	21	35	11.13	3.20
क्रिश्चयन	4	15	2.8	1.00
ब्राह्मण, त्यागी(भूमिहार)	3.5	3.00	5.3	70.20
राजपूत	2.5	2.00	3.80	1.70
वनिया (अरोड़ा, खत्री)	1.20	1.00	1.78	3.50
सिख	1.40	1.6	1.60	1.90
अन्य (मराठा, जाट आदि)	1.6	0.9	5.50	2.50
दलित (पिछड़े, अनुसूचित तथा जनजातियां)	64	1.00	68.85	8.00

तालिका-2

मध्य प्रदेश शासन के विभागों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति वालों की संख्या तथा प्रतिशत

श्रेणी	कुलपद	अनुसूचित जाति व जनजाति को प्राप्त आरक्षण		आरक्षित कोटा		आरक्षित कोटा जो पूरा होना है।	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
प्रथम	6829	176	86	1027	1243	854	1157
द्वितीय	36601	2595	1684	5495	6594	1441	1489

तालिका-3

(अ) पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों का गुजरात के इन्जीनियरिंग तथा मैडिकल कालेजों में प्रतिशत

सन्	इन्जीनियरिंग	मैडिकल
1978-79	3.5%	6.4%
1979-80	3.3%	3.8%
1980-81	4.8%	3.0%
1981-82	3.7%	3.6%
1982-83	4.3%	4.1%
1983-84	4.0%	5.2%
1984-85	4.0%	3.8%

(ब) इन्जीनियरिंग कालेज

सन्	कुलसीट	आरक्षित सीट	सच्चाई में जो आरक्षित सीट भरी गई	आरक्षण द्वारा आरक्षित सीटों का भरा प्रतिशत
1982-83	2110	633	76	12%
1983-84	2271	680	95	14%
1984-85	1553	439	70	16%

(स) मैडिकल कालेज

1982-83	625	183	29	16%
1983-84	625	165	26	15%
1984-85	625	175	19	11%

नोट : पिछड़े वर्ग के लिए गुजरात का उदाहरण इसलिए लिया है कि वहां पर राजपूत (रजवाड़े) भी पिछड़े वर्ग में आते हैं। आप भी देखिए कि किस प्रकार पिछड़ो के लिए आरक्षित सीटों का 84.93% अनारक्षित उच्च वर्ग को दे दिया गया। इससे भी खराब हाल अन्य राज्यों में हैं। गुजरात में पिछड़ो का आरक्षण केवल 10% हैं, जनजाति का 13%, अनुसूचित जातियों का 7%।

अतः नौकरियां भी इसी अनुपात में होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हैं। जबकि पिछड़े वर्ग का आरक्षण 27% होना चाहिए।

APPENDIX I

I.A.S. : Distribution by State of Declared Domicile

(Table prepared by the Ministry of Home Affairs)
I.A.S. Probationers 1948-1964: Ranking of States and Union Territories in terms of number of Officers/ Million Population

State/ Union Territory	Population in Millions	Percentage of Union Population	Number of IAS Officers	Percentage to total recruitment	IAS Officers per Million
Delhi	2.65	0.61	75	7.45	28.30
Nagaland	0.37	0.08	4	0.40	10.80
Madras	33.68	7.68	217	21.55	6.44
Punjab	20.30	4.63	111	11.02	4.98
Kerala	16.90	3.85	48	4.77	2.85
West Bengal	34.93	7.96	82	8.14	2.34
Himachal Pradesh	1.35	0.31	3	0.30	2.22
Uttar Pradesh	73.75	16.81	163	16.18	2.21
Orissa	17.54	4.00	37	3.66	2.11
Assam	11.87	2.71	24	2.37	2.02
Mysore	23.58	5.38	40	4.00	1.69
Rajasthan	20.15	4.60	26	2.57	1.29
Bombay	60.18	13.72	74	7.35	1.23
Andhra Pradesh	35.98	8.20	35	3.47	0.97
Bihar	46.45	10.59	40	4.00	0.86
Jammu & Kashmir	3.56	0.81	2	0.20	0.56
Madhya Pradesh	32.37	7.38	26	2.57	0.80
TOTAL	**435.61**	**99.32***	**1007**	**100.00**	**2.31**

*This is in respect of population in all areas excepting those in Manipur, Tripura, NEFA, Sikkim, Dadra and Nagar Haveli, Pondicherry and Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.

APPENDIX II

I.P.S.: Distribution by State of Declared Domicile

(Table prepared by the Ministry of Home Affairs)

I.P.S. Probationers 1948-1963: Ranking of States and Union Territories in terms of number of Officers/ Million Population

State/ Union Territory	Population in Millions	Percentage of Union Population	Number of IPS Officers	Percentage to total recruitment	IPS Officers per Million
Delhi	2.65	0.61	60	8.30	22.64
Punjab	20.30	4.63	83	11.48	4.09
Madras	33.68	7.63	97	13.42	2.88
Kerala	16.90	3.85	39	5.39	2.31
Himachal Pradesh	1.35	0.31	3	0.41	2.22
Uttar Pradesh	73.75	16.81	140	19.36	1.90
West Bengal	34.93	7.96	59	8.16	1.69
Orissa	17.54	4.00	27	3.73	1.54
Rajasthan	20.15	4.60	31	4.29	1.54
Assam	11.87	2.71	17	2.35	1.43
Bihar	46.45	10.59	59	8.16	1.27
Madhya Pradesh	32.37	7.38	31	4.29	0.96
Andhra Pradesh	35.98	8.20	26	3.59	0.72
Jammu & Kashmir	3.56	0.81	2	0.29	0.56
Bombay*	60.18	13.72	34	4.70	0.56
Mysore	23.58	5.38	13	1.80	0.55
Nagaland	0.37	0.08	1	0.14	0.27
Pondicherry	0.37	0.08	1	0.14	0.27
TOTAL	**435.98**	**99.40****	**723**	**100.00**	**1.65**

*Maharashtra 39.55 Gujarat 20.63

** Percentage figures in respect of all Union Territories and other areas including Delhi, Himachal Pradesh, Pondicherry and Nagaland have not been included.

बहादुर शॉह जफर

बागी बहादुर झंडा गुर्जर

रॉव उमराव सिंह गुर्जर

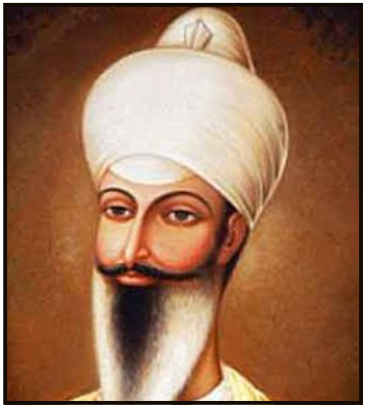

बाबा राम सिंह कूका

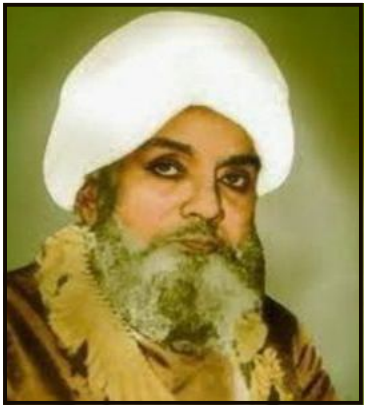

मोलवी अहमदुल्लाह खान

अवंती बाई लोधी

नाना साहिब

बाबु रॉव सेदमेक

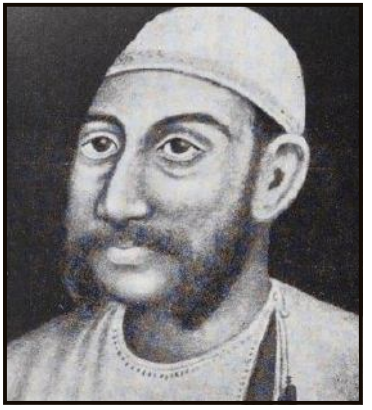

बाबु कुंवर सिंह

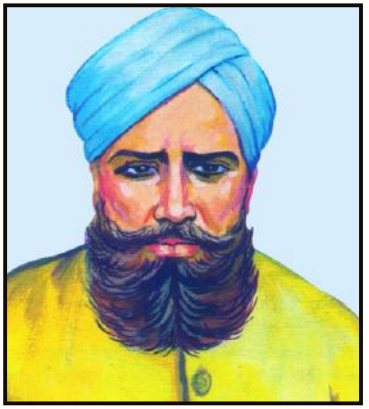

हुकम चंद जैन

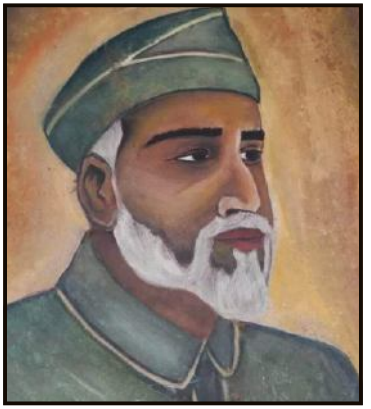

खान बहादुर खान

जनरल भक्त खान

रॉव फतुआ गुर्जर

नाना साहिब पेशवा

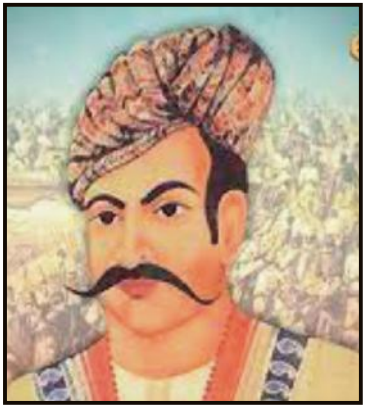

रॉव तुला राम

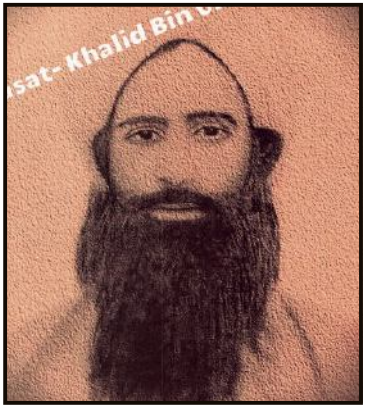

लियाकत अली (इलाहबाद)

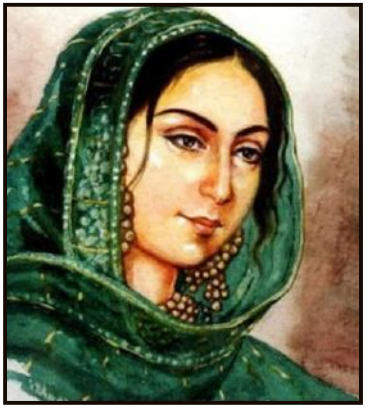

बेगम हजरत महल

मातादीन बालमीकी

अगर सरदार पटेल न होते तो भारत मे मुसलमानों का आज रहना मुश्किल होता: सुश्री बेबी फरहाना

कानपुर। अल हिन्द पार्टी उत्तर प्रदेश की अध्यक्षा सुश्री बेबी फरहाना ने कहा, अगर सरदार पटेल न होते तो भारत मे मुसलमानों का आज रहना मुश्किल होता। सन्-1857 की महान वीरांगना बेगम हजरत महल की वंशज और उत्तर प्रदेश अल हिन्द पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा सुश्री बेबी फरहाना जी ने सरदार पटेल जी के 72 वे परिनिरवाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम 1857 शहीदी गाँव कौरू में शिरकत की और श्रद्धांजलि दी। सुश्री फरहाना जी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल जैसा महान महापुरुष आज तक दुनियां में कोई नहीं हुआ है क्योंकि भारतीय संविधान बनाते समय संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष रहते हुए सरदार पटेल जी ने अनुच्छेद 20 और 21 की ऐसी व्यापक व्यवस्था की। वहीं सरदार पटेल जी ने संविधान सभा में

अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष होते हुए अनुच्छेद 292 और 294 बनाकर भारतीय मुसलमानों को संविधान में 8 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान 27 अगस्त 1947 को किया था तब बाबा साहेब अम्बेडकर जी संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे। भारत विभाजन के समय जब भारत के मुसलमान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान गए तो नियम के अनुसार उनको सबकुछ मिलना था पर बदले में उनको जिल्लत जलालते वहां के मुसलमान भाइयों ने ही उनको दी। जमीनें और घर मांगने पर उनको मारना काटना शुरू किया और वहां शरणार्थी बना दिया तब होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने अप्रैल से अक्टूबर 1950 में 20 लाख मुसलामानों को पूर्वी पाकिस्तान और 10 लाख मुसलामानों को पश्चिमी पाकिस्तान से उनको उनके देश भारत बुलाकर पुनः बसाया और जो कुछ वे भारत में छोड़ कर गए थे सबकुछ वापस दिलवाया। आज अगर भारत में मुसलमान भारतीय बन कर सम्मान से रह रहा है तो यह सरदार पटेल की ही देन है। सरदार पटेल जी ने गाँधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 के बाद संघ पर तुरन्त 4 फरवरी 1948 पर प्रतिबंध भी लगाया और देश को हिंसा और नफरत फैलाने वालों को चेताया। सरदार पटेल जी ने हिन्दू मुसलामानों में कभी कोई भेद नहीं किया सबको भारतीय संविधान में बराबरी का हक और सम्मान दिया। पटेल जी ने अपना शिक्षा मंत्री पद मौलाना आजाद को दिया और बिहार के पसमांदा समाज के अब्दुल गयूम अंसारी को भी अपने कोटे का मंत्री बनाया। आज की मुस्लिम पीढी सरदार पटेल जी को अपना मसीहा मान रहीं है। सुश्री बेबी फरहाना ने कहा, उनके जैसा त्यागी, बलिदानी महापुरुष आज तक न हुआ है और न शायद होगा। सुश्री बेबी फरहाना ने संवाददाताओं से कहा कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में योगी के आरक्षण विरोधी साजिश व नफरत के खिलाफ जनता में भारी गुस्सा है। अल हिंद पार्टी के उम्मीदवार उन्हें कड़ी टक्कर देंगें और यूपी की समाज विरोधी जन विरोधी बीजेपी सरकार को पुनः सत्ता में नही आने देगी।

अंग्रेजों ने 1857 में जिन सवा लाख गांवों को जलाया, लूटा, उजाड़ा और तोपों से नष्ट किया उनको 1857 शहीदी घोषित कर एक अरब देकर दोबारा बसाये सरकार: सुश्री प्रभा गंगवार

लखनऊ। अल हिन्द पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री प्रभा गंगवार-सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी, सदस्य राष्ट्रीय संचालन समिति, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2022 की चुनाव पर्यवेक्षक सुश्री गंगवार ने कहा है कि अंग्रेजों द्वारा 1857 58 में तब के आगरा अवध संयुक्त प्रांत आज के उत्तर प्रदेश में एक करोड़ से अधिक भारतीयों का कत्ल और नरसंहार किया था और भारतीय क्रांतिकारियों के सवा लाख गाँवों को जलाया उनको लुटाए उजाड़ा और तोपों से नष्ट किया था उसके बाद अँग्रेजों ने आईपीसी 1860 बनाई और हजारों क्रांतिकारियों को बिना कोई मुकदमा चलाए सामुहिक फँसी देते रहे, ये सिलसिला 13-14 साल यानी 1871 तक चलता रहा उसके बाद अंग्रेजों ने उनकी जमीनों को छीनकर कर बेदखल किया, उन पर अंकित अपराधी जनजाति एक्ट 1871 में लगा कर उनको बागी करार देकर उनको चोर डाकू घोषित किया और फिर उन पर इनाम रखकर जंगली जानवरों की तरह शिकार खदेड़ खदेड़ कर मरवाया गया। 1857 से 1947 यानी 90 सालों तक पीढी दर पीढी अपनी जर जोरू जमीन रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवारात घरवाली लड़कियों की इज्जत भी लुटाती रही। आजादी के बाद तत्कालीन उप प्रधान मंत्री और होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने तब ढाई करोड़ बागी भारतीयों को अंग्रेजो को जेलों मे निकाला और उनके मान सम्मान के लिए पहले ठक्कर बप्पा आयोग 1947.1949 बनाया। रिपोर्ट आने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल जी के पैर पकड़ लिए और नेहरू के अनुरोध पर सरदार पटेल जी ने नेहरू के सेक्रेट्री अयंगर के अधीन क्रिमिनल ट्राइब इंक्वायरी कमेटी 1949-50 बनाई, पँडित नेहरू ने जानबूझकर अपने सचिव अयंगर को रिपोर्ट देने मे रोका। सरदार पटेल जी ने उस के पहले संविधान सभा में एल साहू के प्रश्न पर कहा कि ब्रिटिश विद्रोही जातियों को आगे तीन पीढ़ी तक 1857 स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और मान सम्मान देने को कहा। आजादी के असली इतिहास की जगह कॉग्रेस जो 1885 में बनी अपने स्वतंत्रता आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम बनाकर पेश किया और देशवासियों को गुमराह किया। हमारी अल हिन्द पार्टी के प्रयास से केंद्र ने 13 अप्रैल 2010 को 1857 स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और मान सम्मान देना तो स्वीकार किया वहीं 22 फरवरी 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 23 मार्च 1931 में राजगुरु सुखदेव और भगतसिंह में सिर्फशहीद भगत सिंह के गाँव खटकर कला पंजाब को शहीदी गाँव घोषित कर एक अरब रुपए के साथ दोबारा बसाने शहीदी स्मारक बनाने और पूरे गाँव को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने की घोषणा की। ऐसे अंग्रेजों ने तो 1857 में आगरा और अवध संयुक्त प्रांत में अकेले सवा लाख गाँव को जलाया लुटा उजाड़ा और तोपों से नष्ट किया था उनको भी एक अरब देकर दोबारा बसाया जाए और पूरे गांव को 1857 स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और मान सम्मान दिया जाए अब तक की सरकारों द्वारा अम्बेडकर गाँव लोहिया गाँव का नाम देकर उसे विकास कहकर लोगों को असली मुद्दों से गुमराह किया है वही मोदी द्वारा सात साल पहले हर सांसदो को हर साल पांच आदर्श गाँव बनाने की घोषणा हुई और सबको एक बार फिर से गुमराह करने का खेल हुआ हमारी अल हिन्द पार्टी सत्ता में आने पर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश के अधीन एक आयोग बनाकर सारे कार्यो को सम्पन्न करवाएगी।

अलहिन्द पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. ओमकार नाथ कटियार के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की याद में मेरठ से प्रारम्भ यात्रा का राजघाट दिल्ली में भव्य समापन

'प्रथम स्वतंत्रता संग्राम-1857' के परिवारों का अभी तक नही मिला न्याय: राव महिपाल भाटी

अलहिन्द पार्टी के सुप्रीमों डॉ. ओमकार नाथ कटियार ने बताया कि सन्-1857 में आजाद की क्रांति में देश की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के प्रधानमंत्री कूड़े सिंह बने जिन्हे बाद में अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी

नई दिल्ली। देश की आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम-1857 में क्रांतिकारियों द्वारा अपना जर जोरू जमीन खो चुके बलिदानी परिवारों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से मंगलवार को राजनीतिक दल अलहिन्द पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सेनाधिकारी डॉ. ओमकार नाथ कटियार 'गुर्जर' के नेतृत्व में मेरठ से प्रारम्भ यात्रा का भव्य समापन राजघाट दिल्ली में संपन्न हुआ जिसमें क्रांतिकारी परिवारों के सदस्यों के साथ साथ देश भर से बड़ी संख्या में गणमान्य प्रतिष्ठित लोग व समाजसेवी शामिल हुए। भव्य यात्रा का राजघाट पर स्वागत उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जय प्रकाश जी ने किया और कहा कि देश की आजादी के लिए अपना सबकुछ बलिदान कर चुके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को सभी प्रकार की सुविधा व सम्मान मिलना चाहिए।

कार्यक्रम के संयोजक एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सदस्य राव महिपाल भाटी ने कहा कि 1857 के पीड़ित परिवारों को देश की आजादी के इतनों दिनों बाद भी उन्हे न्याय सम्मान नही मिला जो दुर्भाग्यपूर्ण व चिंताजनक है। अलहिन्द पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. ओमकार नाथ कटियार ने बताया कि देश की आजादी की लड़ाई सन-1857 की क्रांति में देश की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के प्रधानमंत्री कूड़े सिंह बने जिन्हे बाद में अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी गयी।

'प्रथम स्वतंत्रता संग्राम-1857' यात्रा में भारी पुलिस सुरक्षा बल तैनात रहा। शांति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह पंवार, अलंकारप्राप्त उच्चाधिकारी समय सिंह गुर्जर, अलहिन्द पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता बबलू मुंडन गुर्जर आदि ने अपने विचार व्यक्त किये। सभी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम-1857 में शामिल पारिवारिक जनों को न्याय व सम्मान दिलाने संकल्प लिया।

लूटी गई जमीनों को वापस कराया जाए

बागपत,(पंजाब केसरी): सन् 1857 की क्रांति के महानायकों और अमर सपूतों के इतिहास को जानने के लिए देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में शोध पीठ,क्रांति के दौरान लूटे और तबाह किए गए गांवों को अमर शहीद भगत सिंह के गाँव खटकर कलां की तरह विकास और लूटी गई या उपहार में जिन लोगों को जमीनें दी गई उनसे वापस दिलाने की मांग को लेकर अल हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओंकार नाथ कटियार ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया।राष्ट्रीय अध्यक्ष ओंकार नाथ कटियार ने कहा कि क्रांति के महानायकों, शहीद परिवारों तथा विरोध के कारण अपनी जर जोरू और जमीन के लूटे जाने व अंग्रेजों के पिछलग्गुओं को दी गई धन सम्पत्ति को वापस दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में आयोग बनाए जाने की मांग भी ज्ञापन में की गई है।

Website Youtube Facebook

1857 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन एवं मान–सम्मान हेतु अपने पूर्वजों के नाम अंकित कराने के लिये आवेदन

सेवा में,

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष– अल हिन्द पार्टी, बी–2/40 , राफदरजंग एनकलेव, नई दिल्ली–110029
2. राष्ट्रपति– राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली –110001
3. प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली– 110001
4. गृह मंत्री, गृह मंत्रालय भारत सरकार , नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली 110001
5. रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय साउथ ब्लाक, नई दिल्ली– 110001
6. शहरी विकास मंत्री– उद्योग भवन, नई दिल्ली 110001
7. शिक्षा मंत्री– शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001
8. साँस्कृतिक मंत्री– शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001
9. मुख्यमंत्री – उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ 226001(अपने राज्य के मुख्यमंत्री,राजधानी का नाम पिन कोड लिख कर भेजे)

10. जिला अधिकारी .....

सादर नगस्कार,

विषय– अल हिन्द पार्टी के सुप्रीम कोर्ट केस JT 1992 (6) SC– 273, सुप्रीम कोर्ट 549/2015 और दिल्ली हाई कोर्ट केस 8053/2016 और सुप्रीम कोर्ट केस 252/2019 के आदेशानुसार हमारे पूर्वजों के नाम 1857 से 1947 में आजादी की लड़ाई में भाग लेने वालों के नाम केंद्रीय एवं राज्य सूची में जोड़ने हेतु आवेदन

आदरणीय महोदय,

1. हमारे पूर्वज रागडदादा/बगडदादा/अगडदादा श्री.....ने भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1857–58 में महान बलिदानी श्री ..... की अगुवाई में लड़े और (शहीद / घायल / लापता/ पकड़े जाने के बाद फांसी / जेल एवं कालापानी की सजा) हुए / पाए उसके बाद अंग्रेजों द्वारा जर जोरू जमीन रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जेवरात, पशु, और घर वालियाँ भी लूटी गई और बाद में अँग्रेजों ने हम सब के परिवारों के फांसी और नरसंहार जारी रखे जब आजादी की लड़ाई से हमारे पूर्वज पीछे नहीं हटे तो अंग्रेजों ने हम सबके पूर्वजों पर 1871 से 81 सालों तक अंकित अपराधी जनजाति एक्ट 1871.....1924.....1946 लगाकर जुर्म और अत्याचार जारी रखा उनको जंगली जानवरों की तरह खदेड़ कर शिकार किया गया और आजादी मिलने के 5 साल बाद 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को हैबिचुअल एक्ट XXXIV में बदल कर आजतक जारी रखा गया है ।

2. सरदार पटेल जी ने हम सबके पूर्वजों को अँग्रेजों की जेल से बाहर निकाल कर ठक्कर बप्पा 1947–49, और अयंगर कमेटी 1949–50 बनाई और भारतीय संविधान को बनाते समय संविधान सभा में भी तीन पीढ़ी तक पेंशन और मान–सम्मान देने को कहा उनकी मौत के बाद अयंगर कमेटी की रिपोर्ट दबा दी गई उसके बाद में बैठाई गई महास्वेता देवी कमेटी, और संविधान समीक्षा आयोग की रिपोर्ट में भी हमारी जाति.....को 1931 की जाति जनगणना के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी माना गया है और जिसका विवरण सरदार पटेल जी द्वारा बैठाई गई ठक्कर बप्पा आयोग और अयंगर कमेटी में दिया गया है ।

3. अल हिन्द पार्टी के सुप्रीम कोर्ट केस से इंडिया गेट नई दिल्ली/ साउथ ब्लाक और नार्थ ब्लाक नई दिल्ली में बनने वाले 1857 राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में हमारे पूर्वजों के नाम श्री..... अंकित करके हमे सूचित किया जाए ।

4. अंग्रेजों और उनके वफादारों द्वारा लूटी हमारी संपत्ति और जमीनें वापस दी जाय अथवा उसकी आज की कीमत दी जाय, 1857 स्वतंत्रता सेनानी और मान–सम्मान तुरन्त लागू किया जाए अँग्रेजों ने जो लूट, जुर्म, अत्याचार, नरसंहार आदि किए है उसके बदले दस अरब का मुआवजा इंग्लैंड की सरकार हमारे परिवार को अदा करे तथा केंद्र और राज्य सरकारों ने आजादी के 75 साल बाद भी लागू न करके सांविधानिक जघन्य अपराध किया है जिसकी पीड़ा झेलते हमारी दो पीडी चल बसी उस अपमान और पीड़ा हमारे परिवारों ने भी विगत 75 सालों की आजादी में झेली है जिसके लिए 100–100करोड़ का मुआवजा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी हमारे परिवार को दिया जाय ।

सधन्यवाद
आपके शुभ चिंतक

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता .....
.

.....

दिनांक..... स्थान ..... फोन ..... ई मेल .....
.

No. CM-20/5/2021-Sp.Cell
Ministry of Culture
Government of India
(Special Cell)

Vigyan Bhawan Annexe
New Delhi-110011
Dated: 2nd June, 2022

To

The Director (Research & Administration)
Indian Council of Historical Research
35, Ferozeshah Road,
New Delhi-110001

Sub: Public Grievances - reg

Sir,

Public Grievance petitions as following details, relating to ICHR, are forwarded herewith for appropriate action:-

1	Sh. Charan Singh S/o Ram Kishor, Vill Bhulbhuliyapur Majra-Madha Post-Birbai Ka Akbarpur, Tehsil Ghatampur, Thana-Sajeti, Distt Kanpur City 209206
2	Sh Vimal Singh S/o Ram Kishor, Vill Bhulbhuliyapur Majra-Madha Post-Birbal Ka Akbarpur, Tehsil Ghatampur, Thana-Sajeti, Distt Kanpur City 209206
3	Sh Jainarayan S/o Ramadhar, Vill Badhapur, Post Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat- 209101
4	Sh Dinesh Kumar S/o Ram Kumar, Vill Badhapur, Post Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat- 209101
5	Sh Parsuram S/o Mangali, Vill Sangsiyapur, Post Sariyapur Akbarpur Distt. Kanpur Dehat- 209101
6	Sh Deshraj S/o Maiku, Vill Sangsiyapur, Post Sariyapur Akbarpur Distt. Kanpur Dehat- 209101
7	Sh Brajdev, Vill Bela Kasaila, Post Bela Kasaila, Surajpur, Distt Mhow, UP 275302
8	Sh Santosh Kumar, Vill Nadwa Khas, Post Nadwa Sarai, Thana Ghosi, Distt Mhow, UP 275302
9	Sh Badan Singh S/o Prem Narayan, Vill Sarkhelpur, Post Patrasa, Tehsil Ghatampur, Distt Kanpur City 209206
10	Sh Krishan Kumar S/o Prem Narayan, Vill Sarkhelpur, Post Patrasa, Tehsil Ghatampur, Distt Kanpur City 209206

It is requested that the applicants may directly be informed of the action taken in the matter under intimation to this Ministry.

Encl: As stated above

Yours faithfully,

(Satyendra Kumar Singh)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 23022337

Copy for information to :-

1. Sh. Charan Singh S/o Ram Kishor, Vill Bhulbhuliyapur Majra-Madha Post- Birbal Ka Akbarpur, Tehsil Ghatampur, Thana-Sajeti, Distt Kanpur City 209206

2. Sh Vimal Singh S/o Ram Kishor, Vill Bhulbhuliyapur Majra-Madha Post- Birbal Ka Akbarpur, Tehsil Ghatampur, Thana-Sajeti, Distt Kanpur City 209206

3 Sh Jainarayan S/o Ramadhar, Vill Badhapur, Post Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat- 209101

4. Sh Dinesh Kumar S/o Ram Kumar, Vill Badhapur, Post Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat- 209101

5. Sh Parsuram S/o Mangali, Vill Sangsiyapur, Post Sariyapur Akbarpur Distt. Kanpur Dehat- 209101

6 Sh Deshraj S/o Maiku, Vill Sangsiyapur, Post Sariyapur Akbarpur Distt. Kanpur Dehat- 209101

7. Sh Brajdev, Vill Bela Kasaila, Post Bela Kasaila, Surajpur, Distt Mhow, UP 275302

8. Sh Santosh Kumar, Vill Nadwa Khas, Post Nadwa Sarai, Thana Ghosi, Distt Mhow, UP 275302

9. Sh Badan Singh S/o Prem Narayan, Vill Sarkhelpur, Post Patrasa, Tehsil Ghatampur, Distt Kanpur City 209206

10. Sh Krishan Kumar S/o Prem Narayan, Vill Sarkhelpur, Post Patrasa, Tehsil Ghatampur, Distt Kanpur City 209206

It is requested that the applicants may directly be informed of the action taken in the matter under intimation to this Ministry.

Yours faithfully,

Encl: As stated above

(Satyendra Kumar Singh)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 23022337

Copy for information to :-

1. Sh. Charan Singh S/o Ram Kishor, Vill Bhulbhuliyapur Majra-Madha Post- Birbal Ka Akbarpur, Tehsil Ghatampur, Thana-Sajeti, Distt Kanpur City 209206

2. Sh Vimal Singh S/o Ram Kishor, Vill Bhulbhuliyapur Majra-Madha Post- Birbal Ka Akbarpur, Tehsil Ghatampur, Thana-Sajeti, Distt Kanpur City 209206

3 Sh Jainarayan S/o Ramadhar, Vill Badhapur, Post Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat- 209101

3. Sh Dinesh Kumar S/o Ram Kumar, Vill Badhapur, Post Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat- 209101

4.

5. Sh Parsuram S/o Mangali, Vill Sangsiyapur, Post Sariyapur Akbarpur Distt. Kanpur Dehat- 209101

6 Sh Deshraj S/o Maiku, Vill Sangsiyapur, Post Sariyapur Akbarpur Distt. Kanpur Dehat- 209101

7. Sh Brajdev, Vill Bela Kasaila, Post Bela Kasaila, Surajpur, Distt Mhow, UP 275302

8. Sh Santosh Kumar, Vill Nadwa Khas, Post Nadwa Sarai, Thana Ghosi, Distt Mhow, UP 275302

9. Sh Badan Singh S/o Prem Narayan, Vill Sarkhelpur, Post Patrasa, Tehsil Ghatampur, Distt Kanpur City 209206

10. Sh Krishan Kumar S/o Prem Narayan, Vill Sarkhelpur, Post Patrasa, Tehsil Ghatampur, Distt Kanpur City 209206

भारत की आजादी से अबतक 75 वर्षो मे विभिन्न विशिष्ठ व्यक्तियो द्वारा विमुक्त जन जातियों को न्याय दिलाने हेतु बैठाये गये आयोग और समितियाँ

1. बापा ठक्कर कमेटी 1947–1949– सरदार पटेल
2. अयंगर कमेटी 1949–50 – सरदार पटेल
3. यू एन ढेबर कमेटी– 1960 (डा लोहिया जी के दबाव मे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
4. बी एन लोकूर कमेटी–1965 (डा लोहिया जी के दबाव मे लाल बहादुर शास्त्री द्वारा)
5. दुर्गा बाई देशमुख कमेटी 1968 (डा लोहिया जी के दबाव मे श्री मती इन्दिरा गांधी द्वारा)
6. स्वेता महा देवी कमेटी 1998 (अल–हिन्द पार्टी के सलाहकार गुर्जर डा पदम सिंह वर्मा के प्रयास से प्रधान मंत्री एचडी देवेगौडा द्वारा)
7. संविधान समीक्षा आयोग 2002 (अल–हिन्द पार्टी के सलाहकार गुर्जर डा पदम सिंह वर्मा के प्रयास से प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेई द्वारा)
8. नायक आयोग 2003 (अल–हिन्द पार्टी के सलाहकार गुर्जर डा पदम सिंह वर्मा के प्रयास से प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजपेई द्वारा)
9. टैग (टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप) कमेटी 2006 (अल–हिन्द पार्टी के सलाहकार गुर्जर डा पदम सिंह वर्मा जी के प्रयास पर प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा)
10. बालकिसन रेणुके आयोग 2007 (अल–हिन्द पार्टी के सलाहकार गुर्जर डा पदम सिंह वर्मा जी के प्रयास पर प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा)
11. बीकू राम इदाते आयोग 2014 (अल हिन्द पार्टी के सुप्रीम कोर्ट केस 2012–13 पर प्रधान मंत्री मनमोहन जी ने 14 फरवरी 2014 आयोग बनाया पर मोदी जी की सरकार आने पर एक साल एक माह बाद मोदी ने भीकूराम इदाते आयोग बनाया)
12. जस्टिस रोहिणी आयोग 02 अक्टूबर 2017 (अल हिन्द पार्टी के सुप्रीम कोर्ट एवं दिल्ली हाई कोर्ट केस पर 12 सप्ताह मे रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द द्वारा उक्त आयोग बनाया गया पर उसकी रिपोर्ट पांच साल से अधिक होने पर जमा नही की गयी क्योंकि जस्टिस रोहिणी जाति जनगणना 2011–12 के आंकडे केंद्र सरकार से मांग रही है और मोदी सरकार न जातीय आंकड़े बता रही है और न जाति जनगणना 2021 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नही करवा रही है ।

    जब कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस पर 2013 मे ही 2021 की जातीय जन गणना करवाने का आदेश पहले से कर चुकी है आजादी के बाद बारी बारी से राज कर रही कांग्रेस और भाजपा की सरकारो मे बैठे राजनेताओ ने अपने पूर्वजो एवं अपने आदर्श महापुरुषो की देश के साथ साथ इन कौमो के साथ मुखबिरी, जासूसी, और गद्दारी करने की पोल खुलने से भयभीत होने के कारण अब तक सरदार पटेल जी का नाम एवं उनके कामो पर इसलिए मिट्टी डालती रही है सरदार पटेल जी ने जो जो समितिया बनाई उनकी 160 कौमे जो 666 से अधिक उपजातियो मे बटी हुई है जिनकी आबादी 45 करोड से अधिक है जिनके संविधानिक हको और कानूनी अधिकारो की लूट मे इन कौमो के आज के गद्दार नेता भी शामिल हो गये है जो अपने स्वार्थ मे अपने अपने समाजो के सौदागर बने हुए है और देश के साथ गद्दारी कर रहे नेताओ के यहा दरी बिछाए बैठकर झूठन चाट रहे है । अब उनके चरित्र को समझने की नितान्त आवश्यकता है ।

ICHR

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्

INDIAN COUNCIL OF HISTORICAL RESEARCH

स्वायत्त संस्थान, शिक्षा मंत्रालय के अधीन (भारत सरकार)

An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India

35, फिरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

35, Ferozeshah Road, New Delhi - 110 001

Phone : 011-23387877, 23386033, 23382321

Fax : 011-23383421, 23387829

E-mail : ms@ichr.ac.in; director.re@ichr.ac.in; director.jpl@ichr.ac.in; dd.admin@ichr.ac.in

Website : www.ichr.ac.in

Dr. Rajesh Kumar

Director (Journal, Publication & Library)

F.No.10-611/2016-PG (Admn.I)

Sh. Shivbahi Sahay Nagar,
S/o Sh. Ramkaran
Vill - Muhammadabad, Post- Dakore,
Distt- Jalaun, U.P. 285122

Dated - 13/02/20[illegible]

Subject: Public Grievance Petitions- reg.

Sir/ Madam,

This is with reference to your letter regarding above mentioned subject. In this regards, the ICHR's reply is as follows:

Since the ICHR does not keep any record of freedom fighters and martyrs, the grievance does not pertain to it.

However, this is worth mentioning that being an institution of historical research, the ICHR has brought out **5 Volumes (7 Books)**, based on sources available in the archives, libraries and other repositories across India consulted during research work period, under a nationally important project **Dictionary of Martyrs: India's Freedom Struggle (1857-1947)** funded by Ministry of Culture, Government of India. These volumes contain information over 13,000 martyrs belonging to different parts of India. The Volumes are available in ICHR library, Delhi as well as on Ministry of Culture, Government of India's Website, *www.indiaculture.nic.in* for general readers' reference.

Yours faithfully,

(Rajesh Kumar)

Copy to: Shri Satyendra Kumar Singh, Under Secretary, Ministry of Culture, Govt. of India (Special Cell) Vigyan Bhawan Annexe, New Delhi

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्
INDIAN COUNCIL OF HISTORICAL RESEARCH

स्वायत्त संस्थान, शिक्षा मंत्रालय के अधीन (भारत सरकार)
An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India

35, फिरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
35, Ferozeshah Road, New Delhi - 110 001

Phone : 011-23387877, 23386033, 23382321
Fax : 011-23383421, 23387829
E-mail : ms@ichr.ac.in; director.ra@ichr.ac.in
: director.jpl@ichr.ac.in;
dd.admin@ichr.ac.in
Website : www.ichr.ac.in

Dr. Rajesh Kumar
Director (Journal, Publication & Library)

F.No.10-611/2016-PG (Admn.I)

Dated - [illegible]

[illegible]

Subject: Public Grievance Petitions- reg.

Sir/ Madam,

This is with reference to your letter regarding above mentioned subject. In this regards, the ICHR's reply is as follows:

Since the ICHR does not keep any record of freedom fighters and martyrs, the grievance does not pertain to it.

However, this is worth mentioning that being an institution of historical research, the ICHR has brought out **5 Volumes (7 Books)**, based on sources available in the archives, libraries and other repositories across India consulted during research work period, under a nationally important project **Dictionary of Martyrs: India's Freedom Struggle (1857-1947)** funded by Ministry of Culture, Government of India. These volumes contain information over 13,000 martyrs belonging to different parts of India. The Volumes are available in ICHR library, Delhi as well as on Ministry of Culture, Government of India's Website, *www.indiaculture.nic.in* for general readers' reference.

Yours faithfully,

(Rajesh Kumar)

Copy to: Shri Satyendra Kumar Singh, Under Secretary, Ministry of Culture, Govt. of India (Special Cell) Vigyan Bhawan Annexe, New Delhi

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्
INDIAN COUNCIL OF HISTORICAL RESEARCH
स्वायत्त संस्थान, शिक्षा मंत्रालय के अधीन (भारत सरकार)
An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India
35, फिरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
35, Ferozeshah Road, New Delhi - 110 001

Phone : 011-23387877, 23386033, 23382321
Fax : 011-23383421, 23387829
E-mail : ms@ichr.ac.in; director.rs@ichr.ac.in
director.jpl@ichr.ac.in;
dd.admin@ichr.ac.in
Website : www.ichr.ac.in

Dr. Rajesh Kumar
Director (Journal, Publication & Library)

F.No.19-61/2016-PG (Admn.I)

Sh. Ashok Kumar,
S/o Sh. [illegible],
[illegible]
[illegible] 285[illegible]

Dated- 13/07/22

Subject: Public Grievance Petitions- reg.

Sir/ Madam,

This is with reference to your letter regarding above mentioned subject. In this regards, the ICHR's reply is as follows:

Since the ICHR does not keep any record of freedom fighters and martyrs, the grievance does not pertain to it.

However, this is worth mentioning that being an institution of historical research, the ICHR has brought out **5 Volumes (7 Books)**, based on sources available in the archives, libraries and other repositories across India consulted during research work period, under a nationally important project **Dictionary of Martyrs: India's Freedom Struggle (1857-1947)** funded by Ministry of Culture, Government of India. These volumes contain information over 13,000 martyrs belonging to different parts of India. The Volumes are available in ICHR library, Delhi as well as on Ministry of Culture, Government of India's Website, www.indianculture.nic.in for general readers' reference.

Yours faithfully,

(Rajesh Kumar)

Copy to: Shri Satyendra Kumar Singh, Under Secretary, Ministry of Culture, Govt. of India (Special Cell) Vigyan Bhawan Annexe, New Delhi

No. CM-20 / 5 / 2021-Sp Cell
Ministry of Culture
Government of India
(Special Cell)

Vigyan Bhawan Annexe
New Delhi-110001 Dated: 28th June, 2022

To

The Director (Research & Administration)
Indian Council of Historical Research
35, Ferozeshah Road,
New Delhi-110001

Subject : Public Grievances petitions – reg.

Sir,

Public Grievance petitions as per following details, relating to ICHR are forwarded herewith for appropriate action:

1.	Shri Amarchand Nagar (PG registration No DOURD/P/2022/00187)
2.	Shri Rajesh Kumar (PG registration No. DOURD/P/2022/00188)
3.	Shri Chandraprakash (PG registration No. DOURD/P/2022/00189)
4.	Shri Ashok Kumar (PG registration No. DOURD/P/2022/00190)
5.	Shri Sewaram Nagar (PG registration No. DOURD/P/2022/00191)
6.	Shri Brijaj Verma (PG registration No. DOURD/P/2022/00192)
7.	Shri Kamal Singh (PG registration No. DOURD/P/2022/00193)
8.	Shri Shripati Sahay Nagar (PG registration No. DOURD/P/2022/00194)
9.	Shri Chandrashekher (PG registration No. DOURD/P/2022/00195)
10.	Shri Arvind Kumar (PG registration No. DOURD/P/2022/00196)
11.	Shri Vijay Singh (PG registration No. DOURD/P/2022/00211)
12.	Shri Shiv Vijay Singh (PG registration No. DOURD/P/2022/00212)
13.	Shri Asif (PG registration No. DOURD/P/2022/00216)
14.	Smt. Amrita Devi (PG registration No. DOURD/P/2022/00217)
15.	Shri Amar Singh (PG registration No. DOURD/P/2022/00218)

It is requested that the applicants may directly be informed of the action taken in the matter under intimation to this Ministry.

Yours faithfully

Encl: As above

(Satyendra Kumar Singh)
Under Secretary to Govt. of India
Tel : 23022337

No. CM-20/5/2021-Spl.Cell
Government of India
Ministry of Culture
(Special Cell)

Vigyan Bhawan Annexe,
New Delhi-110011
Dated:- 17th October, 2022

To

The Director (Research & Administration)
Indian Council of Historical Research
35, Ferozeshah Road
New Delhi-110001

Subject:- Public Grievance petitions - reg.

Sir,

Public Grievance petitions as per following details, relating to ICHR are forwarded herewith for appropriate action: -

S. No.	Details of Petitioner
1	Ms. Laxmi Devi D/o Rambriksh Kewat, Vill Mirzapaur, Teh & Distt Gorakhpur, UP
2	Ms Palki Devi D/o Lakhraj Kewat, Village Kursa, Post Harpur, Teh Sahajanva, Gorakhpur, UP
3	Ms Anjali Devi D/o Manraj Kewat, Village Hemchhapar Nichli Kothi, PO Rajouda, Distt Maharaj Ganj, UP
4.	Ms Girija Devi D/o Hansu Kewat, Villagr Ragunathpur, PO Jaswal, Distt. Gorakhpur, UP
5.	Ms Dhaneshara D/o Ramadhare Pasi, Village & PO Machhli Gao, Distt. Maharaj Ganj, UP
6.	Ms Sundari Devi D/o Harishankar, Village Bannohiya, PO Rithuakhor, Teh. Sahajanava, Distt. Gorakhpur, UP
7.	Sobhana Devi D/o Balikaran Nishad, Village Farsai, PO Bhowapar, Teh Sadar, Distt. Gorakhpur, UP
8.	Ms Beila Devi D/o Teeju, Village Saraiyan, Post & Tehsil Gorakhpur, Distt Gorakhpur, UP
9.	Ms Avtari Devi D/o Bhikhari, Village Mohddipur, Post Maghar, Teh Khalilabad, Distt Gorakhpur, UP
10.	Ms Suman Devi D/o Ganga Prasad, Alahdadpur, Post & Teh Gorakhpur Sadar, Distt Gorakhpur, UP
11.	Ms Richa Katiyar W/o Shri Anand Kumar, Village Madanpur, Post Mubarakpur, Distt Kanpur Dehat, UP 209115

12.	Sh Raghavendra Kumar s/o Kailesh Prakash, Village Gauri Narwal, Post Rasoolpur, Distt Kanpur Nagar, UP 209401
13.	Shri Ram S/o Ranjit Khatik. Village Mukhlel Pur, Post Hathuma, Teh Derapur (old), Distt Kanpur Dehat, UP 209715
14.	Ms Shanti D/o Mauji Lal, Village Chirana, Post Visayakpur (Raniya), Teh/Block/Thana Akbarpur, Distt Kanpur Dehat, UP 209304
15.	Sh Ramkishore S/o Channa Lal, Village Bhulbhuliya Pur, Post Birbal ka Akbarpur Distt Kanapur Nagar 209206
16.	Sh Sarban Kumar S/o Balkishan, 3/6, Vishnu Puri Labour Colony, Nawab Ganj, Distt. Kanpur Nagar, UP 208002
17.	Sh Panna Lal, Kauru Mohammadpur Sultanpur, Post Sandalpur, Distt Kanpur Dehat, UP 209125
18.	Sh Jaychand S/o Bhogilal, Village Mahmood Pur Bujurg Balkishan ki Maddya, Post/tehsil/thana Sikandara, Distt Kanpur Dehat, UP 209715
19.	Shri Vinod Madan 1, Udayan Society, Plot 35, Sector 9A, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra
20.	Shri Sudhanshu S Jamuar B11 Gyandeep Apartments Mayur Vihar Phase I New Delhi 110020
21.	Shri Shanthi Pavan Department of EE. IIT Madars, Chennai, Tamilnadu
22.	Shri Harpal Singh Rana A-1, Village Kadipur Nangli Poona Delhi – 110036
23.	Shri Jaidip Mukerjea, Flat-22C, Tower – 3, Panache, Salt Lake Sector-V Mahisbathan Bidhannagar, Kolkata, West Bengal - 700102

It is requested that the Petitioners may directly be informed of the action taken in the matter under intimation to this Ministry.

17/10/22

(Pappunjay Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele :- 23022048

Encl :- As stated above

Copy for Information to: -

Ministry of Defence
(Department of Ex-servicemen Welfare
D (Res-II)

Subject:- Forwarding of miscellaneous grievances.

Please find enclosed herewith miscellaneous grievances received in this office from the following for necessary action: -

S. No.	Letter No & Date	Subject	Received from
(a)	Dy No-87-PG dt 09.01.2019	Name add in the list of Martyr family	Shri Jai Chand S/o Shri Bhogi Lal
(b)	Dy No 84-PG dt 09.01.2019	Name add in the list of Martyr family	Shri Raju S/o Shri Jaswant Singh
(c)	Dy No -76-PG dt 09.01.2019	Investigation of forgery	Shri Roop Singh S/o Shri Megh Singh
(d)	Dy No -75-PG dt 09.01.2019	Redressal of grievances regarding tender	Ex H/Nb Sub Siya Ram Singh

2. It is requested to take necessary action on the above mentioned grievances for redressal of respective grievances and send replies directly to petitioners under intimation to this Deptt.

Encl: As above

Gurdip Singh

(Gurdip Singh)
Section Officer (Res-II)

AG's(Coord), Room No-207, South Block, New Delhi
MoD ID No. 15/Misc/2019-D(Res-II) Dated: 10/01/2019

Copy to : -

1. Shri Jai Chand
S/o Shri Bhogi Lal
Vill - Mahamoodpur
PO - Shikandra
Kanpur
Uttar Pradesh-209 715

2. Shri Raju
S/o Shri Jaswant Singh
Ward No-1, House No- 569
Vill - Badapur Akbarpur
Kanpur
Uttar Pradesh- 209 101

Shri Roop Singh
S/o Shri Megh Singh
Vill - Shahid Bhanwar Singh
Chowk, Amarsinghpura
Bikaner
Rajasthan

Ex H Nb Sub Siya Ram Singh
Lalgang Mahuatoli Sugunu
SadAr, Ranchi
Jharkhand- 835103

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद
Indian Council of Historical Research

Dr. Md Naushad Ali
Dy. Director (Publication)/ACPIO

15.11.2019

Please refer to the grievances received in the Indian Council of Historical Research (ICHR) from Ministry of Culture, Government of India under following letter numbers:

S. No.	Letter No./PG Reference	Applicant
1.	CM-20011/7/2019-Spl. Cell	Shri Anand Patel
2.	CM-20011/8/2019-Spl. Cell	Shri Kalpanath Patel
3.	CM-20011/9/2019-Spl. Cell	Shri Santosh Patel
4.	CM-20011/10/2019-Spl. Cell	Shri Ramlakshmi Katiyar
5.	CM-20012/1/2019-Spl. Cell	Shri Annad Singh Patel
6.	Forwarded by MoC	Shri Bhoop Singh
7.	CM-20012/1/2019-Spl. Cell	Shri Pradeep Kumar Kachhi
8.	CM-20012/1/2019-Spl. Cell	Ms. Shipra Varma

In this regards, the ICHR reply is as follows:

Since the ICHR does not keep any record on freedom fighters and martyrs, the grievance does not pertain to it.

However, this is worth mentioning that being an institution of historical research, the ICHR has brought out **5 Volumes (7 books)** under a nationally important project **Dictionary of Martyrs: India's Freedom Struggle (1857-1947)** funded by Ministry of Culture, Government of India. These volumes contain information about 14000 martyrs belonging different parts of India. The volumes are available in ICHR library, Delhi as well as on Ministry of Culture, Government of India's website, indiaculture.nic.in for general readers' references.

(Md Naushad Ali)

Copy to: Shri Vijay Kumar Gupta, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Culture (Spl. Cell), Vigyan Bhawan Annexe, New Delhi.

Registered

A/51830/NWM/TFR/CAO/Spl Projects (Vol-III)

Government of India
Ministry Of Defence
Office of the JS & CAO

'E' Block, Dara Shukoh Road
New Delhi-110011
Dated 24 Jul 2019

INCLUSION OF THE NAME OF FREEDOM FIGHTERS FOR ENCRYPT IN THE NATIONAL WAR MEMORIAL AT INDIA GATE

1. Reference representation dated 29 May 2019 in r/o Shri Harinarayan, Kanpur received through PMO vide their ID No. PMOPG/D/2019/0193668 dated 15 Jun 2019.

2. The individual in his representation, has requested for inclusion of the name of his family member Late Shri Kallu in the National War Memorial at India Gate, New Delhi who fought War of Independence of **1857-58** and sacrificed his life for the country.

3. As already intimated vide our various earlier correspondence made on the subject matter, MoD/Spl Projects is involved with the task related to the National War Memorial built at 'C' Hexagon, India Gate in memory of Indian soldiers who made the supreme sacrifice for the Nation **post-independence**.

4. It is also pertinent to mention here that as per Allocation of Business Rules of the Govt. Ministry of Urban Development (MoUD) now MoHUA is allocated with the subject of "Erection of memorials in honour of freedom fighters". In the past, proposals for establishing a National Memorial to commemorate the freedom fighters have been forwarded to your Ministry by MoD.

5. In view of the foregoing, the aforesaid representation is forwarded herewith in original. It is requested that further action in the matter may be taken at your end and petitioner may be informed accordingly.

(Rajesh Tiwari)
Dy CAO (Spl Projects)

Encl:- As stated above.

Dy L & DO, MoHUA

MHA/Freedom Fighters Division

Copy to:-

PMO - For info w.r.t. your ID No. PMOPG/D/2019/0193668 dated 15 Jun 2019.

Shri Harinarayan S/O Shri Devicharan
Village & Post - Badhapur
Distt – Kanpur Dehat, UP
Pin - 209101

No. CM-20 / 5 / 2021-Sp.Cell
Ministry of Culture
Government of India
(Special Cell)

Vigyan Bhawan Annexe
New Delhi-110001 Dated: 28th June, 2022

To

The Director (Research & Administration)
Indian Council of Historical Research
35, Ferozeshah Road,
New Delhi-110001

Subject : Public Grievances petitions – reg.

Sir,

Public Grievance petitions as per following details, relating to ICHR are forwarded herewith for appropriate action:

1.	Shri Amarchand Nagar (PG registration No. DOURD/P/2022/00187)
2.	Shri Rajesh Kumar (PG registration No. DOURD/P/2022/00188)
3.	Shri Chandraprakash (PG registration No. DOURD/P/2022/00189)
4.	Shri Ashok Kumar (PG registration No. DOURD/P/2022/00190)
5.	Shri Sewaram Nagar (PG registration No. DOURD/P/2022/00191)
6.	Shri Brijaj Verma (PG registration No. DOURD/P/2022/00192)
7.	Shri Kamal Singh (PG registration No. DOURD/P/2022/00193),
8.	Shri Shripati Sahay Nagar (PG registration No. DOURD/P/2022/00194)
9.	Shri Chandrashekhar (PG registration No. DOURD/P/2022/00195)
10.	Shri Arvind Kumar (PG registration No. DOURD/P/2022/00196)
11.	Shri Vijay Singh (PG registration No. DOURD/P/2022/00211),
12.	Shri Shiv Vijay Singh (PG registration No. DOURD/P/2022/00212)
13.	Shri Asif (PG registration No. DOURD/P/2022/00216)
14.	Smt. Amrita Devi (PG registration No. DOURD/P/2022/00217)
15.	Shri Amar Singh (PG registration No. DOURD/P/2022/00218)

It is requested that the applicants may directly be informed of the action taken in the matter under intimation to this Ministry.

Yours faithfully

Encl: As above

(Satyendra Kumar Singh)
Under Secretary to Govt. of India
Tel : 23022337

Copy for Information to :-

1. Shri Amarchand Nagar S/o Shri Ramkaran Nagar, Village Muhamadabad, Post Dakore, Distt. Jalaun, UP – 285122,

2. Shri Rajesh Kumar S/o Ramnath Pal, Village Chirana, Post Visayakpur, Tehsil Akabarpur, Distt. Kanpur Dehat - 209304

3. Shri Chandraprakash S/o Ramkishan (Kisan), Ambedkar Nagar, H. No. 849, Mati Road Akbarpur, Kanpur Dehat -209101

4. Shri Ashok Kumar S/o Ramkaran, Village Muhamadabad, Post Dakore, Distt. Jalon, UP, – 285122,

5. Shri Sewaram Nagar S/o Sukhram Nagar, Behind Dhanmill, Rath Road, Orai ,Jalaun, UP - 285001

6. Shri Brijraj Verma S/o Shri Laxman Prasad Verma, Village Parchhachh, Tehsil Maudaha, Thana Maudaha, Distt. Hameerpur Pin- 210507

7. Shri Kamal Singh S/o Ramkishor (Kisan), Village Bhulbhuliyapur Majra Madha, Post Birbal Ka Akbarpur, Tehsil Ghatampur , Thana Sejeti, Distt. Kanpur Nagar - 209206

8. Shri Shripati Sahay Nagar S/o Ramkaran, Village Muhamadabad, Post Dakore, Distt. Jalaun, UP, – 285122,

9. Shri Chandrashekhar S/o Chotelal (Kisan), Village Sangsiyapur, Post Sariyapur ,Tehsil Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat – 209101

10. Shri Arvind Kumar S/o Shri Lal Singh Village Harpura, Post Bhandemau Sikandra, Distt. Kanpur Dehat, UP, – 209310

11. Shri Vijay Singh S/o Jaswant Singh , Village and Post Badhapur Post Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat, UP, – 209101

12. Shri Shiv Vijay Singh S/o Ramkumar , Village Bhadapur Post Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat, UP – 209101

13. Shri Asif S/o Shri Idrish Khan, Village and Post Badhapur Post Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat, UP, Pin – 209101

14. Smt. Amrita Devi D/o Sovaran Singh, Village Ursaan, Post Ursaan, Distt. Kanpur Dehat, UP 209115

15. Shri Amar Singh S/o Shivdayal Singh, Village Badhapur Post Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat, UP– 209101

S.No.	Name and address of the petitioner
1.	Shri Younus Khan, S/o Shri Mannu khan,Vill-Sangsiyapur, PO-Bevan Akbarpur, Distt-Kanpur, Uttar Pradesh-209101
2.	Shri Ram Swaroop, S/o Shri Raj Narayan, Vill-Muzafarabad Kharka, PO-Akbarpur, Distt-Kanpur, Uttar Pradesh-209101
3.	Shri Akhilesh Singh, S/o Ram Singh Kahi, Vill+Post- Badapur, Teshil-Akbarpur, Distt- Kanpur, Uttar Pradesh-209101
4.	Shri Chhote Lal, S/o Mikhari, Vill- Sangsiyapur, Post- Beven, Akbarpur, (Kanpur),
5.	Shri Bejnath, S/o Lat Sadyi,Vill- Sangsiyapur, , Post- Beven, Akbarpur, Kanpur, Uttar Pradesh-209101
6.	Shri Gian Singh, S/o Shri Kashiram, Vill-Khanpur Rasulawad, PO-Laxmanpur, Distt-Kanpur, Uttar Pradesh-209302
7.	Shri Hari Narayan, S/o Devi Charan, Vill- Badapur, Post-Akbarpur, Kanpur , (Uttar Pradesh)
8.	Shri Arvind Kumar, S/o Shri Jagodhar Prasad, Vill- Numaru Bahadurpur, PO-Meetha, Distt. Kanpur, Uttar Pradesh-209204
9.	Shri Kashiram, S/o Shri Bacchi Lal, Daughter of Shri Kashiram Singh, Vill-Khanpur Rasulawad, PO-Laxmanpur, Distt-Kanpur, Uttar Pradesh-209302
10.	Shri Sharif Mohammad, Vill&PO-Badapur, Distt-Kanpur, Uttar Pradesh-209101
11.	Shri Ram Prasad, S/o Babulal, Vill- Badapur, Post- Akbarpur, Kanpur, Uttar Pradesh- 209101
12.	Shri Nawab Singh, S/o Shri Ram Prasad, Vill & PO-Dasera, Tehsil-Orriya, Distt-Etwah, (Uttar Pradesh)
13.	Shri Rajesh Mohan, Vill- Chindoli, PO- Bijora(Dewari Kala), Distt-Sagur, Madhya Pradesh- 470226
14.	Ram Prakash, S/o Lat Moji Lal, Vill-Sangsiyapur, , PO-Bevan Akbarpur, Distt-Kanpur,(Uttar Pradesh)
15.	Ms Kusum Lata, D/o Kashiram Singh, Vill-Khanpur Rasulawad, PO-Laxmanpur, Distt-Kanpur, Uttar Pradesh-209302.
16.	Shri Parshuram, S/o Shri Sukhram , PO-Ghorhut, PO-Chitahi, Tehsil-Dhanghata, Distt-Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh- 272172
17.	Shri SS Nagar, S/o Shri Ramkaran, Vill-Muhamabad, PO-Décor, Tehsil-Urai, Distt-Jalaon, Uttar Pradesh-285122

File No. 18011/5/2019-W2
Government of India,
Ministry of Housing & Urban Affairs
Works Division (W2)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated [illegible].06.2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Application to add name of ancestors to Central and State lists-reg.

The undersigned is directed to forward herewith 6 following PG representations (in original) regarding the above mentioned subject for further necessary action in the matter.

1) Shri Kasim (PG registration No. DOURD/P/2022/00227).
2) Shri Ram Autar (PG registration No. DOURD/P/2022/00228).
3) Shri Ram Prakash (PG registration No. DOURD/P/2022/00229).
4) Shri Hari Narayan (PG registration No. DOURD/P/2022/00235).
5) Shri Sharif Mohamad (PG registration No. DOURD/P/2022/00236).
6) Shri Harischand (PG registration No. DOURD/P/2022/00247)

Encl. As above

(Urmila Sharma)
Section Officer
Tele: 23063079

To,

Secretary to Govt. of India,
Ministry of Culture,
Shastri Bhawan, New Delhi.

Copy to

1. Shri Kasim Khan s/o Shri Idrish Khan, Village- Badhapur, post Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat Uttar Pradesh 209101.
2. Shri Ram Autar s/o Ramdeen, Village-NaginJasi Nabipur ward 10 Lohiya Nagar Panchayat post Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat Uttar Pradesh 209101
3. Shri Ram Prakash S/o Mouzi Lal, Village- Sangsiyapur, post Sariyapur, post Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat Uttar Pradesh 209101.

Freedom Fighters incarcerated in Cellular Jail
1909-1938
Department of Air & Culture
A & N Administartion
Telefax : 03192-234775/231399
E-mail : dir-dptac.and@gov.in
cellularjailandman@gmail.com
Address :
National Memorial Cellular Jain Comp'ex
Andaman & Nicobar Islands, INDIA

14 मई 1857 को देहली की
पहली लोकतांत्रिक सरकार के पहले

प्रधान मंत्री राव कूड़े सिंह गुर्जर

कमाण्डर इन चीफ तेल लंगर आर्मी

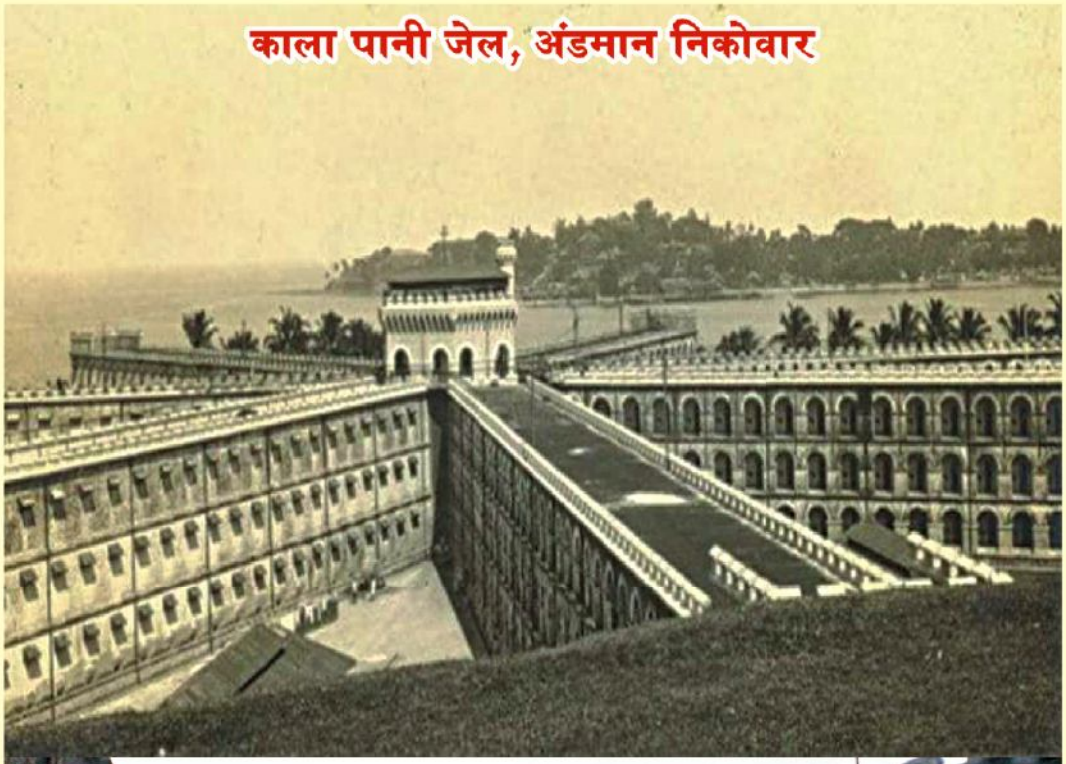
काला पानी जेल, अंडमान निकोवार

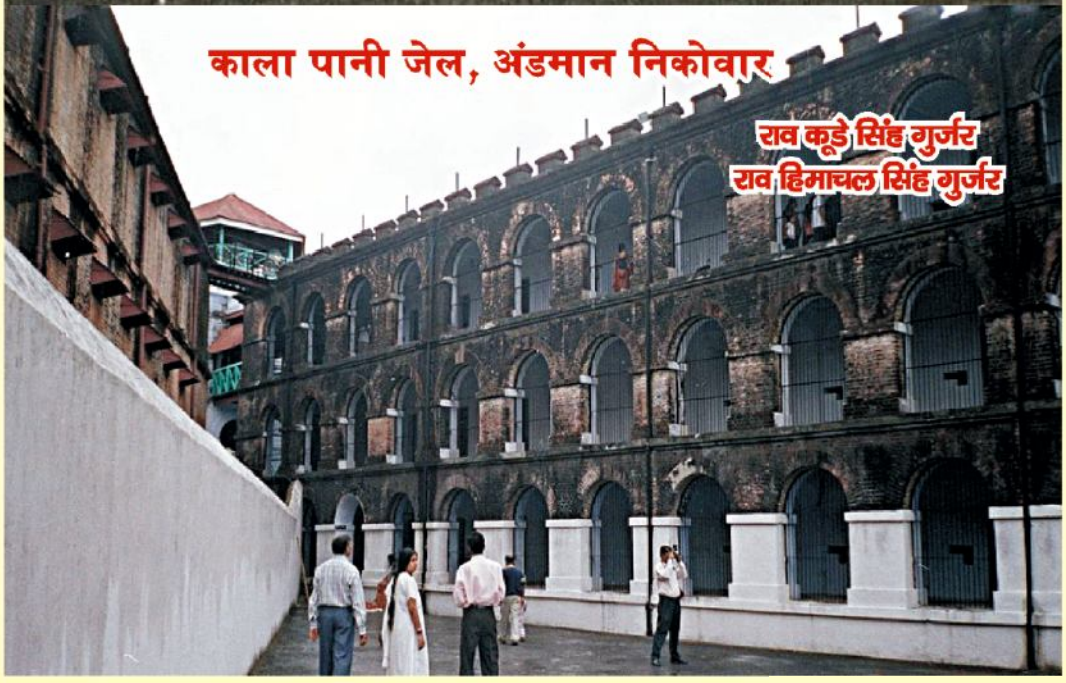
काला पानी जेल, अंडमान निकोवार
राव कूड़े सिंह गुर्जर
राव हिमाचल सिंह गुर्जर

1857 विद्रोह की कुछ झलकियों का चित्रावलोन

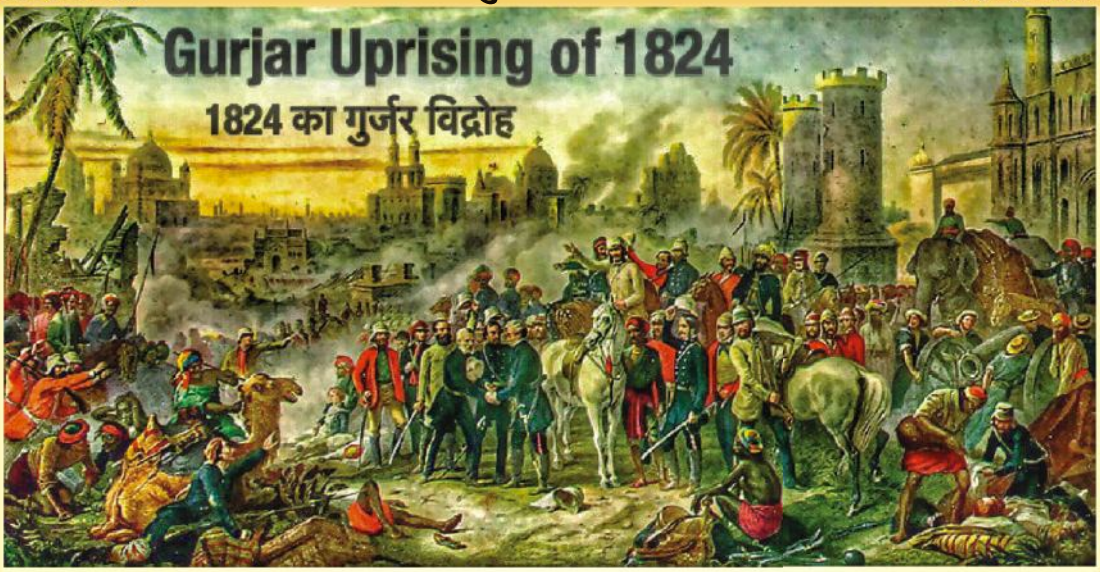

11 मई 1857 को राव कूड़े सिंह द्वारा दिल्ली का घेराव व कब्जा

1857 विद्रोह की कुछ झलकियों का चित्रावलोन

1857 का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम

1857 का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम

1857 विद्रोह की कुछ झलकियों का चित्रावलोन

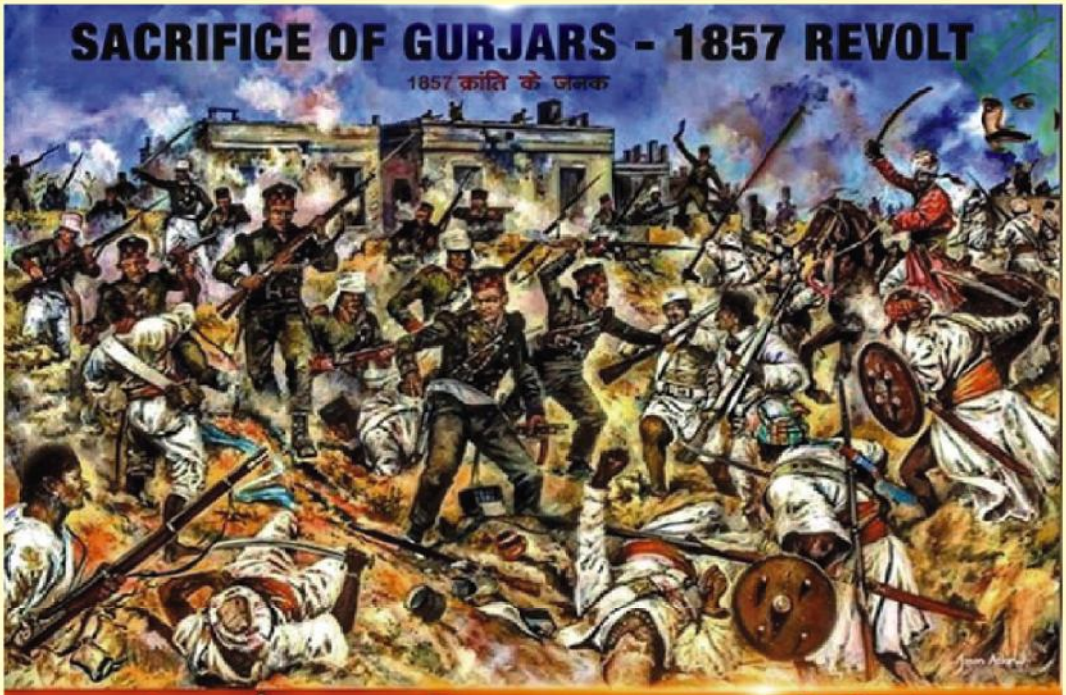

गगोल गाँव का बलिदान - 1857 गुर्जर विद्रोह

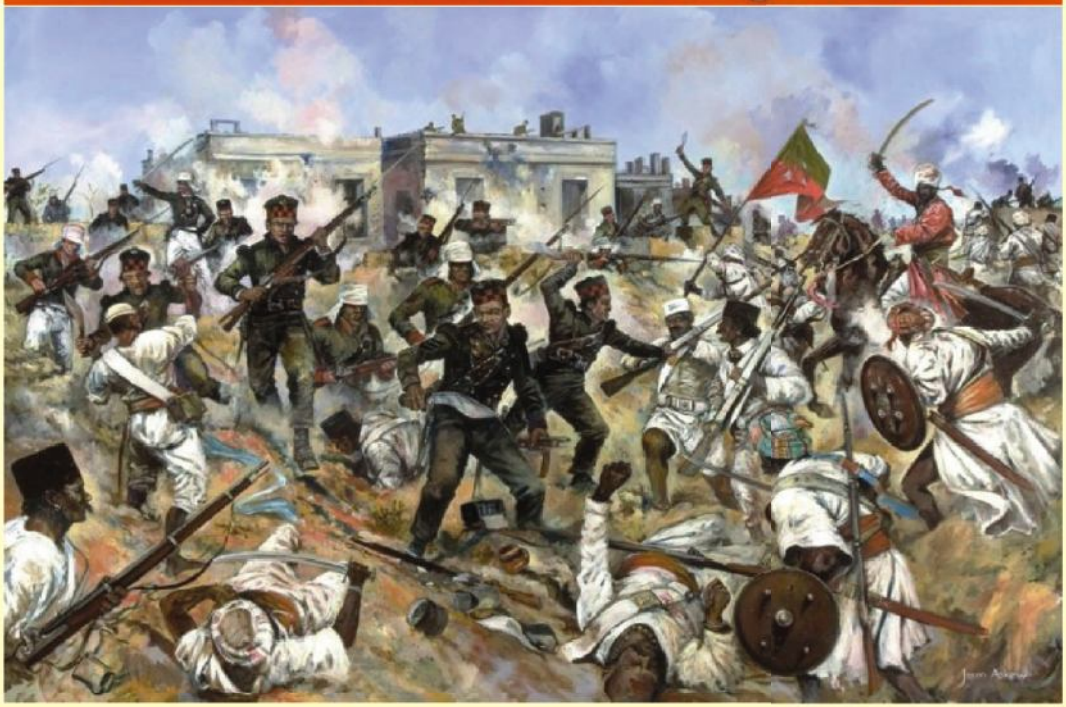

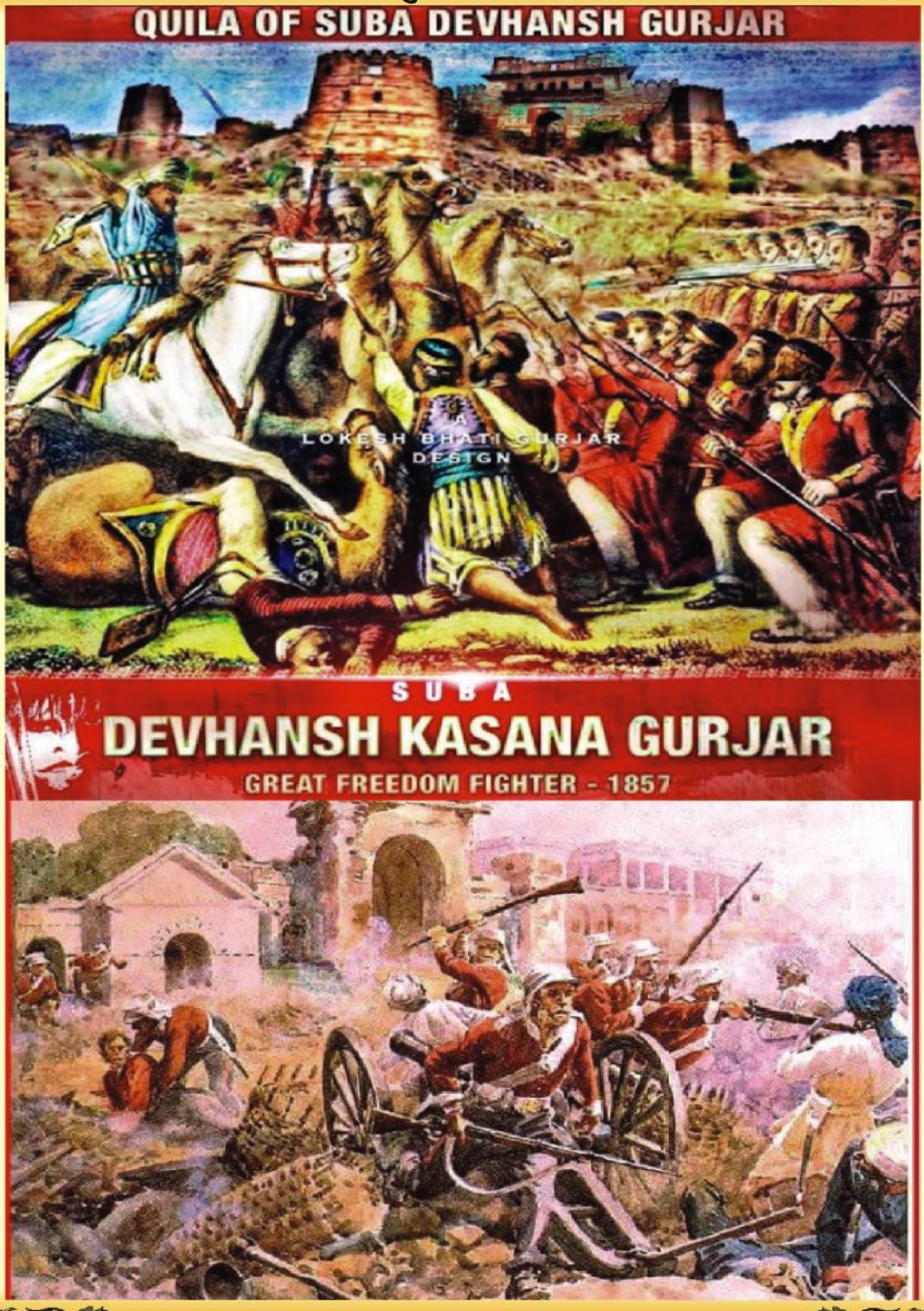
QUILA OF SUBA DEVHANSH GURJAR
LOKESH BHATI GURJAR
DESIGN
SUBA
DEVHANSH KASANA GURJAR
GREAT FREEDOM FIGHTER - 1857

1857 विद्रोह की कुछ झलकियों का चित्रावलोन

1857 का आगरा, अवध प्रान्त विद्रोह

1857 का आगरा, अवध प्रान्त विद्रोह

1857 विद्रोह की कुछ झलकियों का चित्रावलोन

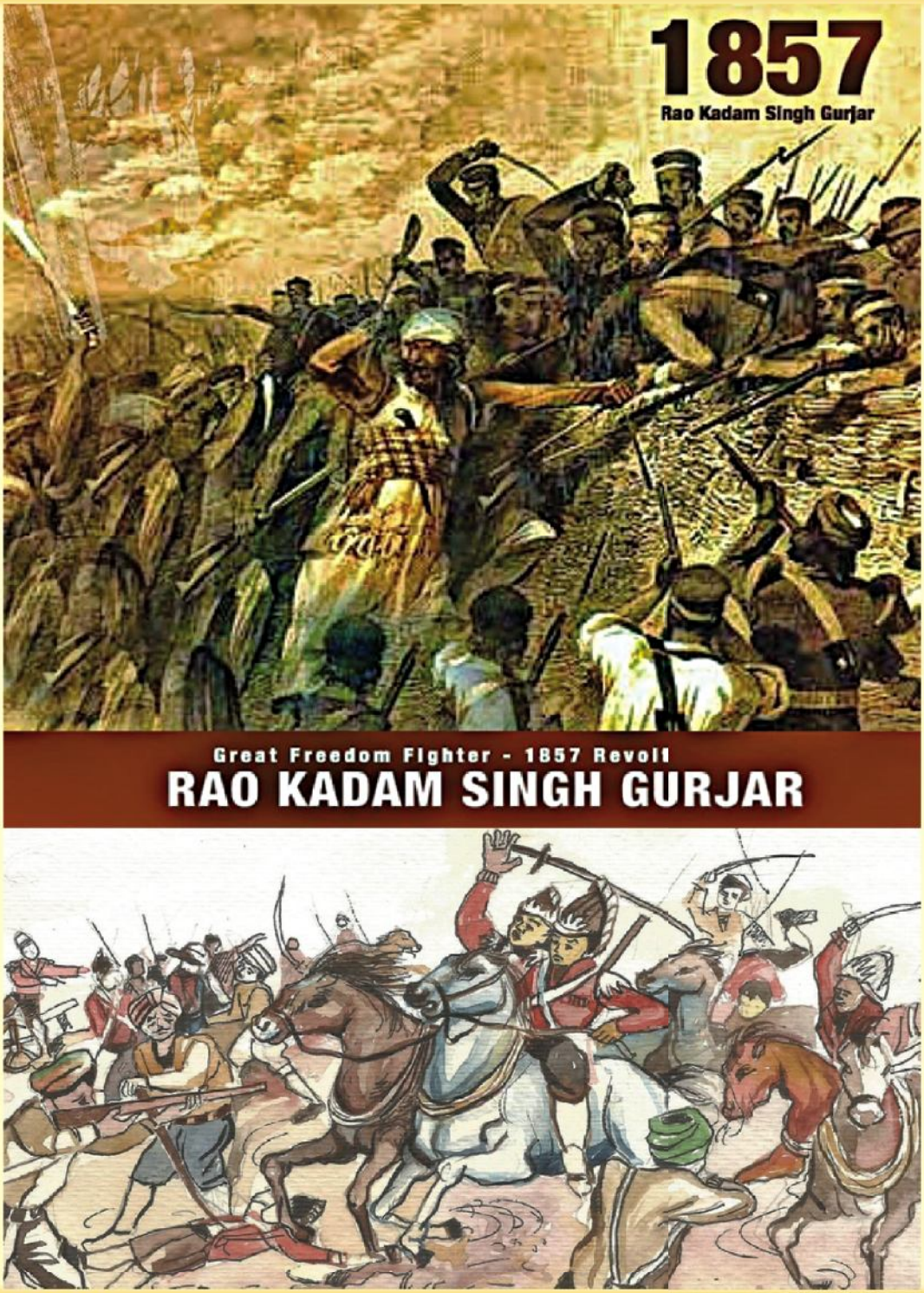

1857 विद्रोह की कुछ झलकियों का चित्रावलोन

1857 का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम

1857 का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम

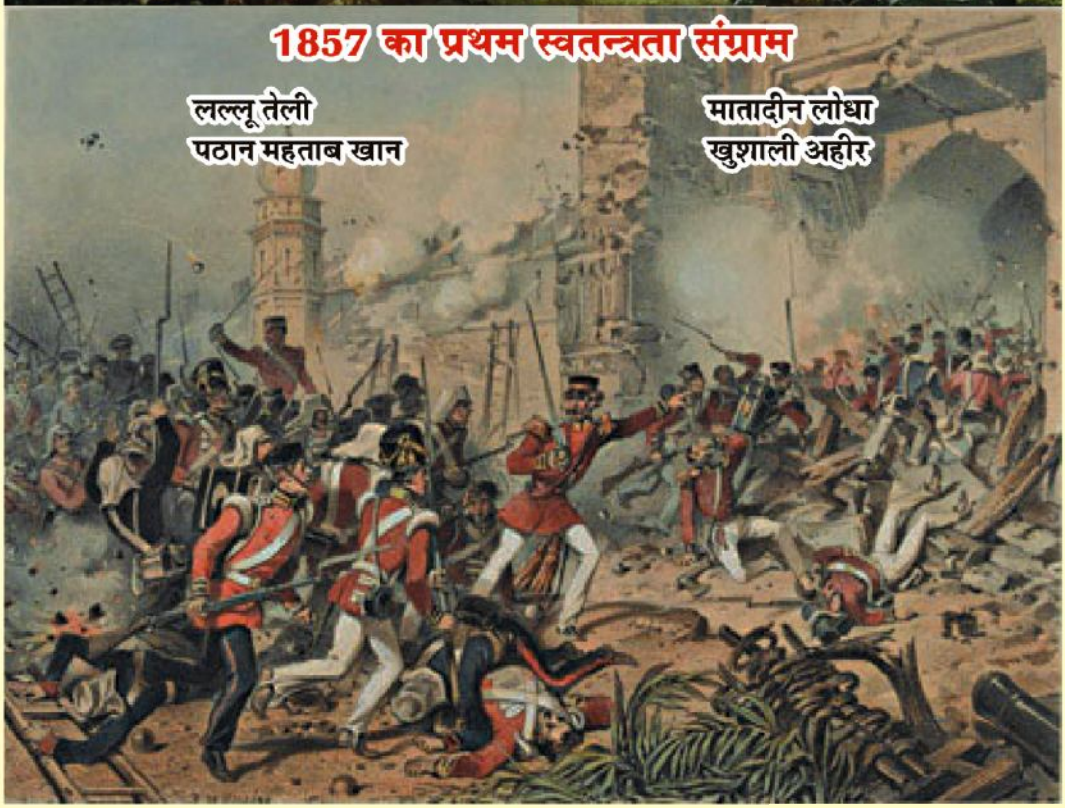

1857 KRANTI KE JANAK
KOTWAL
DHAN SINGH GURJAR

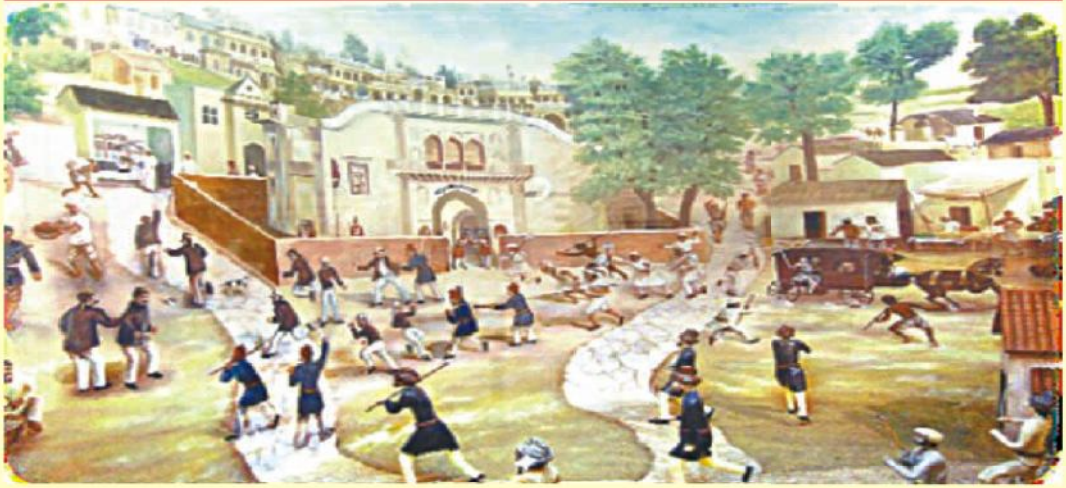

अल हिन्द पार्टी

हरी मिर्च

(1857 के शहीदो के वंशजो की पार्टी)

बी–2/40 सफदरजंग एन्कलेव नई दिल्ली 110029 क्रम संख्या

टेलीफोन– 9540288242,8447875451

गुर्जर डा ओमकार नाथ कटियार

(गौरव सेनानी)

राष्ट्रीय अध्यक्ष अल हिन्द पार्टी

प्रशस्ति पत्र

आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम

1857 के शहीदो के आज के वंशजो का एक दिवसीय सम्मेलन एवं क्रान्ति चक्र सम्मान बितरण समारोह

1857 के शहीदी पीडित और बलिदानी का नाम.....

पता .....

द्वारा भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1857 मे शहीद/घायल/ लापता / काले पानी की सजा देश निकाला/फांसी/ जेल की सजा / बागी होकर देश की आजादी की लड़ाई मे अदम्य जौहर दिखाकर कुर्बान हुए। ऐसे महान क्रान्ति बीरो के द्वारा देश के लिए किये गये बलिदान को राष्ट्र हमेशा याद करेगा।

1857 के महान नायक के आज के वंशज का नाम .....

पिता का नाम..... पता .....

.....

गुर्जर डॉ ओमकार नाथ कटियार अध्यक्ष	महेन्द्र प्रताप सिंह पटेल अध्यक्ष राजा जय लाल सिंह ब्रिगेड	गीता सिंह शैथवार अध्यक्ष 1857 युद्ध विजय वंशज महासंघ	अमित कुमार प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अल हिन्द पार्टी

!! मिशन !!

1857 स्वतंत्र सेनानी पेंशन और मान सम्मान एवं 1857 राष्ट्रीय युद्ध स्मारक मे नाम दर्ज कराने हेतु संघर्ष रत

E-mail : alhindparty@gmail.com, omkar201266@gmail.com, Website : www.alhindparty.com

जीतगढ़ स्मारक : अंग्रेजों ने 1857 की जीत की खुशी में बाड़ा हिन्दूराव, दिल्ली–54 में बनवाया

जीतगढ़ : अंग्रेजों ने 1857 के अन्त में देहली-54 के बाड़ा हिन्दू राव में 1857 की जीत की खुशी में जीतगढ़ स्मारक बनाया था। आजादी (15 अगस्त 1947) के 73 वर्ष बाद भी इण्डिया गेट, नई दिल्ली की तरह जो अंग्रेजों ने पहले विश्वयुद्ध (1914-18) की जीत की खुशी में बनाया था, खड़ा हुआ है जो न केवल आजाद भारत के माथे पर एक कलंक है, बल्कि 1857-58 के करोड़ों-करोड़ों बलिदानियों के आज के वंशजों के लिए कैंसर है आदि आदि। अतः 1857-58 के बलिदानियों के आज के वंशजों अपने पूर्वजों की कुर्बानियों (1857-58) को दिलों में रख कर 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े कर आगामी लोकसभा चुनाव कब्जा करो तथा उपरोक्त कलंक को हमेशा के लिए जहां से मिटाओ। वहीं 11 मई 1857 की जीत की खुशी में अपने देश की अल हिन्द पार्टी को आशा है कि आप हमसे तुरन्त इसके बारे में सम्पर्क करके सच्चे तथ्य (1857-58) के बलिदानियों की सूची एवं काले पानी सैलुलर जेल के 1957-58 के हीरो के नाम प्राप्त कर सकते हैं।